नवम माला, खंड 3, अंक 14

गुरुवार, 29 मार्च, 1990
8 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1990/1911—12 (शक)

अंक 14, गुरुवार, 29 मार्च, 1990/8 चैत्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या: 247, 248 और 251 से 253	
श्रीलंका की संसद के स्पीकर का स्वागत	11
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	20—210
तारांकित प्रश्न संख्या: 249, 250 और 254 से 268	20—32
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2621 से 2636, 2638 से 2663, 2665 से 2719 और 2721से 2840	32—207
सभा पटल पर रखे गए पत्र —	210 - 219
नियम 377 के अधीन मामले	219—224
(एक) केरल में वनों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	219
(दो) केरल में मेन सेंट्रल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की मांग	
श्री रमेश चेन्नीथाला	219—220

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(तीन) कोचीन के निकट एक और हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने की मांग

प्रो० के० वी० थामस 220

(चार) बिहार में दीर्जयां और फुहिया के बीच कोसी नदी पर बांध का निर्माण पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री दसई चौधरी 220

(पांच) टेलीफोन कनेक्शनों के आवंटन के मामले में वकीलों को विशेष श्रेणी में माने जाने की मांग

चौ० जगदीप धनखड़ ... 220—221

(छ:) राजस्थान में सवाई माधोपुर में सीमेंट उद्योग को पुनर्जीवित किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

डा० किरोड़ी लाल मीणा 221

(सात) बिहार में कटिहार जूट मिल का अधिग्रहण किए जाने की मांग

श्री युवराज .... 221—222

(आठ) मध्य प्रदेश में इन्दौर में महिलाओं के लिए एक पोलिटेक्निक खोले जाने की मांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन 222

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक .... 224—261

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद .... 224—225

श्री पी० चिदम्बरम .... 225—228

श्री समरेन्द्र कुन्डू .... 228—233

श्री गुमान मल लोढ़ा .... 233—237

प्रो० सैफुद्दीन सोज .... 237—240

			पृष्ठ
श्री सुदर्शन राय चौधरी	....	....	241—243
प्रो० के० वी० थामस	....	....	243—245
श्री इन्द्रजीत	....	....	245—246
श्री राम कृष्ण यादव	....	....	246—247
श्री इन्द्रजीत गुप्त	....	....	247—250
श्री ए० एन० सिंह देव	....	...	250—251
श्री जी० एम० बनातवाला	...	....	251—254
श्री गिरधारी लाल भार्गव	....	....	254—256
खंडवार विचार	....	...	260—261
यथा संशोधित पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	...	...	256—251
दंड विधि संविधान (संशोधनकारी) विधेयक		....	261—273
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	....	....	261—262
श्री पी० चिदम्बरम	...	....	262
चौ० जगदीप धनखड़	...	...	263
श्री गुमान मल लोढा	....	....	263—264
श्री अमल दत्त	...	....	264—267
श्री पी० सी० थामस	...	...	268
श्री तेज नारायण सिंह	....	....	269
खंडवार विचार	...	....	270
यथा संशोधित, पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद		....	269—270
वर्ष 1990-91 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के मुल्य सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	...	...	267—268
श्री देवी लाल			
श्रीनगर में सेन्ट्रल जेल से कैदियों के निकल भागने के बारे में वक्तव्य		....	274—276
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद			
नियम 193 के अधीन चर्चा	....	...	276—322
बंगलौर में इन्डियन एयरलाइंस की एयरबस ए-320 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना			
श्री वापू सिंह	....	...	276—279

			पृष्ठ
श्री हरीश रावत	....	....	279—285
श्री अमल दत्त	...	....	285—290
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	...	....	291—293
श्री शिकिहो सेमा	...	...	294—294
श्री संतोष मोहन देव	....	....	294—300
श्री संतोष कुमार गंगवार	....	....	300—301
श्री तेज नारायण सिंह	....	....	301—303
श्री चित्त बसु	...	....	304—305
प्रो० के० वी० थामस	....	....	305—307
श्री युवराज	....	....	307
प्रो० रासा सिंह रावत	....	....	307—309
श्री सूर्य नारायण यादव	....	...	309—310
श्री समरेन्द्र कुन्डू	....	....	310—312
श्री आरिफ मोहम्मद खां	....	...	312—322
राज्य सभा से संदेश	....	....	303—304

लोक सभा

गुरुवार, 28 मार्च, 1990/8 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का उड़ीसा में पहुंचना

[अनुवाद]

+

*247. श्री ए. एन. सिंह देव :
श्री चित्त बसु } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के तमिल शरणार्थी बसने के लिए उड़ीसा पहुंच गये हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, उनकी संख्या कितनी है और वे वहां कब पहुंचे थे;

(ग) उन्हें किन परिस्थितियों में उड़ीसा में बसाया जायेगा और क्या इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने स्वीकृति दे दी है;

(घ) क्या उन्हें स्थायी तौर पर उड़ीसा में बसाया जाएगा और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है; और

(ङ) अन्य किस राज्य अथवा राज्यों में इन शरणार्थियों को बसाया जाएगा ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) 10.3.1990 को 1315 शरणार्थी समुद्री जहाज द्वारा और 11.3.1990 को 277 शरणार्थी हवाई जहाज द्वारा पहुंचे।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि इन शरणार्थियों को उड़ीसा के कोरापुट जिले के शिविरों में अस्थायी तौर पर ठहरा दिया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सरकार इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयास करेगी कि जैसे ही वहां स्थिति सामान्य हो जाए, श्रीलंका के शरणार्थी स्वदेश लौट जाएं।

श्री ए. एन. सिंह देव : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्तिम भाग में "जैसे ही वहां स्थिति सामान्य हो जाए" शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम समझते हैं स्थिति वहां पहले ही सामान्य हो चुकी है क्योंकि भारतीय शांति सेना वापस आ चुकी है। हम सुनते हैं कि यह लड़ाई ईलम पीपुल्स क्रांतिकारी मुक्ति मोर्चा और लिट्टे के बीच है। इसलिए, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है। इसलिए इन परिस्थितियों में मंत्री महोदय को स्थिति के कब तक सामान्य हो जाने की आशा है, ताकि शरणार्थी वापस जा सकें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे, माननीय मित्र को यह जानकारी होगी कि उड़ीसा में शरणार्थियों की संख्या लगभग 1600 है। इसकी तुलना में तमिलनाडु में शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। और भारतीय, शांति सेना की वापसी का स्थिति के सामान्य हो जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु हम यह आशा करते हैं कि वहां स्थिति इतनी सुरक्षित अवश्य हो जाएगी कि शरणार्थी अपने घरों को लौटना सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके साथ ही हमारी सभ्यता का यह तकाजा है कि हम उनसे अतिथियों जैसा सलूक करें।

श्री ए. एन. सिंह देव : हम मंत्री महोदय से सहमत हैं। किन्तु उड़ीसा एक गरीब राज्य है और शरणार्थियों की इस समस्या से वहां तनाव उत्पन्न हो रहा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें स्वीकार किया है। किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसकी तमाम लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कुछ शरणार्थी हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सभी शरणार्थियों को तमिलनाडु भेज दिया जाए क्योंकि वहां अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो उड़ीसा जैसे निर्धन राज्य को इस बोझ से मुक्ति मिलेगी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक वित्तीय बोझ का संबंध है, यह बोझ उड़ीसा सरकार के बजट पर नहीं है। सारा वित्तीय बोझ केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए, उड़ीसा को यह बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

जहां तक इन सब को तमिलनाडु में रखने का सम्बन्ध है इसमें कठिनाइयां हैं।

श्री चित्त बसु : माननीय मंत्री महोदय को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही थी कि सरकार को आशा है कि श्रीलंका में जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और उससे उन शरणार्थियों के जो अब उड़ीसा में कोरापुट में है, श्रीलंका वापस लौट जाने का माहौल बन जाएगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दो दिन पहले ही भारतीय शांति सेना को पूरी तरह वापस बुला लिए जाने और श्री पेरूमल की सरकार के गिर जाने से, जहां तक मेरी जानकारी है लिट्टे उग्रवादियों ने उत्तर पूर्वी प्रान्त में महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर स्थिति 1983 के पूर्व जैसी हो गई है अर्थात सिंहाली सेना और श्रीलंका के तमिलों के बीचा सीधा संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक श्रीलंका के तमिलों का भारत आना।

जहां तक मैं जानता हूं, सरकार ने अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ सिद्धान्त रूप में एक मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है।

अब मेरा सवाल यह है कि ! (1) श्रीलंका सरकार के साथ नई परिस्थितियों में श्रीलंका के अन्तर्गत क्या असमान्य परिस्थितियों में श्रीलंका के तमिलों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी ? (2) क्या यह सच है कि भारतीय शान्ति सेना से स्वयं इन शरणार्थियों के लिए भारतीय नौसेना के दो जहाजों की व्यवस्था की थी। मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन इस बात की पुष्टि करेंगे। इन जहाजों के नाम है एम०वी० हर्ष वर्धन और एम. वी. टीपू सुल्तान। क्या भारतीय शांति सेना ने इन शरणार्थियों को भारत लाने की इस व्यवस्था के बारे भारत सरकार की अनुमति ली थी ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, भारतीय शांति सेना ने भारत सरकार के परामर्श से कार्यवाही की ! लगभग 1600 शरणार्थी भारतीय जहाजों में भारत आए। कारण बिल्कुल सरल था। हमें आशंका थी कि उनका जीवन खतरे में है। इतने वर्षों मे हम तमिलों की सुरक्षा के लिए चिन्तित थे और हमने महसूस किया कि उनकी जान खतरे में है, हम उन्हें ले आए। यह सब मानवीय दृष्टिकोण से किया गया।

जहां तक सन्धि का संबंध है उसमें अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। किन्तु मैंने समाचार पत्रों में ही देखा है कि श्रीलंका सरकार हमसे बातचीत की इच्छुक है। जब हमसे बात होगी तो हम निपट लेंगे।

डा० तम्बि दुरे : मैं मंत्री महोदय का, उड़ीसा में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों के बारे में उत्तर देने के लिए मैं उनका आभारी हूं। अपने उत्तर में उन्होंने बताया कि श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को तमिलनाडु लाने में कुछ कठिनाई है। हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई हैं—मैंने देखा है—कि श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों को कहीं और भेजने के लिए एक आन्दोलन चल रहा है। वह आन्दोलन तो चल ही रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने तो कहा है कि श्रीलंका के

तमिल शरणार्थियों को यदि तमिलनाडु में आने की अनुमति दी जाती है तो तमिलनाडु एक और युद्ध का मैदान बन जाएगा। उन्होंने भारतीय शांति सेना के कार्यों पर भी टिप्पणी की। कल मुख्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने भारतीय शांति सेना के स्वागत समारोह में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में 5000 तमिलों की हत्या की है मैं, इस बारे में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि द्र० मु० क० भी उनकी सरकार का ही अंग है। इसलिए, मैं जानता चाहता हूं कि क्या सरकार का भी वही मत है जो तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का क्योंकि उन्होंने यह बात कहीं और नहीं तमिलनाडु विधान सभा में कही थी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के वक्तव्यों से भारत में दुर्भावना उत्पन्न होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : किसी राज्य के मुख्य मंत्री के साथ मैं विवाद में नहीं उलझना चाहता! वह जो ठीक समझे कह सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री तम्बि दुरै : कल उन्होंने भारतीय शांति सेना के बारे में जो कुछ कहा मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उसे स्वीकार करते हैं। आपने भारतीय शांति सेना के कार्य के बारे में अभी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया; किन्तु कल मुख्य मन्त्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय शान्ति सेना के जवानों के स्वागत समारोह इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि उन्होंने 5000 तमिल लोगों की हत्या की है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि भारतीय शान्ति सेना ने केवल अपने दायित्वों का निर्वाह किया। भारतीय शान्ति सेना के विषय में कुछ और कहना और उन पर कोई आरोप लगाना गलत है।

डा तम्बि दुरै : क्या आप इसकी भर्त्सना करते हैं।

श्री भक्त चरण दास : यह 1611 श्रीलंका शरणार्थी कोरापुट जिले के मलकानगिरी और सतिगुड़ा क्षेत्र में बसाए गए हैं। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है यह क्षेत्र उड़ीसा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 20,000 शरणार्थियों को भी मलकानगिरी क्षेत्र में बसाया गया था। इस कारण से अर्थात मलकानगिरी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान से आदिवासी लोगों को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब इन जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर जहां श्रीलंका के शरणार्थी बसाए गए हैं काफी आन्दोलन हो रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वह हमें यह बताएं कि सरकार की योजना इन शरणार्थियों को विशेषकर मलकानगिरी और सतिगुड़ा क्षेत्रों से हटा कर अन्य शहरी क्षेत्रों में ले जाने की है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं अपने माननीय दोस्त को यह आश्वासन देता हूं कि इन लोगों को वहां बसाने का कोई इरादा नहीं और न ही कोई योजना है। वह वहां केवल अस्थाई रूप से हैं। उनका

बोझ न तो उड़ीसा सरकार पर है और न ही उड़ीसा की अर्थव्यवस्था पर है। इसलिए, पुनर्वास का प्रश्न तथा अन्य सभी आशंकाएं निराधार है (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री महोदय को वहां श्रीलंका सरकार तथा युवा संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए तथा उन्हें इस के लिए तैयार करना चाहिए कि वह इन शरणार्थियों को अपने देश अर्थात श्रीलंका में या फिर अपनी राजधानी में बसाएं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे दोस्त को यह मालूम होगा कि भारत में शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। लगभग 90,000 शरणार्थी तो तमिलनाडु में ही हैं; और यह 1600 लोग उड़ीसा में है।

स्वाभाविक है कि हम बहुत उत्सुक है—और जहां तक मैं जानता हूं कि श्रीलंका वाले भी चाहते हैं कि यह शरणार्थी वापस चले जाए, मुझे आशा है और हम श्रीलंका सरकार को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों को वापस चले जाएं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : वह लोग लिट्टे के डर से यहां आए हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : लिट्टे, श्री लंका में उग्रवादियों का संगठन है और अब मुझे ऐसा लगता है कि उनमें और श्री लंका सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है इसलिए, वह दोनों ही शांति बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

श्री इरा अन्बारासु : तमिलों द्वारा शासित तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों के लिए कोई स्थान नहीं, यह सुन कर प्रत्येक तमिल का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। कारण यह है कि लिट्टे करुणानिधि का गोद लिया बेटा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री इरा अन्बारासु : इ.पी.आर.एल.एफ और टी.यू.एल.एफ. शांति प्रिय लोग हैं, वह लोकतंत्र में आस्था रखते हैं; वह तमिलनाडु में शान्ति से रहना चाहते हैं, यदि उन्हें तमिलनाडु में बसाया जाता है तो वह वहां सुरक्षित महसूस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से जबाब चाहते हैं।

श्री इरा अन्बारासु मैंने एक अफवाह सुनी है कि लिट्टे नेता की सलाह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि ने तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों को शरण देने से मना कर दिया है। क्या यह सच है ? यदि यह सच नहीं है तो क्या आपका उन्हें उड़ीसा से तमिलनाडु वापस लाने का विचार है ताकि वे तमिलनाड में अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : माननीय सदस्य एक बात का ध्यान रखें कि तमिलनाडु और तमिलनाडु की सरकार पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रही है इस लिए मुख्यमंत्री के विरुद्ध तमिलों की सहायता न करने का आरोप अनुचित है।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों को सहायता

*248. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सूखा-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार का उन क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए वहां के किसानों को सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 13 राज्यों के 91 जिलों में 615 खण्डों का सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के प्रयोजन हेतु सूखाग्रस्त क्षेत्रों के रूप में चयन किया गया है ।

(ख) और (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार मुख्यतः मोटे अनाज, दाल, तिलहन तथा कपास की फसलें उगाई जाती हैं । तथापि, अपर्याप्त और अनियमित वर्षा, असमतल स्थलाकृति, भूमि के कम ऊपजाऊपन तथा खेती के कार्यों में कम निवेश जैसी कई अड़चनों के कारण फसलों की उपज कम होती है और वर्ष-दर-वर्ष उत्पादन भी घटता-बढ़ता रहता है । पारिस्थितिक सुधार को सुनिश्चित करने और कृषि स्थिरता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०), वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त वर्षा सिंचित कृषि परियोजना कार्यान्वित कर रही है । इन कार्यक्रमों में पनधारा/सूक्ष्म पनधारा को आयोजना और प्रबन्ध की एक इकाई के रूप में मानते हुए समन्वित क्षेत्र विकास नीति को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का विकास करने, नमी संरक्षण करने, वर्षा के जल का भण्डारण और उसका उपयोग करने तथा अधिक युक्तिसंगत भूमि उपयोग की योजनाओं को अपनाने के लिए सहायता दी जाती है ।

किसानों को विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत रियायती आधार पर मिनी-किटों के जरिए उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई तथा पौधरक्षण उपायों के लिए सहायता दी जाती है । इसके अलावा, उनकी भूमि पर सफल प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं । उचित फसल प्रतिमान और भूमि उपयोग की उपयुक्त पद्धतियों को अपनाने के लिये विस्तार एजेंसियों द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सहायता दी जाती है ।

[हिन्दी]

श्री बालगोपाल मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 1980-81 से डी०पी०ए०पी० का कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसमें देश के उन जिलों को शामिल किया गया है जो काफी पिछड़े हैं । आज तक डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 764 करोड़ 83 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। इतना रुपया खर्च होने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है । वैसे तो उड़ीसा राज्य के बोल-

नगीर, कालाहण्डी, फुलवानी और सम्भलपुर जिलों के अनेक ब्लाकों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कालाहण्डी के 14 ब्लाक, बोलनगीर के 11 ब्लाक, फुलवानी के 8 ब्लाक और सम्भलपुर जिले के 6 ब्लाक इसमें शामिल हैं और 1991 से इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद, हमारे उस समय के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी, अनेक बार कालाहण्डी जा चुके हैं, लेकिन आज भी वहां की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी कालाहण्डी एरिया में लड़कियां बेची जाती हैं, आज भी वहां स्टारवेशन डेथ्स होती हैं और वहां से मास माइग्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। पिछले साल भी बोलनगीर डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों की बिक्री हुई। यह हालत बराबर चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि डी०पी०ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र से जितना फंड वहां जाता है, क्या उससे कुछ परमानेंट असेंटस क्रिएट किये गये हैं। वहां अब तक 600-700 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, मैं जानना चाहता हूं कि उससे अब तक कितने एकड़ जमीन को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये और अब तक कितने परमानेंट असैटस बने हैं।

श्री देवी लाल : स्पीकर साहेब, जो सवाल पूछा है, उसके मुताविक मैं बताना चाह रहा हूं ड्राउट प्रोन एरिया में तो यह देखा जाता है कि किसी इलाके में किस हिसाब से बारिश होती है, उसके मुतानिक वह सारा फैसला किया जाता है। उस फैसले के मुताविक 13 सूबों के 91 जिलों में, जिनमें 615 ब्लाकों को खुशक साली का इलाका तसब्बुर करके, उनको डी० पी० ए० पी० प्रोजैक्ट के लिए मदद दी गई है। सन् 1972-73 से लेकर अभी तक यह काम हो रहा है।

श्री बालगोपाल मिश्र : मैंने जो पूछा है, उसका जवाब तो मुझे मिला नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। अब आप दूसरा सवाल पूछिए।

श्री बालगोपाल मिश्र : मुझे माननीय मन्त्री जी से यह जानना है कि यह जो इतना रुपया दे रहे हैं, 600 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसको मानिटर करने की कोई व्यवस्था करेंगे क्या और पर्टीकुलरली उड़ीसा के बारे में, मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे देश के दूसरे इलाकों में क्या हो रहा है, उस की जानकारी नहीं है, इसलिए उड़ीसा के बारे मे बताया जाए कि वहां जितना पैसा दिया गया है वह सारा पैसा पुराने स्ट्रक्चर्स जो थे।

[अनुवाद]

95% धनराशि का दुर्विनियोजन उड़ीसा सरकार के अधिकारियों ने किया है। कुछ राजनैतिक, सरकारी अधिकारी और अन्य व्यक्ति भी इस में शामिल हैं। क्या समूचे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जायेगी ?

दूसरे तथाकथित जल संसाधन व्यवस्था पर धनराशि खर्च करने के बजाए उसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि जलाशय हमारे क्षेत्र में बहुत पुराने है। हमारे यहां **बांध कट्टा** और **मुण्डा** तीन प्रकार की व्यवस्था है। बांध का तात्पर्य तालाब से है, कट्टा का आशय जलाशय से है तथा मुण्डा का भी आशय लघु जलाशय से है जिसका निर्माण सिंचाई के लिए किया जाता है। इसलिए विगत 10 वर्षों में इस व्यवस्था का नवीकरण किया गया तथा यह मामला विधान सभा में भी उठाया गया। हमने भारत सरकार के विभिन्न विभागों को लिखा परन्तु कोई परिणाम नहीं

निकला। क्या सरकार समूची धनराशि को लिफ्ट सिंचाई पर खर्च करने का निर्णय करेगी ताकि इसका बेहतर उपयोग हो सके। अथवा समूची धनराशि मनोरंजन जलाशय, बारहमासी तथा अर्ध-बारहमासी नालों पर खर्च की जाएगी ?

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : स्पीकर साहेब, सवाल बहुत पूछे गए है और खासतौर पर उड़ीसा पर जोर दिया गया है। मैं इस बारे में यही बताना चाह रहा हूं कि सातवें प्लान में डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत 419 करोड़ रुपए दिसम्बर 1989 खर्च किये गये हैं। मक्के और मोटे अनाजों के लिए 7.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

श्री बाल गोपाल मिश्र : सर, मेरा क्वश्चन कुछ है और जवाब क्या आ रहा है ?

श्री देवी लाल : मैं वही जवाब दे रहा हूं, उड़ीसा की जो बंजर जमीन है, जो बारिश पर निर्भर करती है, वहां के हालात के मुताबिक किस किस्म की जमीन है, किस किस्म का बीज है, किस किस्म की वहां उपज हो सकती है, उस किस्म की फसल यहां बोई जाती है और उस पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 सालों से मध्यप्रदेश में प्राकृतिक विपत्ति के कारण किसान परेशान हैं और इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अल्पकालीन, किसानों के कर्जे माफ करने के लिए 320 करोड़ रुपए मांकी मांग की है। अब यह केन्द्र सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएगे, इस कारण सरकारी कर्जे की वसूली रुक गई है और ऐसी स्थिति में खरीफ की फसल के लिए जब तक किसानों को कर्ज नहीं दिए जाएंगे; तब तक बुवाई नहीं हो पाएगी, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि खरीफ की फसल बोने के लिए किसानों को ऐसे कर्जे देने के लिए नाबार्ड और केन्द्र सरकार के जो वित्तीय सस्थानों के वित्तीय अनुशासन हैं, उनमें क्या वह प्रावधान करेगी ?

श्री भजमन बेहेरा : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए दो ही साधन होते हैं, एक तो वर्षा से प्राप्त जलराशि का उपयोग करना और दूसरा अंडर ग्राउंड वाटर का उपयोग करना। इसके लिए केन्द्र सरकार की क्या योजना है। उड़ीसा का सूखा ग्रस्त इलाके का क्षेत्रफल कितना है और उसमें राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या फैसला किया है।

श्री देवी लाल : उडीसा में फूलबेनी जिले के 14 ब्लाकों को लिया गया है, कालाहांडी के 11, बोलनगीर के 8, संभलपुर के 6 ब्लाक, इस तरह से कुल 39 ब्लाक लिए गए हैं। इनमें खर्च इसी हिसाब से, जैसी जहां पर वारिश होती है, जैसी जमीन है, उस हिसाब से करना है। यह भी देखना है कि कहां पर पानी को रोककर, कैचमेंट एरिया में पानी को रोक कर उनकी सहायता कैसे को जा सकती है किस तरह का वहां पर जमीन है, कितना पानी उपलब्ध है, उस हिसाब से उनको बीज दिया जाता है, ताकि उससे वे ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें, इसमें उनको पूरी मदद दी जाती है।

श्री बृजेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल उड़ीसा का नहीं है और केवल सूखे का नहीं है। सारे देश में सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं से किसान को नुकसान होता है। जिस तरह से बाकी धंधों में नुकसान होने पर सरकार बीमा आदि द्वारा लोगों की क्षतिपूर्ति करती है, क्या इसी प्रकार से खेती में जहां पर किसान को 50 प्रतिशत से अधिक हानि होती है, क्या वहां पर भी सरकार की क्षतिपूर्ति करने की कोई योजना है।

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ऐसे किसानों की पूरी मदद करने जा रही है, 50% तो फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश की जा रही है कि 2 हिस्से मरकजी सरकार दे और एक हिस्सा राज्य सरकार दे, जैसी भी जमीन है, वहां पर सरकार उनकी मदद करने को तैयार है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 से लेकर 1981 तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक स्कीम बनी थी और सूखाग्रस्त जिलों को उसमें शामिल किया गया था। इस देश में अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनको सूखाग्रस्त राहत योजना में शामिल नहीं किया गया। मैं माननीय उप प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि जिन जिलों को अभी डी. पी. ए. पी. ड्राउट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्या उनको शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रीवा जिला 6 सालों से सूखाग्रस्त है, सतना जिले की भी यह हालत है, इस तरह से मध्यप्रदेश के 26 जिलों में पिछले 5 वर्षों से घोर अकाल है, क्या उन जिलों को डी पी ए पी में सम्मिलित करने का सरकार का विचार है।

श्री देवी लाल : माननीय सदस्य ने बजा सवाल किया है, जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, चाहे मध्यप्रदेश में हों, राजस्थान में हों या उड़ीसा में हों,, सभी को इसमें शामिल करने की कोशिश जांच कमेटी द्वारा की जा रही है और जो इलाके बारिश पर निर्भर हैं, उन इलाकों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए, वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाए, इस ओर सरकार प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, आन्ध्र प्रदेश का रायल सीमा क्षेत्र सदियों से सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। मंत्री महोदय का वक्तव्य अस्पष्ट है। वक्तव्य में जिस राहत का उल्लेख किया गया है उसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त और विकास के लिए उन्हें इस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण कर देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह सूखाग्रस्त क्षेत्रों विशेषत: रायल सीमा क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने की किसी योजना के बारे में विचार कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह रॉयल-सीमा क्षेत्र का सवाल नहीं है, सारे हिन्दुस्तान का सवाल है। सरकार की कोशिश है कि उन इलाकों को देखा जाए और किस ढंग से उनकी मदद की जाए, उसके सिलसिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इस किस्म की कमेटियां मुकर्रर की

की गयी हैं, जो मौके पर जाकर ऐसे हालात स्टडी करेंगी और जो वह रॉय देंगी, उसके हिसाब से सरकार अमल करेगी।

आंवला में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

*251. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आंवला के वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता टेलीफोन उपभोक्ताओं की मांग पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आवंला में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं। एक्सचेंज की क्षमता 100 ऑटो लाइनों की है। इसमें 89 चालू कनेक्शन हैं और कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ख) और (ग) तथापि, मांग होने पर एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 100 लाईनों के बारे में लिखा है, उसमें से 89 लाइनें चालू हैं, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं हैं, टेलीफोन की दुर्दशा के कारण कितने लोगों ने कनैक्शन हटवा लिए हैं और इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज कब तक वहां तैयार होगा, यह मैंने पूछा था ? इसमें केवल इतना लिखा है कि "इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगेगा।" मैंने पूछा है कि कब तक लगेगा, कब से उसका काम शुरू होगा। कितने कनैक्शन लोगों ने कटवा दिए हैं टेलीफोन की अव्यवस्था के कारण, यह बताने की कृपा करें ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे इस विशेष पहलू के लिए अलग से नोटिस की आवश्यकता है कि खराब सेवा के कारण कितने टेलीफोन काट दिए गये हैं। लेकिन फिर भी मैं इसका पता लगाने का प्रयास करूंगा और सूचना सभा पटल पर रख दूंगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोई प्रतिक्षा सूची नहीं है तथा हम इन्हीं मानदंडों को लागू करते हैं। नियमों के अनुसार इस समय वहां इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाना उचित नहीं है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रत्येक स्थान पर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज लगाने की हमारी योजना है तथा हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गये सुझाव पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इसमें लिखा है कि मांग होने पर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। मेरा प्रश्न यह नहीं है। जो योजना बन गयी है

वह कब तक लागू होगी ? यह एक्सचेंज इसी वर्ष में चालू होगा या दस-पांच साल लगेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि आंवला इतना महत्वपूर्ण स्थान है, वहां इफ्फको की बहुत बड़ी फैक्टरी लग चुकी है और वहां पर नये इण्डस्ट्रियल-स्टेट आ रहे हैं । अगर दूर-संचार की व्यवस्था नहीं होगी, टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगेगा तो सारे उद्योग जो तरक्की करने की स्थिति में हैं बेकार हो जायेंगे । इसलिए टेलीफोन एक्सचेंज शीघ्र लगे । मैं पूछना चाहूंगा कि इसी फायनेंशियल ईयर में लगायेंगे या नहीं, यह मेरा सवाल है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ कहा है उसकी मुझे जानकारी है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस समय यह उचित नहीं है । लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण स्थान हैं और उत्तरप्रदेश का तहसील मुख्यालय है तो हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि 1990-91 के दौरान वहां 524 आई० एल० टी० इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया जाए ।

श्री लंका की संसद के स्पीकर का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने से पहले मैं इस सभा और अपनी ओर से श्रीलंका की संसद के स्पीकर माननीय श्री एम० एच० मोहम्मद, जो हमारे देश की यात्रा पर हैं, का स्वागत करता हूं । वह 27 मार्च, 1990 बुधवार को यहां पधारे हैं ।

माननीय स्पीकर विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं ।

हम कामना करते हैं कि उनका यहां प्रवास काल लाभदायक तथा यात्रा शुभ है । हम उनके माध्यम से श्रीलका के राष्ट्रपति, संसद और वहां की जनता को शुभकामनायें सम्प्रेषित करते हैं :

प्रश्नों के मौखिक के उत्तर—(जारी)

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*252. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने यह बताया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु दी जा रही राज सहायता निधि के उपयोग में गोलमाल किए जाने जैसी अनेक कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा बताई गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने तथा इस योजना को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए उठाये गये अथवा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है जो समग्र रूप से गरीबी दूर करने की सरकार की रणनीति का अंग हैं। इनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) शामिल है।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) सहित सरकार के कार्यक्रमों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय-समय पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। हाल के वर्षों के दौरान कई मूल्यांकन अध्ययनों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संवीक्षा भी की गई है। ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों से आमतौर पर कार्यक्रम में अच्छाई पायी हैं, जिसका उद्देश्य निर्धनों में अत्यधिक निर्धन लोगों को उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम की सबसे अधिक सुदृढ़ता इस बात से स्पष्ट होती है कि कई वर्षों में यह कार्यक्रम निर्धन परिवारों के लिए वित्तीय संस्थाओं से भारी मात्रा में ऋण जुटाने में सफल रहा है।

3. कुछ अध्ययनों में कार्यक्रम की कमजोरियों और कमियों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें शामिल हैं—लाभार्थियों का गलत चयन, कुछ सीमा तक निधियों का दुरुपयोग, कुछ मामलों परिसम्पत्तियों का न पाया जाना, आदि। चूंकि कार्यक्रम का संचालन राज्य सरकारों की मार्फत किया जाता है, इसलिए कमियों को उनके ध्यान में लाया जाता है और वे जिला तथा निचले स्तरों पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय करती हैं।

4. केन्द्र सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. प्रति परिवार एकमुश्त सहायता सहित अधिक निवेश जुटाना ताकि नए लाभार्थियों को लगाये गये निवेश पर उचित लाभ मिल सके।

2. छठी योजना के दौरान सहायता-प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो अपनी कमी न होने के बाद भी गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं।

3. महिला लाभार्थियों की कवरेज में वृद्धि करने के लिए 30 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभूति मुक्त ऋण की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। उद्योग, सेवा तथा व्यापार क्षेत्रों (आई. एस. बी.) के लिए यह सीमा 25,000 रुपये तक दी गई है।

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 1.4.87 से एक समग्र आवेदन एवं मूल्यांकन फार्म शुरू किया गया है।

6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों के विविधीकरण, ऑपरेशन फ्लड और समन्वित बाल विकास सेवाओं जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय पर भी बल दिया गया है।

7. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1.1.1990 से सभी जिलों में एक सामूहिक नीति शुरू की है जिसमें थ्रिफ्ट तथा ऋण समितियां बनाने वाले महिला समूहों को एक आवर्ती निधि के लिए, उनके द्वारा की गई बचत की राशि के बराबर अनुदान दिया जाएगा। बराबर का यह अनु-दान प्रति समूह अधिकतम 15,000 रुपये तक होगा।

8. हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि 1990-91 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्य-क्रम के 3 प्रतिशत लाभों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए निर्धारित किया जाए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम का प्रबन्ध एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें बदलती हुई परिस्थितियों से निपटने की आवश्यकता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला राज्य और केन्द्र स्तरों पर बराबर समीक्षा की जाती है। कार्यक्रम के निष्पादन की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भी समवर्ती मूल्यांकन कराया जाता है। इन जानकारियों के आधार पर कार्यक्रम के स्वरूप की नियमित समीक्षा की जाती है और यदि आवश्य-कता होती है तो इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गरीब परिवारों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के संदर्भ में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन योजना आवधियों के दौरान कितने मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की गयी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सवाल नम्बर-252 के जवाब में आपने स्टेटमेंट दिया है। यह एक लिखित बयान है।

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, खुसरो कमेटी बनी है। इस बारे में कोई ताल्लुक नहीं है। उस संबंध में थोड़ा बहुत जवाब दे सकता हूं। खुसरो कमेटी की मार्फत गरीब लोगों को मदद देने के लिए स्कीम्स बनाई गई थी। उस रकम का दो बटा तीन और एक बटा तीन हिस्सा सबसिडी के तौर पर दिया जाता है, सूद भी दस फीसदी लगता है और इसमें गरीबी दूर करने के लिए ऐसी तजवीज भी की गई है कि लोगों को मदद दी जाए। गाय रखने के लिए, मुर्गियां पालन करने के

लिए उसमें उनको सबसिडी के तौर पर दिया गया है। यह स्कीम्स बड़ी कामयाब रही है। लुधियाना जिले में 12 गांवों में इस स्कीम को क्रियान्वित किया गया और वहां एक गाय और पचास मुर्गियां दी गई हैं उससे उनका बड़ी अच्छी तरह गुजारा चलता है।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं अवधियों के अन्तर्गत कितने मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की गयी।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह बताना चाह रहा हूं कि इस कमेटी की मार्फत कितने लोगों को मदद दी गई है। इस बारे में मुझे नोटिस दगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि अंदाजन जो है 33 लाख लोगों को मदद दी गई है। इस बारे-में किस ढंग की मदद दी गई है तो मुझे नोटिस चाहिए ताकि मैं पूरी तफसील आपके सामने रख सकूं।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि आर० एल० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों को अधिक सहायता दी जाती थी परन्तु अब जे.आर.वाई. के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों को कम सहायता दी जा रही है। क्या मंत्री महोदय उन्हें अधिक सहायता देने और इस असंतुलन को ठीक करने पर विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, जन-जातियों और हरिजनों के लिए इसमें खासतौर से मदद दी जाती है, इसलिए मैंने जिक्र किया था कि जिनके पास जमीन नहीं है, अगर वे कोई हुनर जानते हों जैसे मुर्गी पालना है, ऐसे काम में उन्हें सबसिडी दी जाती है। इसके साथ-साथ हम लेडीज को भी खासतौर से मदद करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का जबाब नहीं दे रहे है। मेरा प्रश्न यह है कि आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों को अधिक सहायता दी जाती थी परन्तु अब जे.आर.वाई. के अन्तर्गत उन्हें कम सहायता मिल रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वह उन्हें अधिक सहायता देने पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या ट्राइबल एरिया में पहले जो सहायता देते थे, क्या वह घट गई है यह वे पूछ रही हैं।

श्री देवी लाल : उनमे बहुत ज्यादा देने का ख्याल है।

हम इसमें हरिजनों को और जन-जाति के लोगों को खास तौर से प्राथमिकता देते हैं, महिलाओं को भी उनके बराबर रखते हैं...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय द्वारा दिये गये जबाव पर गर्व करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : मैं महिलाओं का जिक्र इसलिए करने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैं महिला विरोधी हू । पहले हम इनको 30 फीसदी तक देते थे और अब इस कार्यक्रम के तहत 40 फीसदी तक दिया जाता है । हरियाणा में मैं दो को यहां लाया हूं ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न आई.आर.डी.पी. के मूल्यांकन के संबंध में है । मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं, जिनमें आई. आर. डी. पी. के द्वारा कुल सहायता दी गयी है, को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विगत में दी गयी सहायता का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है अथवा विगत में कोई मूल्यांकन किया गया तथा क्या सरकार इस कार्यक्रम को आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि में जारी रखने का विचार कर रही है ? यदि वे इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई मूल्यांकन किया जाएगा और यदि कोई मूल्यांकन किया गया है तो उसका क्या परिणाम निकाला ।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : मैंने अभी कहा था अब फिर कह रहा हूं जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ताल्लुक है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, यह पूछ रहे हैं ।

श्री देवी लाल : मैं यही तो कह रहा हूं कि हम इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मदद दें।

श्री राम कृष्ण यादव : अध्यक्ष जी, गांवों में, देहातों में गरीबों को और किसानों को एवं मजदूरों को सरकार सहायता जरूर देती है, लेकिन वह उन तक पहुंचती नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीबों तक वह सहायता पहुंचे इसके लिए आपने कोई विशेष अभियान चलाया है ? जैसा कि कांग्रेस के शासन में था कि रुपयों में से 15 पैसे ही उन गरीबों तक पहुंचते थे, तो क्या आप ऐसा अभियान चलायेंगे जिसके तहत पूरा रुपया उन तक पहुंचे ।

श्री देवी लाल : सन् 1980-81 में लगभग 250 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई थी और अब 1989-90 में 1250 करोड़ रुपये की सहायता दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

अमरीका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का कश्मीर के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

*253. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक कथित वक्तव्य में भारत सरकार से

अनुरोध किया है कि वह अपने सुरक्षा बलों को कश्मीर में निहत्थे लोगों के विरुद्ध घातक हथियारों का प्रयोग करने से रोकें; और

[ख] यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूत को इस स्पष्टतः गलत वक्तव्य के बारे में अपनी चिंता से अवगत करा दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, जब से इस सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है, तभी से निश्चित रूप से गलत व्यवस्था के कारण वे किसी को भी कश्मीर में किये गये अपने कार्यों के बारे में विश्वास नहीं दिला सके हैं। कश्मीर के लोग चाहे वे हिन्दू हैं अथवा मुस्लिम अथवा सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी सरकार द्वारा किये गये कार्यों पर विश्वास नहीं है। महोदय, किसी को भी उन पर कश्मीर में किये गये कार्यों के प्रति विश्वास नहीं है यहां तक कि जम्मू और कश्मीर सम्बन्धी मामलों के मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज को भी। मैं समझता हूं कि केवल हमारे गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कश्मीर के मामले में सरकार पर विश्वास है। परन्तु बताया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय राजनयिक पहल की जा रही है। हमारे राजदूतों को विभिन्न देशों में भेजा गया और सरकार का कहना यह है कि हमारी राजनयिक पहल एक सफलता थी। परन्तु स्थिति क्या है ? कृपया अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के वक्तव्य पर ध्यान दीजिये। उससे यह प्रकट होता है कि इस सरकार की सुप्रशिक्षित तथा उच्चस्तरीय राजनयिक पहल एक असफलता थी। वे कश्मीर सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग अथवा अन्य देशों की सरकारों को विश्वास नहीं दिला सके। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार इसे एक राजनयिक असफलता समझती है ? क्या यह एक राजनयिक असफलता है ? और यदि ऐसा है तब इस सम्बन्ध में आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र को फालतू शोर-शराबा करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि भारत के पक्ष को अच्छी प्रकार से पेश किया गया है और इसका स्वागत हुआ है यहाँ तक कि राष्ट्रपति बुश ने प्रधानमन्त्री को लिखे पत्र में प्रशंसा की है हम सही दिशा में चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उत्तर के बारे में क्या हुआ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे प्रश्न पर आईये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : तब विदेश विभाग के वक्तव्य के बारे में क्या कहना है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपने अधिकार की सुरक्षा का निवेदन करता हूं। यही मूल प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप अब अपना दूसरा प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह प्रश्न अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में है। यदि राष्ट्रपति बुश ने ऐसा कहा है तब इस वक्तव्य और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है ? उन्हें यह भी बताना चाहिये। कहीं कुछ तो गलती है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दूसरे प्रश्न पर आईये।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। यह इस वक्तव्य पर आधारित नहीं है, यह किसी और तथ्य पर आधारित है। मैंने राष्ट्रपति बुश की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं पूछा है, बल्कि मैंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा दिये गये बयान के बारे में पूछा है। उस बयान में हमारे द्वारा की गई कार्रवाई की निन्दा की गई है। मेरा प्रश्न उसी के सम्बन्ध में है। अतः उन्हें उस सम्बन्ध में उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यविधि को विनियमित कर रहा हूं। कृपया दूसरे प्रश्न पर आईये।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : खेद है कि उन्होंने किसी और के बारे में उत्तर दिया है।

श्री माधवराव सिंधिया : वे इसी प्रकार सरकार चला रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी हां **(व्यवधान)**।

महोदय, कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई। राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल रुक गई है और कल ही मन्त्री जी द्वारा यह कहा गया था कि वे कश्मीर विधानसभा बहाल करके वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। यह प्रश्न ···बारे में है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह कश्मीर के बारे में है। आपको यह मालूम होना चाहिये कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रणाली के रुक जाने से विश्व के अन्य देशों में कश्मीर के मामले पर हमारी नीति के सम्बन्ध में गलत समझा जाने लगा है। यह गलत धारणा है। अतः जब से सरकार ने यह कहा है कि वे पुनः कश्मीर विधानसभा को बहाल करने जा रहे हैं मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस गलती को कब तक सुधारने की सोच रही है और यह भी कि जब से सरकार यह समझने लगी है कि विधान सभा को भंग करना गलत कदम था तब इसने उस राज्यपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने यह असंवैधानिक और गैर-कानूनी कदम उठाया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से निश्चित रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं सोचता हूं कि अब तक माननीय सदस्य स्वयं यह समझ गये हैं कि प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर सिंह ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह अप्रासंगिक क्यों है ? महोदय, मैं आपसे अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हरि किशोर जी को बुलाया है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा प्रश्न विषय से अलग किस प्रकार है ? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा प्रश्न विषय से अलग है ? **(व्यवधान)**

महोदय, मैं आपसे अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता हूं । मेरा प्रश्न अप्रासंगिक कैसे है ? **(व्यवधान)** उन्होंने कश्मीर में गंभीर गलती की है····**(व्यवधान)**····यह अप्रासगिक कैसे हुआ ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । मैंने श्री हरि किशोर सिंह को बुलाया है ।

***(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चित रूप से मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यदि मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं मन्त्री जी को विवश नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । मैं श्री कुरियन की बात सुनना चाहता हूं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मेरा केवल इतना निवेदन है कि मंत्री महोदय चाहें तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दें । मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है परन्तु मेरा प्रश्न अप्रासगिक है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो पीठासीन अधिकारी करेंगे न कि मंत्री जी । ···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि श्री कुरियन द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न निश्चित रूप से मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मैं समझता हूं कि मन्त्री जी यही बात कहना चाहते थे क्योंकि यह मुख्य प्रश्न से सम्बधित नहीं है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यहां चुनकर आया हूं । वे अपना वह शब्द वापस लें । **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, जो मैंने कहा था मैं समझता हूं, ठीक ही था ।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह निर्णय दे चुका हूं कि यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, वह रिकार्ड देख सकते हैं। मैं पुनः उद्धृत करता हूं।

"माननीय सदस्य स्वयं यह समझ गए हैं कि उनका प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।" (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार को विदेश विभाग की प्रतिक्रिया चाहे वह प्रवक्ता द्वारा की गई हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा की गई हो, उस पर विचार करना चाहिये और उन पर उचित विरोध प्रकट करना चाहिये। कश्मीर मसले सम्बन्धी सरकार द्वारा की गई राजनयिक पहल सफल रही है और राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। चाहे कश्मीर का मामला हो अथवा कोई अन्य मामला हो, हमें किसी भी विदेशी सरकार से, चाहे वह महाशक्ति हो अथवा अर्द्ध-महाशक्ति हो, कोई प्रमाणपत्र नहीं लेना है। सदन इस बात से सहमत होगा कि इस मामले पर हमें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं हैं।

मेरा निवेदन यह है कि उचित प्रतिक्रिया व्यक्त की जानी चाहिये और यदि आवश्यकता पड़े तो खुले तौर पर व्यक्त की जानी चाहिये। क्या सरकार अमेरिकी विदेश विभाग को अपनी सुनिश्चित और सुदृढ़ प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी जिससे कि अन्य देश वैसा न करें?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सरकार ने नई दिल्ली स्थिति अमेरिकी राजदूत को स्पष्टतः गलत वक्तव्य के बारे में अपनी चिन्ता जतायी है। उसके बाद हमने यह देखा है कि विभिन्न समितियों में विदेश विभाग में विभिन्न अधिकारियों ने उसे ठीक करने का प्रयत्न किया है।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं अपने मित्र प्रो० कुरियन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अमेरिका विचारकों के सामने कश्मीर समस्या को ठीक रूप में रखने के सफल ही हो सकी है।

यह उस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है जिसमें वाशिंगटन की 22 मार्च की रिपोर्ट में कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा जिसकी ओर मन्त्री जी का ध्यान अवश्य गया होगा।

एक बहुत ही कड़े शब्दों वाले संकल्प को अमेरिकी सीनेट में रखने का प्रस्ताव है जिसमें कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का दृष्टिकोण और उसके द्वारा जनमत संग्रह को समर्थन देने का उल्लेख किया गया है। मैं सोचता हूं कि मान लो कि सरकार इसे पुनः अस्वीकार कर देगी जैसा कि उन्होंने इससे पूर्व किया है जैसे कि यह बिल्कुल गलत मत अथवा गलत वक्तव्य हो। यह इसीलिए है क्योंकि यह सरकार आम राय की आड़ में सक्रिय सरकार न होकर निष्क्रिय सरकार ज्यादा है।

मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि कुछ अमेरिकी सीनेटरों के प्रति, जो देश की प्रादेशिक अखंडता के सम्बन्ध में भारत-विरोधी कार्य कर रहे हैं, आप क्या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं? क्या आप कोई राजनयिक कदम उठाना चाहते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्रकार के संकल्प न रखे जाएं और अमेरिकी जनता और अमरीकी सरकार के सामने कश्मीर समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके। अन्य शब्दों में, क्या आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे यह अच्छी तरह से समझ लें कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अखंड भाग है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र जो अत्यन्त विद्वान और बुद्धिमान हैं स्वयं यह जानते हैं कि एक लॉबी अमेरिकी विदेश विभाग में कार्य कर रही है। प्रत्येक समाज जो वहां कार्य करता है वह वहां लॉबी बनाने की कोशिश करता है। कुछेक ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान की ओर से कार्य कर रही हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा मामला बिना पैरवी के है।

एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि हम अपने मामले को किसी के भी निर्णय के लिए नहीं रख रहे हैं। हमारा अपना आत्म-सम्मान है। मैं सोचता हूं कि हमारे मामले को अच्छी तरह से समझा गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति बुश ने प्रधान मन्त्री को लिखे गये पत्र में भी इसे स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं और ऐसे रिजोल्यूशन्स हो रहे हैं, उनके प्रकाश में मैं मन्त्री महोदय से यह चाहूंगा कि उनको ये बता दिया जाए कि हम इसे पसन्द नहीं करते। हिन्दुस्तान के लोग और हिन्दुस्तान की सरकार यू. एस, ए. गवर्नमेंट की तरफ से, जो अनफ्रेण्डली किये जा रहे हैं, उसे हम अपने आंतरिक मामलों में डायरेक्ट इन्टरफीयरेंश समझते हैं और इसको वे स्टाप करें और इस तरह के अमैत्रीपूर्ण कार्यों को यहां पर पसन्द नहीं किया जा रहा है, तो क्या मंत्री जी इस बारे में उनको स्पष्ट बताने की घोषणा करेंगे ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इन्टरेस्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, रखा जाएगा और पूरे जोर और वजाहत के साथ रखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान की प्रधान मंत्री द्वारा उनकी हाल में की गई घोषणा कि वे कश्मीर में आतंकवादियों को 10 करोड़ रु० की सहायता देंगी तथा अधिकृत कश्मीर का प्रकाशन भी आतंकवादियों को 5 करोड़ रु० की सहायता राशि देगा, इस बारे में अमेरिकी सरकार को सूचना दी है अथवा नहीं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हमारे आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप हो रहा है इसके हमारे पास पूरे प्रमाण भी हैं, तथा हमने सम्बन्धित अधिकारियों को वे सबूत दे भी दिये हैं। पाकिस्तान में जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गयी हैं, उन सबको भी हम अन्य देशों की जानकारी में ला रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सबूर समिति रिपोर्ट

*249. **श्री बी० एस० बासवराज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकखानों के विभागेतर कर्मचारियों से सम्बन्धित सबूर समिति की सिफारिशें लागू कर दी हैं;

(ख) क्या सरकार का विभागेतर कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान विभिन्न ऋण सुविधाएं देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) अतिरिक्त विभागीय प्रणाली जांच समिति (सवूर समिति) ने 171 सिफारिशें की थीं जिनमें से 120 सिफारिशें स्वीकार की गई हैं। इनमें वे 32 सिफारिशें भी शामिल हैं जो कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार की गई थीं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की कतिपय श्रेणियों को कुछ किस्म के अग्रिम जैसे 400/- रु० साइकिल अग्रिम दिया जाता है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 100/- रु० का बाढ़ अग्रिम भी मंजूर किया जाता है।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों की स्थिति की पुनरीक्षा प्रारम्भ कर दी है। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श भी किया गया है। विभाग इस मामले पर वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग से आगे और चर्चा करना चाहता है तथा तत्पश्चात् अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करना चाहता है।

टेलीफोन बिलों की अदायगी में विकलांग (नेत्रहीन) व्यक्तियों को रियायत

[हिन्दी]

*250. **श्री रामलाल राही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन बिलों की अदायगी में विकलांग (नेत्रहीन) व्यक्तियों को समय की कोई छूट अथवा रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं। विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन बिलों का भुगतान करने में समय की कोई छूट या रियायत नहीं दी जाती।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। तथापि, विकलांग व्यक्तियों की संस्थाओं को किराए में कुछ रियायत देने की संसद में घोषणा की गई है।

(घ) 1-4-90 से, वृद्धजनों, अशक्तों, विकलांगों, मूक-बाधिर व्यक्तियों के लिए शरण-स्थलों, अनाथालयों, जनजातियों के कल्याण के लिए बने स्वयंसेवी संगठनों और सरकार द्वारा मान्यता

प्राप्त अन्य संगठनों जैसी संस्थाओं में दो टेलीफोनों तक गैर-आवासीय किराये में 25% की रियायत देय होगी।

मैं आशा करता हूं कि सदन इससे सहमत होगा कि विभाग विकलांग व्यक्तियों को जो विभिन्न रियायतें दे रहा है और साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों की मदद करने के लिए सरकार को सामान्य नीति निर्देशों के अनुसरण में पी० सी० ओ०, एस० टी० डी० फोन आदि के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है।

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

*254. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन नये क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक केन्द्र पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम समझौते के अन्तर्गत प्रस्ताव

*255. **श्री उत्तम राठौड़**
श्री कल्पनाथ राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम राज्य की बेहतरी के लिए असम समझौते के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि सरकार ने योजना आयोग के सदस्य श्री एल० सी० जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो असम का आर्थिक विकास तीव्रता से करने हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी। समिति ने अभी तक अपने प्रस्तात प्रस्तुत नहीं किए हैं।

खजुराहो-इलाहाबाद मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[हिन्दी]

*256. **श्री राम सजीवन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए खजुराहो-इलाहाबाद मार्ग, बरास्ता कालिंजर, चित्रकूट, राजापूर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण योजना और सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री तथा सचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चकमा शरणार्थियों के सम्बन्ध में बांग्लादेश के साथ बातचीत

[अनुवाद]

*257. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके नेतृत्व में जो भारतीय शिष्टमण्डल बांग्लादेश गया था उसने इस समय त्रिपुरा में रह रहे चकमा शरणार्थियों की काफी समय से लम्बित समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बांग्लादेश सरकार से हाल ही में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में त्रिपुरा के लोगों के क्या विचार हैं और क्या बांग्लादेश के साथ उनकी बातचीत में इन विचारों को ध्यान में रखा गया था ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी हां। हमने बांग्लादेश को ऐसी स्थितियां पैदा करने के लिए कहा है जिससे कि चकमा शरणार्थियों को स्वदेश वापस जाने में कोई कठिनाई न हो। बंगलादेश की सरकार त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के लिए चटगांव पर्वतीय क्षेत्र से एक शिष्टमण्डल को शीघ्र भेजने के लिए सहमत हो गई है ताकि शरणार्थियों को लौटने के लिए राजी किया जा सके।

(ग) शरणार्थियों के लगातार ठहरने के सम्बन्ध में त्रिपुरा की सरकार ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है और शरणार्थियों की शीघ्र वापसी के लिये मांग की है। बातचीत के दौरान इस बात को ध्यान में रखा गया था।

भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना

*258. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या प्रस्ताव में केरल के किन्हीं अधिनियमों का उल्लेख है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार का प्रस्ताव 55 भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का है और इस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद के चालू सत्र के दौरान लाए जाने की सम्भावना है।

55 भूमि सुधार कानूनों में से दो कानून केरल राज्य से सम्बन्धित हैं। इन दो कानूनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 **का केरल अधिनियम संख्या**-13)

केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 **का केरल अधिनियम संख्या**-19)

1978 के अधिनियम में निम्नलिखित हेतु प्रावधान हैं :—

(1) तालुक भूमि बोर्ड को अधिकतम सीमा के उन मामलों को पुन: आरम्भ करने की शक्ति प्रदान करना जिनमें तालुक भूमि बोर्ड ने मूल आदेश में यह निर्धारित किया था कि सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई भूमि अभ्यर्पित नहीं करनी है, लेकिन बाद में यह पता लगा कि ऐसे व्यक्तियों के के पास वास्तव में अधिकतम सीमा से काफी अधिक भूमि है।

(2) मूल अधिनियम की धारा 103 में ऐसा प्रावधान शामिल करना ताकि सरकार अपील प्राधिकरणों, तालुक भूमि बोर्डों तथा भूमि बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन याचिकायें प्रस्तुत कर सके।

1981 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि खेतिहर काश्तकार को किसी भूमि जोत अथवा जोत के किसी भाग जिसे पुन: प्राप्त करने के लिए उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया हो, के लिए 1-1-1970 से कोई लगान अदा नहीं करना होगा। काश्तकारों को किसी भूमि जोत अथवा जोत के किसी भाग जिसे पुन: प्राप्त करने के लिए उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया हो, के लिए मूल कर अथवा अन्य कर अदा करने होंगे। इस संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 109 (ए) के अन्तर्गत देय तोषण की राशि को 500/- रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये और छोटे भूमि धारकों को देय मुआवजे की राशि को 2000/- रुपये से बढ़ाकर 5000/-रुपये करने का भी प्रावधान किया गया है। घोषक की मृत्यु के पश्चात् भी अभ्यर्पण के बारे में कारवाई जारी रखने का भी इस अधिनियम में प्रावधान है।

चीन द्वारा पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टरों की सप्लाई

*259. **श्री पी० एम० सईद**
श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पाक टू गेट एन-रिएक्टर फ्राम चाइना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को "न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों" की सप्लाई किये जाने से भारत के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुखी और चोरी-छिपे स्वरूप के नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में हमारी आशंकाओं से सभी सम्बन्धित पक्षों को अवगत करा दिया गया है । सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा प प्रभाव पड़ सकता हो और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है ।

व्यापक फसल बीमा योजना

*260. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति**
श्री गंगाचरण लोधी } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) बृहत फसल बीमा योजना पहला अप्रैल, 1985 से चलाई जा रही है । खरीफ 1989 के अन्त तक 427 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए करीब 237 लाख किसानों की फसलों का 5080.00 करोड़ रुपए का बीमा किया जा चुका है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें मौसम के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किसी भी क्षत्र को अधिसूचित कर सकती हैं, बशर्ते उनके पास 5 वर्षों के लिए पैदावार सम्बन्धी आंकड़ और हर मौसम के अन्त में विभिन्न बीमाशुदा फसलों के लिए आवश्यक संख्या में फसल काटने के प्रयोग करने की क्षमता हो ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

खरीफ, 1985 से खरीफ, 1989 तक बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7701008
2.	असम	59124
3.	बिहार	2129101

1	2	3
	4. गोवा	6571
	5. गुजरात	6339355
	6. हिमाचल प्रदेश	19733
	7. जम्मू और कश्मीर	77358
	8. कर्नाटक	1275757
	9. केरल	243151
	10. मणिपुर	4759
	11. मेघालय	12334
	12. मध्यप्रदेश	5327073
	13. महाराष्ट्र	7955230
	14. उड़ीसा	1814938
	15. राजस्थान	1544600
	16. त्रिपुरा	18109
	17. तमिलनाडु	931279
	18. उत्तर प्रदेश	5268928
	19. पश्चिम बंगाल	2006142
	20. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3548
	21. दिल्ली	1359
	22. पांडिचेरी	6357
	कुल	42745814

रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन में स्थित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए उपकरण

*261. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग के जिला मुख्यालय के अनुदेश पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन को भेजे गये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपकरण किसी अन्य स्थान पर भेज दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये उपकरण श्रीवर्धन में स्थापित किये जाने हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन को आबंटित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपकरण महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के उसी जिले

में थाल को अन्तरित कर दिया गया जहां इसे संस्थापित किया जा रहा है। यह अन्तरण महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल द्वारा किया गया था।

(ख) इस अन्तरण से 500 लाइनों वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज थाल में 284 उपभोक्ताओं (74%) को, जबकि श्रीवर्धन में 220 उपभोक्ताओं (57%) की सेवा प्रदान करेगा।

(ग) श्रीवर्धन के लिए वर्ष 1990-91 में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपकरण आबंटित किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन को किराये की दरों में वृद्धि

[हिन्दी]

*262. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1990 तक की अवधि के दौरान अब तक टेलीफ़ोन की किराये की दरों में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(ख) इन दरों में वृद्धि के पश्चात् टेलीफोन उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को यदि कोई विशेष लाभ दिए गए तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेलीफोन सेवा को और कार्यक्षम बनाने के लिए कौन-सी योजनाए आरम्भ की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 1985 से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान किराया (शुल्क दर) केवल एक बार 1-4-1988 से बढ़ाया गया है। काल प्रभारों में दो बार संशोधन किया गया, पहली बार 1-12-1986 से तथा दूसरी बार 1-4-1988 से। ये वृद्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। 1-4-1988 से किराये में बढ़ोतरी छः वर्ष के अन्तराल के बाद को गई थी।

(ख) 1-12-1986 से द्विमासिक अवधि के लिए मुफ्त कालों की संख्या 200 से बढ़ाकर 275 कर दी गई। इसके अलावा, रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के बीच की गई एस०टी०डी० कालों के लिए सामान्य प्रभार का 25% रात्रि रियायती दर 1-4-1989 से शुरू की गई।

विभाग के कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं दिए गए।

(ग) टेलीफोन सेवा को और अधिक कार्य कुशल बनाने के लिए प्रारम्भ की गई स्कीमों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(1) पुराने और घिसे-पिटे उपस्करों को इलेक्ट्रानिक उपस्करों द्वारा बदलना और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए इलेक्ट्रानिक डिजिटल एक्सचेंज लगाना।

(2) बाह्य संयंत्रों का उन्नयन।

(3) लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली का सुधार/आधुनिकीकरण।

(4) दोष नियंत्रण, डायरेक्टर पूछताछ आदि जैसी सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

विवरण

द्विमासिक किराये और स्थानीय काल प्रभारों में किए गए परिवर्तन

निम्न तारीखों की स्थिति के अनुसार दर

क्र० सं०	टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता (मापक दर)	1-3-82	1-12-86	1-4-88	1-4-90
1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
किराया					
1.	100 लाइनों से कम	125	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	100
2.	100 लाइनों से अधिक परन्तु 1000 लाइनों से कम	125	कोई परिवर्तन नहीं	140	150
3.	1000 लाइनों से अधिक परन्तु 10,000 लाइनों से कम	125	—वही—	160	200
4.	10,000 लाइनों से अधिक परन्तु 30,000 लाइनों से कम	150	—वही—	200	कोई परिवर्तन नहीं
5.	30,000 लाइनों से अधिक परन्तु 1,00 000 लाइनों से कम	175	—वही—	250	—वही—
6.	1,00,000 लाइनों से अधिक परन्तु 3,00,000 लाइनों से कम	200	—वही—	300	330
7.	3,00,000 लाइनें और उससे अधिक	200	—वही—	330	कोई परिवर्तन नहीं
काल प्रभार					
	मुफ्त कालें	200	275	275	150
		201-3000 40 पैसे 3000 से अधिक 50 पैसे	276-2000 60 पैसे 2000 से अधिक 80 पैसे	276-2000 80 पैसे 2001-5000 1 रु० 5000 से अधिक 1.25 रु०	151-1000 80 पैसे 1000 से अधिक 1.10 रु.

कालीकट डिवीजन के अन्तर्गत डाकघरों को अन्यत्र ले जाना

[अनुवाद]

*263. श्री के० मुरलीधरन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट डिवीजन में कुछ डाकघर जीर्ण-शीर्ण भवनों में स्थित हैं, जिसके कारण वहां काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन डाकघरों को अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन डाकघरों को कब तक अन्यत्र ले जाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ) कालीकट डिवीजन में दो, डाकघर, अर्थात् मीनानगडी डाकघर और पुलपल्ली डाकघर किराए के ऐसे भवनों में हैं जिनकी हालत जीर्ण-शीर्ण है। तथापि, वहां काम कर रहे कर्मचारियों के जीवन को कोई खतरा नहीं है। उक्त भवनों के मालिकों से उनकी आवश्यक मरम्मत कराने का अनुरोध किया गया है। किराये के उपयुक्त वैकल्पिक भवन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे लेकिन इनमें विभाग को सफलता नहीं मिली। इन दोनों डाकघरों के भवनों का निर्माण करने के लिए विभागीय-भूखण्ड उपलब्ध हैं। इन दोनों परियोजनाओं को 1990-91 के दौरान भवन निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

भारत में विदेशी मिशनरी

*264. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में कितने विदेशी मिशनरी कार्य कर रहे हैं;

(ख) ये मिशनरी किन-किन देशों के हैं;

(ग) कितने विदेशी मिशनरियों को देश छोड़कर चले जाने को कहा गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों को रंगना

*265. श्री के० एस० राव
श्री यशवन्तराव पाटिल } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की अलग पहचान के लिए उन्हें रंगने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है;

(ग) इन सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या उर्वरकों को रंगने के उनको उत्पादन लागत में वृद्धि होगी; और

(ङ) क्या सरकार इस कारण से उत्पादन लागत में हुई अतिरिक्त वृद्धि को अधिक राज-सहायता देकर पूरा करेगी ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ङ) एस. एस. पी. तथा डी. ए. पी. की तरह के उर्वरकों को रगने की सभावना की जांच की जा रही है, ताकि गलत ब्रांड के माध्यम से उनके दुरुपयोग से बचा जा सके, क्योंकि इसमें संचालन, परत चढ़ाने तथा रंगने की सामग्री आदि के लिए उपस्कर के रूप में अतिरिक्त लागत तथा उसके परिणामस्वरूप अधिक आर्थिक सहायता का भार अन्तर्ग्रस्त है ।

भागलपुर के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

*266. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्रीमती सुभाषिनी अली } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने भागलपुर के दगों से प्रभावित व्यक्तियों को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार दगों के शिकार हुए लोगों को शीघ्रताशीघ्र राहत उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं । प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री दोनों ने भागलपुर का दौरा किया है ।

2. भागलपुर के दंगों में शिकार हुए लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । इस राशि में से, दंगों में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 10,000/- रुपये प्रति परिवार की दर से देने के लिए 50.00 लाख रु० निर्धारित किए गए हैं । यह राशि, राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दी जा रही अनुग्रह राशि की राहत राशि से अलग है । प्रभावित बुनकरों को कच्चा-माल खरीदने हेतु 1500 रुपये प्रति हथकरघा बुनकर तथा 5,000/ प्रति पावरलूम बुनकर के हिसाब से अनुदान राशि दी जा रही है । इस प्रयोजन हेतु 27.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है । शेष 22.50 लाख रुपये की राशि वर्तमान छात्रावास में एक मंजिल और बढ़ाकर छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई है ।

अफगानिस्तान के युवकों की कश्मीर में घुसपैठ

*267. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफगानिस्तान के युवकों ने विघटनकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कश्मीर में घुसपैठ की है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की घूसपैठ रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) सरकार के पास इस आशय का कोई भी विशिष्ट प्रमाण नहीं है कि अफगानी युवकों ने विघटनकारी गतिविधियां करने के लिए कश्मीर में घुसपैठ की है ।

(ख) इस संबंध में किए गए कुछ उपाय निम्न प्रकार है : बड़ी संख्या में केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनातगी, प्रशासन में सुधार, पुलिस स्टेशनों के कार्यकरण में सुधार, राज्य पुलिस/केन्द्रीय पुलिस और सेना के मध्य बेहतर समन्वय, अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए निवारक कार्यवाही, जब कभी आवश्यक हो, चुनिंदा आधार पर छापे मारना और खोजबीन अभियान चलाना और सीमा पर सतर्कता को मजबूत करना ।

झींगा मछली का पकड़ा जाना

*268. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में झींगा मछली पकड़ी गई;

(ख) क्या केरल में मछली पालने सम्बन्धी अनुसंधान एवं विकास कार्य का और अधिक विस्तार किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में भारत में हर साल पकड़ी जाने वाली झींगा मछलियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)
1986	2.15
1987	1.93
1988	2.24

केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान, कोचीन और केन्द्रीय खारा पानी जल प्राणी-विज्ञान संस्थान के नरक ल केन्द्र ने जल प्राणी उत्पादन/समुद्री मछली-पालन और झींगा मछली पालन से संबंधित अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया है ।

केरल में झींगा मछली पालन को मदद देने के लिए मोपले खाड़ी में एक झींगा हैचरी की स्थापना की गई है । सरकार द्वारा मछली पालकों को वैज्ञानिक झींगा/मछली पालन के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है । समेकित खारा पानी मछली पालन विकास के अन्तर्गत चार मछली पालन

फार्म योजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनके तहत 149 हैक्टर क्षेत्र आता है। एक खारा पानी मछली पालक विकास एजेन्सी और 11 मछली पालक एजेन्सियों को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा इसके लिए अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि से सहायता से 60.00 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 1,500 हैक्टर खारा पानी क्षेत्र में झींगा मछलियों के विकास के लिए एक समेकित विकास प्रायोजना शुरू की गई है।

इजराइल में अधिकृत क्षेत्रों में सोवियत संघ के यहूदियों को बसाना

[हिन्दी]

2621. **श्री हर्षवर्धन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों के मिशनों के प्रमुखों ने इजराइल में अधिकृत क्षेत्रों में भारी संख्या में सोवियत संघ के यहूदियों को बसाने के प्रश्न पर उनके साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। अरब देशों के मिशन प्रमुखों का एक प्रतिनिधि मंडल 1 मार्च, 1990 को अनधिकृत क्षेत्रों में सोवियत यहूदियों को बसाने के प्रस्ताव से संबधित घटनाओं पर बातचीत करने के लिए मुझ से मिला था।

(ख) और (ग) : मैंने उन्हें बताया कि भारत इस संबंध में फिलस्तीन और अरब देशों की चिंता को समझता है। इजरायल द्वारा इन क्षेत्रों के अनधिकृत कब्जे के गैर-कानूनी स्वरूप के संबंध में मैंने भारत की सुविदित नीति को दोहराया और कहा कि इस प्रकार की बसावट से गैर-कानूनी स्थिति ही और बढ़ेगी। मैंने यह भी कहा कि इस प्रकार की बसावट से फिलीस्तीन के मसले के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार करने में अतिरिक्त कठिनाइयां पेश आएंगी।

आलू बोर्ड की स्थापना

2622. **श्री जगदीश सिंह कुशवाहा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में आलू की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए चाय बोर्ड जैसा ही एक आलू बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्तावित आलू बोर्ड के उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय भी खोलने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

स्विचिंग उपकरणों की निर्माण क्षमता में वृद्धि

[अनुवाद]

2623. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरसंचार विभाग की वर्तमान स्विचिंग उपकरण निर्माण क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक वर्ष कुल लाइनों में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) (I) लघु क्षमता की स्विचन प्रणालियों (2000 लाइनों की क्षमता से कम) के लिए उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 400,000 लाइनों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(II) जहां तक बड़ी स्विचन प्रणालियों का सम्बन्ध है उत्पादन क्षमता में वृद्धि के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मरूभूमि विकास, कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था

2624. **प्रो० जगदीश जनजरू** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के पीने के लिए भू-जल निकालने की अनुमति नहीं है।

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उक्त प्रतिबंध में छूट दी जाए, और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के पीने के लिए भू-जल निकालने की अनुमति नहीं है। मनुष्य और पशुओं दोनों को पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम चालू है, जिसके अन्तर्गत वार्षिक योजना आवंटन का 5 प्रतिशत अत्यधिक गर्म और शीत पारिस्थितिक पद्धतियों के कारण जल आपूर्ति की अत्यधिक कमी से पीड़ित क्षेत्रों के लिए निर्धारित है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र इस वर्ग में आता है।

मार्गदर्शिकाओं की छूट के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि उनको त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, अगर आवश्यक हो, तो अतिरिक्त सहायता लेने का परामर्श दिया गया है। राजस्थान सरकार को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत मरूभूमि विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों में चल रहे कार्यों

को पूरा करने के लिए, जनवरी, 1990 में 32.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है इसके अतिरिक्त मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षा के पानी के संरक्षण और स्टोर करने की योजनाए भी चालू हैं, जो पारिस्थितिक उत्थान के उद्देश्य को पूरा करने के अतिरिक्त, पशुओं के पीने के पानी की भी व्यवस्था करती है।

बिहार में जहानाबाद जिले में अरहित गांव में सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करना

[हिन्दी]

2625. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार राज्य में कुछ पिछड़े क्षेत्रों के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहानाबाद में अरहित गांव में लगाये गये सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) (1) जहां जनसंख्या 2500 से अधिक है वहां एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला जा रहा है और वरीयता डाकघरों में खोलने के लिए दी जाती है।

(2) 8वीं योजना में लम्बी दूरी के अनेक टेलीफोन लगाने के लिए एमएआरआर स्कीम और सिंगल चैनल वीएचएफ प्रणाली की योजना भी बनाई गई है।

(ग) और (घ) जहानाबाद में स्थित अहित गांव का सार्वजनिक टेलीफोन पर ठीक-ठाक काम कर रहा है।

वर्ष 1991 की जनगणना की तैयारी

[अनुवाद]

2626. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991 की जनगणना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जनगणना में यदि कोई नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या एकत्रित आंकड़ों के प्रसार और सारणीकरण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है या किया जा रहा है;

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) जनगणना अभियान में कार्यरत गणनाकारों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 1991 की जनगणना के हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्या आर्थिक एवं अन्य सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

गृहमंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : सलाहकार समिति की सिफारिशों तथा क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर आंकड़े प्रयोक्ताओं के साथ परामर्श करके 1991 की जनगणना अनुसूचियों में कुछ सुधार किये गए हैं। 1991 की जनगणना में सभी अनुसूचियों को व्यापक आधार पर भरा जाएगा और कुछ बेसिक आंकड़े ग्राम/वार्ड स्तर पर शीघ्र और विस्तृत ढग से प्रकाशित किये जायेंगे। सारणी तैयार करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रतिदर्शन सैम्पलिंग में कुछ सुधार किए जा रहे हैं। पिछली जनगणना की अपेक्षा 1991 की जनगणना में बड़े पैमाने पर चुम्बकीय माध्यम से आंकड़े भेजने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सारणियों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण में अनेक सुधार करने पर भी विचार किया जा रहा है। 1991 की जनगणना के परिणामों को चरणबद्ध ढग से प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मार्च, 1991 में ही अन्तिम आंकड़े प्रकाशित करने शुरू किये जाएगे और सभी सारणियों को 1995 के अन्त तक रिलीज कर दिया जाएगा।

(ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1991 की जनगणना के लिए नियुक्त जनगणना कार्य निदेशकों को 1990 में मकान सूची बनाने तथा 1991 में मुख्य जनगणना करने के लिए मुख्यालयों में पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब वे संबंधित निदेशालयों के अन्य अधिकारियों, जिला जनगणना अधिकारियों चार्ज अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रगणकों के लिये अनुदेश भी प्रकाशित किये जा रहे हैं। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में पूरे जनगणना कार्य का समन्वयन संबंधित जनगणना निदेशालयों द्वारा किया जा रहा है।

(च) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1991 की जनगणना के कार्य के लिए प्रगणना तथा पर्यवेक्षी स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के लिए क्षेत्रीय कार्य करने के लिए, उचित मानदेय तथा प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेने देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव है। 1981 की जनगणना की तरह ही लिपिकीय सहायता भी दी जा रही है। आवश्यक लेखन सामग्री कराई जाएगी तथा क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रयोग किए गए वाहनों के लिए पी. ओ. एल. चार्ज की भी अदायगी की जाएगी।

फफूंदियों से प्रभावित गेहूं

2627. **श्री मागेय गोवर्धन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गेहूं परियोजना निदेशालय ने फफूंदियों से उत्पन्न रोग से, जिसके कारण गेहूं का रंग काला हो जाता है और खाद्यान्न को प्रति वर्ष भारी नुकसान होता है, गेहूं को सुरक्षित रखने हेतु कोई तकनीक/विधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित उक्त तकनीक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग से प्रति वर्ष गेहूं की अनुमानतः कितनी फसल नष्ट होती है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) तकनीक का विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) **सौर उष्मा उपचार**

मई और जून के ताप वाले महीनों में पहले बीजों को चार घण्टे प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद पतली पर्त पर धूप में उन्हें फैला दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बीज में मौजूद कवक नष्ट हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप फसल रोग से मुक्त हो जाती है।

(2) **रासायनिक नियन्त्रण**

रोग-मुक्त फसल लेने के लिए बुआई से पहले बीजों को 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से कवक नाशक रसायन जैसे—कार्बोक्सिन और कार्बेंडेजिम से उपचारित किया जाता है।

(3) **छंटाई**

रोगी पौधों से कंडवा लगी बालियां स्वस्थ बालियों से पहले ही निकल आती हैं उन्हें कागज या प्लास्टिक के लिफाफों से ढक कर काट दिया जाता है और उन्हें जलाकर, मिट्टी में दबा कर या मिट्टी के तेल में डुबोकर नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से रोग मुक्त बीज प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(ग) इस रोग से औसत हानि 1 से 3% तक होने का अनुमान है।

फसल बीमा योजना

2628. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्यवार अभी तक किन-किन फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में सभी फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल फसलों के राज्य-वार नाम प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारें इस योजना के अन्तर्गत अन्य फसलों को कवर करने का अनुरोध कर रही हैं परन्तु अब तक अधिक मात्रा में प्राप्त दावों को देखते हुए पहले कवर की जा रही फसलों पर कुछ और अनुभव किया जाना जरूरी है।

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोध पर सरकार वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कपास और गन्ने की फसलों को शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

विवरण

बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कवर की गई फसलों के नाम

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कवर की गई फसलों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	धान, ज्वार, मूंगफली, रागी, मक्का, एरण्डी, बाजरा, अरहर, और मूंग, उड़द, कुलथी और केरा, तिल।
2.	असम	सरसों, धान, गेहूं, चना, तोरिया-सरसों।
3.	बिहार	गेहूं, धान, तोरिया-सरसों, चना, अरहर, तिल, मक्का।
4.	गुजरात	मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, तुर, गेहूं, चना, तोरिया और सरसों।
5.	गोवा	धान, मूंगफली, गेहूं, बाजरा, रागी, दालें।
6.	हिमाचल प्रदेश	मक्का, धान, गेहूं, चावल।
7.	जम्मू और कश्मीर	धान, गेहूं, तोरिया और मक्का।
8.	कर्नाटक	धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुसुम, मूंगफली, तुर, सूरजमुखी, गेहूं।
9.	केरल	धान।
10.	मध्य प्रदेश	धान, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तुर, सोयाबीन, गेहूं, चना, तोरिया और सरसों, केडोकुडकी।
11.	महाराष्ट्र	धान, ज्वार, मूंगफली, बाजरा, तुर, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कुसुम, तिल, अलसी, चना-तुर।
12.	मणिपुर	धान।
13.	मेघालय	धान, गेहूं, तोरिया और सरसों।
14.	उड़ीसा	धान।
15.	राजस्थान	ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, तोरिया और सरसों।
16.	तमिलनाडु	धान, मक्का, रागी, मूंगफली, तिल, कुंबु, चेलम, सूरजमुखी और चना।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कवर की गई फसलों के नाम
17.	त्रिपुरा ।	धान ।
18.	उत्तर प्रदेप	धान, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोया-बीन, गेहूं, चना, मटर, मसूर, तोरिया, सरसों, तिल ।
19.	पश्चिम बंगाल	धान, गेहूं, चना, तोरिया, सरसों, तिल और मसूर ।
20.	पांडिचेरी	धान ।
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	धान ।
22.	दिल्ली	धान, बाजरा, गेहूं और सरसों ।

टिप्पणी—शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने यह योजना कार्यान्वित नहीं की है ।

"विश्व आहार कार्यक्रम" के अन्तर्गत अमरीका से प्राप्त खाद्यान्न

2629 **श्री अनादि चरण दास**
श्री भजमन बेहेरा } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "विश्व आहार कार्यक्रम" के अन्तर्गत अमरीका से उड़ीसा में वितरण के लिए प्राप्त हुए खाद्यान्न/खाद्य तेलों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में इन वस्तुओं की वास्तव में कितनी मात्रा वितरित की गई;

(ग) क्या उड़ीसा के लिए प्राप्त हुई वस्तुओं का कुछ भाग उपयोग हेतु अन्यत्र भेज दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1989 तक उड़ीसा में वितरण के लिए प्राप्त और वास्तव में वितरित किए गए चावल, गेहूं वनस्पति तेल और दालों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(मात्रा मीटरी टन में)

जिन्स	की गई सप्लाई	वितरित की गई
गेहूं	4500	1366
चावल	15454	11518
वनस्पति तेल	2040	1210
दालें	[illegible]065	1227

(ग) कोई भी वस्तु अन्यत्र उपयोग नहीं की गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दिए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शन

2630. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के मामले में संसद सदस्यों की सिफारिश को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गत 12 महीनों के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिशों पर लगाए जाने के लिए कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां। टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों की सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आठवीं योजना के दौरान नारियल के वृक्ष लगाना

2631. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान देश में और अधिक भूमि पर नारियल के वृक्ष लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में नारियल के वृक्ष लगाने का विचार है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) नारियल विकास बोर्ड का प्रस्ताव है कि योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में नारियल के नए पौध रोपण के अन्तर्गत 6,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया जाएगा।

केरल में दूध का उत्पादन

2632. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान केरल में दूध का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या दूध का अधिक उत्पादन होने के कारण दूध के विपणन में हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में केरल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : केरल में 1988-1989 के दौरान अनुमानित दुग्ध उत्पादन 1.5 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1989 में प्रचुरता की अवधि के दौरान केरल में दूध की उपलब्धता बढ़ गई थी, क्योंकि दूध को शुष्क करने सम्बन्धी सुविधाएं न होने के कारण केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ को दूध के संभाल में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ के अनुरोध पर अब राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने एलेप्पी में 10 मीटरी टन की क्षमता का दूध शुष्क करने का संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के इच्छापुरम-पलासा सेक्शन की मरम्मत तथा रख-रखाव

2633 **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के इच्छापुरम-पलासा सेक्शन की स्थिति खराब हो गई है तथा इसकी तुरंत एवं उचित रख-रखाव की आवश्यकता है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग—5 के इच्छापुरम-पालासा सैक्शन सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को बाढ़ से हुई क्षति की तत्काल मरम्मत हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को 50 लाख रुपए की राशि रिलीज कर दी गई है। इस सैक्शन पर अब यातायात चल सकता है।

दालों और खाद्य तेलों की खपत, उत्पादन और आयात

[हिन्दी]

2634. **श्री केशरी लाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों और खाद्य तेलों की वार्षिक औसत खपत क्या है;

(ख) देश में कुल कितनी मात्रा में दालों और खाद्य तेलों का उत्पादन होता है और मांग को पूरा करने के लिए इनका कितनी मात्रा में आयात किया जाता है;

(ग) दालों और खाद्य तेलों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) देश के इस क्षेत्र में कब तक आत्म-निर्भर बन जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) व्यापारियों और उत्पादकों के पास भंडारों के सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े उपलब्ध न होने की वजह से दालों और खाद्य तेलों की कुल वास्तविक खपत के निश्चित अनुमान बताना कठिन है।

(ख) विवरण 1 संलग्न है।

(ग) और (घ) दालों और खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार की नीति से सम्बन्धित विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

1986-87 से 1988-89 तक दालों और खाद्य तेलों का कुल उत्पादन तथा आयात

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	दालें		खाद्य तेल	
	घरेलू उत्पादन	आयात+	घरेलू उत्पादन	आयात+
1986-89	117.07	6.25	33.48	14.97
1987-88	109.62	5.87	37.67	18.19
1988-89	137.03	8.27	49.50	3.73

+वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित

विवरण-2

दालों और खाद्य तेलों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये अपनायी गयी नीति से सम्बन्धित ब्यौरा

1. **दलहनों से सम्बन्धित नीति** :

(1) दोहरी और बहु-फसल पद्धति के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों में दालों का उत्पादन आरम्भ करना।

(2) निम्नलिखित फसलों की खेती के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना :—

(क) सरसों, गन्ना, आलू और गेहूं के बाद सिंचाई सहित ग्रीष्म दालें तथा रबी मौसम में मसूर; (ख) उत्तरी राज्यों में गेहूं के साथ क्रमानुसार अल्पावधि अरहर; तथा (ग) रबी मौसम की बची नमी का प्रयोग करके चावल की परती भूमि में अल्पावधि उड़द, मूंग की किस्में आदि।

(3) सिंचित और असिंचित दोनों ही स्थितियों में अंतर्गत सोयाबीन बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलों के साथ अरहर जैसी दालों की अन्तरवर्ती फसल पद्धति।

(4) उन्नत बीज, वनस्पति रक्षण उपाय, फास्फेटिक उर्वरक तथा राइजोबियम कल्चर जैसे आदानों का वर्द्धित प्रयोग।

दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उल्लिखित नीति की सहायता दो कार्यक्रमों से की जाती है अर्थात् (क) केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा (ख) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम।

2. खाद्य तेलों से सम्बन्धित नीति

(1) तिलहन उत्पादन और प्रतिबल कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना का कार्यान्वय आरंभ किया गया है जिसके लिए तिलहन कृषकों को बीज, वनस्पति रक्षण तथा प्रोद्योगिकी के विस्तार के सम्बन्ध में मदद देने के लिये राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को अच्छा प्रोत्साहन।

(4) तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेज़ी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहन फसलों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाना तथा वृक्ष और वनगत तिलहनों, चावल-चोकर आदि का दोहन।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक परिसंस्करण और अवसंरचनात्मक सुविधायें स्थापित करना।

(7) तिलहन-उत्पादन सम्बन्धी मिशन की स्थापना करना।

सरकार को एक अल्पावधि उपाय के रूप में सहायक कदम के रूप में खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा था।

दिल्ली में बिक्री कर समाप्त करना

[अनुवाद]

2635. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में बिक्री कर समाप्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

त्रिपुरा बंगलादेश सीमा के साथ परिवहन-योग्य सड़क

2536. **श्री मानिक सान्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितगांव के निकट त्रिपुरा बंगलादेश सीमा के साथ परिवहन योग्य सड़क तथा उस सीमा-क्षेत्र के निकट प्रेक्षण बुर्ज शीघ्र स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अध्ययन दल ने प्रथम चरण में त्रिपुरा क्षेत्र में भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ 320 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने की सिफारिश की है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले में 70 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दक्षिण त्रिपुरा जिले में 76 कि.मी. सड़क के निर्माण के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सड़क का शेष भाग की पहचान की जा रही है।

इस समय 79 निगरानी बुर्ज हैं और 31 बुर्जों का निर्माण किया जा रहा है।

राजस्थान में अत्याधुनिक हथियारों के गुप्त भंडार

2638. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के निकट खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा छिपाये गये अत्याधुनिक हथियारों का गुप्त भंडार मिला है, जैसा कि 10 मार्च, 1990 के टाइम्स आफ इन्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमा सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस ने विशिष्ट सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से एक छापा मारा तथा 9.3.1990 को राजस्थान के गंगानगर जिले के 92 जी.बी. गांव में सीमा सुरक्षा बल चौकी बिजनौर के नजदीक एक खेत से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया है, जिसमें ए.के. 47/ए के-74 राइफल्स, राकेट तथा राकेट लांचर विस्फोटक तथा डेटोनेटर्स और खालिस्तान की प्रचार सामग्री शामिल है। इस सम्बन्ध में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, तथा 25 शस्त्र अधिनियम की धारा 3,4,5 के अधीन अनुपगढ़ पुलिस थाने में तारीख 9.3.1990 को एक मामला सं० 72/90 दर्ज किया गया है।

कश्मीर के मामले पर भारत नीति के बारे में इस्लामी देशों के विचार

[हिन्दी]

2639. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्लामी देश भारत कश्मीर नीति से सहमत नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन देशों को अपनी नीति स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार ने कई इस्लामी देशों सहित विश्व समुदाय को इस बारे में अवगत करा दिया है कि पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उसने जम्मू और कश्मीर हमें तोड़-फोड़ और आतंकवाद को समर्थन दिया है। मोटे तौर पर इन देशों की प्रतिक्रिया सकारात्मक और अनुकूल रही है।

ब्रिटिश शासन के दौरान बरखास्त किये गये मालाबार के विशिष्ट पुलिस कांस्टेबिलों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना

[अनुवाद]

2640 श्री एन्के० विजयराघवन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान बरखास्त किये गये मालाबार के विशिष्ट पुलिस कांस्टेबिलों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिये जाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में मान्यता न दी जाय।

मधुबनी और दरभंगा जिलों में नये डाकघर खोला जाना

2641. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिस्फी, बरहा और सिमरी में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं,

(ग) क्या सरकार का बिस्फी और इसके आस-पास के शाखा डाकघरों को मधुबनी डाकघर से सम्बद्ध करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो मधुबनी से इन्हें सम्बद्ध करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) मधुबनी और दरभंगा जिलों में चहुटा सहित किन-किन स्थानों पर नये डाकघर खोलने का विचार किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) बिस्फी और सिमरी का दर्जा बढ़ाने की मांग की गई है लेकिन बरहा दर्जा बढ़ाने की मांग नहीं है।

(ख) बिहार सर्किल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल प्रस्तावों की जांच कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) फिलहाल, मधुबनी और दरभंगा जिलों में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पान के पत्तों की खेती

2642 **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पान के पत्तों की खेती के विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : पान के पत्तों की खेती के विकास हेतु कोई केन्द्रीय/किन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, पान बेल की खेती के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे मुख्य कृषि-तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था, अच्छी पौध रोपण सामग्री की सप्लाई के लिए जर्मप्लास्म में सुधार, राजसहायता प्राप्त दरों पर आदानों की सप्लाई, आदि।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

2643. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंडल मुख्यालय में फरवरी, 1990 तक टेलीफोन प्रयोक्ताओं की संख्या और प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या कितनी थी;

(ख) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने हेतु मंडल-वार उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंडल मुख्यालयों में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का गत तीन वर्षों तक का वर्ष-वार क्या कार्य-निष्पादन रहा है; और

(घ) टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) ब्यौरा सभा पटल पर क्रमशः विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 में रख दिया गया है।

(घ) कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए टेलीफोन प्रणालियों की निरन्तर मानीटरिंग और आन्तरिक और बाह्य दोनों संयंत्रों में बेकार उपस्करों को बदलने के लिए कार्यवाई की जा रही है। इन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सेवा के कार्य निष्पादन में सुधार के वास्ते 1990-91 के दौरान इन्दौर के मौजूदा पेंटाकोंटा टी.ए.एक्स को इलेक्ट्रानिक टी.ए.एक्स में बदलने का भी प्रस्ताव है।

विवरण–1

अनुबन्ध 1

भाग (क) : मध्य प्रदेश में डिवीजनल मुख्यालयों के एक्सचेंजों में 28.2.90 की स्थिति के अनुसार चालू कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा निम्नानुसार है : –

क्र. सं.	डिवीजनल मुख्यालय	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
1.	भोपाल	18622	2886
2.	इन्दौर	24941	26014
3.	उज्जैन	4249	2437
4.	होशंगाबाद	379	200
5.	जबलपुर	9529	6255
6.	सागर	1886	884
7.	ग्वालियर	9909	4592
8.	मुरैना	838	135
9.	रायपुर	6568	8273
10.	बिलासपुर	4524	299
11.	रीवा	1141	441
12.	जगदलपुर	479	222

विवरण–2

क्र. सं.	डिवीजनल मुख्यालय	8वीं योजना के दौरान स्विचिंग क्षमता का आबंटन
1.	भोपाल	17000 लाइनें
2.	इन्दौर	54000 लाइनें
3.	उज्जैन	4900 लाइनें
4.	होशंगाबाद	600 लाइनें
5.	जबलपुर	9000 लाइनें
6.	सागर	3000 लाइनें
7.	ग्वालियर	9000 लाइनें
8.	मुरैना	1500 लाइनें
9.	रायपुर	9000 लाइनें
10.	बिलासपुर	5000 लाइनें
1[redacted].	रीवा	2000 लाइनें
1	जगदलपुर	1500 लाइनें

विवरण-3

डिवीजनल मुख्यालयों में लगे टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट कार्य-निष्पादन संकेतक

क्र.सं.	डिवीजनल मुख्यालय का नाम	*सी.सी.आर. (स्थानीय) 87	88	89	सी.सी.आर. (एस.टी.डी.) 87	88	89	ट्रंक की क्षमता 87	88	89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भोपाल	91.0	93.6	98.9	55.0	55.7	76.8	64.8	67.1	74.1
2.	इन्दौर	97.8	93.7	98.5	32.4	39.4	36.0	69.0	67.2	22.7
3.	उज्जैन	96.0	93 0	98.7	30.2	33.7	52.0	75.6	75.5	79.3
4.	होशंगाबाद	90.0	92.0	99.2	—	84.5	82.3	71.0	76 0	88 6
5.	जबलपुर	96 2	98 3	98.7	62.2	78.2	80.9	74 6	79.3	78.1
6.	सागर	92.5	96.6	98.6	59 8	70.4	78.4	78.2	85.1	83.4
7.	ग्वालियर	95.5	97.5	98.5	71.0	78.3	9 .0	76.8	84.2	84.0
8.	मुरैना	98.3	98.6	99.0	69.0	60.5	87 0	85.0	86 5	87.0
9.	रायपुर	95.0	95.0	95.4	67.0	80.0	85.3	67.0	72.0	75.4
10.	बिलासपुर	95.0	97.0	95.9	78.0	78 0	74 4	69.0	74 0	75.1
11.	रीवा	85.3	100	100	65.3	91.1	10.0	72.7	73.5	74.7
11.	जगदलपुर	97.0	98.0	100	लागू नहीं	लागू नहीं	95.3	70.3	78 0	83.6

*सी.सी.आर.—काल पूरी होने की दर

एस.टी.डी.—उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग

प्रत्येक जिला मुख्यालय में डिवीजनल डाकघर खोलना

[अनुवाद]

2644. **प्रो॰ प्रेम कुमार धूमल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने जिला मुख्यालयों में डिवीजनल डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक डिवीजनल डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो शेष जिला मुख्यालयों में कब तक डिवीजनल डाकघर खोले जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन) : (क) डाक विभाग में मंडलीय डाकघर खोलने का कोई विचार नहीं है। ऐसे जिला मुख्यालयों की संख्या 64 है जहां प्रधान डाकघर नहीं हैं।

(ख) और (ग) ऐसे जिला मुख्यालयों में जहां प्रधान डाकघर नहीं है, प्रधान डाकघर खोलने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परन्तु उन स्थानों पर प्रधान डाकघर खोलना प्रशासकीय दृष्टि से तथा निर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार न्याय संगत नहीं पाया था।

कृषि उपज की उत्पादन लागत निर्धारित करने के मानदण्ड

2645. **श्री के॰ रामसूर्ति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा गेहूं, धान, तिलहन, दाल, कपास, पटसन और गन्ना की उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिये किन-किन तत्वों (परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय) को ध्यान में रखा जाता है; और

(ख) इस प्रकार निर्धारित की गई प्रत्येक वस्तु की कुल उत्पादन लागत में ऐसे तत्वों में से प्रत्येक तत्व का कितने प्रतिशत योगदान है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) कृषि उत्पादन गेहूं, धान, तिलहन, दलहन, कपास, पटसन और गन्ने के उत्पादन की लागत निर्धारित करने में मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, बीज, उर्वरकों तथा खाद, कीटनाशी, सिंचाई प्रभार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, स्वामित्व वाली भूमि की कर योग्य कीमत, पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया, भू-राजस्व और कर, मुल्यह्नस प्रभार, और अचल पूंजी पर ब्याज सम्बन्धी घटकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) नवीनतम वर्ष जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, के लिए प्रत्येक जिन्स के उत्पादन की कुल लागत में प्रत्येक ऐसे घटक का प्रतिशत संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3, और विवरण-4 में दिया गया है।

विवरण-1

लागत की मद	धान			गेहूं
	असम	पंजाब	हरियाणा	पंजाब
	1986-87	1986-87	1986-87	1987-88
कुल लागत की तुलना में प्रतिशत				
मानव श्रम	43.50	21.75	14.20	14.89
बैल श्रम	16.70	2·16	5 84	1.81
मशीन श्रम	0.15	6.05	13.05	12.88
बीज	7.00	1.71	7.16	4.37
उर्वरक और खाद	0.94	13.65	16.05	16.14
कीटनाशी	—	2.30	1.30	1.96
सिंचाई प्रभार	0.02	10.35	7·94	3.34
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	1.18	1.59	1.78	1.83
स्वामित्व वाली भूमि की कर योग्य कीमत	21.39	26.34	22.10	25.48
पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया	2.27	4.92	0.02	7.21
भू-राजस्व और कर	0.41	0.06	0.26	0.05
उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास	2.94	1.30	1.74	1.81
अचल पूंजी पर ब्याज	3.50	7.82	8.56	8.23
	100.00	100.00	100.00	100.00
कुल लागत : (रुपए प्रति हेक्टेयर)	2511.57	7390.21	4527.97	5943.42

विवरण-2

लागत की मद	अरहर			मूंग	उड़द	
	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
	1985-86	1985-86	1985-86	1985-86	1986-87	1985-86
	कुल लागत की तुलना में प्रतिशत					
मानव श्रम	29.68	25.59	21.26	25.68	26.24	26.31
बैल श्रम	18.39	14.78	15.33	12.01	17.54	11.32
मशीन श्रम	1.36	2.55	5.25	—	0.38	—
बीज	5.32	2.59	5.26	12.18	5.82	10.14
उर्वरक और खाद	0.72	1.44	1.27	1.57	7.36	0 63
कीटनाशी	—	0.01	—	—	—	—
सिंचाई प्रभार	—	0.96	2.64	0.17	—	—
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	1.11	1.03	1.31	1.15	1.30	1.06
स्वामित्व वाली भूमि की कर योग्य कीमत	27.42	40.67	26.45	34.52	30.02	36.31
पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया	—	0.04	0.63	0.14	0.21	1.32
भू-राजस्व और कर	0 44	0.66	0.51	0.50	0.28	0.54
उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास	4.03	2.18	6.56	4.41	3.35	4.34
अचल पूंजी पर ब्याज	11.53	7.50	13.53	7.67	7.50	8.03
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कुल लागत (रुपए प्रति हेक्टेयर)	1468.66	2586.64	1337.62	1375.93	1652.97	1331.98

विवरण-3

लागत की मद	मूंगफली		तोरिया और सरसों	
	गुजरात	कर्नाटक	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
	1986-87	1986-87	1986-87	1986-87
कुल लागत की तुलना में प्रतिशत				
मानव श्रम	17.65	13.42	18.85	21.35
बैल श्रम	10.19	8.11	10.20	14.02
मशीन श्रम	2.80	0.65	7.85	5.15
बीज	19.59	27.13	1.50	2.15
उर्वरक और खाद	12.10	7.18	2.42	4.93
कीटनाशी	0.23	1.28	0.86	0.02
सिंचाई प्रभार	7.14	0.93	5.55	3.38
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	1.90	1.80	0.96	1.13
स्व:मित्व वाली भूमि की कर योग्य कीमत	22.34	27.29	33.17	39.07
पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया	0.43	—	4.99	0.26
भू-राजस्व और कर	0.21	0.14	0.26	0.46
उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास	0.80	1.42	1.29	2.14
अचल पूंजी पर ब्याज	4.62	5.65	12,10	5.94
	100.00	100.00	100.00	100.00
कुल लागत (रुपए प्रति हेक्टेयर)	4334.05	3026.56	2731.95	2628.52

विवरण-4

लागत की मद	कपास			पटसन		गन्ना
	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश
	1985-86	1986-87	1986-87	1986-87	1985-86	1986-87
कुल लागत की तुलना में प्रतिशत						
मानव श्रम	20.82	21.86	50.06	43.19	19.41	25.57
बैल श्रम	7.82	6.71	12.65	2.33	2.33	3.45
मशीन श्रम	1.29	0.19	—	0.37	—	1.99
बीज	6.38	6.43	2.30	2.68	1.16	9.77
उर्वरक और खाद	13.62	16.26	8.85	8.68	21.37	9.70
कीटनाशी	6.92	2.86	—	1.00	0.15	0.12
सिंचाई प्रभार	1.69	2.77	0.22	0.02	1.69	8.96
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	1.63	1.53	1.42	1.55	1.28	2.57
स्वामित्व वाली भूमि की कर योग्य कीमत	27.69	31.93	27.20	26.12	48.54	30.34
पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया	—	—	0.10	0.96	—	0.04
भू-राजस्व और कर	0.12	0.30	0.10	0.19	0.10	0.53
उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास	2.28	1.92	1.18	0.61	0.82	1.32
अचल पूंजी पर ब्याज	9.25	6.14	1.86	[illegible].98	3.20	4.64
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कुल लागत (रुपए प्रति हेक्टेयर)	3228.87	2925.33	4495.05	4900.66	9691.66	5862.84

भारतीय सड़क निर्माण निगम का भावी गठन

2646. **श्री डी० अमात** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम के भावी गठन के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने निगम को समाप्त करने के निर्णय लिये जाने की स्थिति में इसके कर्मचारियो के भविष्य के बारे में विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) निगम को समाप्त करने का प्रश्न मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में नये डाकघर खोलना

2647. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गोआ राज्य में कितने नये डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) इनमें से कितने डाकघर पेडने और सट्टारी तालुक में खोले जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) गोआ में नए डाकघर खोलन के लिए इस समय दो प्रस्ताव हैं लेकिन पेडने और सट्टारी तालुकों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। ये प्रस्तावित डाकघर बम्बोलिम काम्प्लेक्स और बायकोलिम इंडस्ट्रीयल एस्टेट में खोले जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में बागवानी बोर्ड

3648. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बागवानी बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

पंजाब में बस रूटों के लिए परमिट जारी करना

2649. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान अब तक पंजाब में बसों तथा मिनी बसों एवं प्राइवेट बसों के लिए कुल कितने "रूट परमिट" जारी किये गये;

(ख) इनमें से कितने "परमिट' अनुसूचित जातियों के लोगों को जारी किये गये;

(ग) क्या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम्पनियों तथा उच्च अधिकारियों को बेनामी "परमिट" जारी किये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पी० एण्ड टी० क्वार्टरों के लिए भूमिगत टैंक और "बूस्टर" पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण

2650. **श्री मजमन बेहेरा** : क्या **संचार मंत्री** रामकृष्ण पुरम में पानी की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में 29 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र में भूमिगत टैंक और "बूस्टर पम्पिंग स्टेशन" के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव की परियोजना की लागत और समय सीमा का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : आर० के० पुरम्, सैक्टर-6 की डाक एवं तार कालोनी में जल की आपूर्ति एम० सी० डी० द्वारा नियंत्रित की जाती है। एम० सी० डी० ने एक भूमिगत जल टैंक, एक बूस्टर पम्पिंग स्टेशन और सैक्टर-7 में स्थित मौजूदा बूस्टर पम्पिंग स्टेशन से केवल उक्त नए भूमिगत जल टैंक के लिए पाइप लाइन का निर्माण करने का सुझाव दिया था जो दूरसंचार विभाग द्वारा इस शर्त पर निर्मित किया जाने वाला है कि टूंक जल आपूर्ति प्रणाली को बढ़ाने पर ही अतिरिक्त जल छोड़ा जाएगा। भूमिगत जल टैंक और पाइप लाइन की अनुमानित लागत 15.8 लाख रुपये और बूस्टर जल पम्प की 6.5 लाख रुपये थी। परियोजना के लगभग एक वर्ष में पूरे होने की आशा है। चूंकि एम० सी० डी० द्वारा जल की आपूर्ति में वृद्धि करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, अतः परियोजना अभी तक शुरू नहीं की गई है।

रायसेन जिले के मन्दीदीप और ओबेदुल्लाहगंज शहरों तथा विदिशा में बसोदा शहर में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

2651. **श्री राघवजी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मन्दीदीप और ओबेदुल्लाहगंज शहर में तथा विदिशा के बसोदा शहर में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मन्दीदीप और ओबेदुल्लाह गंज शहरों में और विदिशा जिले के गंजबसोदा शहर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपलब्ध कराने की योजना है। रिकार्ड के अनुसार विदिशा जिले में "बसोदा टाउन" नाम का कोई केन्द्र नहीं है।

(ख) मन्दीदीप में जून 1990 तक, ओबेदुल्लाह गंज में 1991-92 के दौरान गंजबसोदा में मार्च, 1991 तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है।

दिल्ली में हत्या और अपहरण के मामले

[अनुवाद]

2652. **श्री हेत राम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में हत्या और अपहरण के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) दिल्ली पुलिस ने कितने मामले सुलझाए हैं;

(ग) इन वर्षों के दौरान उक्त मामलों को गुत्थी सुलझाने में असाधारण भूमिका निभाने के लिए दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारियों को बारी से पहले पदोन्नति पुरस्कार/प्रशास्ति पत्र प्रदान किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने शेष मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद) : (क)

	हत्या	अपहरण
1987	312	611
1988	396	582
1989	342	664
(28-2-1990 तक)	52	87
	1102	1944

(ख) इस अवधि के दौरान हत्या के 683 मामले और अपहरण के 669 मामले हल किए गए।

(ग) 27 पुलिस अधिकारियों की पारि से पहले पदोन्नति की गई और दिल्ली पुलिस के 513 अधिकारियों/कार्मिक को वर्ष 1987, 1988, 1989 और 1990 (28-2-1990 तक) पुरस्कार/प्रशस्तिपत्र दिये गये।

(घ) अपराध रिकार्ड कार्यालय से सहायता, निवासियों से प्रोत्साहन और स्त्रोतों से सूचना एकत्र करना और संसाधन करना जैसे कुछ उपाय किये गये हैं।

प्रमुख पोतों पर जहाजों का बारम्बारता वितरण

2653. **डा० बिप्लव दासगुप्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1947, 1950, 1960, 1970, 1980, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रमुख पोतों पर पोत-वार, भ्रमणकारी जहाजों के बेड़ों का बारम्बारता वितरण क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : अपेक्षित सूचना चालीस वर्षों से अधिक की अवधि से संबंधित है सभी पत्तनों ने इन सभी प्रासंगिक वर्षों की यह सूचना रेकार्ड नहीं की अथवा रखी नहीं। पत्तनों से उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महापत्तनों पर जहाजों के डुबाव का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन

पत्तन का नाम	डुबाव वर्गीकरण (मीटरों में)	1947	1950	1960	1970	1980	1986-87	1987-88	1988-89
कलकत्ता	0-5			420	255	94	129	153	104
	5-10	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1385	826	1164	1347	1346	1336
	10-15			—	—		—	—	—
	15-20			—	—	—	—	—	—
	20 और अधिक			—	—	—		—	—
				1805	1081×	1258	1476	1499	1440
					(×केवल कलकत्ता से सबंधित)				
पारादीप	0-5	—	—	—			48	73	29
	5-10	—	—	—			139	169	168
	10-15				अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	85	107	116
	15-20						—	—	—
	20 और अधिक						—	—	—
							272	349	313

पत्तन का नाम	डुबाव वर्गीकरण (मीटरों में)	1947	1950	1960	1970	1980	1086-87	1987-88	1988-89
विशाखापत्तनम	0-5					4	36	60	33
	5-10					458	457	427	513
	10-15					101	149	146	210
	15-20	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	1	—	2
	20 और अधिक					—	—	—	—
						563@	642	633	758
मद्रास	0-5				58	159	357	313	419
	5-10				802	667	1023	1133	1006
	10-15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	103	128	240	277	285
	10 20				—	—	5	13	15
	20 और अधिक				—	—	—	—	—
					963	954	1625	1736	1725
टूटीकोरिन	0-5					56	93	138	146
	5-10					238	338	326	369
	10-15	—	—	—	—	—	—	—	—
	15-20					—	—	—	—
	20 और अधिक					—	—	—	—
						294	431	464	519

पत्तन का नाम	डुबाव वर्गीकरण (मीटरों में)	1947	1950	1960	1970	1980	1986-87	1987-88	1988-89
कोचीन	0-5				509	174	338	287	371
	5-10				525	609	379	334	329
	10-15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	—	74	95	80
	15-20				—	—	—	—	—
	20 और अधिक				—	—	—	—	—
					1034	783	791	716	780
न्यू मंगलूर	0-5					—	—	—	—
	5-10					227	308	317	304
	10-15	—	—	—	—	—	97	107	128
	15-20					—	—	—	—
	20 और अधिक					—	—	—	—
						227	405	424	432
मुरगांव	0-5				10	7	3	6	3
	5-10				603	277	240	207	255
	10-15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	226	153	163	163
	15-20				—	16	33	38	53
	20 और अधिक				—	—	3	2	1
					613@@	526@@@	432	416	475

पत्तन का नाम	डुबाव वर्गीकरण (मीटरों में)	1947	1950	1960	1970	1980	1986-87	1987-88	1988-89
बम्बई	0-5						1165	1152	1092
	5-10						1120	1082	1082
	10-15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध			254	267	303
	15-20						—	—	—
	20 और अधिक						—	—	—
							2539	2401	2477
कांडला	0-5					67	182	212	205
	5-10					333	534	555	555
	10-15	—	—	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	21	112	140	139
	15-20					17	35	18	23
	20 और अधिक					—	6	5	—
						438	869	930	922

टिप्पणी : 1. कांडला के आंकड़ों में वाडीनार शामिल है।
2. कलकत्ता के आंकड़ों में हल्दिया शामिल है।
3. न्यू मंगलूर महापत्तन 1975 में चालू हुआ।
4. टूटीकोरिन महापत्तन 1974 में चालू हुआ।
5. पारादीप महापत्तन में वाणिज्यिक कार्यकलाप 1966-67 से शुरू हुए।
6. विजाग पत्तन के संबंध में वर्ष 1980 के अंतर्गत दी गई सूचना वित्त वर्ष 1980-81 से संबंधित है।
7. @@/@@@ मुरगांव पत्तन के संबंध में वर्ष 1970 और 1980 के अन्तर्गत दी गई सूचना क्रमश: 1970-71 और 1980-81 से संबंधित है।

हसन शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2654. **श्री एच०सी० श्री कान्तय्या : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं,

(ख) इस वर्ष के दौरान कितनी नयी टेलीफोन लाइन जोड़ी जायेंगी; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के.पी. उन्नीकृष्णन) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 342 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं।

(ख) 1990-91 के दौरान 900 नई लाइनें जोड़ी जाने की संभावना है।

(ग) 1990-91 के दौरान प्रतीक्षा-सूची को निपटा दिया जाएगा।

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण

2655. **कु० उमा भारती**
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता
श्रीमती सुमित्रा महाजन
: **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांव, ब्लाक और जिला स्तरों पर स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थानीय निकायों में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत किस तरह निर्धारित किया जाएगा ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

पाकिस्तान की लड़ाकू विमानों के निर्माण योजना

265‹. **श्री डी. एम. पुत्ते गौड़ा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक "पाक प्लान टू मैन्यूफैक्चर फाइटर प्लेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार का क्या एहतियाती कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

पाकिस्तान द्वारा फ्रेंच मिराज लड़ाकू जेट विमानों की खरीद

2657. **श्री यशवन्त राव पाटिल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान का फ्रांस से 40 मिराज-2000 लड़ाकू जेट विमान तथा 155 एम.एम. तोपों की खरीद करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सबध के क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं से अधिक अत्युन्नत हथियारों और उपस्करों को हासिल करने की जो निरन्तर कोशिश कर रहा है, वह चिंता का विषय है। इस सम्बन्ध में हमारी आशकाओं से सबधित पक्षों को अवगत करा दिया गया है।

सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

नोएडा में टेलीफोनों की इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़ना

2958 **श्री तारीफ सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था;

(ख) जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज से कितने नए और पुराने टेलीफोन कनेक्शन जोड़े गए और वर्ष 1989 में ऐसे कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए जो इस एक्सचेंज से जुड़े हुए नहीं हैं;

(ग) वर्ष 1989 में दिए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों को इस इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज से न जोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का बेहतर टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1989 में दिए गए शेष टेलीफोन कनेक्शनों को इस इलेक्ट्रानिक टेलीफोन से जोड़ने का विचार है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 4000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 30.4.88 को स्थापित किया गया था और फरवरी, 1989 में उसमें 1000 लाइनें और जोड़ी गयीं थीं।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से जनवरी, 89 से दिसम्बर, 89 तक जोड़े गए टेलीफोनों की संख्या 732 है, उक्त अवधि के दौरान इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से जोड़े गए पुराने टेलीफोनों की संख्या 345 है, और 1989 में दिए गए ऐसे नए टेलीफोनों की संख्या 288 है जो इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से नहीं जोड़े गए हैं। स्ट्रोजर एक्सचेंज से कनेक्शन केवल तभी दिए

गए जब ई–10 बी एक्सचेंज की क्षमता समाप्त हो गई थी। ये कनेक्शन एक मुश्त जारी कनेक्शन नहीं थे, वरन ये बिना बारी के दिए गए कनेक्शन या फिर ऐसे कनेक्शन थे जिनके बारे में वायदा किया गया था।

(घ) कतिपय स्ट्रोजर एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से जोड़ने के बारे में नीति केवल तभी तैयार की जाएगी जब इलेक्ट्रानिक का 5,000 लाइनों में विस्तार हो जाएगा। यह विस्तार 1990-91 के दौरान होने की संभावना है।

श्रीलंका के विदेश मंत्री को भारत के सेना अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कथित टिप्पणी

2659. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका के विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में भारत के सेना अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कथित टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ये टिप्पणियां बिल्कुल बेबुनियादी और अस्वीकार्य हैं।

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई

2660. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तरराज्यीय बस अडडे के निकट यमुना पुल का निर्माण

2661. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरराज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना पर पुल का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दिल्ली प्रशासन, जो परियोजना का प्रभारी है, द्वारा अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल के नजदीक यमुना पर बन रहे पुल को पूरा करने की समय-सारिणी दो बार संशोधित की जा चुकी है। दिसम्बर, 1987 की मूल लक्षित तारीख को संशोधित करके पहले दिसम्बर, 1988 तथा उसके बाद जून, 1991 किया गया है। अब निर्माण कार्य में संशोधित समय सारिणी के अनुसार प्रगति हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में दहेज के कारण हुई मौतें

2662. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के प्रत्येक तिमाही के दौरान एवं वर्ष 1990 में अब तक दिल्ली में दहेज के कारण कितनी मौतें होने का समाचार है ; और

(ख) इस प्रकार की मौतों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) :

(क) अवधि	1.1.1989 से 31.3.1989 तक	1.4.1989 से 30.6.1989 तक	1.7.1989 से 30.9.1989 तक	1.10.1989 से 31.12.1989 तक	1.1.1990 से 28.2.1990 तक
	18	32	37	32	17

दहेज के कारण मौत के सूचित मामले।

(ख) दहेज मृत्यु को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(I) दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत इन अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया है और इन अपराधों को करने वालों को अधिक सख्त सजा दी जाती है।

(II) महिलाओं के पतियों और उनके सास-ससुर द्वारा महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और अत्याचार के अपराधों संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है।

(III) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 113 (क) और 113 (ख) नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि दहेज के लिए किसी विवाहित महिला के प्रति अत्याचार या उत्पीड़न किया जाना सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय यह मान सकता है कि विवाहित महिला को आत्महत्या/दहेज मृत्यु के लिये उकसाया गया है।

(IV) विपत्ति में पड़ी महिलाओं के लिए दिल्ली प्रशासन ने कम समय तक ठहरने के लिए गृह-स्थापित किये हैं।

(V) मरते समय बयानों को रिकार्ड करने के लिये विशेष मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है।

(VI) दहेज की बुराईयों के बारे में जनता को जनसंपर्क माध्यमों से शिक्षित किया जा रहा है।

(VII) इस बात के निदेश जारी किये गये हैं कि दहेज मृत्यु के मामले में शव परीक्षा दो सर्जनों द्वारा की जायेगी।

(VIII) महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच करने के लिये एक महिला पुलिस उप आयुक्त के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत एक विशेष एकक गठित किया गया है।

पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना

2663. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

मृत्यु दण्ड समाप्त करना

2665. **श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मृत्यु दण्ड समाप्त करने के सम्बन्ध में विश्व भर के लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए देश में मृत्यु दण्ड समाप्त का कोई विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : जी नहीं, महोदया।

मूंगफली की खेती

2266. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मूंगफली की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान मूंगफली के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना, चालू की गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन से नाविकों की भर्ती

2667. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम और गैर-सरकारी कम्पनियों के 30 प्रतिशत पोत कलकत्ता पत्तन के लिए नियत किए गए हैं,

(ख) क्या नन्दा समिति की सिफारिशों के अनुसार 30 प्रतिशत नाविकों की भर्ती कलकत्ता पत्तन से होनी है,

(ग) यदि नहीं, तो कलकत्ता से वास्तव में कितने प्रतिशत नाविकों की भर्ती होनी है, और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) भारतीय नौवहन निगम बंबई और कलकत्ता के बीच 70:30 का नौकरी अनुपात रखता है। तीन अन्य कम्पनियां जिनके मुख्यालय कलकत्ता में हैं, अर्थात् रत्नाकर शिपिंग कंपनी, इण्डिया स्टीमशिप लिमिटेड और सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड अपना 100% कर्मीदल कलकत्ता रोस्टर से लेती हैं।

(ख) नन्दा समिति ने यह सिफारिश नहीं की कि भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा 30 नाविकों की भर्ती कलकत्ता से की जानी चाहिए।

(ग) 1-1-1990 की स्थिति के अनुसार कलकत्ता से भर्ती किए गए नाविकों की वास्तविक प्रतिशतता उपलब्ध नौकरियों की कुल संख्या और कलकत्ता में पंजीकृत नाविकों की कुल संख्या के आधार पर 22 प्रतिशत है।

(घ) कलकत्ता में सामान्य रोस्टर में नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों को विनियमित करने के लिए नौवहन महानिदेशक ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं :—

(I) नाविकों की सभी श्रेणियों के लिए कंपनी रोस्टर में 185% नौकरियों के लिए वृद्धि की जाए।

(II) सभी बुलाए गए नामों में चयन 75.25 के अनुपात में क्रमशः कम्पनी रोस्टर और सामान्य रोस्टर से किया जाएगा।

(III) कंपनी रोस्टरों की कुछ श्रेणियों में संख्या 225% से अधिक है। ऐसी श्रेणियों में चयन कम्पनी रोस्टर नाविकों तक सीमित रखा जाएगा।

(IV) यदि किसी चयन में किसी कारण अर्थात् अपेक्षित नाविकों की कमी, मेडिकल अथवा अन्य आधार पर चयन न किए जाने से 75 25 के अनुपात का पालन नहीं किया जाता तो अपेक्षित प्रतिशतता को बाद के चयन में बढ़ाया जाएगा ताकि 75.25 का अनुपात बनाए रखा जा सके।

चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूलों को भूमि का आवंटन

2668. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 को, प्राइवेट स्कूलों को भूमि-आवंटन से संबंधित कितने-आवेदन-पत्र चंडीगढ़ प्रशासन के पास लम्बित पड़े थे;

(ख) ये कब से लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पहले आवटित की गई भूमि रियायती दरों पर दी गई है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) 17

(ख) यह आवेदन पत्र 5/82 से 3/89 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुए । निम्नलिखित कारणों से इन पर निर्णय नहीं लिया जा सका :--

(I) स्कूल के पास निधि उपलब्ध होने के बारे में आवश्यक प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना;

(II) आवेदन उपयुक्त रूप में तथा पूर्ण विवरण सहित प्राप्त न होना;

(III) स्कूल के स्तर का सत्यापन न होना;

IV) संबधित स्कूल द्वारा मांगे गए स्थान पर पर्याप्त भूमि का उपलब्ध न होना ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् ।

"फेक पासपोर्ट एंड वीजा रैकेट" शीर्षक से समाचार

2669. **श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1990 के "इण्डिय एक्सप्रेस" में "फेक पासपोर्ट एंड वीजा रैकेट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) 13-2-1990 को एक अफगान राष्ट्रीय से संयुक्त राष्ट्र के जाली वीजा वाले पांच पासपोर्ट उस समय बरामद किए गए जब वह एक देवलिंग एजेंसी में टिकट लेने आया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 420/468/471/120-बी के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। मामने की जांच-पड़ताल का काम अपराध शाखा को सौंप दिया गया है । 4 अन्य अफगान राष्ट्रिक भी पकड़े गये हैं ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में शिक्षा/संस्कृति सचिव की नियुक्ति

[हिन्दी]

2670. **श्री बृज भूषण तिवारी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों में शिक्षा/संस्कृति सचिव/अधिकारी के पदों अथवा इनके समकक्ष पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) इनमें से कितने भारतीय विदेश सेवा अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं; और

(ग) संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्रों से, अलग-अलग, कितने प्रमुख व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल : (क) विदेशों में भारतीय मिशनों/प्रधान कोंसलावासों में शिक्षा संबन्धी कुल 6 पद हैं।

(ख) इन 6 पदों में से किसी भी पद पर भारतीय विदेश सेवा/भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकार नहीं है।

(ग) इस समय भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन में मिनिस्टर (शिक्षा) के पद पर आई. आई. टी. दिल्ली का एक प्रोफेसर नियुक्त है।

अनन्तशयनम अयंगार की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करना

[अनुवाद]

2671. **डा० काली मुधु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार लोक सभा के लब्धप्रतिष्ठ अध्यक्ष, अनन्तशयनम् अयंगार की इस वर्ष जन्म-शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने का विचार कर रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : जी हां। श्री अनंतशयनम आयंगार पर डाक टिकट जारी करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव फिलेटलिक सलाहकार समिति के समक्ष उसकी 29.9.89 को हुई बैठक में रखा गया था। विभाग में गठित उक्त समिति स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने के बारे में और ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को सलाह देती है। समयाभाव के कारण समिति उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकी। यह प्रस्ताव समिति की अगली बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जाएगा।

यमुना विहार के नालों में बच्चों का डूबना

2272. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना बिहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नालों में 18 जुलाई, 1981 और 23 फरवरी, 1986 के बीच चार बच्चे डूब कर मर गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में क्षेत्र के पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यकावाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, जैनेन्द्र उर्फ कालू नामक एक बच्चो की एक नाले में डूबने के कारण हो गई थी, जिसका निर्माण दिल्ली

विकास प्राधिकरण ने किया था। भा.द.स. की धारा 304 के तहत पुलिस स्टेशन गोकलपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59 दिनांक 23.2.86 पर एक मामला दर्ज किया गया था। एस० डी० एम० नई दिल्ली द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल की गई तथा कोई भी दोषी नहीं पाया गया।

कृषि वस्तुओं का उत्पादन और उत्पादकता विकास दर

2673. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि वस्तुओं का उत्पाउन और उत्पादकता विकास दर के सम्बन्ध में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए दिए गए विवरण के अनुसार उत्पादन और उत्पादाकता विकास दर को तुलनात्मक स्थिति है; और

(ग) इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए दी गई सूचना के अनुसार क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज में वृद्धि (वार्षिक औसत) को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

हरित क्रांति से पहले की अवधि में अर्थात् 1951-52 से 1964-65 तक सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन की वृद्धि की दर मुख्य रूप से क्षेत्र में विस्तार होने के कारण अधिक थी। परन्तु, हरित क्रांति से बाद की अवधि में क्षेत्र की वृद्धि दरों में कमी हुई और उत्पादकता की वृद्धि दर के स्तर अधिक है। वास्तव में वर्ष 1988-89 के दौरान चावल, गेहूं, खाद्यान्न तथा उत्पादकता के स्तर अब तक प्राप्त किए गए स्तरों से काफी ऊंचे थे।

विवरण

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

फसल/अवधि	1951-52 से 1964-65 तक			1964-65 से 1987-88 तक			1951-52 से 1987-88 तक		
	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. सभी फसलें									
पी.एच.डी, सी.सी.आई.	1.7	3.2	1.4	0.3	2.3	1.8	0.8	2.6	1.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. खाद्यान्न										
पी.एच.डी. सी.सी.आई.	1.5	3.1	1.5	0.3	2.5	2.1	0.7	2.7	1.9	
3. गैर- खाद्यान्न										
पी.एच.डी. सी.सी.आई.	2.4	3.3	0.9	0.2	1.9	1.1	1.0	2.4	1.0	

ए = क्षेत्र
पी = उत्पादन
वाई = ऊपज

पी. एच. डी. सी. सी. आई. : पंजाब, हारियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा भारत में कृषि मूल्यनीति सम्बन्धी अपने नोट में दी गई सूचना के अनुसार ।

आंध्र प्रदश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार मार्गी बनाना

2674. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार मार्गी यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में यह सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां तो क्या वर्ष 1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार मार्गी यातायात सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर 9 कि.मी. की एक छोटी लम्बाई पर पहले से ही चार लेन है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर अनारकल्ली से विशाखापट्टनम तक के 40.6 कि.मी. की लम्बाई पर चार लेन बनाने का अनुमोदन अगस्त, 1989 में किया जा चुका है। इसके अलावा चिला-कालुरीपेट गुन्टूर विजयवाड़ा (लम्बाई 82.95 कि.मी.) के मार्ग को चार लेनों का करने के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य प्रगति पर है तथा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न खण्डों को चार लेनों का करने के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य हेतु सात और प्राक्कलन भी स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) विलाकालुरीपेट-गुन्टूर-विजयवाड़ा (लम्बाई 82.95 कि.मी.) पर चार लेन निर्माण कार्य को वर्ष 1990-91 के कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

इलाहाबाद तथा कलकत्ता के बीच गंगा को नौवहन योग्य बनाना

2675. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद से कलकत्ता के बीच गंगा नदी को नौवहन योग्य बनाने के लिए प्रायोगिक परियोजना पूरी हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है और यह कब तक पूरी की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) नियमित नौचालन शुरू करने के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाने वाली प्रायोगिक परियोजना को गंगा नदी के इलाहाबाद-पटना खण्ड तक सीमित कर दिया गया है। प्रायोगिक परियोजना पर कार्य जून, 1989 में पूरा हो चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर घाटी में मारे गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

[हिन्दी]

2676. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान कश्मीर घाटी में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी मारे गए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा प्रदान करना

[अनुवाद]

2677. **श्री ए० अशोकराज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 3350 कि.मी. राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) सड़कों के नाम और उनकी लम्बाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है सुझाई गई सड़कों को आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) आठवीं योजना को अंतिम रूप देते समय ज्ञापन में दिए गए इन सुझावों की जांच की जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लंबाई कि.मी. में
1	2	4
1.	नागापत्तिनम-तंजावुर-त्रिची-कोयम्बतूर-ऊटी गुडालोर-मैसूर राज्य सीमा सड़क (राज्यीय राजमार्ग)	504
2.	कुड्डालोर-उलुरपेट-सलेम रोड (मुख्य जिला सड़क और राज्यीय राजमार्ग)।	192
3.	त्रिची-विरालीमलाई-थवारन-कुर्वी मदुरे रोड (जिले की मुख्य सड़क)	122
4.	त्रिची-पुडुकोटटई-करेकुड़ी-रामनद	185
5.	दिंदीगल-पालानी-उडूमलपेट-पुल्लाची-कोयम्बतूर रोड (राज्जीय राजमार्ग)	159
6.	कुड्डालोर-वेल्लोट-चित्तोड़ रोड (राज्जीय राजमार्ग)	203
7.	मदुरे-अरुप्पुक्पोट्टे-तूतीकोरिन रोड (राज्यीय राजमार्ग)	133
8.	ईस्ट कोस्ट रोड-मद्रास-कुड्डालोर-कन्याकुमारी (जिले की मुख्य सड़क) (737 कि०मी० की लम्बाई में से 161 कि.मी. अर्थात कुड्डालोर तक का कार्य एशियाई विकास बैंक सहायता स्कीम के तहत किया गया है।)	737
9.	पेरम्बालूर-अनमादुरई रोड (राज्जीय राजमार्ग)	228
10.	थोड़ी-मदुरे-थेनी-कुम्बम-कोट्टयाम-कोचीन रोड (जिले की मुख्य सड़क) (इसमें से 80 कि.मी. लम्बे मदुरे-थेनी सैक्शन	268

1	2	3
	को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जा चुका है)	
11.	मदूरे-थेन्कासी-किलोन रोड (राज्यीय राजमार्ग)	134
12.	थिरुवन्नामलाई कृष्णागिरि रोड (जिले की मुख्य सड़क)	130
13.	तिरुनेलवेली-शेनकोट्टा रोड (राज्यीय राजमार्ग)	59
14.	मदुरै अम्मैया नैकान्नुर-गगुवरपत्ति कोडीकवाल रोड (जिले की मुख्य सड़क)	140
15.	थोप्पुर-मदुर मवानी रोड (जिले की मुख्य सड़क)	81
16.	वनियांवाड़ी-तिरपत्तुर-धरमपुरी रोड (जिले की मुख्य सड़क)	80
		जोड़ : 3355 कि.मी.

बरेली में "इफको" कारखाने में किसानों को नौकरी

[हिन्दी]

2678. **श्री संतोष कुमार गंगवार**
श्री राजवीर सिंह } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली में "इफको" कारखाने की स्थापन के लिए जिन किसानों को भूमि अधिग्रहीत की गई थी उन सभी के आश्रितों को इस बीच नौकरी दे दी गई है;

(ख) इस एकक में स्थानीय और बाहर कितने-कितने % श्रमिकों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) सरकार इस कारखाने में रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सभी पात्र भूमिहीन होने वालों को कार्य प्रदान करना संभव नहीं हो पाया है । तथापि, सभी अकुशल कार्यों के लिए भर्ती केवल भूमिहीन होने वालों में से ही की जाती है । रोजगार के अवसर प्रदान करना अधिग्रहण की गई भूमि के लिए दिए गये मुआवजे के अतिरिक्त है ।

(ख) नियोजित किए गए मजदूरों में से 84 प्रतिशत केवल बरेली जिला से हैं और 94% मजदूर उत्तर प्रदेश से हैं।

(ग) रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए इफको द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अकुशल वर्गों के पदों पर भर्तियां केवल स्थानीय लोगों में से और विशेष रूप से भूमिहीन होने वालों में से, की जाती है।

(2) जो भूमिहीन होने वाले व्यक्ति कुछ शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उन्हें अर्ध कुशल कार्यों पर नियोजित किए जाने के लिए अवसर पाने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

(3) स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए भर्ती नियमों में शिथिलता दी गयी है।

(4) ठेका कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और इफको के आंवला टाऊनशिप में दुकानें भूमिहीन होने वालों को आवंटित की जाती है ताकि स्वःरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए।

इफको ने समीपवर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए राज्य/जिला प्रशासन के सहयोग से कुछ अन्य उपाय भी किए हैं।

श्रीनगर में दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था

[अनुवाद]

2679. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी समाचार बुलेटिनों इत्यादि का प्रसारण बन्द करने की धमकियां दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां तो क्या दूरदर्शन कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रबंध किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा मंच कलाकारों के शिष्टमंडल को विदेश भेजा जाना

2680. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा मंच-कलाकारों के शिष्टमंडल विदेश भेजे गये; और

(ख) इन शिष्टमंडलों के लिए कलाकारों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अपने सामान्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत मंचीय कलाओं के जो प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजे गये, उनका वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मंचीय कलाओं के संयुक्त प्रतिनिधिमंडलों की संख्या	अलग-अलग दलों की संख्या (अर्थात् संयुक्त प्रतिनिधिमंडलों का दल-वार ब्योरा)
1	2	3
1985-86	60	80
1986-87	34	47
1987-88	58	59
1988-89	45	84
1989-90	81	81

इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में आयोजित भारत महोत्सव के अवसर पर निम्नलिखित मंचीय कलाओं के दल भी विदेश भेजे :—

देश का नाम	अवधि	दलों की संख्या
1	2	3
संयुक्त राज्य अमरीका	1985-86	16
फ्रांस	1985-86	65
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	1987-88	134
स्वीडन	1987	19
स्विटजरलैंड	1987	14
मारीशस	1987	19

(ख) सामान्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक अदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत विदेश भेजे जाने वाले कलाकारों का चयन करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने मंचीय कलाओं के विभिन्न

क्षेत्रों में परामर्शदात्री पैनलों की स्थापना की है। इन पैनलों में उनके अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल है।

परामर्शदात्री पैनल विभिन्न वर्गों को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के रिफरेंस पैनलों में शामिल करने के लिए दलों और व्यक्तियों के नामों को अन्तिम रूप देता है। रिफरेंस पैनलों में से विदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए व्यक्तियों और दलों का चयन किया जाता है।

ऐसी ही प्रक्रिया भारत महोत्सव के लिए विदेश भेजे जाने वाले कलाकारों के चयन में भी संस्कृति विभाग से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार अपनायी जाती है।

दूरसंचार के क्षेत्र में नये प्रौद्योगिकीय सुधार

2631. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में हाल ही में दूरसंचार के क्षेत्र में क्या नये प्रौद्योगिकी सुधार लागू किये गये है;

(ख) क्या ये प्रौद्योगिकियां स्वदेशी हैं और उष्णकटिबंधी जलवायु के अनुकूल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उपकरण सप्लाईकर्त्ताओं के नाम क्या हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) देश के दूर-संचार नेटवर्क में सी-डॉट ग्रामीण आटोमैटिक एक्सचेंज, सी-डॉट मेन आटोमैटिक एक्सचेंज, आई०टी० आई-आई०एल०टी० मिनी आई० एल०टी० तथा ई-10बी एक्सचेंजों को शामिल करके स्विचिंग और संचारण उपस्करों में उत्तरोत्तर प्रौद्योगिकीय सुधार किए जा रहे हैं। इन्हें हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल समझा गया है। इसी प्रकार संचारण क्षेत्र में डिजिटल संचारण प्रणालियां अर्थात् जंक्शन केबिल क्षमताओं में सुधार के लिए 30 चैनिल पीसीएम प्रणाली, डिजिटल लाइन, आप्टिकल फाइबर और स्वदेशी डिजाइनों की माइक्रोवेव प्रणालियों का उत्तरोत्तर परीक्षण किया जा रहा है और उनकी शुरूआत की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सी-डॉट के लिए विनिर्माण करने वाली कम्पनियों और उनके लाइसेंसशुदा उत्पादों की सूची

क्र.सं.	विनिर्माता	128 पोर्ट पीबीएक्स	आरएएक्स	आरएएक्स/ एमएएक्स-II 512 पी	आईटीआई के आईएलटी और मिनी आईएलटी	ई-10बी
1	2	3	4	5	6	7
1.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज	हां	हां	हां	हां	हां
2.	डब्ल्यू.एस. इण्डस्ट्रीज	,,	,,	,,	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
3.	पंजाब कम्युनिकेशन्स	,,	,,	,,	,,	,,
4.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स डवलेपमेंट कारपोरेशन	,,	,,	,,	,,	,,
5.	नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट.	,,	,,	,,	,,	,,
6.	इंडकेम इलेक्ट्रानिक्स	,,	,,	,,	,,	,,
7.	इस्ट्रमेंटेशन लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
8.	लार्सेन एण्ड टूब्रो	,,	,,	,,	,,	,,
9.	भारत इलेक्ट्रानिक्स	नहीं	,,	,,	नहीं	नहीं
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स	हां	,,	नहीं	,,	,,
11.	कर्नाटक टेलीकॉम	,,	,,	,,	,,	,,
12.	केरल इलेक्ट्रानिक डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
13.	रेडिएंड इलेक्ट्रानिक्स	,,	,,	,,	,,	,,
14.	जम्मू-कश्मीर टेलीकॉम	,,	,,	,,	,,	,,
15.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि०	,,	,,	,,	,,	,,
16	यूनाइटेड टेलीकाम लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
17.	कंटीनेन्टल डिवाइस इंडिया लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
18.	अरविन्द मिल्स	,,	,,	,,	,,	,,
19.	एशिया ब्राउन बावेरी लि०	,,	,,	,,	,,	,,
20.	कासमों कम्युनिकेशन्स	,,	,,	,,	,,	,,
21.	राजस्थान टेलीमैटिक्स	,,	,,	,,	,,	,,
22.	मोदी-हिमाचल	,,	,,	,,	,,	,,
23.	अरलेम इलेक्ट्रानिक्स	,,	,,	,,	,,	,,
24.	राजस्थान कम्युनिकेशन्स	,,	,,	,,	,,	,,
25.	अपट्रोन इण्डिया लि०	,,	,,	,,	,,	,,
26.	सूरज कम्युनिकेशन	,,	,,	,,	,,	,,
27.	ऊषा हिमाचल प्रदेश	,,	,,	,,	,,	,,
28.	बैलट्रान	,,	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
29.	आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स	,,	,,	,,	,,	,,
	कारपोरेशन	नहीं	,,	,,	,,	,,
30.	बीपीएल सिस्टम्स एण्ड प्रोजक्ट्स	,,	,,	,,	,,	,,
31.	क्राम्पटन ग्रीव्स लि०	,,	,,	,,	,,	,,
32.	गुजरात कम्युनिकेशन्स इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
33.	टेलीमैटिक्स सिस्टम्स	,,	,,	,,	,,	,,
34.	बेबेल इलेक्ट्रानिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स	,,	,,	,,	,,	,,
35.	असम इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन	हां	नहीं	,,	,,	,,
36.	आटो कंट्रोल्स (पी) लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
37.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	,,	,,	,,	,,	,,
38.	देबीके इनफारमेशन	,,	,,	,,	,,	,,
39.	डेल्टा हैमालिन लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
40.	एसन टेलीकाम (पी) लिमिटेड	,,	,,	,,	,,	,,
41.	कालिन्दी टेल निर्मल (इंजीनियर्स)	,,	,,	,,	,,	,,
42.	लवनिर टेलीकाम लि०	,,	,,	,,	,,	,,
43.	मैगनाविजन इलेक्ट्रानिक्स	,,	,,	,,	,,	,,
44.	नेशनल टेलीकाम	,,	,,	,,	,,	,,
45.	सुपरकोन्स इंडिया	,,	,,	,,	,,	,,

दिल्ली पुलिस में विशिष्ट पुलिस अधिकारी

2682. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और पद क्या है;

(ख) क्या विशिष्ट पुलिस अधिकारियों को कोई पारिश्रमिक दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन विशिष्ट पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा और बीमें की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) विशेष पुलिस अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 की अन्तर्गत गिरफ्तार करने की शक्तियां दी गयी हैं। वे जनता के सम्मननीय सदस्य होते हैं जो सम्बन्धित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्। यदि उन्हें 4 घण्टे से अधिक समय के लिए तैनात किया जाता है तो वे भोजन भत्ते की अदायगी के पात्र हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। यदि कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी असामाजिक तत्वों से अपने लिए खतरा महसूस करता है तो सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

फास्फोरस युक्त उर्वरक बनाने वाले संयंत्रों को बन्द करना

2683. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फास्फोरस युक्त अथवा मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले अनेक उर्वरक संयंत्र पिछले कुछ महीनों के दौरान दो महत्वपूर्ण आदानों, फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया न मिलने के कारण या तो बन्द हो गए हैं अथवा बन्द होने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन उर्वरक कारखानों को पुन: चालू करने के लिए उन्हें फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के आयात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम इण्डिया लि० (एम० एम० टी० सी०) को 8-2-1990 को सरणीबद्ध अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था।

एम० एम० टी० सी० को अप्रैल-सितम्बर, 1990 की अवधि के लिए उर्वरक उद्योग हेतु फास्फोरिक एसिड और अमोनिया का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसने तुरन्त प्रेषण के लिये 50,000 मी- टन अमोनिया की व्यवस्था की है। फास्फोरिक एसिड के निविदाकर्ताओं के साथ वाणिज्यिक वार्ताएं चल रही हैं। ठेके दिये जाने के बाद प्रेषण आरम्भ होगा।

सिन्दरी संयंत्र का आधुनिकीकरण

2684. **श्री ए० के० राय : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमोनिया का उत्पादन करने वाला सिन्दरी संयंत्र अभी कितने समय और कार्य करेगा;

(ख) क्या इसके नवीकरण करने अथवा इसे बदलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सम्पूर्ण सिन्दरी औद्योगिक क्षेत्र की हालत बिगड़ती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सिन्दरी क्षेत्र की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया का सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र अमोनिया/यूरिया का उत्पादन करता है और इसे लगभग 10 वर्ष पहले चालू किया गया था। एक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र की आयु 20 वर्ष मानते हुए इसकी शेष आयु लगभग 10 वर्ष होगी।

(ख) और (ग) 14.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सिन्दरी स्थित विभिन्न संयंत्रों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है।

(घ) और **(ङ)** यह सच नहीं है कि संयंत्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए जा रहे/किए जाने वाले उपायों से, जैसे कि 30 कोक ओवनों को पुनः निर्मित करने, संयंत्रों के पुनरुद्धार करने तथा पुराने कैपटिव पावर संयंत्र को नए संयंत्र से प्रतिस्थापन करने से सिन्दरी औद्योगिक कम्पलैक्स विकृत हो रहा है।

टेलीफोन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन प्रयोक्ताओं के टेलीफोन मीटरों के साथ छेड़-छाड़

[हिन्दी]

2685. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन मीटरों के साथ की जाने वाली छेड़-छाड़ का स्थानीय काल मीटर, आन्तरिक उपकरण और बाह्य लाइनों के जरिए पता लगाया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं टेलीफोन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन प्रयोक्ताओं के मीटरों के साथ छेड़-छाड़ करके कालों की संख्या तो नहीं बढ़ाई गई है; और

(ख) क्या टेलीफोन मीटरों के साथ हुई छेड़-छाड़ का पता न लग पाने पर टेलीफोन प्रयोक्ता बढ़े हुए टेलीफोन बिल की राशि की अदायगी करने के लिए विवश हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में मैकेनिकल टेलीफोन मीटर नहीं लगाए जाते। इसलिए उनमें हस्तक्षेप संभव नहीं है। इलेक्ट्रोमेकैनिकल एक्सचेंजों के मामले में, जहां प्रत्येक उपभोक्ता का अलग-अलग टेलीफोन मीटर होता है, वहां विभाग द्वारा यह देखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि उनमें हस्तक्षेप न हो। किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावनाओं को, जिनकी वजह से अधिक राशि के बिलों की शिकायतें हो सकती हैं, रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. उपभोक्ताओं के मीटरों की रूटीन जांच।
2. मीटरों को सील करना।
3. मीटर कक्ष पर ताला लगाना और मीटर कक्ष में प्रवेश पर रोक लगाना।
4. विवरण प्वांइटों को ऊंचाई पर स्थापित करना और उनमें ताला लगाना।
5. चलते-फिरते सतर्कता दस्तों का गठन।
6. अत्यधिक काल करने वाले उपभोक्ताओं के मीटरों की पाक्षिक रीडिंग।

इनके अलावा, बिल सम्बन्धी शिकायतों को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(I) प्रभार विश्लेषण उपस्कर की व्यवस्था।

(II) लाइन विपथन को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए तार अधिनियम में व्यवस्था।

(ख) जी नहीं। अधिक राशि के टेलीफोन बिलों से सम्बन्धित सभी शिकायतों की पहले यह जांच की जाती है कि कोई लिपिकीय गलती तो नहीं है और इसके बाद यह जांच की जाती है कि आंतरिक या बाह्य संयंत्र में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। कतिपय मामलों में, मीटरिंग उपस्कर की कार्य प्रणाली की जांच करने और उपभोक्ता के कालिंग पैटर्न का पता लगाने के लिये टेलीफोन को भी निगरानी में रखा जाता है जहां विवादास्पद बिलों में दर्ज कालों की संख्या विवादास्पद अवधि से तत्काल पहले की 6 बिलिंग अवधियों के दौरान मीटर पर दर्ज कालों की अधिकतम संख्या की तुलना में 100% अधिक होती है वहां उपभोक्ता के अनुरोध पर बिल की राशि को विभाजित कर दिया जाता है, और उनसे केवल उक्त 6 बिलिंग अवधियों के औसत और उसके 10% का तत्काल भुगतान करने को कहा जाता है। शेष राशि को जांच कार्य पूरा होने तक अस्थगित रखा जाता है।

यदि जांच से उपस्कर या लाइन में किसी खराबी की संभावना का पता चलता है तो उपभोक्ता को हमेशा उचित छूट दी जाती है।

ई-10-बी टाइप के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में ब्यौरेवार बिल दिये जाते हैं जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा की गई सभी एस० टी० डी० कालों का विवरण होता है।

हल्दिया में शिप रिपेअरिंग यार्ड

[अनुवाद]

2686. **श्री चित्त बसु**
श्री अमल दत्त
श्री सुदर्शन राय चौधरी
श्री वसुदेव आचार्य } : **क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक "शिप रिपेअरिंग यार्ड" की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर अब किस स्तर पर विचार किया जा रहा है?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) हल्दिया में जहाज मरम्मत यार्ड स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तथापि, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश में उपलब्ध अपर्याप्त जहाज मरम्मत सुविधाओं पर विचार करते हुये, सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान एशियाई विकास बैंक

की परामर्शदात्री तकनीकी सहायता स्कीम के अधीन देश में जहाज मरम्मत सुविधाओं के विकास के लिये एक व्यवहार्यता व विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ किया है। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ इसके द्वारा अनुशंसा की जाने वाली किन्हीं नई सुविधाओं के लिए विभिन्न संभव स्थलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा।

पत्तनों के विकास के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता

2687. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में पत्तनों के विकास के लिये विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों से प्राप्त सहायता से किन-किन पत्तनों का विकास किये जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने न्हावा शेवा में जवाहर लाल नेहरू पत्तन में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं बढ़ाने की स्कीमों के वित्त पोषण में रूचि दिखाई है। बम्बई पत्तन में पत्तन सुविधाओं और जहाज मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण और आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा काकीनाडा विकास किए जाने के लिए 129 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण सम्बन्धी बातचीत नवम्बर, 1989 में सम्पन्न हुई।

एशियाई विकास बैंक से ऋण के अन्तर्गत आने वाली बम्बई पत्तन की स्कीमें ये हैं :—

I. कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार,

II पीरपाउ आयल पीर का रिप्लेसमेंट,

III इन्दिरा गोदी में बाह्य लाक गेट का रिप्लेसमेंट,

IV अग्निशमन जहाज का रिप्लेसमेंट,

V कम्प्यूटर प्रबन्ध सूचना प्रणाली का प्रावधान,

VI हजेज और मियरवेदर ड्राई डाक्स में एक कैसिय्न गेट का रिप्लेसमेंट और ड्राई डाक्स पर मौजूद सुविधाओं की मरम्मत।

अन्य पत्तनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और उन पर आठवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विचार किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा काकीनाडा पत्तन का विकास किये जाने में निम्नलिखित कार्यों की परिकल्पना की गई है :—

I तीन डीप वाटर बर्थों का निर्माण, ब्रेक वाटर का विस्तार और पहुंच चैनल का निकर्षण।

II अनुषंगी सुविधाओं का प्रावधान।

होशियारपुर (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लम्बित पड़े आवेदन पत्र

2688. **श्री कमल चौधरी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे; और

(ग) वर्तमान एक्सचेंज क्षमता में कब तक वृद्धि की जाएगी ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 28-2-90 की स्थिति के अनुसार 1323

(ख) और (ग) प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यम में मौजूदा 2100 लाइनों वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज के स्थान पर 4500 लाइनों वाला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की संभावना है।

जांच आयोग

2689. **श्रीमती ऊषा सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जाच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कितने जांच आयोग नियुक्त किये गये;

(ख) उनमें से कितने आयोग अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुके हैं और ऐसी कितनी रिपोर्टें सार्वजनिक कर दी गई हैं; और

(ग) उन रिपोर्टों का विवरण क्या है जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है और उसे सार्वजनिक न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन गठित आयोगों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों तथा अन्य निजी बसों से होने वाली दुर्घटनाएं

2690. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली अन्य निजी बसों से प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने घायल हुए;

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के चालकों और निजी बसों के मालिकों और चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(घ) क्या इसके लिए दंड में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकें ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) ब्योरा इस प्रकार है :—

	बसों की कुल संख्या	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की सख्या
I दिल्ली परिवहन निगम की बसें				
1988	4316	4217	224	1588
1989	4328	4117	215	1824
II निजी तौर पर प्रचालित बसें				
1988	972	153	53	184
1989	729	163	65	242

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के चालकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

	1988	1989
—सावधान किये गये	657	703
—चेतावनी दी गई	239	349
—डांटे गए	56	42
—निन्दा की गई	43	52
—वेतन वृदि रोकी गई	68	74
—वाहनों में हुई क्षति के लिए जुर्माने की वसूली	337	230
—सेवामुक्त कर दिए गए	84	62
—ऐसे मामले जिन पर कार्रवाई की जा रही है	59	146

निजी प्रचालित बसों के चालकों/मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

	1988	1989
—निजी बसों के करार समाप्त किये गये	16	46
—किया गया जुर्माना	7,000 रु०	7,300 रु०

(घ) यदि रिटेनर क्रू और परिवीक्षार्थी घातक और बड़ी दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त होते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। यदि नियमित चालकों के विरुद्ध आरोप जांच के दौरान साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जाता है तो ऐसे चालकों को उदाहरणात्मक दण्ड दिया जाता है। यह दण्ड न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के अतिरिक्त होता है। घातक और अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं में निजी बस एवं उसके चालक को सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कांडला और कलकत्ता में खाद्य तेलों की स्थापना

2691. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला और कलकत्ता में कुछ खाद्य तेल टैंक स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या ये टैंक तेल प्रौद्योगिकी मिशन को एक भाग के रूप में स्थापित किये गये हैं अथवा किसी अन्य परियोजना के हिस्सा के रूप में; यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस समय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किए जा रहे वनस्पति तेल सम्बन्धी कार्य को राष्ट्रीय वनस्पति तेल विकास बोर्ड को सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) इस समय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) कांडला में खाद्य तेक टैंक फार्म बना रहा है और कलकत्ता में एक टैंक फार्म बनाने की योजना है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन. डी. डी. बी.) द्वारा खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन और विपण के पुनर्गठन नामक वनस्पति तेल प्रायोजना के तहत इन टैंक फार्मों की स्थापना की जा रही है जिसका अनुमोदन 1978 में भारत सरकार ने किया था। इस समय इस प्रायोजना में 7 राज्य आते हैं जिनके तहत 43 जिलों में 3,603 सहकारी समितियां और 7 राज्य संघ बनाए गए हैं। इस प्रायोजना ने इस बात का भी ध्यान रखा कि उत्पादक सहकारी समितियों का कुल वनस्पति तेल बाजार में लगभग 15 प्रतिशत का हिस्सा रहे। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी०बी०) के पास वस्तुओं के रख-रखाव, जिसमें वनस्पति तेल भी शामिल है, का पर्याप्त अनुभव है और बोर्ड ने वनस्पति तेल प्रायोजना के तहत बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क तैयार किया है। इसे

अप्रैल, 1989 से प्रारंभिक पांच वर्षों के लिए बाजार हस्तक्षेप एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वनस्पति तेल कार्य को करने के लिए जिसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर रहा है, किसी दूसरी एजेन्सी को नियुक्त करने का तो प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बाढ़

[हिन्दी]

2692, **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष काफी बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान होता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितनी क्षति हुई है ?

उप प्रधान मन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) बिहार में प्राय: प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से काफी अधिक हानि होती है। वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में बाढ़ों से हुई अनुमानित हानि का हिसाब 9.50 करोड़ रुपए लगाया गया है।

उडुमलपेट में डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[अनुवाद]

2693. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडुमलपेट में टेलीफोन एक्सचेंज के लिये एक नई इमारत का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस नई इमारत का निर्माण कब तक हो जायेगा और वहां 2000 लाइनों वाले डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां। क्रासबार टाइप के टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) ऐसी संभावना है कि यह भवन सितम्बर, 1991 तक पूरा हो जाएगा और स्टोर्स उपलब्ध होने पर 1992 के मध्य तक 2000 लाइनों का क्रासबार एक्सचेंज चालू हो जाएगा। यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

द्विपक्षीय समस्याओं के बारे में भारत-बंगलादेश वार्ता

2694. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का द्विपक्षीय समस्याओं के समाधान के लिए बंगलादेश के साथ बातचीत का दौर पुन: शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) : 16-18 फरवरी, 1990 तक मेरी बंगलादेश की यात्रा के दौरान सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी और यह सहमति हुई थी

कि संयुक्त आर्थिक आयोग की तीसरी बैठक के लिए बंगलादेश के विदेश मंत्री को भारत यात्रा के समय आगे और बातचीत की जाएगी।

रामगढ़, बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

2695. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मन्त्रालय ने रामगढ़, बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो रामगढ़ का टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां। हजारीबाग में राजगढ़ स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) ऐसी संभावना है कि यह टेलीफोन एक्सचेंज मार्च, 1991 तक काम करना शुरू कर देगा।

जाली पासपोर्ट जारी करना

2696. **डा० बंगाली सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान लखनऊ और बरेली पासपोर्ट कार्यालयों से जाली पासपोर्ट जारी करने के कोई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इसमें दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल रेशे के उत्पादन में सफलता

[अनुवाद]

2697. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल रेशे के उत्पादन में कोई सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस समय इस अनुसंधान कार्य में लगे अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) फेनोलिक निरोधकों की उपस्थिति के कारण यह तकनीक सफल नहीं हो पायी है।

(ग) 1. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़ (केरल)।
2. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर, तमिलनाडु।
3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, महाराष्ट्र।

कोचीन शिपयार्ड को घाटा

2698. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कोचीन शिपयार्ड को कितना घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिपयार्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) चूंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है इसलिए घाटे के अंतिम रूप से लेखा परीक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किन्तु वर्ष 1989-90 का प्रत्याशित घाटा (लगभग) 25.87 करोड़ है।

(I) देश में बने जहाजों की कीमत और उत्पादन की वातविक लागत में अन्तर है क्योंकि वर्तमान मूल्य निर्धारण फार्मूला अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य से सम्बन्धित है, न कि उत्पादन की वास्तविक लागत से।

(II) कम्पनी के पूंजीगत ढांचे के ऋण तथा बैंक से लिए गए कार्य पूंजी ऋण पर अधिक ब्याज का भार।

(III) देशी निवेशी की अधिक लागत।

(Iv) देशी निवेशों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अधिक समय के कारण डिलीवरी में लगने वाला अधिक समय।

(v) कम उत्पादकता।

(ग) शिपयार्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बी आई सी पी तथा श्री लेवराज कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इनमें मूल्य निर्धारण फार्मूले में संशोधन ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके पूंजीगत आधार का पुनर्गठन, ब्याज की अदायगी पिछले वर्षों की अदायगी के स्थगन की स्वीकृति आदि शामिल है।

केन्द्रीय सड़क कोष में से कर्नाटक को आवटित की गई राशि

2699. **श्री एस० टी० पाटिल** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क कोष में वृद्धि की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसकोष में से वर्ष 1989-90 के लिए कर्नाटक को कितनी धन राशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा सचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) संसाधनों के अभाव में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत बढ़ाई गई अतिरिक्त निधियों को अभी उपलब्ध कराना है। फिर भी स्वीकृत स्कीम के तहत 1989-90 में कर्नाटक को 6.024 लाख रु० की राशि आवटित की गई है।

सड़क दुर्घटनाओं की दर

2700. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल**
श्री मनोरजन भक्त } : क्या **जलभूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सडक दुर्घटनाओं की दर विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप देश की प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा सचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, वाशिंगटन द्वारा प्रकाशित विश्व सड़क आंकड़े 1987 के अनुसार वर्ष 1983, 1984, 1985 वा 1986 के लिए प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की दर निम्न प्रकार रही है :—

देश का नाम	प्रति 1000 वाहनों पर दुर्घटनाए			
	1983	1984	1985	1986
1	2	3	4	5
फ्रांस	7.42	6.91	6.69	6.45
जर्मनी	12.81	12.05	10.72	9.95
स्पेन	6.25	7.06	6.61	3.66
स्वीडन	3.95	4.00	3.55	4.41
मारीशस	107.69	63.59	67.30	73.75
दक्षिणी अफ्रीका	15.34	15.03	13.58	14.87
सयुक्त राज्य अमेरिका	11.26	12.22	11.88	—
हांग कांग	50.75	47.88	48.90	48.12
इण्डोनेशिया	7.82	7.11	6.16	5.20
जापान	8.88	8.37	8.57	8.68
कोरिया	90.88	84.09	80.05	72.47
कुवैत	34.41	38.89	39.30	36.21
मलेशिया	24.48	31.64	21.57	1952
भारत	25.21	23.98	22.37	19.70

(ग) इसका अनुमान नहीं लगाया गया है।

वाहनों पर प्रदूषण कानून का लागू किया जाना

2701. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **जल भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1990 से लागू किये जाने वाला वाहन प्रदूषण कानून स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कानून इस बीच लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। यह 1 मार्च 1990 से लागू हो गया है।

सूखे और भुखमरी से निपटने के लिए कार्य योजना

[हिन्दी]

2702. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे और भुखमरी की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना के माध्यम से विभिन्न राज्यों में इन समस्याओं का समाधान कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) सूखे के कारण आयी विपदाओं को दूर करने में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए कई दीर्घावधि उपाय किये गये हैं। इनमें सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, वन रोपण, आदि शामिल हैं। तथापि, सूखा की समस्याओं का पूर्ण निराकरण करने के लिए कोई निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद

2703 **श्री जनार्दन यादव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद हल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) श्री सी. एम. त्रिवेदी द्वारा सुनाए गए एक पक्षीय निर्णय के आधार पर, जिसको कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों की सरकारों

ने मान लिया था, अस्थिर अंतर्राज्य, नदी सीमाओं को निश्चित सीमाओं में बदलने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और बिहार (सीमाओं में परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया है। इस तरह अब किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है। तथापि, प्राईवेट पार्टियों के बीच उपरोक्त अधिनियम के लागू किए जाने से भूमि के एक राज्य से दूसरे में चले जाने के परिणामस्वरूप भूमि पर मालिकाना और खेती के अधिकारों को लेकर कभी-कभी विवाद हुआ है। ऐसे विवादों का निर्धारण सक्षम न्यायालयों द्वारा किया जाता है। तथापि, स्थानांतरित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों की भूमि के खेती के अधिकारों को लेकर दोनों राज्यों के रिकार्ड बदले जाने के कारण दोनों राज्यों के बीच कुछ मतभेद है।

निश्चित रूप से यह एक ऐसा मामला है जिसको कि दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा आपस में उचित स्तर पर बातचीत करके सुलझाया जाना है। तथापि, इस कार्य हेतु मांगी गई किसी भी विशेष सहायता को प्रदान करने में केन्द्र सरकार को हर्ष होगा।

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

2704. **श्री महन्त अवैध नाथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर के वर्ष 1990-91 के दौरान एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) गोरखपुर में 1990-91 के दौरान नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में नशीली औषधियों का अवैध व्यापार

2705. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान मारे गये छापे में, मद-वार कुल कितने मूल्य की अवैध औषधियां जब्त की गईं;

(ख) इस सम्बन्ध में विशेष कौशल का परिचय देने वाले कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारितोषिक दिया गया है; और

(ग) दिल्ली पुलिस ने नशीली औषधियों के अवैध व्यापार में शामिल कुल कितने व्यक्ति पकड़े हैं; उनमें से कितने विदेशी हैं और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) छापों के दौरान जब्त की गई अवैध नशीली दवाओं के मूल्य का सही-सही अनुमान लगाया अथवा आंका नहीं जा सकता क्योंकि यह विभिन्न घटकों जैसे उनके उत्पत्ति और बरामदगी के स्थानों, बरामद दवाओं की शुद्धता, स्थानीय मांग और उनकी आपूर्ति स्थिति, इत्यादि पर निर्भर होता है।

(ख) किसी अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत नहीं किया गया है।

(ग) कुल मिलाकर 1706 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 25 विदेशी हैं। उनकी राष्ट्रीयता नीचे दी गई है :—

	1989	1990 (15.3.90 तक)
1	2	3
पश्चिम जर्मनी	3	—
नाईजीरिया	4	1
ब्रिटेन	2	—
आस्ट्रेलिया	2	1
फ्रांस	2	—
नेपाल	5	1
कनाडा	1	—
तन्जानिया	2	—
ईरान	1	—
जोड़ :	22	3

दिल्ली छावनी टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

[अनुवाद]

2706. **श्री कालका दास** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरका को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली छावनी टेलीफोन एक्सचेंज पुराना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जब तक इस एक्सचेंज की उपभोक्ताओं को पूरी तसल्ली के अनुरूप मरम्मत और नवीकरण नहीं हो जाता, उपभोक्ताओं को विशेष सुविधायें और रियायतें देने का विचार है; और

(ग) दिल्ली छावनी एसचेंज को पूर्ण रूप से सक्षम एवं इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त लाइनें उपलब्ध कराके कब तक इलेक्ट्रानिक/माइक्रोवेव संचालित एक्सचेंज में बदल दिये जाने की सम्भावना है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) यह उपस्कर पूर्णतया संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है अतः रियायत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसी संभावना है कि 4000 लाइनों की क्षमता का एक डिजीटल रिमोट लाइन एक्सचेंज एक महीने में चालू हो जाएगा।

रोजगार गारन्टी योजना

2707. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र में लागू की गई रोजगार गारन्टी योजना के समान कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने वर्ष 1990-91 के बजट भाषण में यह घोषणा की है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा देश के चुने गए क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी की गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारन्टी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर संयुक्त गश्त

2708. **श्री रामदास सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1989 से पंजाब तथा राजस्थान के साथ लगी भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारत के सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तानी रेंजरों ने संयुक्त गश्त आरम्भ कर दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अन्य क्षेत्रों में भी संयुक्त गश्त आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) सी. सु. ब. तथा पाकिस्तानी रेंजरों ने 1 जुलाई, 1989 से पंजाब तथा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक साथ समन्वित गश्त लगानी शुरू कर दी है। यह तय हुआ कि प्रत्येक दिन दोनों ओर से गश्तों की संख्या समझौते के अनुसार होगी और दोनों बलों द्वारा निश्चित किए गए क्षेत्रों में गश्त लगाई जाएगी, साथ-साथ समन्वित गश्त लगाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने का कार्य संयुक्त रूप से सी. सु. ब. के बटालियन कमांडेंट तथा पाकिस्तानी रेंजरों के विंग कमांडरों द्वारा संयुक्त रूप से अर्द्ध मासिक आधार पर किया जाएगा। सम्बन्धित कंपनी कमांडरों द्वारा संयुक्त रूप से गश्तों को ब्रीफ तथा डी-ब्रीफ किया जाएगा, समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(ख) और (ग) साथ-साथ समन्वित गश्त का काम सितम्बर, 1989 से गुजरात के कुछ और क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भुखमरी की स्थिति

[हिन्दी]

2709. **डा० खुशाल परसराम बोपचे :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में भंडारा जिले में सूखे के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राहत के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई अनुरोध मिला है; और

(ग) क्या इस स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ एक केन्द्रीय दल भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में सूखे के कारण अकाल जैसी स्थितियों के बारे में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में डाकघर खोलना

2710. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में गढ़ी, अमृतपुरी "बी" और "ए" तथा संत नगर और ईस्ट आफ कैलाश के निवासियों के लिए कोई स्थायी डाकघर नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन स्थानों के लिए स्थायी डाकघर कब तक खोल दिया जायेगा ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) संतनगर और ईस्ट आफ कैलाश में डाकघर हैं लेकिन गढ़ी, अमृतपुरी में डाकघर नहीं हैं।

(ख) गढ़ी, अमृतपुरी में इस बात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल कोई डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उक्त इलाके से अन्य डाकघर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

छोटे किसानों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

2711. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था क्या है; और

(ख) सबसे छोटे किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का बिचार है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश, आदि की उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले लगाया जाता है। यह कार्य राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों, उर्वरक उद्योग, आदि के परामर्श से किया जाता है।

उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों के भंडारों से उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए, एक समन्वित योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है।

आपूर्ति योजना में किए गए आवंटनों की तुलना में की गई आपूर्ति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्यों, आदि को उर्वरकों की आपूर्ति, आपूर्ति योजना के अनुसार की जा रही है। आवश्यकतानुसार मध्यावधि सुधार किए जाते हैं।

छोटे औन बहुत छोटे किसानों को, अल्पमात्रा में उर्वरकों की खरीद करने के योग्य बनाने के लिए, यूरिया और डी.ए.पी. के सभी निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पादन की 10% आपूर्ति छोटे पैकों में करें।

राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे किसी भी समय 10 टन तक के स्टाक पर डीलरों को पंजीकरण प्रक्रिया में छूट देने पर विचार करें।

दूर-दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में, फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए, अग्रिम भंडारण तथा ब्लाक मुख्यालय से 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए उर्वरकों के परिवहन का खर्च वहन करने के वास्ते अतिरिक्त विक्रय केन्द्र खोलने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।

जलपोतों की खरीद

2712. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **जलभूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपोतों की खरीद पर लगा प्रतिबन्ध हटाने का प्रस्ताव है, ताकि विश्व माल परिवहन बाजार में हुई प्रगति का लाभ नौवहन उद्योग को प्राप्त हो सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जहाज की प्राप्ति के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। जहाजों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जहाजों की प्राप्ति की अनुमति दी जाती है तथा पुराने जहाजों के मामले में जहाजों की आयु, कीमत के औचित्य आदि पर भी विचार किया जाता है। जहाज प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाली निजी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों को सामान्यत: 45 दिनों के अन्दर सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया जाता है। भारतीय नौवहन निगम को जहाजों की खरीद के लिए केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है और उनके प्रस्तावों पर योजना तथा बजट प्रावधानों की उपलब्धता प्रस्ताव की व्यवहार्यता एवं विदेशी मुद्रा की उपलब्धता जैसे सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है। उपर्युक्त अपेक्षाओं को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिर भी मंत्रालय का भारतीय नौवहन निगम को निजी नौवहन कम्पनियों के बराबर लाने हेतु उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किराये के रूप में अग्रिम धनराशि के चैक स्वीकार करना

2713. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन प्रयोक्ताओं से किराये की अग्रिम धनराशि की अदायगी के लिए चैक स्वीकार किये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केनिंग को एस. टी. डी. द्वारा कलकत्ता से जोड़ना

2714. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिम बंगाल में किन-किन शहरों/कस्बों को एस टी. डी. व्यवस्था द्वारा कलकत्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ा जाएगा;

(ख) क्या केनिंग की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए इसे एस. टी. डी. द्वारा कलकत्ता से जोड़ने के लिए शीघ्र कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) बरहामपुर, जलपाईगुड़ी, बांकुरा, विष्णुपुर, दिनहटा, राणाघाट, रायगंज, तामलुक, बाणेरहाट, बाबड़ा, वीरपाड़ा, तारकेश्वर, दुर्गाचक्र, नलहाती, हिजली, केनिंग।

(ख) केनिंग में 1990-91 के दौरान एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। उसके बाद ही एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में "डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना"

2715. **श्री भक्त चरण दास : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के अंत तक 500 लाइनों के कितने नये "डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज" स्थापित करने का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) अभी तक 500 लाइनों के ऐसे कितने डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और ये कहां-कहां हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) 512 पोर्ट आई.एल.टी. (डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज) की 78 यूनिटें।

(ख) 21 एक्सचेंज स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अब तक चालू किए गए 512 पोर्ट आई एल टी एक्सचेंजों के स्थानों के नाम :

क्र. सं.	स्थान	सर्किल
1	2	3
1.	मोब्बागुदी	कर्नाटक
2.	चिकोदी	—वही—
3.	पादूबीरदी	—वही—
4.	रानीगुंटा	आंध्र प्रदेश
5.	कब्दीरी	—वही—
6.	राया	पंजाब
7.	चण्डीगढ़	—वही—
8.	मिनीकाय	केरल (लक्ष्यद्वीप संघ शासित प्रदेश)
9.	अंधरोथ	—वही—
10.	उदमपेरूर	—वही—
11.	कोनदोट्टी	—वही—
12.	नागदा	मध्य प्रदेश
13.	कारजात	महाराष्ट्र
14.	राजपुर	उत्तर प्रदेश
15.	मनकापुर	उत्तर प्रदेश
16.	अम्बाला शहर 2 यूनिटें	हरियाणा
17.	—वही—	
18.	चांदीपुर	उड़ीसा
19.	रायागड्डा	—वही—
20.	राजुला	गुजरात
21.	कोटखाई	हिमाचल प्रदेश

सड़क की लम्बाई का राष्ट्रीय औसत

2716. **चौ० जगदीप धनखड़** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सड़क की लम्बाई का राष्ट्रीय औसत क्या है और राजस्थान में सड़क की लम्बाई का औसत क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में सड़क की लम्बाई का औसत, सड़क की लम्बाई के राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिये सरकार का सहायता देने का विचार है, और

(ग) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय औसत अथवा सड़क लम्बाई निकालने के लिए सामान्य रूप से मान्य कोई मानदण्ड नहीं है। तथापि कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर निकाली गई सड़कों की सघनता मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

	भारत	राजस्थान
(I) प्रति 100 वर्ग कि. मी. में सड़क लम्बाई	55.4 कि. मी.	31.1 कि. मी.
(II) प्रति एक लाख जनसंख्या पर सड़क लंबाई (1981 की जनगणना के अनुसार)	265.8 कि. मी.	310.5 कि. मी.

(ख) और (ग) चूंकि अधिकांश सड़क लम्बाई राज्य सड़कों की हैं, अतः योजना आयोग के परामर्श से राज्य योजनाओं में उपयुक्त प्रावधान करके, सड़क लम्बाई की वृद्धि पर विचार करना राज्य सरकार का कार्य है। केन्द्रीय सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है।

शुष्क भूमि कृषि

2717. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने शुष्क भूमि कृषि के विकास के लिए एक संयुक्त अनुसंधान योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो भारत-अमरीका कोष में शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक सहयोग हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को किन भारतीय कृषि विद्यालयों में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) (क) : जी हां।

(ख) पांच वर्षों की अवधि के लिए 4,03,75, 400 रु० की राशि का प्रावधान रखा गया है।

(ग) जिन कृषि विश्वविद्यालयों में इन प्रायोजनाओं को हाथ में लिया गया है वे हैं (I) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर (ii) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (III) जवाहर लाल

नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (IV) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (V) महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी (VI) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द तथा (VII) शेरे ए कश्मीर कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

नारियल का उत्पादन

2718. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नारियल का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां तो सातवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक और अन्य राज्यों में नारियल उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसके लिए क्या विशेष कदम उठाए गए; और

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान कितना उत्पादन लक्ष्य पूरा होने की संभावना थी ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल के 8,000 मिलियन दानों के उत्पादन का लक्ष्य है। योजना अवधि के दौरान 8,500 मिलियन दानों का उत्पादन होने का सम्भावना है। नारियल विकास बोर्ड द्वारा सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक सहित देश में नारियल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री का उत्पादन।

(2) नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार।

(3) उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

(4) कृषियों और रोगों का समेकित नियंत्रण।

(5) कटाई के बाद को प्रौद्योगिकी का समेकित विकास जिसमें विपणन और परिसंस्करण शामिल है।

राज्यों में विपणन सुविधायें

2719. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में कृषि उत्पादों के लिए वेहतर विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां. तत्संबधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में विपणन सुविधओं को देहतर बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि इन राज्यों को कोई धन आवंटित किया गया है, तो राज्य-बार उस राशि का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ग) जी हां। राज्यों से जहां पहले कानून नहीं बनाए गए हैं, वहां राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम बनाने का अनुरोध किया गया है। किसानों की व्यापार की बेहतर शर्तें प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से राज्यों को उनके मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के उद्देश्य से राज्यों को उनके मौजूदा कानूनों में संशोधन करने/नए कानून बनाने के लिए बाजारों के विनियमन हेतु मॉडल विधेयक परिचालित किए गए हैं।

राज्यों को उत्पादन और बाजारों के विस्तृत सर्वेक्षणों के आाधर पर कृषि बाजारों का विकास करने के लिए राज्य मास्टर प्लान बनाने का अनुरोध किया गया है। विपणन तथा निरीक्षण तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा सर्वेक्षणों के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन, विपणन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण कार्मिक, बाजारों का डिजाइन तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय गुणवत्ता नियंत्रण लागू करता है और प्रयोगशालाओं में रासायनिक विश्लेषण सहित कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण करने में सहायता करता है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों को भी प्राधिकृत करता है। भारत सरकार देश में कृषि उपज बाजारों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य-सरकारों और संघशासित क्षेत्रों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार कृषि वस्तुओं के भण्डारण में सहायता करने के उद्देश्य से, ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती है।

(ग) 31-3-1989 को समाप्त होने वाली अवधि तक, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को 3601 बाजारों का विकास करने के लिए 7514 लाख रुपये की राशि दी गई है। योजना के आरम्भ से लेकर 31-3-1999 तक दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

31-3-89 को बाजारों के विकास के लिए स्वीकृत की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	राशि (लाख रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	278.05
2. असम	37.50
3. बिहार	1184.50
4. गोआ, दमन व दीप	7.00
5. गुजरात	1254.08
6, हरियाणा	439.00
7. हिमाचल प्रदेश	73.90
8. कर्नाटक	495.94
9. मध्य प्रदेश	880.00
10. महाराष्ट्र	916.71
11. उड़ीसा	301.87
12. पंजाब	525.50
13. पांडिचेरी	1.50
14. राजस्थान	925.27
15. तमिलनाडु	107.980
15. उत्तरप्रदेश	688.62
17. पश्चिम बंगाल	87.50
महायोग	7513.49 (या लगभग 7514)

"सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ कोस्टल इंजीनियरिंग फार फिसरीज" द्वारा महाराष्ट्र तट क्षेत्र पर सर्वेक्षण

2721 **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ कोस्टल इंजीनियरिंग फार फिसरीज" ने महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम तट क्षेत्र के मछुआरो को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं का कार्य कब आरम्भ और पूरा होने की संभावना है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ कोस्टल इंजीयरिंग फार फिशरीज ने उत्तर-पश्चिम तट का सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, उत्तर-पश्चिमी तट पर गहन सामुद्रिक मात्स्यकी बन्दरगाह का विकास करने के लिये एक उचित स्थान का पता लगाने के लिये कृषि मन्त्रालय द्वारा जून, 1988 में एक दल का गठन किया गया था।

(ख) इस दल की सिफारिशों के आधार पर कृषि मत्रालय ने सैद्धान्तिक रूप से दो गहन सामुद्रिक मात्स्यकी बन्दरगाहों का विकास करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक बन्दरगाह महाराष्ट्र के अगरडडा नामक स्थान पर और दूसरा गुजरात के ओखा नामक स्थान पर बनाया जायेगा। इनका निर्माण तकनीकी आर्थिक सम्भावयताओं और आठवीं योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उर्वरकों की खपत

[हिन्दी]

2722. **श्री केशरी लाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति एकड़ औसत उर्वरक खपत कितनी है; और अन्य विकासशील देशों की तुलना में यह खपत कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ख) खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) देश में उर्वरकों की औसत खपत 1987-88 में 20.11 कि०ग्रा० प्रति एकड़ तथा 1988-89 में 25.25 कि०ग्रा० प्रति एकड़ होने का अनन्तिम अनुमान है। भारत में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों की खपत बहुत से विकसित देशों की खपत से कम है। लेकिन, यह आस्ट्रेलिया और कनाड़ा के मुकाबले अधिक है। विवरण संलग्न है।

(ख) अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये और अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने हेतु किसानों को बढ़ावा देने के वास्ते भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछेक कदम इस प्रकार हैं :—

(1) यूरिया तथा डी० ए० पी० के निर्माताओं को निदेश दिया गया है कि उर्वरकों के आबंटन की 10% सप्लाई छोटी थैलियों में करें, ताकि दूर-दराज इलाकों में उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा मिल सके ।

(2) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि 10 मीटरी टन तक उर्वरकों का भण्डार रखने वाले विक्रेताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र की अपेक्षा से छट दें ।

(3) भारत सरकार खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग के लिये प्रदर्शन आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता दे रही है। किसानों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जा रहा है ।

(4) उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये मृदा परीक्षण सेवाओं को सुदृढ़ बनाया गया है ।

(5) किसानों के लिए मानक उर्वरकों की सप्लाई सुनिश्चित बनाने के लिये क्वालिटी नियंत्रण की सुविधाएं मजबूत बनाई गई हैं ।

(6) उर्वरकों की मांग का सही मूल्यांकन करने और उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के काम में उर्वरक उद्योग को भी शामिल किया जा रहा है ।

विवरण

उर्वरकों की खपत

भारत और अन्य देशों में उर्वरकों की खपत

देश	उर्वरकों की खपत (1987-88)* (एन० पी० के०) कि०ग्रा० प्रति एकड़
भारत	20.11
कनाडा	19.46
आस्ट्रेलिया	11.57
अमेरीका	37.72
चीन	95.71
जापान	175.11
जी० डी० आर०	136.54
इटली	76.93
नीदरलैंड	278.39
यूनाइटेड किंगडम	143.86
न्यूजीलैंड	286.52

*स्रोत : खाद्य और कृषि संगठन को 1988 की वार्षिक पुस्तक, भाग-38, खाद्य और कृषि संगठन, रोम ।

दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों के विरूद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

2723. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा**
श्री मदन लाल खुराना
श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के उच्च प्रबन्धक-वर्ग द्वारा निगम में कुप्रबन्ध, अनियमितताये और कदाचार किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में शामिल लोगों के विरुद्ध जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम के कार्यचालन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों तथा इसके कार्यकरण के विरुद्ध प्राप्त हुई कुछ शिकायतों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(I) राजनीतिक नारों के साथ टिकटों का मुद्रण और दिल्ली परिवहन निगम के प्राइवेट प्रचालकों को वितरित किया जाना।

(II) दिल्ली परिवहन नियम के दो वरिष्ठ अधिकारियों की अनियमित पदोन्नति।

(III) दिल्ली परिवहन निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति का प्रावधान करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के विनियमों में संशोधन करा दिया ताकि असुविधाजनक अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया जा सके।

(IV) दिल्ली परिवहन निगम के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार, गुटबंदी इत्यादि के आरोप।

(V) दिल्ली परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की चाल-बाजी द्वारा ईमानदारी और दक्ष अधिकारियों का कथित उत्पीड़न।

सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच शुरू नहीं की है। दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है—

(I) राजनैतिक चिन्ह वाले टिकटों को प्रयोग करने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर कुछ प्राइवेट बसों के प्रचालन को स्थगित कर दिया गया था, करार समाप्त करने के नोटिस जारी किये गये थे और अन्त में बसों को दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनों से हटा दिया गया था। पीड़ित पार्टियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं

दायर की और न्यायालयिक आदेशों के अनुपालन में बसों के प्रचालन को बहाल कर दिया था और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

(II) ऐसे दो अधिकारी जिनकी स्थानापन्न पदोन्नतियां स्थाई नहीं हुई थी और जिनको पदावनत कर दिया गया था ने पदोन्नत पदों में स्थाई न करने के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थी। मामला निर्णयाधीन है।

(III) सरकार दिल्ली परिवहन निगम और इसके प्रबन्ध के कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर रही है। सरकार का यह भी विचार है कि दिल्ली परिवहन निगम को पूरे ओवर-हालिंग की जरूरत है और इन उद्देश्यों के अनुसरण में कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा सम्पत्तियों की घोषणा के लिए मार्ग निर्देश

2724. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा अपनी सम्पत्तियों (चल और अचल दोनों) की घोषणा करने के लिए कोई नये मार्गनिर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

थाल वैशेट परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिया जाना

2725. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाल वैशेट परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिए जाने के कारण यहां के लोगों में रोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उन परिवारों के सदस्यों को इस परियोजना में रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिनकी कृषि भूमि का थाल वैशेट परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहण किया गया था ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) कुछ लोग जो परियोजना से प्रभावित हुए नहीं समझे जाते हैं, वे रोजगार के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। चूंकि थाल वैशेट परियोजना में रोजगार के अवसर अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं, अत: उन लोगों को यह बता दिया गया है कि उन्हें तभी रोजगार देना सम्भव होगा, जब इसका और अधिक विस्तार होगा। स्थानीय लोगों का तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उनके लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।

आंवला में "इफ्को" कारखानों में सहायक उद्योग

[हिन्दी]

2726. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली जिले के आंवला में "इफ्को" उर्वरक कारखाने में सहायक उद्योगों का विकास किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) वहां सहायक उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) "इफ्को" के आंवला एकक ने सहाययक उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत से मदों जैसे रसायनों. हल्के इंजीनियरिंग और एच० डी० पी० ई०/लैमिनेटेड (परतदार) जूट बैग आदि का पता लगाया है। इन सहायक उद्योगों के समन्वयन एवं विकास का कार्य "इफ्को" के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है।

उत्तर प्रदेश में आंवला स्थित "इफ्को" उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाना

2727. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आंवला स्थित "इफ्को" उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) जी, हां। आंवला स्थित "इफ्को" के गैस पर आधारित 1350/2200 टन प्रति दिन अमोनिया/यूरिया सयंत्र की क्षमता दुगनी करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताविक विस्तार परियोजना को लागू करने में शून्य तिथि से लगभग 30 महीने का समय लगेगा।

कालीकट शहर में टेलीफोन प्रणाली

[अनुवाद]

2728. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट शहर में टेलीफोन व्यवस्था सामान्यत: काम नहीं कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वहां टेलीफोन प्रयोक्ताओं को दी गई टेलीफोन डायरेक्टरी में टेलीफोन नम्बरों और पतों में बहुत-सी त्रुटियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कालीकट शहर में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) कालीकट शहर में टेलीफोन प्रणाली अब सामान्यतः संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और इसकी कार्यप्रणाली पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।

(ख) कालीकट, मालापुरम और वायनाड़ जिलों वाले कालीकट सेकण्डरी स्विचिंग एरिया की टेलीफोन डायरेक्टरी दिसम्बर, 1989 के पहले सप्ताह में जारी की गई थी। उक्त डायरेक्टरी 31-10-1989 तक संशोधित थी। एरिया ट्रांसफर के कारण दिसम्बर, 1989 और जनवरी, 1990 में नम्बरों में दो बार एकमुश्त परिवर्तन हुए। इनमें कालीकट टेलीफोन प्रणाली के 1339 टेलीफोन नम्बर शामिल थे। परिवर्तित हुए इन नम्बरों को डायरेक्टरी में शामिल करना संभव नहीं था क्योंकि इससे डायरेक्टरी को प्रकाशित करने में और विलम्ब होता। 31-10-1989 के बाद परिवर्तित हुए सभी नम्बरों और नए टेलीफोन नम्बरों वाली एक अनुपूरक डायरेक्टरी शीघ्र प्रकाशित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जिन स्ट्रोजर टाइप उपस्करों की कार्य-अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें अगले दो वर्षों के दौरान क्रासबार/इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने का प्रस्ताव है। 1000 लाइनों के स्ट्रोजर उपस्कर को पहले ही हटाया जा चुका है।

पशुओं के अधिकारों सम्बन्धी अधिकार-पत्र (चार्टर)

[अनुवाद]

2729. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पशुओं के अधिकारों के बारे में एक अधिकार-पत्र (चार्टर) पारित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ङ) पशुओं के अधिकारों के बारे में एक अधिकार-पत्र पारित करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। पशुओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

इसमें सन्देह है कि विश्व में किसी भी देश ने पशुओं के अधिकारों के बारे में अधिकार पत्र बनाया है या नहीं। शायद, यह मामला अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन है। लेकिन यह उल्लेख किया जाता है कि किसी भी समय राष्ट्रीय सरकार मूक प्राणियों की इन समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं रही है। प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) में बताया गया है सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति दिखाना तथा जंगलों, नदियों, नहरों तथा वन्य जीवन आदि जैसी प्राकृतिक सम्पदाओं की रक्षा करना है। सरकार ने पशुओं के प्रति अत्याचार की रोकथाम अधिनियम 1960 बनाया है और पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। दुर्भाग्यवश,

फिर भी, पशुओं का मनुष्य के हाथों सताया जाना जारी है। सरकारों का विचार है कि अधिकार पत्र पारित करना और कानून बनाना तब तक प्रभावकारी हल नहीं है जब तक कि उसके साथ जन जागरूकता से उसे मजबूत नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के मिले-जुले प्रयासों से, यदि जनता में, विशेष रूप से बच्चों में, अनुकम्पा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना सम्भव हो सके तो ही पशु के अधिकारों के बारे में अधिकार पत्र के उद्देश्य सम्भवतया पूरे हो सकते हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि सरकार, पशु, कल्याण के प्रोत्साहन के लिए हर सम्भव प्रयास जारी रखेगी।

विवरण

पशु अधिकारों के ब्यौरे, पशुओं के बारे में सार्वभौमिक घोषणा

पशुओं के अधिकारों के बारे में हुई तीसरी अन्तरराष्ट्रीय बैठक (लंदन) 21-23 सितम्बर, 1977 के अवसर पर पशुओं के अधिकारों के बारे में बने अन्तरराष्ट्रीय संघ और इससे सम्बन्धित राष्ट्रीय संघों द्वारा अपनाया गया अन्तिम पाठ। अन्तरराष्ट्रीय संघ, सम्बन्धित संघों, संगठनों और व्यक्ति विशेषों जो कि इसके साथ सम्बन्ध होना चाहते हैं, द्वारा 15 अक्तूबर, 1978 को उद्घोषित किये गये घोषण-पत्र को पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) को और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रस्तावना

सभी पशुओं को अधिकार प्राप्त हों;

जबकि पशुओं के अधिकारों के लिए अनादर और तिरस्कार की भावना को मानव द्वारा प्रकृति और पशुओं के विरुद्ध अपराध माना जाता रहा हो और माना जा रहा हो,

जबकि मानव जाति द्वारा पशुओं की प्रजातियों के अस्तित्व को स्वीकार करना जातियों के सहअस्तित्व का आधार हो,

जबकि मानव द्वारा पशुओं का जाति संहार किया गया हो और उनके जाति के संहार जोखिम अभी भी बना हो,

जबकि पशुओं के लिए आदर की भावना मानव को मानव के लिए आदर की भावना से सम्बन्ध हो,

जबकि बचपन से ही मनुष्य को पशुओं को देखने, समझने, उनका आदर करने और उनके प्रति प्यार बरतने की भावना सिखलाई जाती हो।

एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है

अनुच्छेद 1. सभी पशु समान जीवन अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं और अस्तित्व के लिए भी उनका समान अधिकार है।

अनुच्छेद 2.1. सभी पशु आदर के पात्र हैं।

2. पशुओं के समान आचरण करके मानव दूसरे पशुओं को समाप्त करने और उनका अमानवीय तरीके से शोषण करने के अधिकार को नहीं अपनायेगा। यह उसका

कर्त्तव्य है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग पशु कल्याण के लिये करे।

3. सभी पशुओं को मानव द्वारा ध्यान दिये जाने, देखभाल किये जाने और मानव से संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 3. 1. किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा अथवा उनसे क्रूरतापूर्वक काम नहीं लिया जायेगा।

2. यदि किसी पशु को मारा ही जाना हो तो ऐसी मौत तत्काल और बिना किसी कष्ट के होनी चाहिए।

अनुच्छेद 4.1. सभी वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण चाहे वह भूमि वायु या जलक्षेत्र हो, में स्वतंत्रता का अधिकार है और उन्हें प्रजनन की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

2. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए भी इस आजादी से वंचिव करना इस अधिकार का उल्लंघन करना है।

अनुच्छेद 5 1. मानवीय पर्यावरण में परम्परागत रूप से रहने वाले जीवों की प्रजातियों को जीवन सामंजस्य में विकास करने और अपनी प्रजातियों के लिए विशेष जीवन तथा आजादी की परिस्थितियों में रहने का अधिकार है।

2. इस सामंजस्य अथवा इन परिस्थितियों के साथ लाभ के प्रयोजन के लिए मानव द्वारा किया जाने वाला कोई हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन करना होगा।

अनुच्छेद 6.1 सभी सहयोगी जीवों को अपने प्राकृतिक जीवन की अवधि को पूरा करने का अधिकार है।

2. किसी पशु का परित्याग करना एक क्रूर और अपमानजनक कार्य होगा।

अनुच्छेद 7. सभी कार्य करने वाले पशु आवश्यक पोषण और आराम के अनुसार उचित सीमा तक अपने कार्य को अवधि और कार्य को मात्रा के हकदार होंगे।

अनुच्छेद 8.1 पशुओं पर शारीरिक या मानसिक पीड़ा वाला किया जाने वाला कोई भी प्रयोग पशुओं के अधिकार के साथ असंगत होगा, चाहे यह प्रयोग वैज्ञानिक, औषधीय, वाणिज्यिक अथवा अनुसंधान के किसी अन्य रूप में किया जाये।

2. प्रतिस्थापना की विधियों का उपयोग और विकास किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 9. जहां जीवों का उपयोग खाद्य उपयोग में किया जाता है तो उनका पालन, परिवहन, उनके विश्राम के स्थान तथा उनका वध उनको पीड़ा पहुंचाये बिना किया जायेगा।

अनुच्छेद 10.1 किसी भी जीव का मानव के मनोरंजन के लिए शोषण नहीं किया जाएगा।

2. जीवों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन उनकी शान के असंगत है।

अनुच्छेद 11. किसी जीव का जानबूझकर संहार करना जीव का संहार करना माना जाएगा अर्थात यह जीवन के प्रति एक अपराध माना जायेगा।

अनुच्छेद 12.1 वन्य जीवों को बड़े पैमाने पर वध करने का कोई भी कार्य किसी जाति विशेष का संहार करना माना जायेगा अर्थात् यह प्रजातियां के प्रति एक अपराध होगा।

2. प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण और विनाश करना किसी एक प्रजाति का संहार करना माना जायेगा।

अनुच्छेद 13.1 मृत पशुओं के साथ आदर का व्यवहार किया जायेगा।

2. मानव शिक्षा को छोड़कर सिनेमा तथा दूरदर्शन से पशुओं के प्रति हिंसा के दृश्यों पर रोक लगायी जायेगी।

अनुच्छेद 14.1 जीवों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, सरकार को सभी स्तरों पर अपने विचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए।

2. पशुओं के अधिकारों को मानवों के अधिकारों के समान कानून के अन्तर्गत सुरक्षा दी जानी चाहिए।

पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण

2730. **कु० उमा भारती**
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता
श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या पंचायत राज के लिए प्रस्तावित विधेयक में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) आरक्षण का प्रतिशत किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा; और

(घ) प्रस्तावित विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल पुल के निर्माण में कमियां

2731. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **जलभूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के समीप निर्माणाधीन पुल के निर्माण में कमियां पायी गयी हैं और इसी कारण से ठेकेदार को बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कमियों के लिये जिम्मेदार ठेकेदार के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दिल्ली प्रशासन, जो अन्तर्राज्यीय वस टर्मिनल के नजदीक पुल बना रहा है, ने निर्माण कार्य में कमियों के कारण ठेकेदारों को नहीं बदला बल्कि निर्माण-कार्य की धीमी प्रगति के कारण बदला है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठते।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के कामकाज सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही

2632. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के कार्य के बारे में गठित कार्य-दल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : टास्क फोर्स की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एफ.सी.आई.) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच. एफ सी) के एककों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। गोरखपुर संयंत्र के पुनरूद्धार तथा रामागुण्डम संयंत्र के साथ कैपटिव पावर सयंत्र संवंधी प्रस्ताव पर अग्रिम स्तर पर विचार किया जा रहा है। यद्यपि, एफ सी आई का हानि पर जाने वाला सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण संयंत्र बन्द कर दिया गया है, इसके कोरबा संयत्र को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

एच एफ सी नामरूप-1 और 11, बरौनी तथा दुर्गापुर की चालू इकाइयों तथा इसकी हल्दिया उर्वरक परियोजना का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए भी परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। हल्दिया परियोजना के नाइट्रोफास्फेट समूह संयंत्रों के पुनरूद्धार को सिद्धान्त रूप मे अनुमोदित कर दिया गया है।

परमाणु परीक्षण

2733. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परमाणु युद्ध का विरोध करने वाले कुछ अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक-विज्ञानी संगठनों ने महाशक्तियों से परमाणु परीक्षणों को जिनके कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, सदा के लिए रोक देने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हा, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार का पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु महाशक्तियों के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुविख्यात संगठन, द इण्टरनेशनल फिजीशियन्स फॉर द प्रिवेन्शन ऑफ न्यूक्लीयर वॉर, ने 10 अक्तूबर, 1989 को हिरोशिमा में आयोजित अपनी 9 वीं विश्व कांग्रेस में नाभिकीय हथियार रखने वाले सभी राज्यों को संबोधित की गई एक अपील में नाभिकीय हथियारों की होड़ को रोकने के लिए नाभिकीय परीक्षण पर तुरन्त रोक लगाए जाने की मांग की थी। अन्य बातों के साथ-साथ अपील में यह मांग भी शामिल की गई थी कि गुप्त नाभिकीय प्रयोगशालाओं को खुले

वैज्ञानिक संस्थानों में बदला जाए ताकि उनके प्रयासों को पर्यावरणीय समस्याओं की दिशा में लगाया जा सके और विश्व सैन्य खर्च में 50% की कटौती की जाए ताकि वर्ष 2000 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम "सभी को स्वास्थ्य" को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने सभी परिस्थितियों में नाभिकीय हथियार रखने वाले सभी राज्यों द्वारा नाभिकीय हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए जाने का निरन्तर समर्थन किया है। सरकार ने व्यापक परीक्षण रोक सन्धि पर बातचीत आरंभ करने और इस प्रकार की बातचीत आरंभ न होने की स्थिति तक व्यापक परीक्षण रोक सन्धि की दिशा में पहले कदम के रूप में सभी नाभिकीय परीक्षणों को तुरन्त स्थगित कर देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर और द्विपक्षीय सम्पर्कों में लगातार दबाव डाला है।

नये डाकघर खोलने पर प्रतिबंध

2734. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये डाकघर खोलने पर लगाया गया प्रतिबंध अभी जारी है;

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रतिबंध कब हटाया गया;

(ग) उसके बाद उड़ीसा में कितने नये डाकघर खोले गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) डाकघर खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, 1984 से प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों से पद सृजित करने की शक्तियां वापस लेने से नए डाकघर खोलने के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति लेनी होती है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान, 31-12-1989 तक, उड़ीसा में खोले गए नए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :—

1985-86	शून्य
1986-87	शून्य
1987-88	16
1988-89	152
1989-90 (31-12-1989 तक)	18
कुल	186

जिलावार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक के तुमकूर और बंगलौर जिलों में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु आवेदन-पत्र

2735. **श्री जी. एस. बासवराज :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के तुमकूर और बंगलौर जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु कितने आवेदन-पत्र अभी भी लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन दोनों जिलों में से प्रत्येक जिले में प्रति मास टेलीफोन कनेक्शन हेतु पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है;

(ग) इन आवेदन-पत्रों के निपटान की प्रति मास दर क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले बकाया आवेदन पत्रों पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) :

(क)	तुमकूर जिला 1612 इनमें से 1205 तुमकूर शहर में हैं।	बंगलौर जिला 49682 इनमें से 46616 बंगलौर शहर में हैं।
(ख)	100 इनमें से 77 तुमकूर शहर में हैं। (1989-90 का औसत)	1700 इनमें से 1504 बंगलौर शहर में हैं।
(ग)	30	1500

(घ) पिछले बकाया आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए तुमकूर में 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में 3500 लाइनों वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने और बंगलौर जिले में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 1.5 लाख इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लाइन (कुल) क्षमता की वृद्धि करने की योजना है बशर्ते कि योजनाओं को स्वीकृति मिल जाए और संसाधन उपलब्ध हों।

कर्नाटक में एस. टी. डी. सुविधा

2736. **श्री जी. एस. बासवराज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के किन-किन जिलों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है;

(ख) कर्नाटक के किन-किन जिलों में एस. टी. डी. सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इन जिलों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) कर्नाटक के जिन जिलों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है उनके नाम इस प्रकार हैं :—बंगलौर, बंगलौर (ग्रामीण), बेलगांव, बेलारी, बीदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चित्र दुर्गा, धारवाड़, गुलबर्ग, हासन, करवार, कोलार, मादीकेरी, मरकारा, मंदेया, मंगलौर, मैसूर, रायचूर; शिमोगा, तुमकूर,

(ख) शून्य,

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

नारियल और ताड़ के वृक्षों में "क्रेब" रोग

2737. **श्री जी० एस० बासवराज** : : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि** :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये सांख्यकीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में नारियल तथा ताड़ के वृक्ष किस सीमा तक "क्रैब" रोग से प्रभावित हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से कर्नाटक के तुमकूर जिले में नारियल अथवा ताड़ अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) महोदय, केवल अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में "क्रैब" से नारियल को थोड़ा सा नुकसान होता है। इस बारे में कोई सांख्यकीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान ताड़ के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। लेकिन इसके लिए स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पृथक राज्यों के लिए आंदोलन

[हिन्दी]

2738. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में पृथक राज्य बनाने हेतु आंदोलन चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ऐसी मांगों पर सरकार का यह मत रहा है कि क्षेत्रीय असमानताओं और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे मूल कारणों से उत्पन्न होने वाले आंदोलनों को सुविचारित योजनाओं और तीव्र विकास कार्यक्रमों को लागू करके सुलझाया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये दिल्ली पुलिस कर्मचारी

2739. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1989 के दौरान दिल्ली गुप्तचर विभाग द्वारा की गई जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये; और

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच पड़ताल के आधार पर 56 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया। उन सभी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

दक्षिण दिल्ली में बन्द पड़े टेलीफोन

[अनुवाद]

2740. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली में बड़ी संख्या में टेलीफोन इस वर्ष फरवरी के मध्य से 20 दिन से भी अधिक अवधि से बन्द पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोनों को ठीक करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

फसलों के उत्पादन का लक्ष्य

2741. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) प्रत्येक फसल की वास्तविक पैदावार कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) 1988-89 के दौरान विभिन्न फसलों के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा 1989-90 के लक्ष्य नीचे दिए गये हैं :—

(मिलियम मी० टन/गांठें)

फसल	1988-89		1989-90
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1. चावल	67.95	70.67	72.50
2. गेहूं	52.32	53.99	54.00
3. मोटे अनाज	33.00	31.89	33.75
4. दालें	13.30	13.70	14.75
5. कुल खाद्यान्न	166.57	170.25	175.00
6. तिलहन	15.66	17.89	16.50
7. कपास*	0.78	8.69	10.00
8. पटसन और मेस्ता**	9.20	7.70	9.50
9. गन्ना	195.00	204.63	212.00

* :—170 कि० ग्राम की गांठें ** : 180 कि० ग्राम की गांठें

(ग) और (घ) 1988-89 के दौरान अधिकांश फसलों के लक्ष्य अधिक रहे हैं। 1989-90 के दौरान प्रत्येक फसल की वास्तविक पैदावार के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

पाराद्वीप फास्फेट्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2742 **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराद्वीप फास्फेट्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपने नौ-सूत्री मांग के समर्थन में हाल ही में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी;

(ख) क्या इस बीच कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच समुचित विचार-विमर्श के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) यूनियन द्वारा हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली गयी थी।

(ग) (1) कर्मचारी यूनियन द्वारा रखी गयी मागें निम्न प्रकार थी :

(1) वर्ष 1988-89 के लिये बोनस का भुगतान/उपदान की अदायगी।

(2) मजदूरी समझौता।

(3) कामगारों के लिए पदोन्नति की नीति निर्धारित करना।

(4) ठेका मजदूरों के लिए कैन्टीन की सुविधा।

(5) प्रशिक्षुता की प्रशिक्षण अवधि सम्बन्धी।

(6) कर्मचारियों की संख्या में कटौती।

(7) ठेका मजदूरों के लिए आवास की सुविधा।

(8) यूनियन के महामन्त्री के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिये उप महाप्रबन्धक (अनुरक्षण) के खिलाफ कार्यवाही।

(9) वापस लिये गये विशेषाधिकारों को पुनः बहाल करना और वेतन ग्रेडों में असमानता को दूर करना।

(2) उड़ीसा सरकार ने पदोन्नति सम्बन्धी नीति निर्धारित करने, ठेका मजदूरों के लिए आवास सुविधा और वेतनमानों में विसमता को दूर करने सम्बन्धी मांग को न्याय के लिये औद्योगिक अधिकरण को भेज दिया है। शेष मांगों के सम्बन्ध में पारादीप फास्फेट लि० के विचार निम्न प्रकार हैं :—

(1) जैसा कि बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान है, कम्पनी ने कोई लाभ नहीं कमाया है, अतः न तो बोनस और न उपदान का भुगतान न्याय संगत है।

(2) प्रबन्ध ने पहले ही 15 सितम्बर, 1989 को वेतन समझौते का प्रस्ताव रख दिया था। तथापि, अनेक श्रमिकों ने यूनियन से त्याग-पत्र दे दिया है और वार्ता आरम्भ करने की कार्यवाही स्थिति के स्थायी रूप धारण करने के पश्चात ही की जाएगी।

(3) ठेका मजदूरों के लिए कैन्टीन की सुविधा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की है। प्रबन्ध ने ठेका मजदूरों के लिये केन्टीन हेतु भवन की व्यवस्था कर दी है जिसमें ठेकेदार द्वारा कंन्टीन की व्यवस्था की जानी है। सभी ठेका मजदूरों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाये जाने की आशा है।

(4) प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि को औद्योगिक विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता।

(5) कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है वस्तुतः प्रबन्ध रिक्त पदों को भर रहे हैं।

(6) कथित दुर्व्यवहार के लिये प्रबन्ध के खिलाफ कार्यवाही औद्योगिक विवाद का विषय नहीं बन सकती।

(7) विशेषाधिकार को वापस लेने सम्बन्धी विवाद को यूनियन द्वारा पहले भी उठाया गया था और उसे पहले ही समझौता विफल होने सम्बन्धी रिपोर्ट में शामिल किया है जिसे उड़ीसा सरकार द्वारा निपटा दिया है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पेयजल की समस्या

[हिन्दी]

2743. **श्री राम सजीवन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड डिवीजन में बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर तथा इलाहाबाद जिलों में तथा मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों की पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) क्या उक्त समस्या के अस्थायी समाधान के रूप में बैलगाड़ियों, ट्रक, टैंकरों, ट्रैक्टरों तथा रेलगाड़ियों के जरिए पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां पर बड़े पैमाने पर हैण्डपम्प लगाने का प्रबन्ध किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई नई व्यापक योजनायें तैयार की हैं और यदि हां, तो ये योजनायें कब तक कार्यान्वित की जायेंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी योजनायें कब तक तैयार की जायेंगी और कार्यान्वित की जायेंगी?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सरकार द्वारा किए गए उपायों में जल का संरक्षण, भू-जल की निकासी, कुओं को गहरा करना व सफाई करना, ट्यूब्वैलों को विस्फोटक

से गहरा करना, हैंडपम्पों/पावर पम्पों सहित गहरे नलकूप सहित उपलब्ध कराना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति हेतु निम्नलिखित योजनाओं का भी भारत सरकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदन कर दिया गया है :—

1. उत्तर प्रदेश में 67.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली झांसी-बबीना जल आपूर्ति परियोजना।
2. मध्य प्रदेश में 14.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छतरपुर जल आपूर्ति योजना।
3. मध्य प्रदेश में 3.688 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सतना जल आपूर्ति योजना।
4. मध्य प्रदेश में 5.29 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रीवा जल आपूर्ति योजना।

भारत सरकार ने 31-3-1990 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के दुर्भिक्ष से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रबन्ध करने हेतु सूखा राहत सहायता के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को 7.902 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा का भी अनुमोदन कर दिया था। इसी प्रकार से, मध्य प्रदेश राज्य को दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक की अवधि के लिए 8.54 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा का अनुमोदन किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति की व्यापक योजनायें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल, झबुआ तथा राजगढ़ और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, मिर्जापुर, आगरा तथा उन्नाव के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों को राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत ले लिया गया है। मध्य प्रदेश के 155 समस्याग्रस्त गांवों, जिनको 1990-91 के दौरान शामिल किए जाने की संभावना है, को छोड़कर, सभी समस्याग्रस्त गांवों को 31-3-90 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल किए जाने की संभावना है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, 4 पर्वतीय जिलों के 755 समस्याग्रस्त गांवों को छोड़कर सभी अन्य समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं योजना के अन्त तक स्वच्छ पेयजल की सुविधायें मुहैया कराने हेतु पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल किए जाने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश में आठवीं योजना में शामिल किये जाने के लिये बकाया गांवों को आठवीं योजना के पहले-2 वर्षों में कवर किए जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

[अनुवाद]

2744. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का विचार है, ताकि इन संगठनों को कारगर और सुव्यवस्थित बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पुनरीक्षा कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) पुलिस संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । जब कभी आवश्यकता होती है संगठनों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये उपाय किये जाते हैं । विशेष समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तमिलनाडु में श्रीलंका से हथियार बंद गिरोह

2745. **श्री पी॰ एम॰ सईद**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका से बड़ी संख्या में कुछ हथियार बन्द गिरोह तमिलनाडु में प्रवेश कर गए है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने के क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) और (ख) इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि श्रीलंका से बड़ी मात्रा में सशस्त्र गैंग तमिलनाडु में घुसपैठ कर रहे हैं । तथापि, 18-19 फरवरी, 1990 की बीच की रात को, श्रीलंका उग्रवादी होने का दावा करने वाले 15 सशस्त्र व्यक्ति रामनाथ पुरम जिले की एक चैक पोस्ट से जबरन घुसे, तथा ललकारे जाने पर उन्होंने गोलियां चलाई जिससे एक पुलिस कांस्टेबल और एक नागरिक मारा गया तथा 11 पुलिस कर्मियों सहित 15 अन्य व्यक्ति घायल हो गए । इस सम्बन्ध में तीन मामले दर्ज किए गये हैं तथा राज्य पुलिस द्वारा उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है । एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया । श्रीलंका के शरणार्थियों के बड़ी मात्रा में आ जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी उचित उपाय कर लिए है ।

साम्प्रदायिक दंगे

[हिन्दी]

2746. **श्री गुलाबचन्द कटारिया**
श्री कमल चौधरी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों का राज्यवार और मासवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दंगों में कितने जान-माल का नुकसान होने का अनुमान है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के आधार पर देश में अन्तिम तीन महीनों के दौरान घटित साम्प्रदायिक दंगों का विवरण निम्नलिखित हैं :

स्थान और घटना घटित होने की तारीख	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति की अनुमानित हानि
बिहार		
ढाका (पूर्वी चम्पारन) (27 फरवरी)	2	—
सिमरी बख्तियारपुर सहारसा (27 फरवरी)	1	—
गुजरात		
अहमदाबाद (27 फरवरी)	3	—
सूरत (27 फरवरी)	1	—
राजस्थान		
लाडनून जिला—नागौर (16 दिसम्बर, 1989)	4	2.50 लाख रु०

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

2747. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक्सचेंज-वार कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं और वे कब से लम्बित हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1990 के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) एक विवरण संलग्न है। जिन तारीखों से कुछ प्रमुख एक्सचेंजों में आवेदन लम्बित पड़े हैं, उनका ब्यौरा भी संलग्न है।

(ख) मुख्य कारण स्विचन उपस्कर की कमी है।

(ग) टेलीफोन प्रदान करने के लिए योजना प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं :

(I) 5000 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंजों में मांग होने पर और

(II) 5000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा-सूची को एक वर्ष की अवधि तक लाना।

यह स्थिति योजनाओं का अनुमोदन हो जाने तथा उपस्करों के समय पर उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान टेफीफोन एक्सचेंजों की सकल स्विचन क्षमता को 30,000 लाइनों तक बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

विवरण

जिला-अजमेर

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची कुल
1.	अजमेर	2374
2.	अरैन	2
3.	बागइचा	
4.	बघेरा	
5.	बन्दनवारा	1
6.	बार्ना	1
7.	ब्यावर	148
8.	भादुन	
9.	भागसुरी	3
10,	भंडारसिंदरी	5
11.	भनवटा	7
12.	भटियानी	5
13.	भिनाय	
14.	गोविन्दगढ़	1
15.	हरनारा	
16.	जवाज	
17.	जूनियां	3
18.	काडेल	
19.	काडेरा	
20.	कारवेदी	

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा-सूची कुल
21.	केलरी	10
22.	खेरवा	
23.	मदनगंज	108
24.	मंगलवास	2
25.	मसोदा	
26.	नसीराबाद	6
27.	पियासागांव	
28.	पुस्कर	5
29.	राजगढ़	2
30.	रामसर	1
31.	रूपानगढ़	6
32.	सालेनाबाद	
33.	सरधाना	1
34.	सरवार	3
35.	सावर	4
36.	श्रीनगर	
37.	सुरसुरा	3
38.	तानटोटी	2
39.	थानवाला	1
40.	तोदगढ़	
41.	विजयनगर	16
	कुल	2720

जिला अलवर

1.	अजरका	
2.	अकबरपुर	
3.	अलवादा	
4.	अलवर	784
5.	बहादुरपुर	

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
6.	बामबोली	
7.	बांसुर	
8.	बरोदामें	
9.	बारोड	
10.	बेहरोड	
11.	भानोकर	
12.	भिदुसी	
13.	भिवाडी	60
14.	बिबीरानी	
15.	गंदाला	
16.	धारीसवाईराम	
17.	गोथरा	
18.	गोविन्दगढ़	
19.	हमीरपुर	
20.	हरसोली	
21.	हरसोरा	
22.	इस्माइलपुर	
23.	जटबेहरोर	
24.	जिडोली	
25.	कथुमार	
26.	खैरथल	26
27.	खानपरमेवान	
28.	खेरली	36
29.	किशनगढ़वास	
30.	कोथासीम	
31.	लाखनगढ़	
32.	माचेरी	
33.	मालाथेरा	
34.	मंडावर	
35.	मंधन	
36.	मिया अलव	
37.	नरायणपुर	
38.	नवगांव	

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
39.	प्रतापगढ़	
40.	पिनन	
41.	राजगढ़	
42.	राजपुर	
43.	रजवाड़ा	
44.	रामगढ़	
45.	रामपुर (कस्बा)	
46.	रेनी	
47.	सहडोली	
48.	सरिस्का	
49.	शाहजहांपुर	6
50.	सोदावास	
51.	तहाला	
52.	टापुकारा	
53.	तातारपुर	
54.	थानागाजी	
55.	तिजारा	
56.	उरायन	
कुल		912

जिला बांसवाड़ा

1.	आनन्दपुरी	
2.	अरथोना	1
3.	बागीडोरा	7
4.	बांसवाड़ा	609
5.	बारी (लालपुरा)	
6.	बड़ोदिया	
7.	छोटाडुंगरा	
8.	घाटोल	
9.	जालौन	
10.	कुशलगढ़	3
11.	लोहारिया	2
12.	परतापुर	27
13.	तेलवाड़ा	
कुल		645

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा-सूची कुल
	जिला बाड़मेर	
1.	आसरा	
2.	बेतु	3
3.	बलोतरा	770
4.	बाड़मेर	179
5.	चहातन	4
6.	धुरीमाना	1
7.	गदरा रोड	
8.	गुदनालानी	
9.	कल्याणपुरा	1
10.	कनाना	
11.	केवास	1
12.	मेजल	
13.	मोकालसर	
14.	पाचपाड़ा	7
15.	पाद्रू	
16.	पटौदी	
17.	राखी	
18.	सांदरी	7
19.	शिवगंगा	
20.	सिधारी	
21.	सिवान	
कुल		973
	जिला भरतपुर	
1.	बयाना	3
2.	भरतपुर	555
3.	मुसरार	2
4.	छोकरवाड़ा	2
5.	डीग	3
6.	हलेना	2
7.	जिराहेरा	
8.	कसमन	
9.	कुम्हेर	4
10.	नथाई	4
11.	नागर	6

क्र० स०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा-सूची कुल
12.	पहरी	
13.	रसिया	5
14.	रूहल	
15.	रूपबस	1
16.	सिकरी	3
17.	...	
18.	वैर	
कुल		520

जिला भीलवाड़ा

क्र० स०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा-सूची कुल
1.	असिंद	3
2.	बनेरा	
3.	भीलवाड़ा	2347
4.	बिजय	1
5.	बिजोलीयंकलन	5
6.	गंगापुर	2
7.	गुलाबपुर	1
8.	हमीरगढ़	3
9.	जहाजपुर	
10.	कोशीथल	3
11.	कोत्री	3
12.	मह्वा	
13.	मांडल	4
14.	मंडलगढ़	
15.	पारासोली	
16.	पोटलान	
17.	रायपुर	2
18.	राजाजीखखेरा	1
19.	रोयलरोड	12
20.	रुडंहेली	
21.	सिगोली	2
22.	शाहपुर	12
23.	शाहरगढ़	2
कुल		2403

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला बीकानेर	
1.	बीकानेर	2216
2.	छत्रागढ़	6
3.	देशनोक	
4.	हिरातसर	
5.	जस्रासर	
6.	कलू	2
7.	खाजुवाला	6
8.	लुनकरणसर	5
9.	महाजन	
10.	नपेसर	1
11.	नोखा	37
12.	श्रीकोलायत्ती	6
13.	उदरावसर	1
	कुल	2270
	जिला बूंदी	
1.	बूंदी	175
2.	धोबी	
3.	दैयी	
4.	हिंडोली	
5.	कपरेन	
6.	केशवरायपाटन	
7.	लालहेगी	
8.	नेंरवा	
9.	टरेरा	
	कुल	175

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला चित्तोड़गढ़	
1.	अलोला	
2.	अर्नोड	2
3.	पानरी पेहरा	
4.	बारवाड़ा	2
5.	बड़ी सादड़ी	
6.	बासी	2
7.	बैंगन	
8.	फेडेंजर	
9.	भोपलसागर	
10.	छोटी सादड़ी	10
11.	चित्तोड़गढ़	429
12.	बिन्डोली	2
13.	डूंगला	1
14.	गागरन	4
15.	कानोड	
16.	कपासन	4
17.	मंडपिया	1
18.	मंगलवाड़	2
19.	निकुर	3
20.	निम्बाहेडा	115
21.	प्रतापगढ़	18
22.	रूसनी	
23.	रावलभेटा	73
24.	सेवा	3
25.	शंभुपुरा	2
26.	सिलपुर	
कुल		672

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला चुरू	
1.	विदासर	
2.	छापड़	
3.	चुरू	84
4.	दूदवा खेडा	
5.	मेमासार	
6.	नंगलवाड़ी	1
7.	परिहारा	
8.	कुलासर	
9.	राजलदेसर	1
10.	कातरनगर	1
11.	रतनगढ़	32
12.	सादुलपुर	23
13.	सलवा	
14.	सलासर	
15.	सरदार शहर	50
16.	सिडमुख	
17.	श्री दरगागढ़	10
18.	सुदसोर	
19.	सूजनगढ़	7
20.	तारानगर	
	कुल	209
	जिला धौलपुर	
1.	बारी	4
2.	बासेरी	5
3.	धौलपुर	10
4.	मनीयन	2
5.	राजाखेडा	
6.	सरनाथूरा	4
7.	तसीमो	
	कुल	25

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला डुंगरपुर	
1.	असपुर	
2.	बंकोरा	
3.	बिछिवाड़ा	
4.	चिकली	
5.	डुंगरपुर	144
6.	गलियाकोट	4
7.	खारगाड़ा	1
8.	पदली (गान्तरी)	
9.	फालोज	
10.	साबला	2
11.	सागवाडा	15
12.	सीमालवाडा	3
	कुल	169
	जिला जयपुर	
1.	अचरोल	13
2.	अलूदा	
3.	अम्बेर	133
4.	बाधल	
5.	बदीयाल कलन	1
6.	बगड़ु	51
7.	बांदीकूई	11
8.	बनेती	
9.	बांसखो	
10.	बास्सी	25
11.	बासवा	
12.	भादवा	2
13.	भांदरेज	2
14.	बीचुन	
15.	बोरज	4

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
16.	चाकसू	6
17.	छारडा	
18.	चित्ताड़ा रेनवाल	
19.	चोमू	58
20.	दौलतपुरा	7
21.	दौसा	72
22.	धानकिया	29
23.	दुदु	5
24.	दुर्गापुरा	1020
25.	गीजगड़	
26.	गोसेरा	
27.	गोविन्दगढ़	4
28.	हिंगोनिया	4
29.	जयपुर 6 यूनिट	20289
30.	जयपुर 7 यूनिट	
31.	जैयतपुरा	30
32.	जवाहर नगर	474
33.	जेतवाडा	
34.	झांगो	
35.	झोतवाडा	1005
36.	जोबनेर	4
37.	कालाबेडा	
38.	कालवाद	6
39.	कनोता	36
40.	करानसार	
41.	कटलीवास	7
42.	खाराबिसाल	17
43.	खजरोली	16
44.	कटपुतली	37
45.	लालसोट	5
46.	लावन	
47.	मधोराजपुर	2
48.	महापुरा	26

क्र० सं	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
49.	महलान	7
50.	मन्दावरी	
51.	मन्धामीमसीन	
52.	मनोहरपुर	4
53.	मानसरोवर	1027
54.	मौजामाबाद	
55.	नरायणा	
56.	नारेडा	
57.	नायला	
58.	पौटा	8
59.	पापरदा	
60.	फागी	5
61.	फूलेरा	4
62.	रामगढ़पचया	
63.	रामपुरा	25
64.	रेनवाल	
65.	रगंतापुरान	
66.	सैंथाल	4
67.	सांभरझील	2
68.	समोड	
69.	संगानेरी गेट	11845
70.	साहपुरा	16
71.	शिवदापुरा	11
72.	सिकदरा	
73.	सिकरी	1
74.	तुंगा	1
75.	विराटनगर	1
76.	विश्वाखेरा	446
77.	वाटका	2
	कुल	36808

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला जैसलमेर	
1.	जैसलमेर	80
2.	लाठी	
3.	नचना	
4.	पोखरन	
5.	रामदेवेरिया	
	कुल	80
	जिला जालोर	
1.	अछोरे	2
2.	बगोरा	
3.	बगरा	5
4.	बकरारोड	11
5.	बलवाडा	
6.	बरगाव	
7.	भीनौल	62
8.	बूटेकर्वाडा	2
9.	बीसनगढ़	15
10.	चांदराई	
11.	चौरन	
12.	दासपान	
13.	गुढाबलोटन	
14.	हादेचा	1
15.	जालौर	99
16.	जसवन्तपुरा	1
17.	जीवाना	
18.	झाब	1
19.	मालवाडा	1
20.	मन्दवाला	
21.	पोसाना	1
22.	रामा	4
23.	रामसीन	

क्र० सं०	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
24.	रानीवाड़ा	7
25.	रेवतरा	
26.	सांचोर	7
27.	सेला···	
28.	सियाना	2
29.	तवाब	1
30.	तिलोड़ा	2
31.	उम्मेदाबाद	
	कुल	224
	जिला झालावाड़	
1.	अल्लेरा	
2.	भवानी मंडी	
3.	चौमेला	
4.	दाग	
5.	झालावाड़	
6.	झालरापाटन	7
7.	खानपुर	13
8.	मनोहर थाना	
9.	पीरावा	
10.	रायपुर	
11.	सुनेल	
	कुल	20
	जिला झुंझुनु	
1.	अलीसीसर	
2.	पबबाई	
3.	बगड़	
4.	बारागांव	
5.	बीनजुसर	1
6.	बीसऊ	
7.	चिराना	

क्र० सं०	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
8.	चिरा	24
9.	चिरावा	5
10.	गुधागोरजिका	3
11.	झुंझून	180
12.	खेतरी कोपर	9
13.	खेतरी टाउन	
14.	मालसीसर	
15.	मंडवा	11
16.	मंडरेला	
17.	मुकंदगढ़	5
18.	नवलगढ़	6
19.	नूवां	6
20.	परसरामपुरा	
21.	पोंख	
22.	सुल्ताना	
23.	सूरजगढ़	
24.	तमकोर	
25.	उदयपुरवती	3
	कुल	253

जिला जोधपुर

1.	अऊ	
2.	असोप	
3.	बलारवा	12
4.	बालेसर	2
5.	बानर	11
6.	बीथरी	3
7.	बाप	6
8.	बासनी	349
9.	बेलवा	2
10.	भोपालगढ़	7
11.	नीलारा	18

क्र० सं०	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
12.	बीसालपुर	
13.	बोरून्दा	18
14.	चौखा	3
15.	धन्धोरा	
16.	धेवरा	8
17.	गुरहा विश्नोई	6
18.	झानवाड़	
19.	जोधपुर	7739
20.	जोधपुर	1160
21.	जोधपुर	1
22.	खावराखुर्द	5
23.	खारिया मीठापुर	
24.	खारिया खंगर	2
25.	लोहावट	1
26.	लूनी	
27.	मंदोर	221
28.	मारवाड़ मथानियां	28
29.	ओसियां	
30.	फलोदी	29
31.	पीपार सीटी	11
32.	रानसीगांव	8
33.	सालावास	
34.	सेतरावा	
35.	शेरगढ़	2
36.	तीनवारी	23
	कुल	968

जिला कोटा

1.	अंतह	23
2.	अतरू	
3.	बारन	269
4.	भनवाड़गढ़	1
5.	छाबड़ा	1
6.	चिप्पा बरोड़	

क्र० सं०	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
7.	दाराह	
8.	इटावा	
9.	कैतून	
10.	केनवास	
11.	केलवारा	
12.	किशनगंज	
13.	कोटा	3744
14.	मंगरोल	
15.	मोदक	
16.	रामगंज मंडी	34
17.	सालपुरा	
18.	संगोद	2
19.	सीसवाली	
20.	सूकेत	
21.	सुलतानपुर	
22.	सुमेरगंज मंडी	
कुल		407

जिला नागौर

1.	देगा बादीखातू	1
2.	नवा बादू	6
3.	नागा बासनी	
4.	नाबा बेसरोली	3
5.	नावा बिदीयाद	20
6.	नावा बिदसू	
7	दीद छोटीखातू	2
8.	दीद दयालपुर	4
9.	डीडवाना	28
10.	डेगाना	3
11.	गाछीपुरा	2
12.	गोथन	8
13.	हरसौर	1

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
14.	इडवा	1
15.	जासनगर	
16.	जायल	3
17.	जोधीआसी	1
18.	खिवसर	10
19.	खुनखुना	
20.	कोलिया	
21.	कचमन सिटी	37
22.	कचमन रोड	4
23.	कुचेरा	5
24.	लदरियां	
25.	लनन	16
26.	लालगढ़	3
27.	लुनवा	
28.	मकराना	491
29.	मरोथ	
30.	मिथरी	1
31.	मरटा सिटी	25
32.	मरटा रोड	10
33.	मोलासर	
34.	मुण्डवा मारवाड़	3
45.	नागौर	231
36.	नारायणपुरा	
37.	निम्बोष	
38.	नोखचन्द बतन	2
39.	पर्वतसर	11
40.	पीह	
41.	रेन	
42.	रियानबाड़ी	
43.	रोल	1
44.	श्रीबालाजी	1
	कुल	943

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला पाली	
1.	आनन्दपुर कालू	2
2.	अतबारा	
3.	औवा	
4.	बाबरा	1
5.	बागोल	
6.	बागरीनगर	2
7.	बाली	3
8.	बलराई	
9.	बाकली	2
10.	बांटा	
11	बार	1
12.	बसुनी	
13.	बिलावस	1
14.	भिरामी	
15.	बिशालपुर	1
16.	बेरा	
17.	बरकालन	
18.	भरकोण्डा	5
19.	माटुण्ड	2
20.	चचौरी	
21.	चन्दावल	
22.	चनौड़	
23.	देवली ओवा	2
24.	देवली कलां	1
25.	देवलीपाबुजी	
26.	देसुरी	
27.	धामली	
28.	धानला	
29.	दुजाना	
30.	घनेराव	1
31.	घनेरी	1
32.	गुण्डोज	
33.	गुरहेण्डला	
34.	जादन	

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
35.	जैतरन	4
36.	जवाली	
37.	जोजावाड़	
38.	खेरवा	
39.	खिवाड़ा	
40.	खोड	
41.	कोसेलाव	1
42.	कुशालपुरा	
43.	लापीड	
44.	लताड़ा	
45.	लुनवा	3
46.	मटवर जंक्शन	2
47.	मोहराय	1
48.	मुन्दरा	1
49.	नादौल	2
50.	नाना	
51.	नीमज	1
52.	नौई	
53.	पाली	580
54.	पीपलिया	
55.	फलना	12
56.	रायपुर	
57.	राणावास	
58.	रानीखुर्द	10
59.	रौंट	
60.	रूपावास	
61.	सकदरी	
62.	साण्डेराव	
63.	सेन्दरा	2
64.	सेवारी	1
65.	सोजतसिटी	3
66.	सोजतरोड	
67.	सोमसार	13
68.	सुमेरपुर	79
69.	तखतगढ	2
	कुल	742

क्र० सं०	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची कुल
	जिला सवाई माधोपुर	
1.	बहरवाडीखुर्द	
2.	बालाहेड़ी	2
3.	बामनवास	
4.	भागवतगढ़	
5.	भरौटी	
6.	बोनली	
7.	चौथ का बारवाड़ा	
8.	गंगापुर सिटी	63
9.	हिंदौन सिटी	99
10.	करौली	17
11.	करीरीगाजीपुर	
12.	खांदर	
13.	खेरेला	
14.	कुण्डेरा	
15.	महुआ	2
16.	महुआ रोड	2
17.	मालरनाडूंगर	
18.	नदौटी	
19.	नरौलीडग	
20.	पोटा	
21.	पीपलडा	
22.	सपोत्रा	
23.	सवाई माधोपुर सिटी	
24.	सवाई माधोपुर	35
25.	शिवर	3
26.	सुरौथ	
27.	श्रीमहावीरजी	
28.	टोडामीम	6
29.	वजीरपुर	
कुल		229

क्र.सं.	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची जोड़
	जिला सीकर	
1.	अजीतगढ़	8
2.	बालारान	
3.	दन्ता रामगढ़	6
4.	दौलतपुरा	3
5.	फतेहपुर	87
6.	गुहाला	1
7.	कचवा	12
8.	कनवात	7
9.	खचारियावास	1
10.	खंडेला	1
11.	खातु श्यामजी	7
12.	कुदान	1
13.	लक्ष्मनगढ़	4
14.	लोसल	1
15.	मंधा	5
16.	नेचवा	
17.	नीकाथामा	23
18.	पालसेना	6
19.	पातन	
20.	रामगढ़	
21.	रींगस	12
22.	शिशु (पानोली)	3
23.	सिहोत छोटी	6
24.	सिकर	558
25	श्रीमाधोपुर	57
	कुल	818
	जिला सिरोही	
1.	आबू माउंट	61
2.	आबू रोड	158
3.	अनादरा	15
4.	बानस जे. के. पुरम	

क्र.सं.	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची जोड़
5.	भारजा	3
6.	दानतराय	
7.	ज्वाल	
8.	कैलाश नगर	3
9.	कालांदरी	6
10.	मंडर	1
11.	नीबाज	
12.	पाडीव	5
13.	पालरी	
14.	पिंडवाड़ा	30
15.	पोसालियान	
16.	रियोदर	10
16.	रोहिड़ा	2
18.	सिलदर	4
19.	सिरोड़ी	6
20.	सिरोही	59
21.	स्वरूपगंज सियागंज	7
22.	वाराडा	6
	जोड़	378

जिला श्रीगंगानगर

क्र.सं.	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची जोड़
1.	अनुपगढ़	39
2.	अर्जुनसार	2
3.	भद्रा	8
4.	बिंझबायला	5
5.	सी. सी. हैड	2
6.	चाक 12 जी	8
7.	चाक 30	
8.	चुनावाड़ कोठी	10
9.	डाबली	
10.	दौलतपुरा	
11.	फतुही	1
12.	गजसिंहपुर	1
13.	गंधली	2
14.	गणेशगढ़	2
15.	गंगुवाला	3

क्र.सं.	तहसील एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची जोड़
16.	घरसेना	
17.	गोलुवाला	3
18.	गुलाबेवाला	5
19.	हनुमानगढ़ टाउन	65
20.	हनुमानगढ़ जंक्शन	215
21.	जेतसर	
22.	जेतसर फार्म	
23.	केसरीसिंहपुर	1
24.	कुलचन्द्रा	12
25.	लालगढ़ जातन	4
26.	मिर्जावाला	3
27.	नेतावाला	23
28.	नोहार	2
29.	पदमपुर	2
30.	पीर कामरिया	4
31.	फेफाना	5
32.	पिलीबांगा	8
33.	रार्यासह नगर	6
34.	राजीयासार	
35.	रामगढ़ उजालावास	3
36.	रामसिंहपुर	
37.	रावतसर	9
38.	रावला मंडी	1
39.	रिडमालसर	8
40.	साडुलशहर	5
41.	संगराना	7
42.	संगरिया	23
43.	श्रीगंगानगर	977
44.	श्रीकर्णपुर	7
45.	श्रीविजयनर	2
46.	सूरतगढ़	56
47.	तलवाड़ा झील	
48.	थलारका	
49.	तिब्बी	6
50.	उद्योगबिहार	18
	कुल	1563

क्र.सं.	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची जोड़
	जिला टोंक	
1.	अलीगढ़	
2.	अविकानगर	
3.	बनस्थली	
4.	दियोली	
5.	डिग्गी	
6.	डूनी	7
7.	कोकर	
8.	लाम्बा हरिसिंह	
9.	लावा	
10.	मालपुरा	7
11.	नगर फोर्ट	1
12.	निवाई	19
13.	पचेवर	
14.	पीपल	8
15.	टोडारसीसिंह	5
16.	टोंक	247
17.	उनियारा	200
	कुल	247
	जिला उदयपुर	
1.	बमबोरा	1
2.	बंकोरा	1
3.	मानपुरा	
4.	भीम	3
5.	भिण्डर	3
6.	भोमातावाड़ा	
7.	बिनोल	1
8.	चदेसरा	3
9.	चंफुजा रोड़	25
10.	चारभूझाझी	1
11.	चावंड	
12.	दबोक	

क्र.सं.	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची जोड़
13.	डाबर	
14.	देलवाड़ा	
15.	देवगढ़	2
16.	भारियावाड़	9
17.	फतेहनगर	11
18	गालना	2
19.	गांवगुरा	
20.	घासा	4
21.	घाटा	1
22.	गोगुंडा	
23.	जवावरमाईन्स	1
24.	झाडोलपी	1
25.	झाडोल एस	1
26.	कानरोली	113
27.	कनोड	3
28.	केलवा	40
29.	केलवाडा	2
30.	खरनोर	
31.	खेरोडा	3
32.	खेरवाडा	15
33.	कोट्र	
34.	कृषि उपज मंडी यूपी	582
35.	पुयाल	
36.	कुन	2
37.	लंबोरी	1
38.	लालासरदारगढ़	
39.	मंडाड	
40.	मांडवा	
41.	मावली जंक्शन	1
42.	मोही	3
43.	मोलेला	
44.	नाई	
45.	मंडेशामा	
46.	नाथद्वारा	83
47.	नवागांव	
48.	पलोडरे	1

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची जोड़
49.	पराशली	
50.	प्रताप	3
51.	पस्सोला	1
52.	फालासिया	1
53.	रेल मगरा	3
54.	राजपुरा दरीबा	7
55.	रीछेर	
56.	रिखावदेब	
57.	रूंडेरा	1
58.	सलोर	1
59.	सालमबार	7
60.	समीचा	
61.	समोढ	
62.	सेमा	
63.	सेमाल	1
64.	शक्षिवा	
65.	थामला	
66.	कोलारवास	1
67.	उदयपुर	6222
68.	वल्लभनगर	1
69.	वास	
	कुल	6968

कुछ प्रमुख एक्सचेंजों में टेलीफोन कनैक्शनों के सबसे पुराने आवेदकों की तारीख

	एक्सचेंज का नाम	तारीख
1.	जयपुर	3.9.1981
2.	जोधपुर	16.6.1980
3.	उदयपुर	16.2.1982
4.	अजमेर	20.10.1984
5.	श्रीगंगानगर	7.8.1986
6.	बीकानेर	7.7.1983
7.	काटा	21.12.1983
8.	अलवर	3.3.1986
9.	ब्यावर	12.3.1989
10.	पाली	15.7.1983

चीन और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा समझौता

[अनुवाद]

2748. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान और चीन के बीच हाल ही में दस वर्षों के लिए एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं की निरन्तर समीक्षा करती रही है जिनसे भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है ।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

2749. **श्री के० एस० राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में गैस पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन संयंत्रों का इनके स्थल, लागत और उत्पादन क्षमता सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड ने भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में गैस पर आधारित एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का दावा किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित "कृमको" संयंत्र का इसके स्थल, लागत और उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित उर्वरक संबंधी कार्यकारी दल ने आठवीं योजना अवधि के दौरान सातवीं योजना के विलम्बित गैस पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा एच बी जे पाइपलाइन पर प्रत्येक 1350/2200 टन प्रतिदिन अमोनिया/यूरिया क्षमता के गैस पर आधारित वर्तमान तीन संयंत्रों के विस्तार की सिफारिश की है। कार्यकारी दल की सिफारिशों को अभी स्वीकार किया जाना है ।

(ग) और (घ) जी, हां । कृमको गैस पर आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए 759 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पलवल (हरियाणा) में 1350/2200 टन प्रतिदिन अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

दूरसंचार विभाग और इसकी दो कम्पनियां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड के बीच राजस्व का बंटवारा

2750. **श्री के० एस० राव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को दूरसंचार विभाग और इसकी दो कम्पनियों

अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लि० और विदेश संचार निगम लिमिटेड के राजस्व के बंटवारे संबंधी कोई फार्मूला तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां हैं जिन्हें पर्याप्त राजस्व प्रस्ताव होता है तथा दूरसंचार विभाग इन कम्पनियों को इनफ्रास्टक्चर और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। बी सी आई पी से इन तीनों संगठनों के बीच संयोजनों (लिंकेज) का अध्ययन करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति निहित संबंधित निवेश, ग्रामीण संचारण सहित विस्तार कार्यक्रमों के लिए स्रोतों की आवश्यकता. निगमित कर की विवक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए, राजस्व को बांटने संबंधी फार्मूला के लिए मार्गनिर्देशक सिद्धांतों को सुझाने का अनुरोध किया गया है।

गिरोहों द्वारा सुनियोजित ढंग से किये गये अपराध

2751. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सुव्यवस्थित रूप से संगठित गैंसों द्वारा सुनियोजित ढंग से किए जा रहे अपराधों के मामलों में वृद्धि की समस्या को हल करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अपराधों को दर्ज करने, जांच करने, उनका पता लगाने और उनको रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। जिन अपराधों में अन्तर्राज्यीय गिरोह अंतर्ग्रस्त होते हैं उसकी जांच करने और रोकने के लिए राज्य सरकारें सम्बन्धित राज्यों की पुलिस की मदद मांगती है। इसी प्रकार जिन अपराधों में अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह अन्तर्ग्रस्त होते हैं उनकी जांच करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद मांगी जाती है।

शुष्क भूमि खेती

2752 : **श्री जनार्दन पुजारी** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शुष्क भूमि खेती को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने की विचार है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : देश में बारानी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य और केन्द्र क्षेत्रों के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें बारानी कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। बारानी खेती वाले इलाकों में पनधारा को आधार मानते हुए आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को जारी रखने का विचार है।

भारतवासी नाविकों में बेरोजगारी सम्बन्धी नन्दा समिति की सिफारिशें लागू करना

2753. डा० सुधीर राय : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों में बेरोजगारी से संबंधित नंदा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन सिफारिशों को लागू किया है; और

(ग) किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) भारतीय नाविकों में बेरोजगारी सबंधी नन्दा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सिफारिश सं० संख्या	संक्षिप्त सिफारिशें	इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति
1	2	3
	रिपोर्ट का भाग — 1	
1.	**रोस्टरों का पुनर्समायोजन**	
	30 जून, 1982 तक कम्पनी और सामान्य दोनों प्रकार के सभी रोस्टरों में कार्यों की संख्या और नाविकों की संख्या के बीच समान अनुपात करने के लिये बम्बई और कलकत्ता के मौजूदा रोस्टरों का पुनः समायोजन किया जाए।	सभी श्रेणियों के नाविकों के बीच समान वितरण की अपेक्षा का अनुपालन करने के लिये बम्बई में रोस्टर संख्या 160% और कलकत्ता में 185% तक बढ़ा दी गई है।
2.	**कारगार नाविक बल की स्थापना**	
	लगातार दो काल नोटिसों का उत्तर न देने वाले नाविकों को निष्क्रिय समझा जाए और उनके पंजीकरण को रद्द करने के लिये उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाए। 31 दिसम्बर, 1982 तक कार्यवाही पूरी की जानी थी।	कार्यान्वित कर दी गई है।

1	2	3
3.	**रोजगार के लिये वरिष्ठता**	
	अगले रोजगार की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये यात्रा की अवधि जमा यात्रा के दौरान अर्जित छुट्टियों को मानदण्ड माना जाए।	कार्यान्वित कर दी गई है।
4.	**काल के लिये नोटिस**	
	नाविक के अगले रोजगार की बारी के लिये काल नोटिस इस प्रकार भेजे जाए कि मस्टर को होल्ड करने के लिये नियत तारीख से कम से कम 10 दिन पहले वे उसके पास पहुंच जाएं। अल्पावधि नोटिस के मामले में शिपिंग कम्पनी द्वारा टेलीग्राफिक काल जारी की जानी चाहिए।	कम्बाइंड मर्चेंट शिपिंग (सीमेंस एम्पलायमेंट आफिसेज, बम्बई/कलकत्ता) नियम 1986 में अधिसूचित किये जा चुके हैं और मस्टर के लिये नाविकों को बुलाने के लिये जहाज मालिकों द्वारा 21 दिन का नोटिस देने की आवश्यकता को कार्यान्वित कर दिया गया है।
5.	**बुलाये जाने की संख्या**	
	क्रू कम्पलीमेंट को पूरा करने के लिये अपेक्षित नाविकों का चयन करने के लिये उनके 120% नाविकों को बुलाया जाए।	इस सिफारिश पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय उन श्रेणियों में जहां वह कमी अनुभव करता है, अपने विवेक से अपेक्षित नाविकों की संख्या के 120% नाविकों को काल नोटिस भेजेगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि जहां अधिक संख्या में बुलाए गये व्यक्तियों को रोजगार न दिया जा सके वहां ऐसे व्यक्तियों को आने जाने का रेल किराया दिया जाएगा अथवा यदि नियोक्ता शिपिंग कम्पनियां चाहें तो उन्हें वैकल्पिक तौर पर रोक लिया जाएगा।
6.	**स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति**	
	नाविकों को 50 वर्ष की आयु के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिये	जहाज मालिकों ने बताया है कि अत्याधिक नकद खर्च और अन्य सम्बन्धित

1	2	3
	प्रोत्साहित किया जाए और प्रोत्साहन के रूप में उसको समयपूर्व सेवा निवृत्ति प्रतिपूर्ति अदा की जानी चाहिए।	समस्याओं सहित नौवहन उद्योग की वर्तमान हालत में 50 वर्ष की आयु होने पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति की अदायगी करने के लिये कोई स्कीम बनाना संभव नहीं हो पाया है।
7	**सेवानिवृत्ति आयु**	
	नाविक की सेवानिवृत्ति की आयु को वर्तमान 6 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष किया जाए।	ये आदेश जारी कर दिये गए हैं कि घटाई गई सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात 58 वर्ष उन नाविकों पर लागू होगी जो 1.7.1982 को अथवा उसके बाद पजीकृत हुए हैं।
8.	**बेरोजगारी राहत**	
	बेरोजगार नाविकों को वित्तीय सहायता देने के लिये एक स्कीम तैयार की जाए और कार्यान्वित की जाए।	इस मुद्दे पर जहाज मालिकों और नाविकों की विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है और अन्ततः यह पाया गया कि निधियों की कमी के कारण स्कीम कारगर नहीं है।
9.	**मैंनिंग स्केल्स**	
	भिन्न-भिन्न प्रकार के नाविकों के मैंनिंग स्केल के नियम मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 88 के अधीन बनाए जाएं।	बोर्ड वेसल पर नाविकों के मैंनिंग स्केल का जहाज मालिकों और नाविकों के बीच द्विपक्षीय रूप से निर्णय किया जाता है।
10.	**भर्ती और प्रशिक्षण**	
	जब तक नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित उम्मीदवार पूर्णतः समायोजित न हो जाएं तब तक कोई नई भर्ती और प्रशिक्षण न दिया जाए।	कार्यान्वित कर दी गई है।
11.	**कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करना**	
	नाविकों को कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट केवल बम्बई और कलकत्ता के शिपिंग मास्टरों द्वारा ही जारी किए जाने चाहिए।	कार्यान्वित कर दी गई है।

1	2	3
12.	**चिकित्सा मानक**	
	नाविकों के लिये प्रवेश-पूर्व चिकित्सा मानकों की समीक्षा की जाए।	कार्यान्वित कर दी गई है। नाविकों के लिये संशोधित मर्चेंट शिपिंग (डाक्टरी परीक्षा) नियम, 1986 अधिसूचित कर दिये गए हैं।
13.	**प्रवेश पूर्व शैक्षिक अर्हता**	
	यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारतीय नाविकों के व्यवसायिक स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जा सके और वे आधुनिक प्रौद्योगिक के साथ जहाज पर तैनाती की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, प्रवेश पूर्व शैक्षिक स्तर को III (पास) से बढ़ाकर दर्जा X (पास) कर दिया जाए।	कार्यान्वित कर दी गई है।
14.	**प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण**	
	परिष्कृत जहाजों पर तैनाती के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने हेतु समुद्र पूर्व प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त उपकरण व स्टाफ प्रदान किया जाए।	स्वीकार कर लिया गया। लेकिन प्रशिक्षण पुनः शुरू होने पर यह लागू होगी।
15.	**अनुशासन और उत्पादकता**	
	बोर्ड शिपों पर अनुशासन और उत्पादकता के स्तरों में सुधार करने के लिये उपाय किये जाएं।	स्वीकार कर लिया गया तथा कार्यान्वित किया जा रहा है।
16.	**नई भर्ती और रोजगार की वार्षिक समीक्षा**	
	रोजगार को धीरे-धीरे स्थाई बनाने और गम्भीर बेरोजगारी की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिये प्रशिक्षुओं की नई भर्ती को नियमित करने हेतु रोजगार उपलब्धता और रोस्टर में दी गई संख्याओं की वार्षिक समीक्षा करने	कार्यान्वित कर दी गई है।

1	2	3
	के लिये एक स्थाई समिति गठित की जाए ।	
17.	**नाविकों के लिये पदोन्नति के अवसर**	
	डेक और इंजिन रूम नाविकों की अधिकारी स्तर पर पदोन्नति की स्कीम लागू की जाए ।	एस जी.एफ. ड्राइवर के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र धारक सामान्यतः मुख्य प्रोपैलिंग मशीनरी पर स्वतंत्र रूप से निगरानी रखने के लिये जिम्मेवार होता है । वह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 76 (3) (ख) के अनुसार एच. टी. जहाजों पर चीफ इंजीनियर के रूप में सेवा करने का पात्र और विधिवत अर्हता प्राप्त भी है । सक्षमता प्रमाण पत्र देने की किसी स्कीम में निगरानी रखने की अपेक्षित अवधि अनिवार्य है । छोटे अधिकारियों और फिटरों जैसे ई आर नाविकों को निगरानी रखने का अनुभव प्रदान करने की इस सुविधा की अनुमति केवल मालिक ही दे सकता है ।
18.	**कार्यान्वयन के लिये समिति**	
	सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाए ।	एक समिति का गठन कर दिया गया है ।
	रिपोर्ट का भाग—II	
I.	भर्ती एवं चयन	स्वीकृत
II.	प्रशिक्षण कार्यक्रम (क) **समुद्र पूर्व प्रशिक्षण** उपकरण और सुविधाओं के संदर्भ में मौजूदा तीन प्रशिक्षण संस्थान पुराने हो गए हैं अतः उन्हें शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण सुसज्जित तट आधारित समुद्र पूर्व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रिप्लेस कर देना चाहिए जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों	नया प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा ।

1	2	3
	द्वारा आधुनिक जहाजों के प्रचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जा सके ।	
	(ख) समुद्र पश्चात् प्रशिक्षण सेवारत नाविकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिएं ताकि वे नवीन कार्य अभ्यास और आधुनिक नौचालन की आवश्यकताओं का अद्यतन ज्ञान प्राप्त कर सकें ।	स्वीकृत
III.	**तैनाती में आधुनिक प्रवृत्तियां**	
	आधुनिक भारतीय जहाजों में तैनाती अंतर्राष्ट्रीय रुख के समरूप होनी चाहिए ।	अब तक यह प्रथा रही है कि बोर्ड वैसिल पर नाविकों के मैनिंग स्केल का निर्णय जहाज मालिकों और नाविकों के बीच द्विपक्षीय रूप से किया जाता है ।
IV.	**कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कल्याण**	
	1. मंगलूर, मुरगांव, तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया जैसे अन्य महत्वपूर्ण पत्तनों में प्राथमिकता के आधार पर होस्टल आवास तथा मनोरंजन सुविधाएं स्थापित करना ।	मंगलूर, पारादीप, तूतीकोरिन और गोवा में होस्टल-व-क्लब के निर्माण के प्रश्न पर संभावित उपयोगिता की दृष्टि से विचार किया जाता है और इन परियोजनाओं को छोड़ देने का निर्णय किया गया है । हल्दिया में होस्टल व-क्लब तैयार हैं ।
	2. भारतीय नाविक होम तथा होस्टल, बम्बई की स्थापना करना ।	बम्बई पत्तन न्यास से उपयुक्त भूमि प्लाट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ।
	3. नाविक और परिवार को चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराना ।	ऑफ अर्टिकल्ड नाविकों को इस समय उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का उनके द्वारा समुचित उपयोग नहीं किया जाता है । राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड द्वारा नाविकों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं देने की जांच की गई है और वे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए ।

1	2	3
	4. बेरोजगारी राहत के साथ-साथ डी-कैंजुअलाईजेशन स्कीम को लागू करना।	नए नाविकों की भर्ती करने की समीक्षा रिपोर्ट के भाग 1 की सिफारिश सं० 8 के तहत की गई है तथा डी-कैंजुअलाईजेशन स्कीम को लागू करने की स्थिति अभी नहीं आई है।
	(ख) सामाजिक सुरक्षा	
	1. प्रभावी सेवा के लिए अंशदाई भविष्यनिधि में मूल वेतन के 10% की वृद्धि।	कार्यान्वित कर दी गई।
	2. 31.12.81 तक प्रभावी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के रूप में 15 दिन का मूल वेतन तथा 1.1.82 से प्रभावी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के रूप में माह का मूल वेतन	कार्यान्वित कर दी गई।
	अन्य संबंधित मामले	
	1. अनुशासन तथा उत्पादकता के मानकों में सुधार।	स्वीकृत
	2. नाविकों की वर्तमान अवस्था एवं संभावित भावी बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन कंपनियों के संदर्भ में उनकी सेवा को धीरे-धीरे नियमित करना।	नए नाविकों की भर्ती करने की समीक्षा रिपोर्ट के भाग 1 की सिफारिश 8 के तहत की गई है तथा डी-कैंजुअलाईजेन योजना को लागू करने की स्थिति अभी नहीं आई है।
	3. अगले नाविकों के लिए पदोन्नति के अवसर	जैसा कि कार्यान्वयन रिपोर्ट के भाग 1 की मद 17 में दिया गया है।

विदेशी पोतों में कार्य कर रहे भारतीय नाविकों की बकाया धनराशि

2754. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पोतों में कार्य कर रहे भारतीय नाविकों को देय भारी धनराशि लन्दन के एक बैंक में जमा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस राशि का भारतीय नाविकों के कल्याण के लिए उपयोग करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ख) इस समय लन्दन में ऐसे किसी बैंक की जानकारी नहीं है जिसमें भारतीय नाविकों की देय बकाया राशि जमा हो।

चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा

2755. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) चीन के विदेश मंत्री श्री क्यूआन क्यचेन मेरे निमंत्रण पर भारत आए और वे यहां 20 से 24 मार्च, 1990 तक ठहरे।

इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि परस्पर लाभ के लिए यह वांछनीय होगा कि भारत और चीन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्पर्कों को बढ़ाया जाए। दोनों पक्षों ने अपने इस इरादे की पुष्टि की कि वे सीमा के प्रश्न के निष्पक्ष उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान करने की दिशा में कार्य करेंगे। दोनों देशों के हित की क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। यह भी महसूस किया गया कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

उड़ीसा में मत्स्य पालन विकास एजेंसियां

2756. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी मत्स्य पालन विकास एजेन्सियां काम कर रही हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन एजेंसियों ने उड़ीसा में मत्स्य पालन विकास के लिए क्या-क्या विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए है;

(ग) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजन के दौरान उड़ीसा में मत्स्य पालन विकास संबंधी परियोजनाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो मत्स्य पालकों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) तेरह।

(ख) प्रारम्भ किए गए कार्यों में 28,328 मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की उन्नत पद्धतियों का प्रशिक्षण और 28,400 हैक्टेयर टैंक/तालाबों (56,923 इकाइयां) में 67.747 मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने में लिए वैज्ञानिक मत्स्य पालन को शुरू करना शामिल है।

(ग) और (घ) मात्स्यिकी परियोजना के लिए आठवीं योजना के कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली के आत्माराम हाउस और रोहित हाउस में आग लगना

2757. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 3 मार्च, 1990 को टाल्सटाय मार्ग स्थित आत्माराम हाउस की पन्द्रहवीं मंजिल में और 2 मार्च, 1990 को कनाट प्लेस स्थित रोहित हाउस में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक मामलों में अनुमानतः कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई;

(घ) इसमें कितने व्यक्ति जख्मी हुए और मारे गये;

(ङ) क्या प्रभावित व्यक्तियों को अब तक कोई मुआवजा दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) टालसटाय मार्ग स्थित आत्माराम हाउस की पन्द्रहवीं मंजिल में 2.3.1990 को आग लग गई थी। भवन की सोलहवीं मंजिल भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी। 2.3.1990 को रोहित हाउस में आग लगने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) आग लगने से निम्नलिखित कार्यालय प्रभावित हुए :—

1. मैसर्स मिरवशा एसोसियेट और इसकी सहायोगी कम्पनियां।
2. सांख्यिकीय और आसूचना निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद एव सीमा शुल्क)
3. न्यू बैंक आफ इण्डिया।

(ग) लगभग 4,40,000 रु० की अनुमानित क्षति हुई।

(घ) शून्य।

(ङ) और (च) जी नहीं, श्रीमान्।

(छ) अग्नि सुरक्षा से संबधित सिफारिशों को लागू करने के लिए दिल्ली अग्नि सुरक्षा सेवा द्वारा सभी बहुमंजिली इमारतों का निरीक्षण किया गया और सभी कब्जा धारकों/निर्माताओं/प्रमोटर्स आदि को इन सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त समय देकर नोटिस जारी किया गया है।

राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति

[हिन्दी]

2758. **श्री बृज भूषण तिवारी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारत के साथ राजनयिक सम्बन्ध वाले देशों में कितने राजदूत तथा उच्चायुक्त नियुक्त किए गए;

(ख) इनमें से कितने राजनयिक भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति थे; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति सेना, सिविल सेवा से सेवा-निवृत्त थे तथा कितने अनुभवी राजनीतिज्ञ थे एव कितने शिक्षा/संस्कृति/व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थे ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले पांच वर्षों में सरकार ने कुल 162 राजदूत और हाई कमिश्नर नियुक्त किए हैं।

(ख) इनमें से दो राजदूत/हाई कमिश्नर भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत राजनयज्ञ थे और 147 भारतीय विदेश सेवा के कार्यरत अधिकारी में से थे।

(ग) राजदूत/हाई कमिश्नर के पद पर 13 ऐसी नियुक्तियां पिछले 5 वर्षों में की गई।

विदेशों में स्थिति भारतीय मिशनों द्वारा वीजा जारी किए जाने में विलम्ब

2759. **श्री बृज भूषण तिवारी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित कितने भारतीय मिशन ऐसे हैं जो आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद उसी दिन वीजा जारी कर देते हैं और कितने भारतीय मिशन ऐसे हैं जो वीजा जारी किए जाने में औसतन 24 घण्टे का अथवा इससे अधिक समय लेते हैं; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा .

भारतीय दूतावासों के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना

2760. **श्री बृज भूषण तिवारी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में शिक्षा, संस्कृति, वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करने का है, ताकि उपरोक्त प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों का चयन किया जा सके ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन पर बहुउद्देश्यीय सामान्य कार्गो पोत-घाट का निर्माण तथा दक्षिणी कार्गो पोत-घाट का विस्तार

[अनुवाद]

2761. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर बहुउद्देश्यीय सामान्य कार्गो पोत-घाट के निर्माण तथा दक्षिणी कार्गो पोत-घाट के विस्तार के लिए योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) दोनों स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और मंत्रालय में उनकी जांच की जा रही है।

उड़ीसा में चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2762. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चालू विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित और स्वीकृत लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को आगे पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि को आठवीं योजना में सम्मिलित करने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 42.94 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 128 कार्य चल रहे हैं।

(ग) मार्च, 89 तक इन कार्यों पर 18.79 करोड़ रुपए खर्च हुए तथा वर्ष 1989-90 के लिए 12.0 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। चल रहे निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 1990-91 में 5.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भू उपग्रह केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

2763. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार और विकास के लिये भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना अवधि के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे कितने भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित किये जाएंगे और उन्हें किन-किन स्थानों में स्थापित किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) जोशीमठ, उत्तरकाशी और श्रीनगर (गढ़वाल) में उपग्रह भू-केन्द्र 7वीं योजना के दौरान चालू हो गए हैं। तथापि, इस समय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 8वीं योजना के दौरान कोई अतिरिक्त भू-केन्द्र स्थापित करने की योजना नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में गैर-मौसमी सब्जियों के उत्पादन के अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना

2764. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में गैर-मौसमी सब्जियों की पैदावार के लिए कोई अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं। गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का रानीचोरी क्षेत्रीय केन्द्र पहले से ही उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सब्जियों पर अनुसंधान कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जांच

[अनुवाद]

2765. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं लोक सभा के चुनाव के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन दंगों के कारणों की जांच करने तथा दंगा भड़काने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या गत चुनावों के बाद हुए दंगों में से किसी के सम्बन्ध में किसी गैर सरकारी एजेंसी ने भी जांच की थी;

(ङ) यदि हां, तो इस एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार नौवीं लोक सभा चुनाव के बाद देश में हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

घटना घटने की तारीख और स्थान	मारे गये	जख्मी हुए
	(व्यक्तियों की संख्या)	
1. लाडनू (16.12 89) नागौर (राजस्थान)	4	13
2. नागरी (12-15.3.1990) चित्तोड़ (आंध्र प्रदेश)	3	21
3. बरी गुलानी (12.3.90) थाना धामूल, जिला नवादा, (बिहार)	5	8

1	2	3	4
4.	जमशेदपुर शहर [14-15.3.1990] सिंघ भूमि पूर्वी [बिहार]	4	7
5.	पाटन [10-22.3.1990] जिला महसाना [गुजरात]	4	19

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की है तथापि राष्ट्रीय एकता परिषद का 2.2.1990 को पुनर्गठन किया गया है और परिषद अन्य बातों के साथ देश में साम्प्रदायिक हिंसा के कारणों पर अपना ध्यान देगी और साम्प्रदायिक सौहार्दता और भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिये उपाय सुझायेगी।

(घ) से (च) किसी गैर सरकारी अभिकरण द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

सातारा जिले के लिए पृथक दूरसंचार सर्किल

2766. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के सतारा जिले के लिए एक पृथक दूरसंचार सर्किल की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जिलों के लिए अलग दूरसंचार सर्किल स्थापित नहीं किए जाते।

सतारा जिले में वई और मुइन्ज टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार

2767. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वई और मुइन्ज टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने तथा इन्हें इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों के कल्याण तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

2768. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के कल्याण तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों से 2 अक्तूबर, 1989 को 10,000 रुपए तक का ऋण लेने वाले कर्जदारों को ऋण राहत देने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने फसलों की उत्पादन लागत सम्बन्धी पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, ताकि इन्हें यथार्थवादी बनाया जा सके। सरकार ने, विशेषकर, निर्यात अधि-क्षेत्रों का सृजन करने की दृष्टि से, देश में कृषि विकास को बढ़ावा देने की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का विभाजन

2769. **श्री अनादि चरण दास**
श्री मक्खन बेहेरा } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं अर्थात् विनियमित बाजारों की स्थापना/विकास, ग्रामीण बाजार और व्यापारिक केन्द्र जिन्हें अनेक वर्षों के कार्यकलापों के बाद एक योजना में समेकित किया गया था, का विभाजन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) नियमित बाजारों, टर्मिनल. बाजारों आदि के विकास के बारे में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकार का उड़ीसा के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अनुसूचित जातियों/अनु-सूचित जनजातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोग बहुत संख्या में रहते हैं, ऐसे बाजार स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चुने हुए विनियमित बाजारों का आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ विकास करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1972-73 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरम्भ की गई थी। ग्रामीण बाजारों को शामिल करने और चुनी हुई वस्तुओं के लिए उत्पादकों के स्तर पर श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) केन्द्रों की स्थापना करने के लिए बाद में इस योजना का विस्तार किया गया था। विभिन्न राज्यों को 3601 विनियमित बाजारों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 31.3.1989 तक 7514 लाख रुपए की राशि दी गई थी। इसमें 598 चुने हुए विनियमित बाजार अर्थात् कमान क्षेत्रों के अन्तर्गत बाजार, वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत बाजार तथा फलों और सब्जियों के लिए टर्मिनल बाजार तथा कृषि उपज बाजारों के विकास हेतु समन्वित योजना के अन्तर्गत 9 गौण बाजार शामिल हैं। इसमें पूर्व-संशोधित तथा संशोधित योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले 2994 ग्रामीण बाजारों को भी शामिल किया गया है।

(घ) ग्रामीण बाजारों के विकास की योजना में आदिवासी क्षेत्रों में स्थित बाजारों को भी शामिल किया गया है। देश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित 419 ग्रामीण बाजारों के लिए पूर्व संशोधित योजना के अन्तर्गत 769.3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इसमें उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई 104.3 लाख रुपए की राशि वाले 64 आदिवासी बाजार शामिल हैं।

(ङ) समन्वित योजना के अधीन समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम/पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम/सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत बाजारों का विकास करने के लिए बजट आवंटन का 20% निर्धारित करके केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है।

केन्द्रीय पुलिस संगठन द्वारा नियोजित चिकित्सकों की संवर्ग-पुनरीक्षा

2770. **श्री अनादि चरण दास**
श्री भजमन बेहेरा } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठन द्वारा नियोजित चिकित्सकों की कोई ऐसी संवर्ग पुनरीक्षा की गई थी, कि उन्हें या तो सिविल सी. जी. एच. एस. चिकित्सकों के बराबर लाया जा सके अथवा अर्ध-सैनिक बलों के सेना के रैंकों के समकक्ष रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) संवर्ग पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस जैसे केन्द्रीय पुलिस संगठनों में सेवारत डाक्टरों और अन्यों की पदोन्नति के प्रश्न पर एक अन्तर्विभागीय समिति ने विचार किया था।

(ग) गृह मंत्रालय की चिकित्सा सेवा संवर्ग के पूर्ण पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है तथा जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की आशा है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा धुंआ छोड़ना

2771. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की अधिकांश बसें बहुत अधिक धुंआ छोड़ती हैं जिसके कारण प्रदूषण फैलता है तथा सड़कों पर चलने वालों को काफी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बसों के सड़क पर चलने योग्य होने के बारे में समय-समय पर कोई सर्वेक्षण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले सर्वेक्षण के अनुसार कितनी तथा कितने प्रतिशत दिल्ली परिवहन की बसें, विशेष रूप से डी. टी. सी. के नियंत्रणाधीन चल रही प्राइवेट बसें धुआं छोड़ने वाली पाई गई; और

(घ) ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये बसें पर्यावरण को प्रदूषित न करें ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां। सरकार को ऐसी शिकायतों की जानकारी है।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा वार्षिक आधार पर वाहनों का सड़क पर चलने की योग्यता और उनकी उपयुक्तता के बारे में निरीक्षण किया जाता है। ऐसा निरीक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है और एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर वाहन की बारी के अनुसार उसका निरीक्षण किया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम के अधीन प्रचालित प्राइवेट बसों का भी दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसा ही निरीक्षण किया जाता है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं :—

(I) डिपो से बाहर निकालने से पहले बसों की दैनिक जांच। जो बसें अधिक धुआं छोड़ती हुई पाई जाती हैं, उन्हें लाइनों पर प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।

(II) चेसिस निर्माताओं द्वारा यथा निर्धारित नैमित्तिक और आवधिक अनुरक्षण शिड्यूल को लागू करना।

(III) खराब फ्यूल इंजेक्शन पम्पों, इंजेक्टरों और इंजिनों की समय पर मरम्मत और उन्हें बदलना सुनिश्चित करना।

(IV) प्रचालनाधीन बसों की संचालनात्मक स्टाफ द्वारा जांच की जाती है और जो बसें अधिक धुआं छोड़ती हुई पाई जाती हैं, उन्हें मरम्मत के लिए प्रचालन से हटा लिया जाता है।

(V) दिली प्रशासन और पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय के स्टाफ की सहायता से "हटिरिज" स्मोक मीटर की मदद से धुएं के लिए बसों की स्नेप चैकिंग।

(VI) स्पीड कम करने के लिए सभी इंजिनों पर स्पीड लिमिटिंग ब्रैकेट्स की फिटमेंट जिससे धुआं कम हो सके।

नौसेना के कुछ कर्मियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका को तेल और अन्य वस्तुओं की तस्करी

2772. **श्री चित्त बसु** : क्या **जलभूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के कुछ कर्मियों को दक्षिण अफ्रीका को तेल और अन्य वस्तुओं की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है;

(ख) क्या कुछ भारतीय श्रमिक संघों के नेताओं द्वारा यह जानकारी सरकार को दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से सहायता

2773. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों को वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों से सहायता लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की ऋण सहायता हेतु, राज्य-वार चुनी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी हां। उन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनका इस बात के लिए पता लगाया गया है कि उनको विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	खण्ड
1	2	3
विश्व बैंक		
1.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के चिलकालुरीपेट विजयवाड़ा खड को 4-लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
2.	हरियाणा	राष्ट्रीय राजमार्ग—1 के करनाल-हरियाणा पजाब सीमा खंड को 4-लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
3.	कर्नाटक	राष्ट्रीय राजमार्ग—13 के चिनादुर्ग कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा को 2—लेन का बनाना और मजबूत करना।
4.	मध्य प्रदेश	(I) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के देवास इंदौर खड को 4-लेन का बनाना और मजबूत करना। (II) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर इन्दौर बाईपास का निर्माण

1	2	3
5.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के बसीन क्रीक-मनोर खंड को 4 लेन का बनाना और मजबूत करना।
6.	उड़ीसा	महानदी पुल सहित भुवनेश्वर कटक खंड को 4—लेन का बनाना और मजबूत करना।
6.	उड़ीसा	महानदी पुल सहित भुवनेश्वर कटक खंड को 4—लेन का बनाना और मजबूत करना।
7.	पंजाब	राष्ट्रीय राजमार्ग—1 के पंजाब/हरियाणा सीमा-सरहिन्द खंड को 4—लेन का बनाना।
8.	राजस्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग—11 के उत्तर प्रदेश, राजस्थान सीमा से जयपुर खंड की 2 लेन की सड़क को मजबूत करना।
9.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग—2 के मथुरा आगरा खण्ड को 4—लेन का बनाना और मजबूत करना।
10.	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय राजमार्ग—2 के बिहार/पश्चिम बंगाल सीमा रानी गज खण्ड को 4-लेन का बनाना।
	एशियाई विकास बैंक	
1.	कर्नाटक	राष्ट्रीय राजमार्ग—7 के बंगलौर-तमिलनाडु सीमा खण्ड को चार लेन का बनाना और मजबूत करना।
2.	केरल	राष्ट्रीय राजमार्ग—47 के विटिला अरुर खण्ड को मजबूत करने के अलावा आलवाई विटीका और अरुर शरेतलाई खण्डों खण्डों को चार लेन का बनाना और मजबूत करना।
3.	राजस्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग—8 के अरकोलकोट-धुलनी खण्ड को चार लेन का बनाना और मजबूत करना।

कोचीन तथा खाड़ी के देशों के बीच नौवहन सेवा

2774. **श्री एस॰ कृष्ण कुमार** : क्या **जलभूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और खाड़ी के देशों के बीच नौवहन सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) कोचीन से खाड़ी के पत्तनों तक नियमित माल/यात्री सेवा शुरू करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सेवाओं की व्यवहार्यता की छान-बीन एवं जांच की जा रही है।

विदेशों से आग्नेयास्त्रों की खरीद पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

2775. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से आग्नेयास्त्रों (पिस्तौल, आदि) की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध को हटाकर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए सिंगापुर से आग्नेयास्त्रों की खरीद की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। विदेशों में स्थित कुछ भारतीय दूतावासों से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि भारतीय पर्यटकों के सामान के रूप में अग्नि-शस्त्रों के आयात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जिसको वर्तमान स्थिति में वांछनीय नहीं समझा गया, दिनांक 15.11.86 से ऐसे आयातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। देश में वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह महसूस किया गया कि अग्नि-शस्त्रों के आयात पर लगा प्रतिबन्ध जारी रखा जाए।

कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमानों में संशोधन

2776. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इससे सम्बन्ध संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों ने अपने वेतनमानों में पुन: संशोधन करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) महोदय, एस-2 और एस-3 के पूर्ववर्ती ग्रेड में कार्य करने वाले कुछ वैज्ञानिक तथा अनुसंधान प्रबन्ध के पदों पर कार्य कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने अपने वेतनमानों में आगे संशोधन की मांग की है।

(ख) और (ग) वैज्ञानिकों ने आगे जिस संशोधन की मांग की है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के अनुरूप नहीं लगता जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी स्वीकार कर लिया है। फिर भी, इसकी विस्तार से जांच की जा रही है।

बीज निगम

[अनुवाद]

2777. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीज निगमों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन निगमों द्वारा सप्लाई किए गए बीज निर्धारित स्तर के हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के कदाचार की शिकायतें है कि सामान्य स्तर के बीजों को खरीद कर इसे साफ करके निर्धारित स्तर के बीजों के रूप में बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) बाजार में केवल बढ़िया स्तर के बीज ही उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) बीजों की अधिसूचित किस्म/किस्मों को बीज अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट बीजों की शुद्धता और अंकुरण के न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे बीज को जो इन मानकों के अनुरूप न हों, बेचता पाया जाता है तो उस व्यक्ति/निगम पर बीज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का अभियोग लगाया जा सकता है।

(ग) बीज वैज्ञानिक प्रक्रिया अपना कर पैदा किए जाते हैं तथा साधारण अनाज को प्रमाणीकृत बीजों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तथापि विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए जहां आवश्यक हो, अच्छी क्वालिटी के अनाजों को प्रसंस्करण, उपचार और परीक्षण करने के बाद बीजों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विगत समय में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) बीज अधिनियम, 1966 का मुख्य उद्देश्य बिक्री हेतु बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना है। बीज अधिनियम के प्रावधान के तहत बीजों की क्वालिटी का विनियम करने का अधिकार राज्यों के पास है। राज्य सरकारों ने क्वालिटी नियन्त्रण के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए पहले ही बीज निरीक्षण अधिसूचित कर दिए हैं। केन्द्र सरकार ने भी राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और बीज प्रमाणीकरण एजेन्सियों जैसे क्वालिटी नियन्त्रण संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण

बीज निगमों की सूची

1. राष्ट्रीय बीज निगम
2. भारतीय राज्य फार्म निगम
3. आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम
4. असम बं ज निगम
5. बिहार राज्य बीज निगम
6. गुजरात राज्य बीज निगम
7. हरियाणा बीज विकास निगम
8. र्नाटक राज्य बीज निगम
9. मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम
10. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम
11. उड़ीसा राज्य बीज निगम
12. पंजाब राज्य बीज निगम
13. राजस्थान राज्य बीज निगम
14. उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम
15. पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम

कर्नाटक के चिकमगालुर जिले में "डिजिटल इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज" की स्थापना

2778. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के चिकमंगापुर जिला मुख्यालय में "डिजिटल इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना" का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जाएगा ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर तथा पटना में टेलीफोन प्रणाली में सुधार

2779. **श्रीमती ऊषा सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फपुर तथा पटना (बिहार में टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मुजफ्फरपुर में एक डिजिटल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उपस्कर 1990-91 के लिए आवंटित किया गया है। मुजफ्फरपुर में वर्तमान स्ट्रोवर टाइप के एक्सचेंज को बदल कर एक स्थानीय इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

जहां तक पटना का संबंध है, पुराने एक्सचेंजों के स्थान पर 1990-91 के दौरान दानपुर और पटना शहर में स्थानीय इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाएंगे। 1990-91 में राजेन्द्र नगर के क्रासबार एक्सचेंज को बदल कर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में लगाने का भी प्रस्ताव है जिसके लिए उपस्कर का आबटन कर दिया गया है।

जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या एवं लूटपाट

[हिन्दी]

2780. **श्री राघव जी : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1988 से 28 फरवरी, 1990 की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लोगों की हत्या किये जाने और लूटपाट किये जाने की कितनी दुर्घटनाए हुई ।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में टेलीफोन कनेक्शन

2781. **श्री राघव जी : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के विभिन्न नगरों और छोटे शहरों में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिये कितने आवेदन पत्र दर्ज हैं; और

(ख) इन आवेदन पत्रों का निपटान कब तक हो जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 28.2.90 की स्थिति के अनुसार, विदिशा जिले के विभिन्न एक्सचेंजों में लंबित आवेदनों की कुल संख्या 460 है तथा रायसेन जिले में इनकी संख्या 298 है एक्सचेंज-वार विवरण संलग्न है ।

(ख) 8वीं योजना की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर तथा यदि समय पर उपस्कर उपलब्ध हो जाता है तो विदिशा एक्सचेंज को छोड़कर विभिन्न एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची के अधिकांश आवेदनों को 1991-92 तक निपटा दिए जाने की योजना है जबकि विदिशा में इस सूची को 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक निपटाया जाएगा ।

विवरण

28.2.90 की स्थिति के अनुसार विदिशा और रायसेन जिले के एक्सचेंजों से नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम (क)	28.2.1990 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	विदिशा	330
2.	गंजबासोदा	65
3.	गुलाब गंज	17
4.	गैरासपुर	02
5.	कुरवई	30
6.	लटेरी	00
7.	शमसाबाद	16
8.	सिरोंज	00
	योग	460

(ख) रायसेन

1	2	3
1.	बामोरी	00
2.	रायसेन	65
3.	बरेली	19
4.	बारी	04
5.	बीकलपुर	00
6.	बेगमगज	00
7.	बुनाटिया	00
8.	देहगांव	22
9.	देवरी	15
10.	गैरतगंज	25
11.	खरगांव	13
12.	सलामतपुर	12
13.	सांची	24
14.	सिलवानी	15
15.	सुल्तानपुर	00
16.	उदयपुर	00
17.	दीवानगज	01
18.	अब्दुल्लागंज	38
19.	मांदीद्वीप	45
	योग	298

दिल्ली में बलात्कार के मामले

[अनुवाद]

2782. **श्री रामसागर (सैदपुर)** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान दिल्ली में बलात्कार और सामूहिक-बलात्कार के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन सभी मामले में की गई कार्यवाही ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ)

बलात्कार/सामूहिक बलात्कार	सूचित किया गया	निरस्त किया गया	स्वीकार किया गया	चालान किया गया	दोषी पाये गये	छोड़ दिये गये	विचारण के लिये लम्बित है	जांच के लिए लम्बित है	पता न लगा	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बलात्कार	161	5	156	62	—	—	62	91	3	221
सामूहिक बलात्कार	26	—	26	18	—	—	18	8	—	76

गन्ना बीज नर्सरी कार्यक्रम

2783. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में वैज्ञानिक आधार पर गन्ना बीज नर्सरी कार्यक्रम लागू करने की एक योजना मंजूर की है;

(ख) क्या इस योजना को केन्द्रीय गन्ना संस्थान, राज्य अनुसंधान स्टेशन और चीनी फैक्ट-रियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या इस योजना को उदुमलपेट, तमिलनाडु की अमरावती सहकारी चीनी मिल में भी लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) इस योजना के तीन प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं—जैसे—

1. उत्पादकता पर स्वस्थ और बेहतर बीज की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करने वाला तीन स्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम;
2. बेहतर किस्म के बीज की क्वालिटी पर चयन और छंटाई आदि के आरंभिक प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए क्रैश कार्यक्रम; तथा
3. किसानों के खेतों पर स्वस्थ बीज सामग्री और उचित दूरी पर रोपाई की तकनीकों के उपयोग के प्रभावों को सिद्ध करने के लिए अनुकूली परीक्षण।

उदुमलपेट में स्पीड पोस्ट सर्विस प्रारम्भ करना

2784. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या **सचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयम्बटूर जिले में उदुमलपेट और पोल्लाची में स्पीड पोस्ट सर्विस प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्पीड पोस्ट नेटवर्क के विस्तार में हवाई सम्पर्क (एयर कनेक्शन) स्टाफ की आव-श्यकता, प्रत्याशित परियात और वाणिज्यिक व्यवहार्यता मुख्य अड़चने हैं।

जम्मू और कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी

2785. **श्री केशरी लाल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकार के कितने कर्मचारी अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या इन में कुछ उच्च पदाधिकारी भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तमिलनाडु में दक्षिण अरकोट जिले में टेलीफोन सेवाएं

2786. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले में टेलीफोन सेवाओं के सतोषजनक ढंग से काम न करने के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां । तमिलनाडु के दक्षिण अरकोट जिले में असतोषजनक टेलीफोन सेवा के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयां इस प्रकार हैं :—

(1) आठवीं योजना के दौरान मैनुअल और उन आटोमैटिक एक्सचेंजों को बदलना जिनकी कार्य अवधि समाप्त हो गई है ।

(2) पुराने बाह्य सयंत्र, टेलीफोन उपकरण और अन्य उपस्कर बदलना ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के भ्रमण पर पर्यटकों को छूट

2787. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों की सरकारों से पर्यटकों की यात्राओं पर लगे प्रतिबन्धों में छूट देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कुछ राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद असम और मेघालय के कुछ और क्षेत्र विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं । ये क्षेत्र असम में शिवसागर

और जतिंगा पक्षी अभ्यारण्य और मेघालय में बड़ापानी और चेरापूंजी है। असम, मेघालय और मणिपुर में विदेशी पर्यटकों की रुचि वाले स्थानों के भ्रमण करने की अवधि भी बढ़ाई गई है। विदेशों में भारतीय दूतावासों और पोस्टों के विभिन्न प्राधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों इत्यादि को वास्तविक विदेशी पर्यटकों को परमिट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत नये क्षेत्रों को शामिल करना

[हिन्दी]

2788. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें मांग की गई है कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा और झालावाड़ के 20 सूखा प्रवण उप-डिवीजनों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किया जाए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन उप-डिवीजनों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा तथा झालावाड़ जिलों के 20 खण्डों को शामिल करने के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम संबंधी राष्ट्रीय समिति को एक ज्ञापन दिया है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा कि इन क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए अथवा नहीं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

2789. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है और यह धनराशि किस आधार पर दी गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) स्थाई परिसम्पत्तियां बनाने पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) 1989-90 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) की निधियां देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात में आबटित की गई थीं। चूंकि इस फार्मूले को अपनाने से छोटे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, वर्ष *1988-89* के दौरान चल रहे तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत दिए *गए केन्द्रीय अनुदान की तुलना में कम आवंटन हुआ था, अतः ऐसे राज्यों को अतिरिक्त तदर्थ आवं*टन करके उनके हितों की रक्षा की गयी थी। जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के अन्तर्गत संसाधनों का राज्य वार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और इसकी निगरानी सृजित किए गए रोजगार के श्रम दिनों के रूप में की जाती है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के अन्तर्गत अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 के अन्त तक रोजगार के 346.50 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया था।

(ग) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के लिए जारी की गई मार्गदर्शिकाओं में, जे० आर० वाई० के अन्तर्गत खर्च को केवल स्थायी तथा उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जाना अपेक्षित है। अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक की अवधि में राजस्थान में योजना के अन्तर्गत 8379.63 लाख रुपये खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों का आबंटन (1989-90)

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संसाधनों का आबंटन (खाद्यान्नों के मूल्य और राज्य अंश सहित)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19319.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	307.15
3.	असम	5278.90
4.	बिहार	38711.91
5.	गोवा	378.75
6.	गुजरात	7954.79
7.	हरियाणा	2068.19
8.	हिमाचल प्रदेश	1153.50
9.	जम्मू व कश्मीर	1682.74
10.	कर्नाटक	12093.58
11.	केरल	6569.99
12.	मध्य प्रदेश	25618.79
13.	महाराष्ट्र	20993.90
14.	मणिपुर	441.73
15.	मेघालय	458.13

1	2	3
16.	मिजोरम	187.41
17.	नागालैण्ड	504 99
18.	उड़ीसा	12655.81
19.	पंजाब	1608 66
20.	राजस्थान	12594.24
21.	सिक्किम	197.64
22.	तमिलनाडु	17659.83
23.	त्रिपुरा	541.43
24	उत्तर प्रदेश	51706.13
25.	पश्चिम बंगाल	21610.16
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	164.80
27.	चण्डीगढ	40.77
28.	दादर व नगर हवेली	83.80
29.	दिल्ली	187.42
30.	दमन व द्वीप	52.40
31.	लक्षद्वीप	81.75
32.	पाण्डिचेरी	157.80
	अखिल भारत	263066.60

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए धनराशि

2790. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक सहायता देने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया है कि जालौर, सीकर और गंगानगर जिलों पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष सहायता देने के लिए विचार किया जाए;

(ग) यदि हां, तो इन जिलों को विशेष सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन जिलों को यह सहायता कब तक दी जाएगी ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (घ) 1989-90 में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) की निधियां राज्य/संघशासित क्षेत्र में

रह रहे ग्रामीण गरीबों के अनुपात में आवटित की गई थी। इस फार्मूले को अपनाने से छोटे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को, वर्ष 1988-89 के दौरान चल रहे तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए केन्द्रीय अनुदान की तुलना में कम आवंटन प्राप्त हुआ था। ऐसे राज्यों को अतिरिक्त तदर्थ आवंटन करके उनके हितों की रक्षा की गई थी।

भारत सरकार द्वारा किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र में अन्तः जिला आवटन का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य श्रमिकों में कृषि श्रमिकों के प्रतिशत, कुल ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई में से कृषि उपज के मूल्य के रूप में परिभाषित प्रतिकूल कृषि उत्पादकता को 20.60.20 के अनुपात में बल देते हुए पिछड़ेपन के आधार पर लिया गया था।

निधियों का अन्तः जिला आवंटन कुल मिलाकर ऊपर दर्शाये गए मानदंड के आधार पर किया गया था। तथापि, कुछ जिलों, जिनके पास संसाधनों की कमी थी, के मामले में विशेष वितरण किया गया था, और इसलिए उन्हें अधिक मजदूरी रोजगार की आवश्यकता वाला माना गया था। ऐसे जिलों की विशेष आवश्यकताओं को सम्बन्धित राज्य के समग्र आवंटनों में से ही पूरा किया गया था।

भारत सरकार द्वारा जिलों को आवंटनों की पहली किश्त 1989 की पहली तिमाही में रिलीज की गई थी। शेष आवंटन सितम्बर-अक्तूबर, 1989 में रिलीज किए गए थे। राजस्थान सरकार ने पहले अनुरोध किया था कि जालौर, सीकर और गंगानगर जिलों को कम संसाधन वाले जिलों की श्रेणी में शामिल किया जाये और उनके लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी आवश्यकताओं के लिए आवंटन बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस अनुरोध को 1989-90 के दौरान पूरा नहीं किया जा सका। ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए मामले से पूरी तरह से सन्तुष्ट भी नहीं था।

वर्ष 1990-91 के लिए जवाहर रोजगार योजना के आवंटन हेतु राजस्थान सरकार ने स्वयं कहा है कि उनके राज्य में अन्तः जिला आवंटन पूर्णतः जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाए। भारत सरकार ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

बिहार में जहानाबाद में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2791. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में जहानाबाद नगर में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) जहानाबाद के वर्तमान मैनुअल एक्सचेंज को 1990-91 के दौरान 200 लाईनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदलने की योजना बनाई गई है।

(ग) उपर्युक्त "ख" को देखते हुए लागू नहीं होता।

आतंकवाद को रोकने के लिये कदम

2792. **श्री राधाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकने के लिये लम्बी अवधि की कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत कोई नया अर्द्ध-सैनिक बल गठित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) हालांकि देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी हिंसा की मुख्य बातें कई मायनों में समान है लेकिन उनके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक आधार स्थान-स्थान के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इसलिए आतंकवादी गतिविधियों का प्रभावकारी ढग से मुकाबला करने की योजना स्थान विशेष के अनुसार बनानी पड़ती है। कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य का विषय है। तथापि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के रूप में, राज्य पुलिस कर्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके विकसित संचार सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराकर सभी संभव सहायता दे रही है। एक नया अर्धसैनिक बल तैयार करने की कोई योजना नहीं है। सरकार की नीति देश में विभिन्न आतंकवादी ताकतों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करने और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करने की है। तथापि सरकार इस बात का स्वागत करेगी कि यदि ये भ्रमित तत्व हिंसा का सहारा छोड़ दें और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाये।

रोजगार प्रदायी कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को धन का आवंटन

2793. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राहत कार्य श्रमिकों को 7 रु. 50 पैसे की दैनिक मजूरी के आधार पर रोजगार प्रदायी कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को 137 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने न्यायालय के आदेश के आधार पर 14 रुपये प्रति दिन की दर से मजूरी का भुगतान करने के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन देने की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपरोक्त आधार पर राज्य सरकार को और अधिक धन उपलब्ध कराने का और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) अक्तूबर, 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के उत्तर में व्यय की अधिकतम सीमा, नवम्बर, 1987 से मार्च 1988 की अवधि के लिए 137 करोड़ रुपए और अप्रैल, 1988 से जून 1988 तक की अवधि के लिए 77.50 करोड़ रुपए रोजगार सृजन कार्यों के लिए राज्य सरकार को सूखा राहत के अंतर्गत प्रति राहत कार्यकर्त्ता 7.50 रुपए प्रतिदिन की दर से (359.09 करोड़ रुपए की कुल अधिकतम सीमा में से) स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने राहत कार्यकर्ताओं को मई से जुलाई 1988 तक की अवधि के लिए और अधिक दरों पर भुगतान करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने 7 मार्च, 1988 को प्रस्तुत किए गए अनुपूरक ज्ञापन के उत्तर में अप्रैल से जून, 1988 की अवधि के लिए रोजगार सृजन कार्यों हेतु मई से जून 1988 तक की अवधि के लिए 10/ रुपए की दैनिक मजदूरी दर को दृष्टिगत रखते हुए 77.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 108.20 करोड़ रुपए कर दी। इसके अतिरिक्त, जुलाई, 1988 के लिए 9.38 करोड़ रुपए की व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई।

राजस्थान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने इन निर्णयों के पालन में 26.5.1988 से 31.7.1988 तक 14 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान करने के लिए होने वाले व्यय के लिए 21.82 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मांगी है।

(घ) राज्य सरकार को रोजगार सृजन कार्यों के अंतर्गत और निधि देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने राज्य सरकार को वित्तीय रूप से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान में 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश अल्प बचत संसाधनों में दिया है, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार को 18.75 करोड़ रुपए का विशेष अल्प बचत ऋण स्वीकृत किया गया है।

केरल में वायनाड जिले के शहरों में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

2794. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में वायनाड जिले के मीनांगडी, सुलफैन्स बैटरी और पेप्पाड़ी जैसे शहरों में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वायनाड जिले में टेलीफोन प्रणाली अव्यवस्थित है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) वायनाड जिले में टेलीफोन प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है,

(ग) केरल के वायनाड जिले में दूरसंचार सेवा को आधुनिक बनाने के लिए 8 वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित उपाय किए जाने का प्रस्ताव है :—

(I) जिन इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों की कार्य अवधि समाप्त हो गई है; उन्हें बदलने के लिए और अधिक स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना।

(II) कोजीकोड में एक नया डिजीटल इलेक्ट्रानिक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू करना।

(III) उस क्षेत्र में परियात की वृद्धि से निपटने के लिए संचारण माध्यम का विस्तार करना।

डाक विभाग में कार्यरत दिहाड़ी श्रमिकों को नियमित किया जाना

2795. श्री जनार्दन यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में कई श्रमिक दिहाड़ी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां; तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार का इन श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) 4506 (पूर्ण कालिक)

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.89 को दिए गए अपने निर्णय में जो निदेश दिए थे, उनके अनुसार नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी स्तर और उन्नति सहित अन्य सम्बद्ध सुविधाएं देने के लिए एक स्कीम तैयार कर ली गई है तथा नोडल मंत्रालयों/विभागों को उनकी सहमति के लिए भेजी गई है।

टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

2796. श्री जनार्दन यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में टेलीफोन एक्सचेंजों के शीघ्र आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) बिहार में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

घ) इन एक्सचेंजों का कब तक पूरे तौर पर आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी हां। टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए 8 वीं योजना के प्रारूप में निम्न लिखित प्रस्ताव हैं :—

(I) योजना अवधि के दौरान जोड़े जाने वाली लगभग सम्पूर्ण स्विचिंग क्षमता इलेक्ट्रानिक किस्म की होगी।

(II) सभी मैनुअल एक्सचेंजों को आधुनिक एक्सचेंजों में बदलना;

(III) घिसे-पिटे और अवधि समाप्त इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदलना।

(ग) 57.

(घ) इन एक्सचेंजों को 8 वीं योजना के अन्त तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

राष्ट्रीय एकता परिषद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दी परिषद का प्रतिनिधित्व

[अनुवाद]

2797. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को कभी राष्ट्रीय एकता परिषद में सम्मिलित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और उनके नाम क्या-क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को वर्तमान राष्ट्रीय एकता परिषद में सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या सरकार इन संगठनों को परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एकता परिषद में शामिल नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एकता परिषद में शामिल नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं; श्रीमान्।

नागालैंड में कार्यरत ईसाई धर्म प्रचारक संस्थायें

2798. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में कितनी ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाये कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान और 1989-90 से जनवरी, 1990 तक उन्हें विदेशी संस्थाओं से कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) मिजोरम में कितनी विदेशी संस्थाएं काम कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) देश में भारतीय मिशनरियों की संख्या कितनी है इससे संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं अत: नागालैंड में उनकी संख्या कितनी है यह मालूम नहीं है। विदेशी नियम पंजीकरण के अधीन केवल विदेशियों को ही पंजीकृत किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, नागालैंड में कोई विदेशी मिशनरी कार्य नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक वाहनों और ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट

2799. **श्री भजमन बेहरा**
श्री अनादि चरण दास } : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सार्वजनिक वाहनों और ट्रकों के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किये गये ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में नया संयंत्र लगाना

2800. **श्री जनार्दन यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिन्दरी उर्वरक कारखाने में एक नया संयंत्र लगाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा नये आर्थिक सहायता संघ की स्थापना

2801. **श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश संयुक्त रूप से एक नया आर्थिक सहायता संघ बनाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबन्ध में हाल ही में उनके नेतृत्व में ब्रसेल्स गये शिष्टमण्डल के दौरे को क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) ब्रसल्स में मैंने "ट्रोइका" देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया था तथा इस मौके का लाभ उठाकर मैंने अन्य यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की थी। एक अनौपचारिक मंच की स्थापना का प्रस्ताव, जिसमें अधिकारी और व्यापारी भी होंगे, भारत और ई. ई. सी देशों के बीच सहयोग के उपायों में से एक उपाय के रूप में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है।

सीमा पार से घुसपैठ

2802. **श्री कमल चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान कितने घुसपैठिए मारे गए अथवा गिरफ्तार किए गए और वे किन-किन देशों के थे तथा उन्होंने कौन-कौन से राज्यों से घुसपैठ की थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत में पाकिस्तान तथा बंगलादेश से कितने व्यक्तियों ने घुसपैठ की थी; और

(ग) सरकार ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। सीमा पर मारे गए/पकड़े गए घुसपैठियों की राष्ट्रीयता बताना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे की जांच पड़ताल के लिए राज्य प्राधिकारियों को सौंपा जाता है।

(ग) सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घुसपैठ की घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

विवरण

1989 के दौरान भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा मारे गए तथा पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या

क्र. सं. राज्य जहां से घुसपैठ कर रहे थे	घुसपैठियों की संख्या	
	पकड़े गए	मारे गए
भारत-पाकिस्तान सीमा पर		
1	2	3
1. जम्मू और कश्मीर (नियंत्रण लाईन से भिन्न)	69	28
2. पंजाब	1712	265
3. राजस्थान	918	88

1	2	3
4. गुजरात	15	—
भारत-पश्चिम बंगाल सीमा पर		
5 पश्चिम बंगाल	25736	12
6 असम	137	—
7 मेघालय	361	2
8 मिजोरम	5856	—
9 त्रिपुरा	942	2

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाएं

2803. **श्री कमल चौधरी :** क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली विभिन्न योजनाओं और इन प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवंटित वित्तीय धनराशि और इसके लिए समय सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : पंजाब में 1990-91 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई विकास योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं और इनके लिए 2.48 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। चूंकि इन योजनाओं को अभी संस्वीकृति दी जानी है, अतः उनका समय शिड्यूल बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कार्य का नाम	लम्बाई (कि. मी)	अनुमानित लागत (लाख रु)
क.	**सड़क परियोजनाएं**			
	1	2	3	4
1.	1	अम्बाला-सिरहिंद खण्ड (212.80 से 252.80 कि.मी.) को चार लेन का बनाना	40	6000.00
2.	1-ए	जालंधर-दसूफा खण्ड के 27-57 कि.मी. में 2-लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना	30	350.00

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि. मी.)	अनुमानित लागत (लाख रु.)
3.	10	अबोहर फजिल्का खण्ड के 382 से 402 कि. मी. में 2-लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना।	20	300.00
4.	15	पठानकोट अमृतसर-फरीदकोट खण्ड के 2-लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना		
		(I) 9-25 कि. मी.		
		(II) 126-132 कि. मी.	16	240.00
		(III) 185-224 कि.मी.	6	100.00
		(VI) दीना नगर टाउन में चौड़ा करके चार लेन का बनाना	2.1	100.00
5.	20	पठान कोट-मंडी रोड के चुनिंदा पहुंच मार्गों में सुधार सहित 2-लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना	एकमुश्त	50.00
6.	21	मोहली-रोपड़ खण्ड के 10-24 कि.मी. में 2-लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना	14	150.00
7.	22	अम्बाला-जिराकपुर खण्ड के 32-40 कि. मी. में 2-लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना	8	120.00
8.	विविध			
		(I) पुलिया	एकमुश्त	50.00
		(II) छोटे पुलों के लिए पहुंच मार्ग	—वही—	50.00
		(III) राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के 52-56 कि. मी. में रियलाइनमेंट	—वही—	200.00

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि. मी.)	अनुमानित लागत (लाख रु.)
		(IV) ज्योमीट्रिक्स, जंक्शनों नए सड़क चिन्हों, टोल प्लाजा, मार्गस्थ सुविधाओं हार्ड सोल्डर्स पेड़ लगाने भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण इत्यादि में सुधार	—वही—	150.00
		(V) भीड़-भाड़ वाले पहुंच मार्गों को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।	5	200.00
				8460.00
ख. पुल कार्य				
1.	21	पहुंच मार्गों सहित 56 कि. मी. पर सिरसा नदी पर पुल	350	280.00
2.	21	18 कि. मी. पर पुल	25	25.00
3.	21	49/8 कि. मी. पर मंसाली पुल	40	25.00
4.	21	51/2 कि. मी. पर थाली पुल	23	25.00
5.	21	63/6 कि. मी. पर तपरैन पुल	13	10.00
			जोड़ :	8825.00

गोआ में कोलवेल पुल का निर्माण

2804. प्रो० गोपालराव मायकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कोलवेल पुल के निर्माण में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(घ) पुल के निर्माण के लिए अब नई समय सीमा क्या निर्धारित की गई है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : क) और (ख) जी, हां। विलम्ब मुख्य रूप से इस कारण हुआ कि जिस ठेकेदार को प्रारम्भ में काम सौंपा गया था उसके काम की प्रगति धीमी रही तथा पूर्व ठेके को रद्द करने के बाद निविदाओं को पुनः आमंत्रित करने और दूसरे ठेकेदार को काम सौंपने में समय लग गया।

(ग) इस अवस्था में वित्तीय निहितार्थों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि पहला ठेकेदार जिसके जोखिक तथा लागत पर अब कार्य किया जा रहा है, उसने मध्यस्थता के लिए आवेदन कर दिया है।

(घ) पुल को अब 1991 की अन्तिम तिमाही में पूरा किया जाना नियत किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि

2805. **श्रीमती जे० जमुना** : **क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्मित मकानों का और कब्जा दिए गए मकानों की संख्या का वर्षवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य में इन्दिरा आवास योजना के लिए आबंटन निम्नलिखित अनुसार है :—

1986-87	1190.00 लाख रुपये
1987-88	1586.66 लाख रुपये
1988-89	1242.63 लाख रुपये

उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत 3834.95 लाख रुपये का खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

(ग) राज्य में इन्दिरा आवास योजना के आरम्भ अर्थात् 1985-86 से लेकर अब तक 51,528 मकान बनाए जाने की सूचना मिली है। 1985-86 में ही 3,321 मकान बनाए जाने की सूचना मिली है। गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बनाए गए मकानों के जिला वार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। 1989-90 के दौरान (फरवरी, 1990 तक) राज्य में 6530 और

मकान बनाए जाने की सूचना मिली है। योजना के अन्तर्गत (राज्य में) इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार कब्जा ले लिए गए मकानों की जिला वार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्रमांक	जिले का नाम	प्राप्त सूचना के अनुसार बनाए गए मकानों की संख्या		
		1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	श्रीकाकुलम्	734	176	370
2.	विजयनगरम्	542	268	290
3.	विशाखापत्तनम्	456	1,561	280
4.	पूर्वी गोदावरी	3250	365	286
5.	पश्चिम गोदावरी	1832	1,093	786
6.	कृष्णा	690	99	101
7.	गुंटूर	807	468	47
8.	प्रकाशम्	1472	2,011	1667
9.	नेल्लोर	1759	163	211
10.	कुर्नूल	677	337	189
11.	अनन्तपुर	412	340	59
12.	कुडप्पा	326	308	504
13.	चित्तूर	983	140	118
14.	खम्माम	612	805	600
15.	वारंगल	766	401	347
16.	करीमनगर	388	357	470
17.	आदिलाबाद	758	981	539
18.	निजामाबाद	1109	912	192
19.	मेडक	328	295	217
20.	नालगोंडा	287	1,016	1040
21.	महबूबनगर	182	148	551
22.	रंगारेड्डी	1112	588	499
	कुल	19482	12832	9363

विवरण-2

क्रमांक	जिले का नाम	कब्जा लिये गये मकानों की संख्या
1	2	3
1.	श्रीकाकुलम्	1168
2.	विजयनगरम्	979
3.	विशाखापत्तनम्	2851
4.	पूर्वी गोदावरी	4697
5.	पश्चिम गोदावरी	4806
6.	कृष्णा	953
7.	गुंटूर	1682
8.	प्रकाशम्	4695
9.	नेल्लोर	3002
10.	कुर्नूल	1129
11.	अनन्तपुर	743
12.	कुडप्पा	1273
13.	चित्तूर	1209
14.	खम्माम	2555
15.	वारंगल	1747
16.	करीमनगर	1304
17.	आदिलाबाद	2718
18.	निजामाबाद	2658
19.	मेडक	1025
20.	नालगोण्डा	2343
21.	महबूबनगर	674
22.	रंगारेड्डी	2330
	कुल	46541

दिल्ली में फ्लाई ओवरों और पुलों का निर्माण

[हिन्दी]

2806. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत दिल्ली में अनेक फ्लाई ओवरों और पुलों का निर्माण कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा, उन पर कुल कितना धन व्यय किया जाएगा और उनके निर्माण के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गयी है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने संलग्न विवरण में उल्लिखित प्रस्तावित प्रयोजनाओं के लिए खर्च करने हेतु अपनी 1990-91 की वार्षिक योजनाओं में प्रावधान किए हैं। इन प्रस्तावित परियोजनाओं की वास्तविक संस्वीकृति उन विभिन्न कदमों के पूरा होने पर निर्भर करेगी जो संस्वीकृति से पहले उठाये जाने आवश्यक हैं। इन पुलों के निर्माण का शिड्यूल देना अभी संभव नहीं है।

विवरण

क्र०सं०	स्थिति	1990-91 के बजट में प्रावधान (लाख रु०)
1	2	3
1.	पंजाबी बाग चौहाहे पर फ्लाई ओवर	200
2.	यमुना बाजार के निकट मंकी ब्रिज पर फ्लाई ओवर	150
3.	आई० टी० ओ० पुल के निकट यमुना नदी पर पुल	20
4.	राजा गार्डन चौराहे पर फ्लाई ओवर	200
5.	सफदरजंग चौराहे पर फ्लाई ओवर	150
6.	धौला कुआं चौराहे पर फ्लाई ओवर	150
7.	निजामुद्दीन में रा० रा० 24 तथा रिंग रोड के चौराहे पर फ्लाई ओवर	5
8.	रिंग रोड को एक निर्बाद रास्ता बनाने के लिए 10 फ्लाई ओवर	175
9.	दिल्ली-सहारनपुर रेलवे लाइन पर आर० ओ० बी० तथा सड़क संख्या 63 (नंदनगरी के निकट)	100
10.	दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर सं० 68 का आर० ओ० बी० (लोनी रोड़ के निकट)	5
11.	दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन पर सं० 13 पर आर० ओ० बी० (तुगलकाबाद के निकट)	5
12.	जी० टी० रोड के मार्जिनल बंध पर आर० ओ० बी०	20
13.	दिल्ली तथा शाहदरा कैलाशनगर में अंडर पास	5

1	2	3
14.	सड़क सं० 13ए के साथ-साथ आगरा नहर पर पुल	25
15.	निजामुद्दीन को मथुरा रोड को मिलाने वाला आरआबी तथा लिंक रोड	5
16.	शालीमार बाग में राजस्थान उद्योग नगर आरओबी	5
17.	सी पावर स्टेशन से रिंग रोड़ लिंक पर आर ओ बी	150
18.	रा० रा० 1 पर पूरक नहर पर पुल	5
19.	दो ग्रेड सेफरेटर-एक पार्क स्ट्रीट और बाबा खड़गसिंह मार्ग के चौराहे पर और दूसरा तिलक मार्ग और भगवान दास रोड़ के चौराहे पर	30
20.	रिंग रोड़ और मथुरा रोड़ को मिलाने वाला निजामुद्दीन के निकट आरयू बी	3
21.	रामपुरा के निकट रोहतक रोड़ रेलवे लाइन पर लारेंस रोड़ पर आर ओ बी	3
22.	मधुबन के निकट लेवल क्रासिंग पर आरयूबी	3
23.	सदर बाजार के निकट काठ के पुल पर पैदल ओवर ब्रिज	2
24.	रानीझांसी रोड़, बुलवर्ड रोड और जी० टी० रोड़ के चौराहे पर ग्रेड सेफरेटर	3
25.	देशबन्धु गुप्ता रोड़ और रानीझांसी रोड़ के चौराहे पर ग्रेड सेफरेटर	1
26.	समयपुर बादली के निकट रेलवे लाइन पर आर ओ बी	100
27.	जी टी रोड़ से विवेक विहार तक आरयूबी	20
28.	किशनगंज के निकट रोहतक रोड़ पर अंडरब्रिज	100
29.	कुतुबरोड़ पर अंडरब्रिज को चौड़ा करना	100

बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रवण जिले

2807. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा-प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से किन-किन जिलों को सूखा-प्रवण जिला घोषित किया गया है;

(ग) इन जिलों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का शेष जिलों को भी सूखा प्रवण घोषितकरने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : क) से (ङ) बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिले शामिल हैं। इन जिलों में 23 खण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तथा ये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० ए० पी०) के अन्तर्गत शामिल हैं। प्रतिवर्ष प्रति खण्ड 15 लाख रुपये से 18.5 लाख रुपये तक की निधियां खण्डों के आकार पर निर्भर करते हुए, भूमि विकास, जल संरक्षण और जल संसाधनों के एकत्रीकरण और वनरोपण, चरागाह तथा चारा विकास की योजनाओं के आरम्भ करने के लिए मुख्य रूप से आवंटित की जाती हैं।

सरकार ने अन्य पहलुओं के साथ-साथ, अतिरिक्त क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। तथापि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत इन जिलों के किन्हीं अतिरिक्त खण्डों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है।

"टैस्ट ट्यूब बछड़े" (टेस्ट ट्यूब काफ) के बारे में अनुसंधान

[अनुवाद]

2808. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "टैस्ट ट्यूब बछड़े" के बारे में भी कोई अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुसंधान किन-किन स्थानों में किया जा रहा है;

(ग) इस अनुसंधान से क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे अनुसंधान को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) अनुसंधान कार्य रूप से निम्न स्थानों पर शुरू किए गए हैं—

(I) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, (II) भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर और (III) केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा।

(ग) इससे महानगरों में अधिक उत्पादक भैंसों के वध से उत्कृष्ट भैंसों के जर्मप्लाज्म से होने वाले नुकसान को रोके जाने के साथ-साथ उत्तम आनुवंशिक साधनों के संरक्षण और प्रबन्ध में भी मदद मिलेगी।

(घ) भ्रूण स्थानान्तरण टेक्नोलाजी पर यू० एस० ए० आई० डी० प्रायोजना और इसी विषय पर यू० एन० डी० पी० और डी० बी० टी० द्वारा सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं चल रही हैं और वे इसके साथ-साथ स्व-पात्रे (परख नली में) डिम्ब कोशिका तैयार करने उसके उर्वरीकरण और संवर्धन में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। कुल राशि 1908.38 लाख रु० और 25.24 लाख अमेरिकी डालर है।

(ङ आठवीं योजना में भ्रूण स्थानान्तरण पर, जिसमें स्व पात्रे (परख नली में) डिम्ब कोशिका तैयार करना, उसका उर्वरीकरण और सम्वर्धन शामिल है, पर एक नेटवर्क प्रायोजना को शामिल करने का प्रस्ताव है।

अठोली से कालीकट टेलीफोन एक्सचेंज तक ग्रुप डायलिंग प्रणाली

2809 **श्री के० मुरलीधरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोझीकोडे स्थित अठोली टेलीफोन एक्सचेंज का वर्तमान स्तर क्या है; और

(ख) अठोली से कालीकट तक ग्रुप डायलिंग प्रणाली कब तक शुरू की जायेगी और इस एक्सचेंज को, जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि अर्जित कर ली गई है, नई इमारत में कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) इस समय अठोली में, 90 लाइनों का एक छोटा ऑटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज है जिसकी क्षमता 87 चालू कनेक्शनों की है और 269 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) अठोली में ग्रुप डायलिंग सुविधा वर्ष 1990-91 के दौरान कालीकट से प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध रहे। एक 512 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज किराए के भवन में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उच्च क्षमता के एक्सचेंज के लिए, जब उचित होगा, पहले से अधिग्रहीत भूमि पर भवन बनाने की योजना बनाई जाएगी।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार समझौते में इलायची का सम्मिलित किया जाना

2810. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में इलायची को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी हां। इस मामले पर काठमान्डू में होने वाली अधिकारी स्तर की अगली बैठक में विचार किया जाएगा जब उस सम्बन्ध में एक उपयुक्त प्रावधान के ब्यौरे को हमारे द्विपक्षीय समझौते में शामिल किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

थोडुपुजा में सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया सुविधा

2811. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के इदुक्की जिले में थोडुपूजा में सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया सुविधा की पुर्नस्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इदुक्की का दूरसंचार नेटवर्क इतना छोटा है कि इस समय उसके लिए अलग से सेकेण्डरी स्विचन एरिया का औचित्य नहीं बनता।

इदुक्की से नेडुम कंडम तक ट्रंक टेलीफोन लाइन की व्यवस्था

2812. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के इदुक्की जिले में, इदुक्की से नेडुम कंडम तक ट्रंक टेलीफोन लाइन की वस्था सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है; और

(ख) सरकार द्वारा इदुक्की-नेडुम कंडम ट्रंक लाइन का शेश भाग पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) नेडुम कंडम और इदुक्की के बीच 8वीं योजना अवधि के दौरान 30 चैनल डिजिटल रेडियो प्रणाली (यू० एच० एफ०) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

थोडुपूजा में नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना

2813. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में थोडुपूजा में एक नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) थोडुपूजा के मौजूदा एम० ए० एक्स-II एक्सचेंज को बदलने के लिए 90-91 के आवंटन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000 लाइनों का आई० सी० पी० एक्सचेंज पहले ही आवंटित कर दिया गया है। 1992-93 में 2000-3500 लाइनों के विस्तार के लिए उपस्कर प्रदान करने की भी योजना है।

श्रीलंका के शरणार्थी

2814. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी के साथ-साथ भारत में शरणार्थियों के लिए जत्थे आने आरम्भ हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) 26 अगस्त, 1989 और 13 मार्च, 1990 के दौरान श्रीलंका से 3302 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में आये। इसके अलावा लिकोमार्ली से 1612 शरणार्थियों को समुद्री जहाज और हवाई जहाज द्वारा उड़ीसा के कोरापुत जिले के शिविरों में लाया गया।

बम्बई पत्तन की फालतू भूमि को बेचने का प्रस्ताव

2815. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन की कुछ फालतू भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) जी, नहीं। बम्बई पत्तन न्यास की किसी भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सुरक्षा पर खर्च धनराशि

2816. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1985 से दिसम्बर, 1989 तक कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सुरक्षा पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : केबिनेट मत्रियों के दिल्ली में ठहरने के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति, पर रह कर की जाती है तथा मत्रियों के दिल्ली से बाहर दौरों में रहने के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की पुलिस द्वारा की जाती है। केबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय के बारे में सही आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि तैनाती पुलिस और अन्य एजेंसियों के कुल संसाधनों में से की जाती है तथा उनका काम केवल सुरक्षा उपलब्ध कराना ही नहीं है तथा सुरक्षा पर होने वाला खर्चा कुल होने वाले खर्चे का एक भाग है।

कार्रवाई के दौरान मारे गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारी

2817. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 और 1989 के मध्य कार्रवाई के दौरान देश के विभिन्न भागों में मारे गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों की राज्यवार और वर्ष-वार संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : विभिन्न राज्यों में 1987 से 1989 के दौरान कार्यवाही में के० रि० पु० बल के मारे गये जवानों की संख्या निम्नलिखित है :—

राज्य	1987	1988	1989
1	2	3	4
असम	—	—	2
बिहार	1	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	5
मणिपुर	4	10	5
नागालैंड	2	1	—
पंजाब	25	22	39
सिक्किम	—	1	—
त्रिपुरा	3	1	—
पश्चिम बंगाल	7	5	1
जोड़	42	40	52

गोआ में झींगा मछली पालन

2818 **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ राज्य में झींगा मछली पालन को प्रोत्साहित करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां। गोवा राज्य में झींगा मछली पालन को विकसित करने के लिए करीब 4,000 हैक्टेयर खाराजल क्षेत्र है।

(ख) समेकित खाराजल मत्स्य फार्म विकास नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दो परियोजनाएं, अर्थात् 19.70 लाख रुपए की अनुमानित लागत से चराओ नामक स्थान पर करीब 35 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाला एक खाराजल झींगा मछली फार्म तथा 25 मिलियन टाइगर झींगा बीज प्रतिवर्ष पैदा करने के लिए 96.00 लाख रुपए की कुल लागत से बेनोलिम नामक स्थान पर यू० एन० डी० के तकनीकी आदानों से एक मार्गदर्शी झींगा बीज हैचरी क्रमश: वर्ष 1985-86 और 1987-88 के दौरान स्वीकृत की गई थीं। राज्य सरकार ने झींगा मछली पालन की प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए इला धाऊजी नामक स्थान पर 5 हैक्टेयर क्षेत्र के खाराजल फार्म का निर्माण किया है।

केशवराव भोसले पर एक विशेष डाक टिकट जारी करना

2819. **प्रो० गोपालराव मायकर : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के अनुभवी मंच कलाकार और गायक केशवराव भोसले की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशेष डाक-टिकट जारी करने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जलभूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी हां श्री केशवराव भोसले पर डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव फिलैटलिट सलाहकार समिति के समक्ष उसकी 29.9.89 को हुई बैठक में रखा गया था। विभाग में गठित उक्त समिति स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने के बारे में और ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को सलाह देती है। समय की कमी के कारण समिति उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकी थी। यह प्रस्ताव समिति की अगली बैठक में पुन: विचारार्थ रखा जाएगा।

सलाहकार समिति का गठन

2820. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस विभाग के अन्तर्गत उपभोक्ताओं और जन प्रतिनिधियों की सलाहकार समितियों का गठन किन-किन स्तरों पर होता है और इन विभिन्न समितियों के गठन और उनमें प्रतिनिधित्व का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक स्तर पर इन समितियों के गठन के बारे में भावी कार्यक्रम क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दूरसंचार सलाहकार समितियों के गठन की नीति की पुनरीक्षा की जा रही है। इस नीति को अंतिम रूप देने के बाद ही इन समितियों का गठन किया जाएगा।

आपरेशन ब्लू-स्टार के पश्चात् बैरकों से भागने वाले सैनिकों का पुनर्वास

2821. **श्रीमती बासव राजेश्वरी**
श्री हरिभाऊ शंकर महाले
सरदार अतिन्दर पाल सिंह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में "आपरेशन ब्लू स्टार" के पश्चात् अपनी बैरकों से भागने वाले सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने भगोड़े सैनिकों का अब तक पुनर्वास किया जा चुका है; और

(ग) शेष ऐसे सैनिकों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "आपरेशन ब्लू स्टार" के कारण अपने बैरक छोड़ने तथा सबंधित आरोपों के लिए 2731 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। इसमें से 22 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया।

(ख) 2297 लोगों को पुन: सेना/रक्षा सुरक्षा निकायों में रख लिया गया 50 लोगों को पंजाब सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है।

(ग) 342 लोगों के नाम रोजगार के लिए निम्नलिखित संगठनों को भेज दिए गए हैं :—

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	51
रेलवे	41
पोस्ट आफिस	44
तार विभाग	46
भारतीय खाद्य निगम	100
केन्द्रीय जल आयोग	25
पी०एस०यू० के लिए डी०पी०ई०	35
जोड़	342

इन सभी संगठनों से सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलावा-पत्र भेज दिये गये हैं।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

2822. **श्री प्यारे लाल हन्डू** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 अगस्त, 1989 से 28 फरवरी, 1990 की अवधि के बीच आतंकवादियों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामलों की जांच की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

मध्य प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधारने का कार्यक्रम चलाना

[हिन्दी]

2823. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में पशुओं की नस्ल, डेयरी उद्योग और चारे की किस्म में सुधार करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध महासंघ, मर्यादित ने आपरेशन फ्लड-3 के लिए लगभग 27.69 करोड़ रुप० की लागत की एक निर्देशात्मक योजना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास भेजी है। उज्जैन दुग्धशाला को छोड़कर प्रत्येक दुग्धशाला के लिए विस्तृत उप-परियोजना निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अभी भेजा जाना है उज्जैन दुग्धशाला के प्रस्ताव में उज्जैन डेरी का विस्तार और रतलाम और अगर में 2 प्रशीतन केन्द्र, मन्दसौर और शामगढ़ में 2 नये प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना, 598 नई सहकारी डेरी समितियों और 354 नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का गठन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में 8 ग्राम वनों, 351 किसान वनों और 89 विकेन्द्रीकृत नरसरियों को सहायता देना भी शामिल है। उज्जैन दुग्धशाला के लिए उप-परियोजना निवेश प्रस्ताव का मूल्यांकन इसकी वित्तीय व्यवहार्यता हेतु, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय/आर्थिक महत्व की योजना के अन्तर्गत राजस्थान में पुलों के निर्माण के प्रस्ताव

[अनुवाद]

2824. **चौ० जगदीप धनखड़** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसे प्रस्ताव भेजे थे जिनमें उसने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित अन्तर्राज्यीय/आर्थिक महत्व की योजना के अन्तर्गत चाबड़ा-घन्नवाड़ मार्ग पर पार्वती नदी के ऊपर तथा राज्य राजमार्ग संख्या 19 पर उझार नदी के ऊपर तथा झालावाड़ जिले में तीन नहरों वाली नदी के ऊपर पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं और वित्तीय सहायता दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जलभूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों के अभाव तथा दूसरे राज्यों की मांगों के कारण परियोजना को सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका।

हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण पूरा करने हेतु अतिरिक्त ऋण सहायता

2825. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण पूरा करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को अतिरिक्त ऋण सहायता स्वीकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की जाएगी ?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) हुगली नदी पर दूसरे पुल को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अतिरिक्त ऋण सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यथा अनुमानित 340.00 करोड रुपए की कुल लागत के आधार पर उन्होंने 230 करोड़ रु० ऋण देने की केन्द्रीय सरकार की वर्तमान वचनबद्धता के अतिरिक्त 72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण की सहायता के लिए अनुरोध किया है।

कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के बारे में अमरीकी दृष्टिकोण

2826. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में हमारे देश के आन्तरिक मामले में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के बारे में वाहइट हाउस, विदेश एवं रक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत की चिन्ता से अवगत कराने के लिए हमारे विदेश सचिव ने फरवरी, 1990 में अमरीका का दौरा किया था;

(ख) क्या समाचारों में यह बताया गया है कि अमरीकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि "अमरीका को कश्मीर में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं दिखाई देता"; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर से लोगों का पलायन

[हिन्दी]

2827. **श्री राघवजी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1988 से 28 फरवरी, 1990 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर से कितने लोग राज्य छोड़कर देश के अन्य भागों को चले गये हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई सुविधाएं प्रदान की हैं तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) अभी सूचना का पता लगाया जा रहा है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सरकार का उद्देश्य यह है कि अप्रवासियों की सुरक्षित वापसी के लिये वातावरण बनाया जाये। अत: उनको बसाने का कोई विचार नहीं है।

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को मजदूरी की अदायगी

2828. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केबिल बिछाने के कार्य में लगे श्रमिकों को कितनी दैनिक मजदूरी अदा की जाती है; और

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उपरोक्त कार्य में लगे श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) मध्य प्रदेश में केबिल बिछाने के कार्य में लगे विभागीय नैमित्तिक मजदूरों को विभाग के तदनुरूप नियमित कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम वेतनमान के आधार पर तय की गई दैनिक दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है । इसके साथ अनुमत्य महंगाई भत्ता भी दिया जाता है ।

(ख) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कार्यरत विभागीय मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) उपरोक्त (ख) के जवाब को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

1984 के दंगों के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामले

2829. **श्री राघवजी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के एक सप्ताह के भीतर भड़के दंगों के सम्बन्ध में कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज किये गये;

(ख) इनमें से हत्या, आगजनी और लूटपाट के पृथक-पृथक कितने मामले थे;

(ग) कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने मामलों में अभी तक आपराधिक मामले दर्ज नहीं किये गये हैं; और इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 391.

(ख) हत्या के 89 मामले तथा लूटपाट और आगजनी के 136 मामले ।

(ग) 2329 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज किए गए । उनमें से 80 को पहले ही दोष-सिद्ध पाया गया है ।

(घ) एक सप्ताह के भीतर पुलिस को सूचित की गई सभी घटनाएं इन 391 मामलों के अन्तर्गत आ जाती हैं ।

सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को परमाणु विद्युत संयंत्र की सप्लाई

[अनुवाद]

2830. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोवियत संघ पाकिस्तान को परमाणु विद्युत संयन्त्र सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जहां तक सरकार को जानकारी है, इस सम्बन्ध में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को कोई वचन नहीं दिया है।

राजस्थान में नागरिकों को पहचान पत्र

2831. **श्री अजीत कुमार पांजा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में बड़ी संख्या में लोगों को दोहरी नागरिकता दिए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र वितरित करने हेतु उनका पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) राजस्थान राज्य के गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों के चुने हुए तहसीलों में पहचान-पत्र जारी करने के लिये लागू प्रायोगिक योजना के, अन्तर्गत पहचान-पत्र वास्तविक निवासियों को जारी किये जा रहे हैं और कार्डों का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।

बंगलादेशियों का भारी संख्या में भारत में प्रवेश

2832. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री परसराम भारद्वाज
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेशियों के भारत में विशेषकर त्रिपुरा में आने में कोई कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें देश में आने से रोकने हेतु "इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट" को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इन्हें देश में आने से रोकने के लिए कौन से अन्य उपाय किये गये है अथवा करने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। त्रिपुरा सहित भारत में आने वाले बंगलादेशी शरणार्थियों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है।

(ख) बंगलादेशी शरणार्थियों को बड़ी संख्या में भारत आने से रोकने के लिए "इनर लाइन रेगूलेशन" सम्बन्धित नहीं है।

(ग) सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल की अधिक चौकियों तथा निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है तथा आधुनिक उपकरण और वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

कीटनाशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोड

2833. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोम में आयोजित खाद्य और कृषि संगठन परिषद् की बैठक में सिद्धान्त रूप से दी गई स्वीकृति को ध्यान में रखकर पूर्व सूचित सम्पत्ति खण्ड (प्रायर इंफोमेंड कंमेंट क्लाज) सहित कीटनाशकों संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोड अपना लिए हैं; और

(ख) क्या इस समय वर्तमान मूल ढांचा कोड और कीटनाशक अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि कोई कमी है तो वह क्या है और क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की कीटनाशी सम्बन्धी कोई संहिता नहीं है। तथापि, खाद्य एवं कृषि संगठन ने नवम्बर, 1989 में रोम में हुए अपने 25 वें सत्र में कीटनाशियों के वितरण और इस्तेमाल संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता में पूर्व सूचित सम्मति को शामिल करने के लिए एक संकल्प अपनाया, जिसमें भारत एक पक्ष था।

(ख) इस संहिता में मुख्य बल निम्नलिखित बातों पर दिया गया है;

(1) देश में कीटनाशियों के विनिर्माण और इस्तेमाल का विनियमन।

(2) कीटनाशियों के वितरण में कीटनाशियों की क्वालिटी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करना।

(3) कीटनाशियों के मानकों को लागू करने के लिए विनियमन की व्यवस्था करना ताकि जैव-प्रभावोत्पादकता बढ़ायी जा सके और कीटनाशियों के विनिर्माण और व्यापार में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सम्बन्धी खतरे को कम किया जा सके, और

(4) लेबल लगाये जाने, पैकेज तैयार किये जाने, भण्डारण तथा निपटान आवश्यकताओं और प्रतिबन्धों का निर्धारण।

ये मामले पहले ही कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधान द्वारा शासित किए जाते हैं तथा इनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त अवसंरचना मौजूद है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

2834. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये की कोई योजना मंजूर की थी और इस सम्बन्ध में प्रथम वर्ष के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए थे;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आवंटित धनराशि का उपयोग किया था;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत बाद के वर्षों में शेष धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के 800 ग्रामों में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने और अन्य कार्यक्रमों के लिए इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त धनराशि तुरन्त आवंटित करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के भाग के रूप में हाथ में लिया गया था। 1986-87 में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। 1986-87 के दौरान राजस्थान के लिए 14.14 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं मंजूर की गई।

(ख) से (ङ) नवम्बर, 1986 में यह तय किया गया कि कार्यक्रम को फिर से नई दिशा दी जाए ताकि इसे केवल शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित रखा जा सके। 7वीं योजना के लिए आवंटित 200 करोड़ रुपयों में से 150 करोड़ रुपए 1987-88 के वित्तीय वर्ष से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हस्तान्तरित किए गए।

पंजाब में भर्ती पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

2835. **श्री कृपाल सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में लिपिक और तकनीकी सेवाओं के पदों में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार कर कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा पर खर्च

2836. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक और दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री की विदेश-यात्रा-कार्यक्रमों को आयोजित करने पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ख) दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक और दिसम्बर, 1988 से फरवरी 1989 तक की अवधि के दौरान अपने ही देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के विदेशों के दौरों पर लगभग 1,65,96,762/-रुपये व्यय हुए। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तन के अपने दौरे के दौरान भारतीय वायुसेना के जहाज का प्रयोग किया और विदेशी दौरे के दौरान अधिकारियों को नियमों के अतर्गत ग्राह्य सामान्य टीए/डीए दिया गया। दिसम्बर, 98७ से फरवरी, 1990 के दौरान प्रधानमंत्री ने विदेशों का कोई दौरा नहीं किया।

प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को समीपस्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसपीजी) की है। एसपीजी दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास और कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। एसपीजी के अतिरिक्त अन्य एजेंसियां जैसे दिल्ली पुलिस और राज्य पुलिस प्राधिकारी भी प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में अंतर्ग्रस्त हैं।

(ख) दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 की अवधि के दौरान एसपीजी कार्मिकों के वेतन दिहाड़ी, परिवहन व्यय और यातायात पर कुल 94,78,384/- रुपये खर्च किये गये और दिसम्बर 1988 से फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान 81,80,855/- रुपए व्यय किये गये।

मोबाइल वायरलेस कार टेलीफोन

2837. **डा० के० कालीमुथु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "मोबाइल बायरलेस कार टेलीफोन" का निर्माण करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इन "मोबाइल वायरलेस कार टेलीफोनों" का आयात करने का भी विचार है; यदि हाँ, तो इनके आयात पर कितनी धनराशि खर्च होगी ;

जल-भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

2838. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मरूस्थल अनुसंधान ने उदयपुर, जयपुर, अजमेर और सिरोही के 4000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र की निशानदेही की है जहां पर मरूस्थल जैसी स्थिति है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को मरूस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने इस तरह का कोई सीमांकन नहीं किया है। चूंकि अपकर्ष के कारण उक्त क्षेत्र में कुछ मरूस्थलीकरण हो रहा है, लेकिन निश्चित मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) की राष्ट्रीय समिति को उदयपुर, अजमेर जयपुर तथा सिरोही के जिलों में 11 पंचायत समितियों के 502 ग्रामों को मरुभूमि विकास कार्यक्रम में शामिल करने अथवा इन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू करने के लिए ज्ञापन दिया है। राष्ट्रीय समिति, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सभी ज्ञापनों पर विचार करेगी। नये क्षेत्रों को मरूभूमि विकास कार्यक्रम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में निर्णय समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने के बाद ही लिया जायेगा।

उड़ीसा के जलग्रहण क्षेत्रों में मुद्रा परिरक्षण योजना

[अनुवाद]

2839. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जलग्रहण क्षेत्रों में वन लगाने और मृदा परिरक्षण के लिये तीसरी पंच-वर्षीय योजना से शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के ऐसे जलग्रहण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना कार्यान्वित कर ली गई है और अब तक कितने भू-क्षेत्र में वृक्षरोपण किया जा चुका है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और खरासुआ जैसी नदियों के कुछ बाढ़ प्रवण जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल किये जाने के लिए इस योजना के क्षेत्र को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां,

(ख) उड़ीसा राज्य में हीराकुंड, पंचकुंड/सिलेरू और रगेली-मंदिरा नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों मुद्रा एवं जल संरक्षण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण शामिल हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के प्रारम्भ से लेकर वर्ष 1988-89 के समाप्त होने तक मृदा संरक्षण उपायों, जिनमें वनरोपण शामिल है, से अभी तक 1,83,3:0 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। इन श्रवण क्षेत्रों में अपनाए गए उपचारात्मक उपायों में एक उपाय वनरोपण करना है। वनरोपण तथा चारागाह विकास, बागवानी आदि जैसे सम्बद्ध उपायों से 1988-89 के अंत तक लगभग 97,000 क्षेत्र पूरा किया गया।

(ग) से (ङ) जी, हां। उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण-क्षेत्रों में, समेकित पनधारा प्रबन्ध की मृद्रा संरक्षण की चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत ब्राह्मणी, वैतरणी और कन्सबाड़ा नदियों के श्रवण-क्षेत्रों को शासित किया जाए। राज्य सरकार

से खरसुआ नदी के श्रवण-क्षेत्र को शासित करने की बाबत कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। उड़ीसा राज्य सरकार के उक्त अनुरोध पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया गया था। संसाधनों की कठिनाई के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त श्रवण क्षेत्रों को शामिल करना सम्भव नहीं हो पाया है।

वनस्पति तेलों के संबंध में भारत तथा खाद्य और कृषि संगठन के बीच समझौता

2840. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के बीच, देश में वनस्पति तेलों के क्षेत्र में एक दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौता का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां। वनस्पति तेलों के लिए दीर्घकालीन नीति तैयार करने हेतु, 17 जनवरी, 1990 को भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) इस प्रायोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

(1) वर्ष 2000 ए. डी. तक तिलहन के उपक्षेत्र के विकास के लिए और उत्पादन, खपत संसाधन एवं विपणन के लिए उनकी नीति के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक नीतियों का मूल्यांकन; और (11) भावी तकनीकी सहायता के लिए संभावित प्रायोजना की धारणाओं की पहचान करना। प्रायोजना के तहत, खाद्य एवं कृषि संगठन चार सलाहकारों की सेवाएं उपलब्ध करेगा। जो तिलहनी फसलों के विकास, संसाधन, विपणन के विशेषण होंगे और इसके मिशन का लीडर एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री होगा।

इस प्रायोजना को खाद्य एवं कृषि संगठन के तकनीकी कार्यक्रम निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो 1,91,000 अमेरिकी डालर होगी ! इस प्रायोजना पर सितम्बर 1990 में कार्य चालू होगा और मार्च 1991 तक पूरा हो जाएगा।

12.00 **मध्याह्न**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० सैफुद्दीन सोज का नाम ले रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आपकी अनुमति से मैं कश्मीर पर पहल के लिए समिति नामक भारतीय मानव अधिकार संगठन की एक रिपोर्ट सभा पर रखना चाहता हूं। इस संगठन ने श्री तपन बोस सहित चार व्यक्तियों के एक दल को कश्मीर भेजा था। वे कश्मीर घाटी में गए और तथ्य एकत्र किए, मैं इन तथ्यों को सही मानता हूं। यह तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस सम्बन्ध में लिखित में दिया है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तब आप इस मुद्दे को अब क्यों उठाना चाहते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं केवल छोटा-सा पैरा पढ़ने के बाद इसे सभा पटल पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आपने मुझे लिखा हैं। जब मैं आपको अनुमति दूं तब आप ऐसा कर सकते हैं। आपने मुझे लिखा है। बस इतना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इस पर कोई चर्चा नहीं चाहता हालांकि मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं आप गृह मंत्री को इस पर एक वक्तव्य देने के लिए कहें। कृपया अब मुझे इसका एक छोटा-सा संक्षिप्त पैरा पढ़ने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं देता।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर से हजारों लागों का पाकिस्तान मे पलायन हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारों लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। अब सरकार इस सम्बन्ध में निष्क्रिय बनी हुई है। यदि यह रिपोर्ट गलत है तो मंत्री महोदय इससे इन्कार करने का वक्तव्य दें। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। प्रधान मन्त्री ने भी कहा है····

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री राम सागर।

श्री जनार्दन पुजारी : बी० बी० सी० द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है। यदि यह गलत है तो सरकार इससे इन्कार करे और मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

[**हिन्दी**]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसे अपराधों के संगठन हैं जो अबोध बालकों का अपहरण करके और उनकी हत्या करके उनकी किड़नी को निकाल कर विदेशों में 3-3 लाख रुपये में सप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की तहसील सैदपुर जो कि हमारे संसदीय क्षेत्र में आती है, पहली फरवरी उसके ग्राम मखदुमपुर में सातवीं कक्षा से पढ़ने वाले शैलेन्द्र कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और नगीना सिंह का अपहरण कर लिया गया, लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको यहां बयान नहीं पढ़ना चाहिये। अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के रुदायनपुर में होली के दिन उसी गांव के ठाकुरों ने सामंतवादी ताकतों का सहारा लेकर अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाले 40 जाटव लोगों के घर जलाकर राख कर दिये और उनको बुरी तरह से मारा-पीटा, उनका सामान लूट कर ले गये। दाताराम नाम के एक व्यक्ति को जिन्दा जला दिया और उनका 35 बीघे में पका हुआ गेहूं जलाकर राख कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का मामला है।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ और दिलाना चाहती हूं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जवान लड़कियों को रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों ने होली के पर्व पर उनको नंगा करके नचाया और मना करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यहां बयान नहीं पढ़ सकती हैं। आपका हो गया है, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

डा० कुशाल परसराम बोपचे (भन्डारा) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हमारे क्षेत्र की तरफ इस कारण ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमारे भन्डारा जिले में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहां राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गये हैं और वह भूखों मर रहे हैं। **(व्यवधान)**

यह बात मैंने यहा नियम 377 के तहत भी रखी है। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करे ताकि वहां अकाल का काम करने का प्रयास हो सके, यह मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को निवेदन करता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, मैं सरकार से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य चाहता हूं कि जब हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री कुलदीप नैयर जो कि लन्दन में उच्चायुक्त हैं, एक गुरुद्वारे में गए उनसे दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? मैं चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने का निर्देश दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर से जो 12 खूंखार आतंकवादी भाग गये, आप होम मिनिस्टर साहब से कहें कि इस के बारे में स्टेटमैंट दें कि जो 12 खूंखार आतंकवादी श्रीनगर जेल से भागे हैं, उनको श्रीनगर जेल में क्यों रखा गया और हिन्दुस्तान की किसी और जेल में क्यों नहीं रखा गया ? जब इन्हें मालूम था कि वहां का स्टाफ, वहां की जेल के लोग उनसे मिले हुए हैं तो उसको जम्मू में या दिल्ली में क्यों नहीं रखा गया ? यह खूंखार आतंकवादी कैसे भागे हैं और उसके बारे में आगे क्या कदम उठाये जा रहे हैं, इसके बारे में होम मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अग्निहोत्री जी, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठ जायेंगे तो देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री थामस को बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय प्रेस में यह व्यापक रिपोर्ट छपी है कि सूचना और प्रसारण मंत्री के इच्छानुसार प्रधान मन्त्री की नामीबिया के दौरे से सम्बन्धित समाचार को रिपोर्ट न करने के कारण सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में टी० वी० प्रभाग में एक समाचार सम्पादक का हाल ही में तबादला कर दिया गया है। **(व्यवधान)**

12.01 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्ययक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना, पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का 1988-89 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा गोआ मीट काम्पलेक्स लिमिटेड मंजिम का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

उपप्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1990, जो 12 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 140 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई विखिये संख्या एल० टी० 561/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फास्फुट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 562/90]

(ख) (एक) गोवा मीट काम्पलेक्स मिमिटेड, पंजिम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए ! देखिये संख्या एल० टी० 563/90]

(ग) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 564/90]

(घ) (एक) पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 565/90]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 566/90]

(6) (एक) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपयुक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 567/90]

(8) (एक) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(दो) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सख्या एल० टी० 568/90]

(10) (एक) राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1988-89 के के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 569/90]

(12) (एक) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रन्थालय रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 570/90]

(14) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 571/90]

(16) (एक) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 572/90]

(18) (एक) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखें।

(दो) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 573/90]

(20) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 574/90]

(21) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 575/90]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना; दिल्ली तन्त्र के पुनर्गठन संबंधी समिति का प्रतिवेदन (भाग-1 तथा 2) (हिन्दी संस्करण), प्रत्यावासित सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या यू-14011/160/89-दिल्ली (एक) जो 6 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिल्ली नगर निगम के 6 जनवरी, 1990 से 4 मास की अवधि के लिए अधिक्रमण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 576/90]

(3) दिल्दी तन्त्र के पुनर्गठन सन्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग-1 तथा 2) की एक प्रति (हिन्दी सस्करण)। (प्रतिदिन का अंग्रेजी संस्करण 29-12-1989 को सभा पटल पर रखा गया।)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 577/90]

(4) (एक) प्रत्यावासित सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रत्यावासित सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 578/90]

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : पाइण्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष जी, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि कारपोरेशन का उन्होंने 4 महीने के लिए भंग करने का नोटिफिकेशन किया

था, मैं उसी का उल्लेख करना चाहता हूं, 4 महीने के लिये कारपोरेशन को भंग किया गया था, तीन महीने बीत गये और एक महीना बाकी रह गया, दिल्ली को स्टेटहुड देने का सवाल है, इसके बारे में क्या तय किया है, हमें बतायें। (व्यवधान)

विदेश मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[सभा पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 579/90]

जल भूतल परिवहन मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 580/90]

(2) विदेश संचार निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 581/90)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आपको मैंने बुलाया था, आप कहां थे ? श्री बसन्त साठे।

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप होम मिनिस्टर साहब से या सरकार से कहें कि श्रीनगर जेल से जो 21 लोग एस्केप कर गये, उस पर कोई वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)....

श्री बसन्त साठे : वक्तव्य देंगे, कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर साठे, आप बैठ जायें।

श्री बसन्त साठे : वक्तव्य देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कहूं।

[अनुवाद]

मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : वक्तव्य दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपकी हिदायत के मुताबिक क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कहूं ?

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : वह आपके निर्देशों के विरूद्ध नहीं जा सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : आपने डायरेक्ट किया कि स्टेटमेंट दें ? आपने उनसे क्या कहा ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की डायरेक्शन स्पीकर नहीं देता है। आप नोटिस देंगे। आपने क्या नोटिस दिया है ?

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : जी हां; हमने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : क्या सरकार इतनी उदासीन हो सकती है ? क्या गृह मन्त्री कह सकते हैं।

[हिन्दी]

कि हम रियैक्ट नहीं करते हैं। ग्यारह लोग एस्केप हो गये, कोई रियैक्शन नहीं ? आप इस बात को रियेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आपकी एटीचूड क्या है ? ···(व्यवधान)····

श्री माधवराव सिंधिया : क्या आप आश्वासन दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास विचारार्थ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके अपनी सीट पर जायें। आप क्या कर रहे हैं। आप सीट पर जायें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मेरी बात तो सुन लें। मेरी गुजारिश सुन लें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आइये श्री आडवाणी की बात सुनें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय। **(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया : आप हमारी बात नहीं सुनते, हम भी इस हाउस के मेम्बर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुना है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हम आपके माध्यम से मात्र आश्वासन चाहते हैं कि इस गम्भीर विषय पर या तो वक्तव्य दें या तो कालिंग एटेंशन दें, जिससे किसी न किसी तरह से सरकार का रियेक्शन और सरकार की पोजीशन सामने आए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव (रामटेक) : आप दिये गये नोटिस पर विचार कर रहे है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे मामलों में सरकार को नोटिस का इन्तजार नहीं करना चाहिए उन्हें स्वयं एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि सारा राष्ट्र इस बारे में चिंतित है। सरकार को ऐसा ही करना चाहिये था।

श्री माधवराव सिंधिया : बहुत गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय मेरे साथी मल्होत्रा जी ने सवाल किया था, जिसको साठे जी, माधवराव सिंधिया जी और नरसिंह राव जी ने भी उठाया है। मैं समझता हूं कि सारा सदन इस घटना से बहुत चिन्तित है। वैसे भी काश्मीर की समस्या, काश्मीर की स्थिति गम्भीर है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना अगर हो जाए तो हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार सदन को विश्वास में लेकर पूरे तथ्य हमारे सामने रखेगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यस, मि० होम मिनिस्टर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धर्मपाल जी आप कुछ धर्म का पालन कीजिए। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : स्पीकर साहब, कल श्रीनगर जेल से 12 आतंकवादी एस्केप कर गए हैं, यह बड़ा सीरियस मैटर है, उनको वहां नहीं रखना चाहिए था, इसके बारे में

डायरेक्शंस भी हुई थीं, उनको जम्मू जेल में जाना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में कैसे हुआ, क्या एक्शन लिया वहां की सरकार ने, इसके बारे में। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ब्रह्मभट्ट जी आप बैठ जाएं, आपने मांग की थी, अब वे बयान दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद अध्यक्ष महोदय, पूरी डीटेल बता देंगे, जो पूरी स्थिति है वह हाउस को बता देंगे, आज ही स्टेटमेंट देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के पांचों जनपदों में भंयकर सूखा है और इस वर्ष से ही नहीं, बल्कि पिछले 3 वर्षों से वहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वहां की हालत यह है कि लोग रोटी के लिए मोहताज है, वहां से भाग रहे हैं, लोगों के जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, सारा पठारी क्षेत्र है, कुएं सूख रहे हैं, पीने के पानी का अहम सवाल है, लोग पानी को तरस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी वहां के लिए तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ करवाएं, इस तरह का आदेश शीघ्र देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर स्थिति है. लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। चारों माननीय सदस्य यहां पर उस क्षेत्र के उपस्थित हैं, कृषि मन्त्री जी को बुलाकर वक्तव्य दिलवाइये। **(व्यवधान)**

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में कालिंग अटेंशन दिया था, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे भिक्षागृह के अन्दर लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जा रहा है। **(व्यवधान)**

भिखारियों के नाम पर कई ऐसे लोगों को वहां पर रखा गया है जो यू० पी०, बिहार और अन्य जगहों से यहां पर आते हैं, उनको बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता है। श्रम मंत्री महोदय और लेफ्टीनेंट गवर्नर 15 दिन पहले वहां पर गए थे, उन्होंने जाकर देखा था कि ग्रेजुएट, प्रोफैसर, इस तरह के लोगों को बेगर्स होम में रखा हुआ है। उनको छोड़ने के आदेश दे दिए गये, लेकिन आज तक उनको छोड़ा नहीं गया है। वहां पर देखने पर पता चला कि 350 में से 257 लोग ऐसे थे जिनको वहां पर नहीं रखा जाना चाहिए था। मेरी मांग है कि श्रम मन्त्री महोदय इस पर अपना बयान दें।

श्री तस्लीमुद्दीन (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में नमक का भारी अभाव पैदा हो गया है। वहां पर 5 रुपए किलो भी नमक नहीं मिल रहा है, इस ओर सरकार ध्यान दे। **(व्यवधान)**

श्रीमती उषा वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को जनपद लखीमपुर खीरी में भारी ओलावृष्टि हुई है, 1-2 तहसीलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं, वहां पर बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। सारी फसल नष्ट हो गई है, एक दाना भी नहीं बचा है, हालत बहुत खराब है। मेरी मांग है कि कृषि मन्त्री महोदय इस पर अपना बयान दें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, पूरे पश्चिम बंगाल विशेषकर कलकत्ता में 1000 बच्चे एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी उच्च ताप से पीड़ित हैं। उष्ण कटिबंधीय औषधियों का विद्यालय इसका पता लगाने में असफल रहा है। वह कहते हैं यह सालमोनिला टाईका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग को इन महामारियों के मामले मे डाक्टरों और विशेषज्ञों का एक दल उचित औषधियों के साथ अतिशीघ्र पश्चिम बंगाल भेजना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री के० रामामूर्ति (कृष्ण गिरि) : महोदय, एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। कल मद्रास विधान सभा में एक गंभीर वक्तव्य दिया गया है। उसी समय हमारे माननीय प्रधानमत्री भारतीय शान्ति सेना का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हमारे देश की रक्षा सेनाओं के खिलाफ जाती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जायेंगे।

12.20 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

केरल में वनों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : केरल की समृद्धि उसके घने जंगलों, अनेकों नदियों और लम्बी समुद्री सीमा में है। लेकिन खतरनाक तरीके से जंगलों की कटाई, नदियों के अत्याधिक उपयोग, और औद्योगिक और घरेलू कूड़ा-करकट के कमजोर प्रबन्ध के कारण इन सब का केरल के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

हांलाकि विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े केरल के जंगलों में आई वास्तविक कमी के संबंध में भिन्न है, फिर भी यह स्वीकार्य तथ्य है कि जंगलों के क्षेत्र 1905 के 44% प्रतिशत से घटकर सातवें दशक में 27 प्रतिशत और नौवें के दशक के आरम्भ में दस प्रतिशत ही रह गये हैं और वह अभी-भी खतरनाक तरीके से कम होते जा रहे हैं। इससे इस भूमि के दुर्लभ जीव-जन्तु नष्ट हो गये हैं और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जगलों में आई कमी के कारण भूमि कटाव और अचानक बाढ़ आती है।

अतएव, मैं माननीय पर्यावरण और वनमंत्री से निवेदन करूंगा कि केरल में जंगलों की भूमि के गैर-जंगलात के कामों में उपयोग पर रोक लगायी जाये। और यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका कड़ाई से पालन हो।

12.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केरल में मेन संट्रल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की मांग

श्री रमेश चॅन्नी थाला (कोट्टायम) : मेन सेन्ट्रल सड़क (एम० सी० रोड) केरल की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। यह एरणाकुलम जिले के अंगमाली क्षेत्र से शुरू होकर त्रिवेन्द्रम तक जाती है।

वास्तव में यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के समानान्तर है जो कोट्टायम पंथियनमथिट्टा, अल्लेप्पी, क्विलोन जिलों से होकर गुजरती है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल दिया जाए।

(तीन) कोचीन के निकट एक और हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने की मांग

श्री के० वी० थामस (एर्णाकुलम) : कोचीन में एक आधुनिक हवाई अड्डे जहां एयरबस तक के उतरने की सुविधा हो कोचीन के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही इच्छा है। केरल की औद्योगिक राजधानी होने के कारण कोचीन देश और विदेश के काफी लोगों को आकर्षित करता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कोचीन राजस्व की वसूली में सातवें स्थान पर है। लेकिन वर्तमान हवाई अड्डा नौसैनिक पट्टी होने के कारण, यहां केवल बोइंग विमान ही उतर सकते हैं। नाग विमानन मंत्रालय का एक प्रस्ताव था जिसमें वर्तमान धावन पथ को एगर बस ए-320 के लायक बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन धावनपथ को मजबूत करने के काम में देरी हुई है। कोचीन पतन के कारण वर्तमान हवाई पट्टी का विस्तार मुश्किल है। अतएव निवेदन है कि शहर के नजदीक किसी अन्य स्थान पर एक नये हवाई अड्डे का निर्माण किया जायें। कालामैस्सी में काफी जगह है जो इस समय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अधिकार में है, जिसका उपयोग नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

(4) बिहार में दीजंयां और फुहिया के बीच कोसी नदी पर बांध का निर्माण पूरा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : बिहार राज्य के कोशी नदी पर दीजंयां फुहिया बांध निर्माण की स्वीकृति 1978 में दी गयी थी परन्तु 1980 में स्थगित कर दिया गया जिससे बांध अधूरा पड़ा है तथा बाढ़ के समय सैंकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं जिससे भारी पैमाने पर जान-माल की क्षति होती है। समस्तीपुर जिला के हसनपुर सिंधिया एवं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर विरौल एवं कुशेश्वर स्थान मुख्य रूप से प्रभावित होता है।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा स्थगित इस बांध को पुनः शुरू कराने हेतु हम सरकार से मांग करते हैं।

(पांच) टेलीफोन कनेक्शनों के आवंटन के मामले में वकीलों को विशेष श्रेणी में माने जाने की मांग

[अनुवाद]

चौधरी जगदीप धनखड़ (झुन्झुनु) : सम्पूर्ण राष्ट्र में नये टेलिफोन कनेक्शन देते समय कुछ निर्धारित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे उद्योग, चिकित्सक, दाई इत्यादि। वे विशेष वर्ग के अन्तर्गत टेलिफोन कनेक्शन के पात्र है। ऐसी सुविधा विधि-व्यवसाय के सदस्यों को नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वकील सार्वजनिक कार्य करते हैं और उन्हें अपने मुवक्किलों से लगातार संपर्क

बनाये रखना पड़ता है। वर्तमान समय में वादियों को काफी दूरी से भी वकीलों से संपर्क बनाये रखना पड़ता है। वकील के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास संपर्क के साधन हों ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें विशिष्ट वर्ग में नये टेलिफोन कनेक्शन दिए जाने के लिए शामिल किया जायें। मैं अपील करूंगा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कदम उठायें।

(छः)　राजस्थान में सवाई माधोपुर में सीमेंट उद्योग को पुनर्जीवित किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

डा० किरोड़ीलाल मीणा (**सवाई माधोपुर**) : राजस्थान में सवाई माधोपुर जिला बुनियादी तौर पर एक जनजाति क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबधित 6 लाख से अधिक मतदाता रहते हैं। इस क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र ही अकेला उद्योग है जिसमें 5000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं जो कि न केवल उनके परिवारों 50,000 सदस्यां को आजीविका प्रदान करता है बल्कि इस पर सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था भी निर्भर करती है। कम्पनी द्वारा संयंत्र को बन्द कर दिये जाने के कारण इन 5000 श्रमिकों को गत 28 महीनों से वेतन नहीं मिला है और असल में अब वे भुखमरी के कगार पर हैं। भूख और कुपोषण के कारण लगभग 47 लोगों की मृत्यु हो गई है।

आई. आर. बी. आई. (बी. आई. एफ. आर. की कार्य संचालन एजेंसी) ने सरकारी एजेंसियों को विभिन्न रियायतें देने का सुझाव दिया है लेकिन सरकारी एजेंसियों ने कर्मचारियों के कल्याण के मामले में उचित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है।

फैक्टरी की कुल आय 70 करोड़ रुपए है जिसमें से 38.44 करोड़ रुपए सरकार की औसतन राजस्व आय है मेरा सुझाव है। (एक) कम्पनी की अनुत्पादक परिसम्मतियों की बिक्री से लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशी एकत्र करना; (दो) जब तक यह कम्पनी व्यवहार नहीं बन जाती इसे तुरन्त एक राहत उमक्रम घोषित करना; (तीन) आई. आर. बी. आई. द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस कम्पनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी रियायतें मंजूर की जानी चाहिए; (चार) 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से उत्पादन राहत दी जाए; (पांच) बी. आई. एफ. आर. द्वारा कम्पनी के समापन की कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए; (छः) श्रम सहकारी समिति, जो कि बी. आई. एफ. आर. और सरकार के समक्ष विचाराधीन है, स्थापित की जानी चाहिए और सरकार तथा सार्वजनिक हित में इस फैक्टरी को तत्काल खोला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित पाठ को ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(सात)　बिहार में कटिहार जूट मिल का अधिग्रहण किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री युवराज (**कटिहार**) : बिहार राज्य के अन्तर्गत कटिहार जूट मिल के मजदूरों का पारिश्रमिक, बोनस आदि का भुगतान नहीं किया गया है। इसे राज्य सरकार एवम् राज्य का औद्योगिक विकास निगम चलाता था, किन्तु कच्चा माल की आपूर्ति न होने के कारण उत्पादन ठप्प

है। मिल तो चालू है तथा हाजिरी भी ली जाती है, लेकिन पारिश्रमिक का अप्रैल, 1988 से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों की दशा दर्दनाक हो गई है।

अतः इस आधुनिकृत कटिहार जूट मिल को भारत सरकार अधिग्रहण कर समस्या का निदान निकाले।

(आठ) मध्य प्रदेश में इन्दौर में महिलाओं के लिए एक पोलिटेक्निक खोले जाने की मांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : आज सारा देश विकास की राह पर द्रुतगति से चल रहा है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित है। इस प्रगति में समाज का महत्वपूर्ण घटक स्त्री को उपेक्षित रखकर प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। हाल ही में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास तथा स्त्री सम्मान की रक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए इस दृष्टि से योजना को क्रियान्वित करने की बात कही है। रोजगार उन्मुख शिक्षा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का आज महत्वपूर्ण योगदान है। उसी दृष्टि से स्त्रियों को तकनीकी शिक्षा मिले इसलिए भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला पोलिटेक्नीक की स्थापना हुई है।

मध्य प्रदेश में इन्दौर औद्योगिक महत्वपूर्ण नगर है। इसके आसपास देवास पिथमपूर जैसे औद्योगिक संस्थान स्थापित और विकसित हुए हैं। कट जैसी संस्थायें इन्दौर में हैं। इस औद्योगिक विकास में महिलाओं की भी भागीदारी हो, इस दृष्टि से इन्दौर में "महिला पोलीटैक्नी" की स्थापना आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत ध्यान दे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 6 पर चर्चा करेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : कुछ कारणों की वजह से, हम चाहते है कि इस मद पर आज की बजाए कल चर्चा की जाए। और यदि सभा सहमत हो, तो हम मद संख्या 7 को चर्चा के लिए ले सकते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला पोन्नानी : इस सभा को जब तक उन कारणों का पता नहीं चलता वह इसके लिए जिस प्रकार सहमत हो सकती है। हम निश्चित रूप से सरकार से सहयोग करेंगे। लेकिन हमें उन कारणों का तो पता चलना चाहिए। और कल शुक्रवार है। मेरा यह निवेदन है कि यदि मतदान 1.00 म० प० और 2.00 म० प० के बीच कराया जाता है, तो यह सदस्यों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। यह 1.00 म० प० और 2.00 म० प० के बीच नहीं होना चाहिए। अतः आप देखें कि इस पर मतदान 2.00 म० प० के बाद अथवा इसके बाद हो।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं आपको स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दूंगा। इन दो विधेयकों के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मैं नहीं समझता कि इसके लिए मध्याह्न भोजन के 1 घंटे को समाप्त कर देने की कोई आवश्यकता है। आज हम मध्याह्न भोजन के लिए एक घंटे का समय ले सकते हैं और नियम 193 के अधीन चर्चा के काम आज ही इन दो

विधेयकों को पूरा कर सकते हैं। कल 12 बजे मध्याह्न को हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं जिसके लिए तीन घंटे का समय निर्धारित है। हम इसे 3.00 म० प० तक पूरा कर सकते हैं तथा कल 3 00 म० प० पर इसके लिए मतदान भी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ये दोनों विधेयक 6.00 म० प० से पहले पूरे हो जाएंगे और उसके तत्काल बाद हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू कर सकते हैं। यदि सदस्यों को इसके बारे में सूचित कर दिया जाता है तो उपस्थित रहने में उनके लिए सुविधा होगी।

श्री पी० उपेन्द्र : हम इस पर पहले भी चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : कल वाद-विवाद में तीन घंटे की कटौती नहीं की जानी चाहिए। संसदीय चर्चा मंत्री इस बात से सहमत है कि कल हम पूरे तीन घंटे वाद-विवाद के लिए लेंगे। उसके किसी कारण से कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि उससे कटौती की जाती है, तो मतदान स्थगित करना होगा।

श्री पी० उपेन्द्र : यदि हम 12.00 मध्याह्न पर चर्चा शुरू करेंगे। तो हम उसे 3.00 म. प, तक समाप्त कर सकते हैं, तब हम मतदान करा सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह स्पष्ट है कि मतदान से पहले वे तीन घंटे वाद-विवाद के लिए चाहते है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है क्योंकि कभी-कभी शून्य काल' 12.3 म० प० के बाद भी जारी रह सकता है। और यदि मतदान 4.00 म. प. के बाद शुरू होगा तो इससे कुछ सदस्यों के लिए कार्यवाई होगी। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हम सभी उपस्थित रहें। यह एक समस्या है जिसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि यदि किसी दिन, यदि वाद-विवाद अथवा चर्चा 9.00 म० प० के बाद भी जारी रहती है, तो रात्रि भोज के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से सदस्य जो नार्थ एवेन्यु अथवा दूसरी जगह रहते हैं, यदि वाद विवाद 9.00 म० प० के बाद जारी रहता है तो वे अपना खाना नहीं खा सकते। यह एक अनुरोध है जिसे मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से करना चाहता हूं।

श्री पी. उपेन्द्र : मुझे अफसोस है कि कल रात्रि भोज के लिए प्रबन्ध नहीं किये गए थे। ऐसा सोचा गया था कि सभा में कार्य सूची बहुत पहले अर्थात लगभग 7.30 म० प० पर समाप्त हो जाएगी। इसी वजह से रात्रि भोज के लिए प्रबन्ध नहीं किये गए थे। भविष्य में निश्चित रूप से इसके लिए प्रबन्ध किये जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मतदान के बारे में क्या कहना है ?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : कार्य मंत्रणा समिति में हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर तीन घंटे तक वाद विवाद होगा। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस विधेयक पर तीन घंटे तक वाद-विवाद करेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य सूची 3.30 म० प० पर शुरू होती है।

श्री पी उपेन्द्र : हम इस पर कल 12.00 मध्याह्न पर चर्चा शुरू कर सकते हैं और हम इसके बाद 3 00 म० प० के आसपास मतदान करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

अब हम अगली मद पर चर्चा शुरू करते हैं ।

12.36 म.प.

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं प्रस्तुतः करता हूं, कि

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग नियुक्त कर सकती है ।

1986 में जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन किये जाने में पहले सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह जांच आयोग अधिनियम की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किये गए जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई को दर्शाने वाला ज्ञापन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद छः महीने के अन्दर उसे लोक सभा या सम्बन्धित विधान सभा में रखती । यद्यपि 1986 में, पिछली सरकार ने यह उचित समझा कि रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सुरक्षा, विदेशी शक्तियों से मैत्रीपूर्ण संबंधों जैसे संवेदनशील मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोगों के प्रतिवेदन में कुछ अत्यधिक संवेदनशील सामग्री हो सकती है, इसलिए यह लोकहित में नहीं होगा कि ऐसा प्रतिवेदन लोक सभा या राज्यों की विधानसभा में पेश किए जाए । इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया था और अधिनियम धारा 3 की में उपधारा (5) और (6) अन्तः स्थापित की गई थी । इस अध्यादेश के स्थान पर अगस्त, 1986 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था । इस संशोधन में यह व्यवस्था है कि यदि सरकार इस से सहमत है कि भारत की प्रभुता और अखण्डता, देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में या लोक हित में आयोग की रिपोर्ट लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना उचित नहीं है तो जांच आयोग की प्रतिवेदन सभापटल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा व छः महीने के भीतर बशर्ते कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के इस सम्बन्ध में अधिसूचना की जाए और इस अधिसूचना के सम्बन्ध में लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

वर्तमान सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और वह यह समझती है कि लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ।

जांच आयोग की स्थापना सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। इसलिए ऐसे आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को लोक सभा या विधान सभा में पेश करने से किसी स्थिति में भी नहीं रोकना चाहिए और लोगों को सूचना प्राप्त होनी चाहिए जोकि व्यापक महत्व की है और उनके हित में है। इसलिए सरकार का यह विचार है कि 1986 में किये गये संशोधनों को रद्द कर दिया जाए।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। इसलिए, मैं इस सम्मानीय सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने इस सरकार के पिछले 110 दिनों के कार्यों की बड़ी हैरानी से देखा है। उनके अनुसार उन सबसे बड़ी उपलब्धि पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रद्द करना है। क्योंकि उन्हें संसार के अन्तिम वामपंथी दल का समर्थन प्राप्त है, इसलिए अब वे इस भ्रम में भ्रामक और भी दृढ़ता से ऐसे कार्यकर रहे हैं।

महोदय, अभी कुछ ही क्षण पहले इस सदन ने संसदीय कार्य मंत्री को पीठासीन अधिकारी से इस बात पर तर्क करते हुए सुना गया कि 64 वां संविधान संशोधन विधेयक कल क्यों प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका कारण वे बता नहीं पाए। हम चर्चा में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो कर आये हैं। हम जो कल को कहना चाहेंगे उसे अपने तक ही सीमित रखेंगे। 59 वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे इन्होंने इतनी धूमधाम से निरस्त कर दिया था, आंशिक रूप में 64 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में वापिस आ गया है।

1986 के अधिनियम 36 द्वारा जांच आयोग अधिनियम में संशोधन करके उपधारा 4 और धारा 5 को समाविष्ट किया गया था। आज गृह मंत्री यह दावा करते हैं कि यह उनकी महान उपलब्धि है वे इस संविधान संशोधन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज सरकार का ध्यान केवल बाहरी और बनावटी परिवर्तन लाने पर केन्द्रित है जोकि उनके भ्रम का परिणाम है।

महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद उस सरकार के सदस्य थे जिसने 1986 का 36 वां अधिनियम प्रस्तुत किया था और आज श्री सईद यह कहते हैं कि हम इस अधिनियम को समाप्त करना चाहते हैं। उन्हें अपने विचार बदलने का अधिकार है।

एक माननीय सदस्य : आज वह अधिक बुद्धिमान हो गए हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हां, आज वह अधिक बुद्धिमान हो गये हैं परन्तु इस बात की क्या गारन्टी है कि वह कल को और बुद्धिमान नहीं हो जायेंगे और कल को अपने विचार नहीं बदलेंगे? अब मैं आपको बताऊंगा कि इस विधेयक के रचयिता कहां हैं? इस बिल के रचनाकार, तत्कालीन कानून मंत्री श्री ए०के० सेन आज उनकी तरफ हैं। इस विधेयक की अधिसूचना के समय आंतरिक

सुरक्षा राज्य मंत्री आज उनकी तरफ हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि इस अधिसूचना के रचयिता जिनके बाद किसी और के पास अधिसूचना नहीं गई, और जिसके द्वारा ठक्कर आयोग की रिपोर्ट इस सदन में पेश नहीं की गई, उसके सृजक तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री आज उनकी तरफ हैं यह अधिसूचना उनके बाद किसी और के पास नहीं गई और मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री उन फाइलों को देखें।

इसलिए, महोदय, यह कहना बहुत अच्छा रहा कि अब हम अपनी बुद्धिमता के अनुसार इन चीजों को निरस्त करते हैं। हमें उस बुद्धिमता का ज्ञान है जिसके अनुसार इन्होंने 59वें संविधान संशोधन को निरस्त किया था और आज वही बुद्धिमता इन्हें 64 वां संविधान संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे रही है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर श्री सईद काफी लम्बे समय तक गृह मंत्री रहे तो, यह किसी समय ऐसा बिल ले कर आएंगे जिसके द्वारा यह कहेंगे कि, "मैं जांच आयोग की रिपोर्ट के इस हिस्से को गोपनीय रखना चाहता हूं।

आज कश्मीर में 20 जनवरी, 1990 के बाद हुई घटनाओं की जांच करवाने की मांग है। चार स्वतन्त्र लोग कश्मीर गए। "दि कमेटी आन इनिशिएटिव आन कश्मीर" ने बहुत ही दुखदायक रिपोर्ट दी है। उन्होंने तो ऐसी तिथियों का हवाला दिया है जिन्होंने कश्मीर की स्थिति का रूप बदल दिया है। पहली 19-20 जनवरी 1990 की रात है। एक मांग की गई थी। गृह मंत्री को आत्मसन्तुष्ट नहीं होना चाहिए आज हमने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। एक दिन यह मांग उठाई जायेगी जिसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि 19-20 जनवरी, 1990 से जो घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच कराई जाए। जब वह रिपोर्ट आयेगी, तब हम आपको इस बिल के अनुसार कार्य-वाही करने को कहेंगे। हम आपको उस रिपोर्ट का एक-एक शब्द सभा पटल पर रखने के लिए कहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप तब यह कहेंगे कि इस रिपोर्ट का यह हिस्सा बहुत ही संवेदनशील है कृपया इसे गोपनीय रहने दीजिए। निश्चय ही एक दिन आप यह कहेंगे।

भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन के माध्यम से कार्यवाही करते हुए किस प्रकार कानून का अतिक्रमण किया और एक सेवा निवृत्त न्यायधीश श्री सुब्रामनियम पोती को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में उन घटनाओं की जांच के लिए बिठा दिया जो कि दिल्ली में दंगों के परिणाम स्वरूप हुई। मेरे मतानुसार यह न्यायधीश रंगनाथ मिश्रा जांच आयोग की उपशाखा ही है। न्याय-धीश सुब्रामनियम पोती जिनकी बौद्धिक स्तर का मैं सम्मान करता हूं, निश्चित व्यक्ति नहीं है रूप से एक स्वतन्त्र न्यायाधीश और स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह वामपंथी लोकतान्त्रिक मोर्चे के उम्मीदवार के रूप में केरल में खड़ा था और कांग्रेस (इ) के एक सदस्य, श्री थामस द्वारा हराया गया था। उसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। उसने मार्क्ससवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी तथा आपके दल की सहायता से चुनाव लड़ा और आज वह एक स्वतन्त्र सदस्य बन गया है। आप देश के कानून की कसम खाते हैं। जांच आयोग और उसकी रिपोर्ट की पवित्रता की कसम खाते हैं।

केरल में भ्रष्टाचार लोक सेवक (जांच) अधिनियम के अंतर्गत गठित आयोग के लिए तीन व्यक्तियों की नियुक्ति से एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस कानून के अनुसार विपक्ष से

और विपक्ष के नेता से सलाह करना आवश्यक है। विपक्ष के नेता से सलाह न करने के कारण बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है।

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : नहीं, महोदय, ऐसा नहीं है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह निर्णय उच्च न्यायालय करेगा। दुर्भाग्यवश, आप यह नियुक्ति ····(**व्यवधान**)····कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। मुझे तथ्यों की जानकारी है और मैं इसे दोहराऊंगा। विपक्ष के नेता से कोई परामर्श नहीं किया गया और इसके कारण केरल में बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। हम यह विधेयक क्यों लाए हैं ? हमने पिछली सरकार के समक्ष में यह संविधान संशोधन क्यों किया ? जैसे कि मैंने कहा है कि हमने यह संविधान संशोधन इसलिए किया क्योंकि, हमेशा या कभी-कभी प्रकटीकरण और गोपनीयता में विवाद अवश्य ही रहता है। प्रश्न यह उठता है कि जनहित किस बात में हैं ? क्या जनहित सम्पूर्ण प्रकटीकरण में है या गोपनीयता बनाए रखने में वास्तव में जब हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया था, तो हमने कहा था कि यह एक समर्थक शक्ति है। न तो यह सरकार को किसी रिपोर्ट को छिपाने के लिए बाधा करती है और न ही संसद को किसी रिपोर्ट को गुप्त रखने का अधिकार देती है। यह एक समर्थक शक्ति है। यह अधिकार केवल उन्हीं परिस्थितियों में मिलता है जबकि इस अधिकार का प्रयोग करना एसी गम्भीर स्थितियों में अत्यावश्यक हो जाये जैसी स्थिति आजकल कश्मीर और पंजाब में है। और जबकि जांच कराना और सम्पूर्ण रिपोर्ट का प्रकटीकरण न करना अत्यावश्यक हो जाए। हमारे विचार में ऐसे समर्थक अधिकार अच्छे और आवश्यक हैं। इसके बावजूद सरकार एक तरफ या स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही नहीं कर सकती कार्यकारी सरकार को अपनी अधिसूचना को मंजूरी दिलावाने के लिए संसद के समक्ष आना पड़ेगा। अगर आप यह समर्थक अधिकार अपने पास नहीं रखना चाहते, तो यह आपकी अपनी इच्छा है। परन्तु यह शक्ति जो कि उपधारा 4 और 5 द्वारा प्रदान की गई थी, एक अच्छी आवश्यक तथा समर्थक शक्ति थी। इससे गोपनीयता और प्रकटीकरण में सन्तुलन बना हुआ था।

अब अगर यह सरकार अपनी बुद्धिमता के वशीभूत होकर जो कि हमने पिछले 100 दिनों में देखा है कि यह थोड़े समय ही रहती है, इस शक्ति को गंवाना चाहती है तो उनका स्वागत है।

परन्तु कल को अगर आप 64 वें संविधान संशोधन विधेयक की तरह फिर से घुटनों के बल आएं और कहें कि 59 वें सविधान संशोधन को निरस्त करके हमने गलती की है और आज हम 64 वां संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहते हैं तो सारा संसार और इस देश के लोग आप पर हंसेंगे।

आपकी वधवा जांच आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ। आप सम्पूर्ण प्रकटीकरण की कसमें खाते हैं। मैंने गृह मंत्री के भाषण में यह सुना था कि वे सूचना की स्वतन्त्रता के पक्षधर हैं। परन्तु वधवा जांच आयोग की रिपोर्ट न तो सदन में पेश की गई और न ही इसे सार्वजनिक रूप से प्रक किया गया। वकीलों के अनुसार उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा....

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : मंत्री जी, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। मेरी बात सुनिए। उन्हें आन्दोलन करना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा। सोमवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था। मंगलवार के लिए यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को बड़ी हिचकिचाहट के साथ, महान्यायवादी के माध्यम से सरकार ने यह माना कि एक महीने के भीतर वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। इसके लिए वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा और सरकार को इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए बाध्य करना पड़ा। इसलिए सूचना की स्वतन्त्रता के अपने सिद्धांत की कसम मत खाईए। देश को चलाने के लिए कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब प्रकटीकरण गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सन्तुलन बनाना आवश्यक है। हमारा विश्वास है कि जब पिछली सरकार ने 1986 का अधिनियम प्रस्तुत किया था तो हमने गोपनीयता और प्रकटीकरण के बीच यह सन्तुलन बनाए रखा था। अगर वर्तमान सरकार अपने आपको इस शक्ति से विहीन करना चाहती है तो उनका स्वागत है। परन्तु इसमें देश के बड़े और वास्तविक मुद्दों का समाधान नहीं निकलेगा। देश में वास्तविक मुद्दा जांच आयोग अधिनियम में किए गए संशोधन को निरस्त करने का नहीं है। वास्तविक मुद्दा 59 वें संविधान संशोधन को निरस्त करना नहीं हैं। वास्तविक मुद्दे कश्मीर और पंजाब के हैं। और यह सरकार कश्मीर और पंजाब में हो रही घटनाओं को एक दर्शक की भांति देख रही है।

अपने सिद्धांत के अनुसार हम जांच आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, परन्तु यह सरकार भ्रमित है, अपनी बुद्धिमता के अनुसार अपने आपको इस शक्ति से वंचित करना चाहती है तो ऐसा करने के लिए उसका स्वागत है। परन्तु मैं फिर एक बार यह दोहराना चाहूंगा कि इस सरकार के द्वारा बार-बार किए गए इस दावे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें वे सम्पूर्ण प्रकटीकरण, देश के कानून और लोगों को विश्वास में लेने में भरोसा रखते हैं क्योंकि उनके कार्यकलापों, उनके पिछले 100 दिन के व्यवहार, केरल में उनकी गतिविधियां और व्यवहार और वधवा आयोग की रिपोर्ट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया और व्यवहार, न्यायाधीश सुब्रामनियम पोती की नियुक्ति के सन्दर्भ में उनकी गतिविधियां और व्यवहार, यह सब बातें सरकार के उन सब दावों को झूठा साबित करती है।

यह इस विधेयक के सम्बन्ध में हमारे विचार हैं और अब इस सरकार को यह निर्णय करना है कि वे इस विधेयक को लाना चाहते हैं या नहीं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो लोकसभा चुनावों में निर्वाचित नहीं हुआ था। इस बीच कई घटनाएं घटी हैं, विशेषकर पिछली लोकसभा में; उनमें से एक है; निर्वाचित संसद सदस्यों व आम जनता को जानकारी के अधिकार से वंचित करना। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी भी सभा लोकतांत्रिक देश में, किसी भी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है।

श्री चिदम्बरम बहुत वाकपटु हैं। उन्होंने पहले यह कह कर अपने दायित्व से बचना चाहा कि यह ए० के० सेन के दिनों में किया गया था; उन्होंने इसी तरह की बातें भी कहीं। किन्तु मैं जानता हूं कि वह इससे बच नहीं सकते। अन्ततः उन्होंने यह स्वीकार किया। और राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार के कार्यों का समर्थन किया। (व्यवधान) मेरे विचार में वे अपने नेता व अपनी पार्टी के प्रति

बहुत वफादार हैं किन्तु मैं नहीं जानता कि पिछली सरकार के समय में हुए कई गलत कार्यों के प्रति भी कोई वफादार क्यों रहे।

मैं समझ सकता हूं कि आप शायद जांच आयोग न बैठाएं। इसके बारे में सोचिए; यह कुछ गलत नहीं है।

एक बार यदि आप जांच आयोग गठित कर दें और वह आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे तो मैं विवेक के किसी भी स्तर से यह कल्पना नहीं कर सकता; कि आप यह दावा कर सकते हैं कि आप आयोग के निष्कर्षों को संसद सदस्यों, या प्रेस से या किसी भी संस्था से छिपा लेंगे। अतः उन्होंने एक सिद्धांत उल्लेख किया है और वह है गोपनीयता की आवश्यकता। यह बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। यह उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में बहस के मुद्दे हैं, इस विषय में सदन में बहस नहीं होनी चाहिये। मंत्रीगण जब भी संसद सदस्य के रूप में चुने जाते हैं तो गर्व करते हैं कि जनतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं। किन्तु उनके कुछ कार्य-कलाप उन्हें तानाशाह बना देते हैं। अतः इस तरह की बातों पर न्यायालय में बहस की जा सकती है कि सरकार के पास आयोग गठित करने संबंधी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा वह कतिपय ऐसे कार्य कर सकती है जो उसकी प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए और जनता के हित में हो। मैं समझ सकता हूं कि एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब सरकार से क्रियाकलाप अर्थात् कुछ दस्तावेज, कुछ घटनाएं; कुछ सूचनाएं, जो सरकार के पास हो, अगर प्रकाश में आ जाएं तो उनसे परेशानी पैदा हो सकती है। गलत धारणा बन सकती हैं। यहां तक कि इसकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है इसके लिए श्री पी० चिदम्बरम मुझ से सहमत होंगे, कि लोकसभा के नियमों में तथा अन्य नियमों में भी कई प्रकार के संरक्षण और इसी प्रकार. सरकारी गोपनीय कानून में भी है, जिन्हें हम संशोधित करने की कोशिश करेंगे। सरकारी कानून और नियम की काफी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

मैं उन बातों का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहूंगा जिन्हें हम अखबारों में ठक्कर आयोग जैसे बहुत नाजुक मसले के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। इस बारे में हम सभी दुखी है। जिस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने अंग रक्षकों द्वारा मारी गई। उस पर हम सब को बहुत दुःख है। किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, आपातकाल के दौरान हमें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 18 महीनों के लिए जेल में ठूंस दिया। श्री पी० चिदम्बरम वहां नहीं थे। शायद वे न्यायालय में वकालत कर रहे थे। शायद वे उन भयावह दिनों के बारे में नहीं जानते जो हमने गुजारे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम जेल के दरवाजों से बाहर आने में सक्षम होंगे। किन्तु इस सबके बावजूद भी हम सब श्रीमती इन्दिरा गांधी की बहुत इज्जत करते थे। मैं एक क्षण के लिए भी कल्पना नहीं कर सकता कि तत्कालीन सरकार और गृहमंत्री, कैसे प्रधानमंत्री के जीवन की सुरक्षा के लिए भी सही पुलिसकर्मियों का चुनाव नहीं कर पाए; यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री अपने ही अंगरक्षकों द्वारा मारी गई। इस घटना ने संसार को हिला दिया था। सत्य की खोज के लिए व सत्य तक पहुंचने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था, हर व्यक्ति ने इसकी मांग की थी। मैं समझता हूं कि सबसे जोरदार मांग कांग्रेस (आई) की तरफ से थी, कि जनता को पता लगना चाहिये कि इन सबके पीछे कौन लोग थे। उस समय इस बारे में बहुत शक था। बहुत जोर शोर से यह कहा जा रहा था कि भारत अस्थिर हो जाएगा। मेरे ख्याल में गृहमंत्री जी को यह याद होगा। तब सौभाग्य से या दुर्भाग्य

से हम सब विपक्ष में थे। और हम सबको जनता का दुश्मन और राष्ट्रद्रोही कहा गया था। अब स्थिति की ओर देखते हुए यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरकार ने अपने काम के लिए, एक आयोग की नियुक्ति की थी। जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। तब सरकार ने इसे सभा पटल पर नहीं रखा; पहले तो सरकार ने पूरी रिपोर्ट सभापटल पर रखने से ही इन्कार कर दिया; तब सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया। आखिरकार, शायद, उन्होंने रिपोर्ट का एक हिस्सा सभापटल पर रखा।

1.00 म० प०

और तब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा श्री आर० के० धवन के बारे में ठक्कर आयोग द्वारा दी गई वह टिप्पणी थी, वह पैराग्राफ था जो पिछली बार मैंने यहां लोकसभा में पढ़ा था कि "शक की सुई" श्री धवन पर थी। यह रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सरकार इसे दबाना चाहती थी। अब श्री धवन राज्यसभा के सदस्य बन रहे हैं। वह राज्य सभा में लाए जा रहे हैं। ठीक है वे वहां स्थिति का सामना करेंगे व स्पष्टीकरण देंगे। मेरा कहना यह है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रश्न हो तब क्या किया जाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में श्री समरेन्द्र कुन्डु को कुछ समय और बोलने दिया जाए और जब उनका भाषण खत्म हो जाए तब हम दोपहर में भोजन के लिए सभा स्थागित कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : हम मध्याह्न भोजन के बाद चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जाता है, 2.00 म. प. पर कार्यवाही पुनः आरम्भ होगी।

1.01 म०प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

जांच आयोग (सशोधन) विधेयक—जारी

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं कह रहा था कि सरकार को यह निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है कि वह आयोग नियुक्त करे अथवा नहीं। किन्तु एक बार यदि सरकार आयोग नियुक्त करती है तो उसकी रिपोर्ट जनता की सपति हो जाती है। जो तर्क दिया गया है वह यह है कि राष्ट्रीय हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में और पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्धों के हित में रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए क्योंकि यह सरकार और भारत को उलझन में डाल देगी। किन्तु यह तर्क पूरी तरह

गलत और भ्रामक है, क्योंकि सभी दृष्टिकोणों से देखने के पश्चात् सरकार ने यह कार्यवाही करने का निर्णय लिया। जब रिपोर्ट ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को दोषी ठहराया, तो वह पीछे हट गई। यह अनुचित है, अलोकतांत्रिक है और अन्याय है। एक लोकतांत्रिक और सभ्य देश में हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उस घटना में क्या हुआ था जिसके लिए एक आयोग नियुक्त किया गया और जिस पर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया था। सरकार ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को जनता से छिपाने की कोशिश की। इसके लिए उसने पूरी कोशिश की। किन्तु उस समय जनता, प्रेस और विपक्षी दल के संसद सदस्यों द्वारा इतनी पुरजोर मांग की गई थी कि सरकार को अनमने मन से उस रिपोर्ट का एक हिस्सा सभा पटल पर रखना ही पड़ा। श्री चिदम्बरम यहाँ नहीं हैं। सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, बदकिस्मती से इस विवाद में सम्मिलित थे कि जो रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी वह पूरी थी या नहीं। यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो उन्होंने कहा था कि अनुबन्ध व अन्य दस्तावेज उस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थीं और जो सभापटल पर रखा गया था वह पूरी रिपोर्ट थी; हालांकि केवल रिपोर्ट का एक हिस्सा ही सभा पटल पर रखा गया था। मैं विपक्षी दल के उपस्थित सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को दबाने में जिन लोगों का, विशेषतया विपक्षी दल के मेरे प्रिय मित्रों का, हाथ रहा है, उन्होंने छल कपट से लोकतत्र की प्रतिष्ठा गिराई है जबकि हम सबको सारे विश्व में, विशेषतया गुट-निरपेक्ष देशों में इसे स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक या दो स्वतन्त्र और लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर हमारे आस पास के अन्य सभी देशों में तानाशाही है। इसलिए विश्व हमारी ओर देख रहा है। किन्तु हम उन्हें किस प्रकार के संदेश दे रहे हैं? इसलिए ऐसा संशोधन, जो सरकार को आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या सभा पटल पर रखने से मना करता है वह बहुत ही अलोकतान्त्रिक है तथा किसी भी सभ्य सरकार को शोभा नहीं देता।

मैं ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के बारे में कह रहा था। इस रिपोर्ट में** पर अभियोग लगाया गया था। इसके अनुसार.....**.....ने बेअन्त सिंह व सतवन्त सिंह द्वारा किए गए अपराध में मदद की थी। यदि यह रिपोर्ट का एक हिस्सा है तो आप यह कैसे कह सकते हैं?

जब कांग्रेस के लोग, अन्य और देश चाहता था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक बनाया जाए, तो आप इसे कैसे दबा सकते हैं? परन्तु सरकार ने जो किया वह असद्भावपूर्ण था। यह सिर्फ.....**..... को तथा भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी के सहायकों को बचाने के लिए किया गया था। इसके अलावा, मुझे बताया गया है कि 'ठक्कर आयोग' की रिपोर्ट में 'विदेशी हाथ' की ओर संकेत है। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रश्न नहीं है, यह हमारे देश के प्रधान मन्त्री का प्रश्न है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। अगर विदेशी हाथ की ओर संकेत है तो सभा को यह जानने का अधिकार है कि वास्तव में इसके पीछे कौन है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस (आई) के सदस्य बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी दल राष्ट्र-विरोधी है और विपक्ष का इसमें हाथ है। मुझे बताया गया है कि ठक्कर आयोग ने यह भी कहा है कि अमरीका में 'कैम्पर स्कूल, के नाम से एक संस्था है जहाँ भारतीयों को भारतीय नेताओं की हत्या करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और यह भी कहा गया है कि इस संस्था ने ही उन लोगों को प्रशिक्षित किया था

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिन पर यह शक किया जाता है कि उन्होंने 'एअर इण्डिया' के विमान में बम्ब रखा था जो 1985 में अन्ध-महासागर में ध्वंस हुआ था। इससे महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है। इसीलिए यह कहना बहुत तर्कहीन, गैरकानूनी और अलोकतान्त्रिक है कि इस आयोग की रिपोर्ट को इन नगण्य आधारों पर सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि इस विषय को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था अथवा नहीं। पहले जो कानून हुआ करता था, उसके अनुसार "यदि समुचित सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता के हित के लिए, और राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों से दोस्ताना सम्बन्धों के लिए, या जनहित के लिए, इसे लोक सभा या जैसी भी स्थिति हो, राज्य की विधान सभा के सामने रखना उचित नहीं होगा, तो धारा 4 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे " मैं यह कहना चाहता हूं यह कानून संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। मैं नहीं जानता कि इसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी या नहीं। मुझे यह कानून असंवैधानिक था काला कानून लगता है। यदि लोग इसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ले जाते तो इन न्यायालयों ने यही निर्णय दिया होता कि संसद अपने को सत्तारूढ़ दल के द्वारा इतने अधिकार नहीं दे सकती कि वह मूलभूत अधिकारों में दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों का हनन करें।

अन्त में, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने वायदे तथा नैतिक व्यवहार पर कायम रही है। कुछ लोग यह कहते हुए व्यंग्य कर रहे हैं कि यह खुली सरकार है। हां अवश्य ही यह खुली सरकार है। खुलापन यही है कि जो कुछ भी मन्त्रियों तथा सत्तारूढ़ लोगों द्वारा किया जा रहा है वह प्रेस के द्वारा, सभाएं आयोजित करके या और किसी तरीके से पता किया जा सकता है और सिर्फ इसी तरह से हम भ्रष्टाचार, उद्दण्डता और निरंकुशता को रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार, उद्दण्डता और निरंकुशता प्रजातंत्र तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जड़ें काटते हैं। शायद वह अलग ही शासन था जिसमें माननीय मित्रों को आवाज उठाने का, और दृढतापूर्वक खड़े होकर संविधान की रक्षा करने का और यह कहने का अवसर नहीं मिला कि नहीं, यह गलत है। पर अब एक जबरदस्त बदलाव आया है। अब हम पर खुलेपन के लिए व्यंग्य कसने के बजाए, उन्हें सार्वजनिक रूप से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए और अपने अपराध नहीं अपितु अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए जो उन्होंने इस तरह के काले कानून का समर्थन करके की थीं। मुझे बताया गया है कि श्री चिदम्बरम, जो तब गृह मन्त्री थे, ने एक हवाला दिया था। मेरे पास एक प्रेस रिपोर्ट है। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री श्री कल्प नाथ राय ने प्रेस से कहा था कि** रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में श्री ठक्कर के साथ श्री एम० एल० फोतेदार का हाथ था; और श्री एलेक्जेन्डर के बारे में भी ऐसा ही कहा था। महोदय, दूसरों पर दोषारोपण करना अच्छा लगता है। किन्तु सत्य यह है कि एक समय पर यह व्यवस्था इतनी दमनकारी थी कि श्री चिदम्बरम को यह मान लेना चाहिए था व श्री फोतेदार और श्री एलेक्जेन्डर से भी यह कहना चाहिए था कि वे भी इसके लिए जिम्मेदार थे। उस समय व्यवस्था इतनी दमनकारी थी कि दल में अन्दरूनी आजादी नहीं थी, असहमति की कोई परवाह नहीं की जाती थी और इसलिए, कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर थे। इस बारे

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। बहुत पहले लोक सभा में जब एक माननीय सदस्य किसी दस्तावेज का हिस्सा पढ़ रहे थे तो सत्तारूढ़ पक्ष के कांग्रेसी सदस्य ने 'गोपनीय दस्तावेज", का शोर मचाया था। तब पण्डित नेहरू ने श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो वहां पर बैठे हुए थे, पूछा, "यह क्या है ?" तब एक रिपोर्ट उनके पास लाई गई। तब, उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री से पूछा, "क्या यह रिपोर्ट की वही प्रतिलिपि है जो फाईल में थी ? मैंने शायद इसे देखा था।" श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा "जी हां, यह व उसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि है।" तब श्री जवाहर लाल नेहरू उठे और बोले, 'मैं कल इसे सभापटल पर रख दूंगा।" तब बहुत तालियाँ बजी थीं। इस प्रकार, महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य है कि तब ऐसे लोकतान्त्रिक मानदण्ड थे। अब तो सब कुछ बदल गया है और यह सरकार उन सभी लोकतान्त्रिक मानदण्डों को फिर से स्थापित करने तथा मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मैं चाहूंगा कि विपक्षी दल के माननीय सदस्य विशेषतया कांग्रेस सदस्य आज के हालात में इस विधेयक का समर्थन करें।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, जांच आयोग संशोधन विधेयक का पूर्णतः समर्थन न करते हुए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कितनी विडम्बना है कि यह धारा जिसके द्वारा इस विधेयक के अन्दर सेक्शन 3 को सेक्शन 4 इन्ट्रोड्यूस किया गया है जिसके द्वारा जाँच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना आवश्यक है और सदन को यह बताना आवश्यक है कि इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई। उसे 1971 में सलेक्ट कमेटी में पूर्णतः जांच करने के बाद पारित किया गया था और सलेक्ट कमेटी के अन्दर जो महानुभाव थे।

[अनुवाद]

जांच आयोग विधेयक 1965 संबंधी संयुक्त समिति में।

[हिन्दी]

उसमें एन० के० पी० साल्वे चेयरमैन थे, लोक सभा की सदस्या श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं उसकी सदस्य थीं; इसके अतिरिक्त 30 महत्वपूर्ण सदस्य जिसमें से अनेक कांग्रेस के माननीय सदस्य थे। उन्होंने सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को, जिसने बड़ी तन्मयता से अध्ययन किया, चिन्तन किया कि क्या जनता को यह बात पता लग सकती है कि क्या रिपोर्ट आई है जांच के बारे में, उसे सदन में रखना चाहिए या नहीं और इससे भी आवश्यक यह है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा वह मौन रही है या उसे छुपाना चाहती है। इसके बारे में भी, उसकी कार्यवाही का पूरा ज्ञान, सदन के पटल पर आना चाहिये। इसे श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने स्वयं 1971 में एक विधेयक के द्वारा पारित कराया था परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज, श्रीमती इन्दिरा गांधी की दुखद मृत्यु के पश्चात्, जो उनके वारिस के रूप में कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के साथ इन्दिरा गांधी की भावनाओं की भी हत्या कर दी जिसके द्वारा वे चाहती थीं कि सरकार सर्वोपरि रहे, सौविड रहे, सुप्रीम रहे और जनता जनार्दन को कमीशन ऑफ

इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में पूरा पता रहे कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी की हत्या तो हुई, परन्तु उनके जो असूल थे, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी अमेंडमेंट एक्ट के बाद, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जो उन्होंने सशोधन किया, उस संशोधन को समाप्त करके, उन बंधुओं ने इन्दिरा गांधी की दोबारा हत्या की, इन्दिरा गांधी की भावनाओं की भी हत्या की; जिसके लिये आने वाला इतिहास, संसदीय इतिहास, भारत का इतिहास, राजनीति का इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जांच आयोग किसलिये गठित किया जाता है: जब राष्ट्र में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कहीं गोलीकांड हो जाता है, कहीं पर फायरिंग हो जाती है, कहीं कोई डैम बर्स्ट हो जाये और उससे कई लोगों की जानें चली जायें, लोग मर जायें तो उसके कारणों की जांच के लिये सरकार द्वारा जांच आयोग गठित किया जाता है। जांच आयोग गठित करने के लिये जनता की आवाज उठती है, लोकसभा या विधान सभा में चारों ओर से आवाज गुंजित की जाती है, उसके उपरान्त सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम इस मामले की जांच करवाना चाहते है और जांच कार्य के लिये सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, जो आज भी इस देश में सबसे अधिक विश्वासपात्र माना जाता है। वह जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को फिर सदन के पटल पर रखा जाता है। यदि उस रिपोर्ट को जांच के बाद किसी अलमारी में कैद कर दिया जाये, गोपनीय कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि उससे जनतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी, संसदीय परम्पराओं और संसदीय प्रणाली की हत्या होगी और सबसे बड़ी हत्या होगी उन सिद्धांतों की जिनके द्वारा "राइट ऑफ इन्फार्मेशन" हमारा फण्डामैंटल राइट बना, जो जनता दल के मैनीफैस्टो में है, भारतीय जनता पार्टी के मैनीफैस्टो में है, मैनीफैस्टो में है वह इसलिये है कि आज पत्रकारों के द्वारा अन्य लोगों के और भी अन्य कई दलों के द्वारा, बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि राइट ऑफ इन्फार्मेशन हमारा बेसिकराइट है, फण्डामैंटल राइट है, मौलिक राइट है। इसलिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एस. पी. गुप्ता के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में वादविवाद चला; निक्सन के द्वारा जब वाटरगेट का टेप छिपाने का प्रयास किया गया, शायद मेरे कुछ बन्धु नहीं जानते कि दुनिया के जनतत्र में जिसे "इन्सटीट्यूशन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, जो अपने आप को जनतंत्रों का सबसे बड़ा पहरेदार कहते हैं, उन निक्सन के युग में जब टेप को छिपाने का प्रयास किया गया, तो मैं यह: बधाई देना चाहूंगा उस देश की ज्यूडोशियरी को, वहां के न्यायाधीशों को, जिन्हें स्वयं निक्सन ने नियुक्त किया था उन्होंने निष्पक्ष भाव से लिखा जब प्रिविलेज क्लेम किया गया अब गोपनीयता की बात कही गयी, टेप को गुप्त रखने की बात कही गई, जब निक्सन ने कहा मैं इस टेप को नहीं दूंगा, नहीं प्रस्तुत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाये, तो वहां के न्यायाधीशों ने क्या कहा, वह मैंआपको बताना चाहता हूं एस. पी. गुप्ता के केस में 1982 सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हमारा एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, यद्यपि उसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ही कहूंगा क्योंकि उसके द्वारा न्यायपालिका के अधिकारों को, न्यायापालिका के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था। परन्तु जहां तक राइट ऑफ इन्फार्मेशन का प्रश्न है, इसके पृष्ठ 242 को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं, कोट करना चाहता हूं। यहां हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्क्लोजर" और "इन्फार्मेशन" में अन्तर है, डिस्क्लोजर अलग होता है, इन्फार्मेशन अलग होती है, तथा राइट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड राइट ऑफ डिस्क्लोजर के बीच जो

बारीकी या तकनीकी अन्तर है, उसे छद्मवेश में इस रिपोर्ट में छिपाने की कोशिश हुई है, जो इससे एक्सपोज्ड हो जायेगा : इसमें लिखा है :—

[अनुवाद]

मैं यहां, एस.पी. गुप्ता तथा अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य (ए.आई.आर. 1982 उच्चतम न्यायालय, 1991 के मामले में दिए गए एक निर्णय उद्धृत करता हूं, जो इस प्रकार हैं :

"लार्ड सालमन ने भी" रेग बनाम लेविस जस्टिस, पदेन गृह राज्य मन्त्री के मामले (1973 ए०सी० 388) में पृष्ठ 513 के पूर्ववर्ती पृष्ठ पर स्पष्टवादिता सिद्धान्त को अस्वीकार करते हुए इसे पुराना कुतर्क कहा कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी तब तक स्पष्ट बात लिखने से परदेज करेगा जब तक उसे यह विश्वास न हो जाए कि जो वह लिखेगा, उसे कभी भी प्रकट नहीं किया जाएगा। स्पष्टवादिता की दलील को अमरीका में न्यायाधीशों और न्यायविदों ने भी नहीं माना है और वाटर गेट कांड से संबंधित टेपों को प्रकट करने की मांग के विरुद्ध राष्ट्रपति निक्सन द्वारा निरापदता के दावे पर बोलते हुए राओल बर्जर ने अपनी पुस्तक "एग्जिक्यूटिव प्रिविलेज ए कांस्टीच्यूशनल मिथ" में पृष्ठ 264 पर जो कुछ कहा है, वह रूचिकर है।

"निष्पक्ष विनिमय", सन्देहास्पद गोपनीयता का एक और बहाना है। केवल व्हाईट हाऊस का सदस्य होने से ही श्री निक्सन के निरापदता सम्बन्धी दावे का कोई स्पष्टीकरण नहीं है. यह 25 लाख सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस की जांच से निरापद रखने की क्लीनडिस्ट की दलील को उचित नहीं ठहराता। यह केवल सत्ता के विस्तार का सबूत है जिसका नुकसान इसके फायदे से अधिक है। गैर-कानूनी उत्तराधिकार की अन्तिम शाखा के रूप में यह पृष्ठ 239 पर प्रशासनिक विशेषधिकार के दावे को दर्शाता है।"

[हिन्दी]

एस०पी० गुप्ता के मुकदमे के अंदर हमारे न्यायाधीशों ने स्पष्ट तौर पर कहा, श्रीमान् न्यायाधीशों के बीच में किस प्रकार का पत्र-व्यवहार हुआ, दिली के न्यायाधीश ने क्या लिखा दिया सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति के सिलसिले में, वह गोपनीयता कितनी ही क्यों न हो, लेकिन जब जनता का प्रश्न है, जब जनता-जनार्दन का प्रश्न है, न्याय का प्रश्न है, इन्साफ का प्रश्न है, तो उसको गोपनीय नहीं रखा जाएगा और जनता के दरबार में प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे सब पढ़ सकें, इसलिए उसको प्रस्तुत कराया जाएगा।

श्रीमान् मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने संविधान में धारा 19 रखी है और आर्टीकल 19 स्पष्ट तौर पर कहता है कि इस प्रकार से कोई भी गोपनीयता की बात, प्रिवलेज की बात इम्यूनिटी की बात, नान डिस्क्लोजर की बात, जनता-जनार्दन से छिपाने की बात नहीं की जा सकती है।

श्रीमन्, मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि जस्टिस छागला के जमाने में, हमारे यहां पर टी०टी०के० कृष्माचारी और मूंदड़ा केस के अंदर एक बहुत बड़ी जांच हुई। वह भी एक जांच आयोग था। खुली जांच बम्बई के अन्दर हुई थी। बम्बई में शामियाने लगा दिए गए थे और शामियानों के अन्दर हजारों-लाखों की संख्या में लोग आते थे और टी० टी० के०

कृष्णाचारी को उसके लिए इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद मूंदड़ा को जेल के सीखचों में बन्द कर दिया। यदि यह रिपोर्ट पहले आ जाती, ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पहले आ जाती और सही तरीके से प्रस्तुत होती, तो सम्भवतः आज जो**में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वे** दिल्ली की जेल के सीखचों के अदर बन्द होते और उनसे पूछा जाता कि इन्दिरा गांधी के खून के धब्बे आपके ऊपर लगे हुए हैं? जस्टिस ठक्कर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि शक की सुई की तरफ जाती है और मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जो स्व० इन्दिरा गांधी के वारिस हैं, वे भी आज उस शक की सुई को हटाकर, और शक की सुई जिसकी तरफ जाती है, उस** को जेल के सीखचों में बन्द करने की जगह तिहाड़ जेल में शोभराज के साथ बैठाने की जगह, जो हमारी पवित्र संसद है, जो हमारा पवित्र सदन है उसमें लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमन, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के अनुसार लोक हित के अनुसार, जनतंत्र के अनुसार यह आवश्यक और अनिवार्य है कि यह सब सामने आना चाहिए। आज जो छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने बार-बार छिपाने का प्रयास किया है। क्यों छिपाने का प्रयास किया है? क्या ** ने यह षड्यन्त्र करवाया था? क्या राजीव गांधी इसके लिए जिम्मेदार थे? क्या राजीव गांधी ने यह षड्यंत्र किया? क्या राजीव गांधी इसके पीछे थे? वे क्या कारण थे? जनता के सामने आने चाहिए। इसलिए श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के बंधुओं को दर्द नहीं होना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए····(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि इन माननीय सदस्य ने ** का नाम लिया है, चूंकि ** इस हाउस के सदस्य नहीं हैं इनको एलीगेशन लगाने के पहले राइटिंग में देना चाहिए। अगर किसी का नाम लिया जाता है, जो इस हाउस का सदस्य नहीं होता है, तो····(व्यवधान)····

श्री कालका दास करोलबाग : सभापति महोदय, यह तो सच्चाई है। यह एलीगेशन थोड़े ही है। अगर सच्चाई न बताएं और उनका नाम न बताएं, तो शक किसी और के नाम का हो सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कोई आरोप लगाया है तो कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, ** के खिलाफ इन्दिरा गांधी की हत्या की सुई इंगित करना, यह कोई कोलम्बस की खोज नहीं है कि यह पहली बार आया हो, यह तो सर्वविदित है, विश्वविख्यात है, सभी जानते हैं और जस्टिस ठक्कर की रिपोर्ट आई है, सदन के पटल पर रिपोर्ट

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आई है कई बार सदन में उनका नाम आया है। इसमें ऐलीगेशन वाली कोई बात नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर अपनी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि जैसे 59थ अमेंडमेंट का इन्होंने फाइट करवाया और यह स्वीकार कर लिया कि हमने राईट आफ लाइफ, जीने के अधिकार को पंजाब में समाप्त कर दिया था, वह गलती थी,

और अपनी गल्ती को इन्होंने स्वीकार करके समर्थन किया, उसी प्रकार से आज मैं चाहूंगा कि राजीव गांधी और उनके साथी इस बात को स्वीकार करें कि हमने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की है, हिस्टारिकल बलण्डर, पालिटिकल बलण्डर, कांस्टीट्यूशनल बलण्डर की है।

[अनुवाद]

हमने लोकतंत्र का बलात्कार किया है। हमने लोकतन्त्र की हत्या की है। हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्र और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकार है, की हत्या की है।

[हिन्दी]

अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने विपक्ष के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वह इसका समर्थक करें। देर आयद दुरुस्त आयद। फिर से यही कहते हुए कि वह इसका समर्थन करें, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : ठक्कर, जिन्होंने फेयरफैक्स मामले की जांच की थी, ने पाया था कि प्रधानमन्त्री श्री वी०पी० सिंह दोषी है। श्री वी०पी० सिंह के फेयरफैक्स के साथ सम्बन्धों के बारे में आपके पास क्या जवाब है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहें। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। मैंने प्रो० सोज को बोलने के लिए कहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं इस जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूं। आखिरकार यह अधिनियम की धारा 3 में 1986 में किए गए संशोधन को रद्द करता है। इस संशोधनकारी विधेयक का स्वागत हैं। यह कहता है कि रिपोर्ट को पेश किए जाने के 6 मास के भीतर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और सदन को जांच आयोग द्वारा की गई जांच के विषय के संबंध में अन्धेरे में नहीं रखा जा सकता। मैं इसका स्वागत करता हूं।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 में कहा गया है :

"एक जांच आयोग की स्थापना लोक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच के लिए की जाती है। इसलिए, ऐसे आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को किन्हीं भी परिस्थितियों में लोक सभा या विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने से नहीं रोका जाना चाहिए

और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए जो उनके लिए अत्यंन्त महत्व रखती है। यह महसूस किया जाता है कि 1986 में किए गए संशोधनों को समाप्त किया जाना चाहिए।"

यह एक अच्छा संशोधन है और मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु जहां तक लोक महत्व का सम्बन्ध है, मैं इस सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता हूं कि सरकार को एक ऐसा संशोधन पेश करना चाहिए कि यदि वास्तविक रिपोर्ट उपलब्ध है, चाहे वह गैर-सरकारी रिपोर्ट हो, तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे।

आज शून्य काल में सदन को यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा था कि कश्मीर की स्थिति पर वास्तविक रिपोर्ट उपलब्ध है। यह कमेटी काट 'इनिशिएटिव आन कश्मीर' की रिपोर्ट है। उस समिति ने भारत के बहादुर सपूतों, तपन बोस, दिनेश मोहन, गौतम नवलख सुमन्त बनर्जी को वहां भेजा था। यह चार लोग 12 से 16 मार्च तक कश्मीर घाटी में रहे थे। वह श्रीनगर तथा कश्मीर घाटी के अन्य स्थानों पर भी गए थे। उन्होंने हदवाड़ा तथा कोपवाड़ा तक जाकर अनन्तनाग के सभी स्थानों को देखा था और वास्तविक रिपोर्ट पेश की थी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने वह रिपोर्ट देखी है और वास्तव में सही पायी है। गृह मंत्री ने जब पहले कश्मीर पर बहस में भाग लिया था तो उनके पास आंकड़े नहीं थे। उनके राज्यपाल ने उन्हें कश्मीर में हुई मौतों के बारे में सूचित नहीं किया था। राज्यपाल ने उन्हें जख्मी हुए लोगों के बारे में नहीं बताया था। इस रिपोर्ट में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार गिरफ्तारियां, लगातार कर्फ्यू तथा गलत जानकारी जैसी हर प्रकार की ज्यादतियों के संबंध में बताया गया है।

सभापति महोदय : सोज जी, क्या आप जांच आयोग (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं? आप कृपया संशोधन पर बोलिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट पर ध्यान दे। मैं तो यह कहूंगा कि कश्मीर के मामले पर एक जांच आयोग होना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, लोगों के साथ अर्द्ध सैनिक बलों के हाथों क्या हो रहा है और कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं। मैं इस रिपोर्ट से केवल एक पैरा पढ़ता हूं।

> "यह विडम्बना दी है कि "आतंकवाद" को दबाने की सरकारी योजना से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें आम लोग, जो अब तक प्रतिबद्ध नहीं थे, यह सोचने लगे है कि भारत से स्वतन्त्रता—जैसी कि कुछ आतंकवादी ग्रुपों की मांग है—की सरकारी दमन से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। यह भावना एक कश्मीरी सरकारी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त की गई थी कि 19 जनवरी तक मैं आतंकवादियों के खिलाफ था, आज मैं उनके साथ हूं।"

सभापति महोदय : यह विषय से संबद्ध नहीं है।
इन सब बातों को बीच में न लाएं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं यह रिपोर्ट सभा पटल * पर रखता हूं।

---

* चूंकि बाद में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, इसलिए रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं मांग करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस बात की जांच करवाई जाए कि कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याएं कैसे हुई, वहां अभी तक कर्फ्यू क्यों जारी रखे हुए हैं, और अस्पतालों में औषधियां क्यों नहीं है ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी किसी रिपोर्ट से एक पैरा पढ़ कर सुनाया है। हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस स्थिति में यह रिपोर्ट सभा पटल पर अवश्य ही रखी जानी चाहिए। माननीय सदस्य को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह रिपोर्ट सभा पटल पर अवश्य ही रखी जानी चाहिए ताकि हमें इस बारे में जानकारी मिल सके और हम इस पर विचार कर सकें। मैं मांग करता हूं कि यह रिपोर्ट सभापटल पर अवश्य रखी जाए।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं मांग करता हूं कि यह रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाए। व्यवस्था के इस प्रश्न पर हम आपका विनिर्णय चाहते हैं।

सभापित महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाए।

सभापति महोदय : यह इससे संबंधित नहीं है। यह अब संगत नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं मांग करता हूं कि यह सभापटल पर रखी जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जांच आयोग को कश्मीर में हुई ज्यादतियों की छान बीन करनी चाहिए (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब हम जांच आयोग (सशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। आप बीच में कोई और ही बात ला रहे हो। आपको इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी वह आपको लिखेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने एक पैरा पढ़ा है। यह मांग की गई थी कि मुझे इसे सभा पटल पर रखना चाहिये। मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। हम इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि इसे सभा पटल पर रखा जाए या नहीं। आपकी रिपोर्ट की जांच के पश्चात् ही इसे सभा पटल पर रखा जाएगा; अभी नहीं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जिस रिपोर्ट से प्रो० सैफुद्दीन सोज ने उद्धत किया है, वह सरकारी रिपोर्ट नहीं है। यह किसी प्राइवेट एजेन्सी की रिपोर्ट है। सदन के नियमों के अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी अनुमति दें तो प्रो० सैफुद्दीन सोज इसे सत्यापित करके सभा पटल पर रख सकते हैं।

वह बार-बार मना करते रहे। मैं सुबह से उनसे तर्क कर रहा हूं। उन्होंने इस प्रक्रिया से संबंधित नियमों को पढ़ने से निरन्तर इन्कार किया और वह यही कहते जा रहे हैं कि "मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।"

श्री जी० एम० बनातवाला : उन्होंने इस मामले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने सदन में निर्णय लिया है। जब सदस्य ने उत्तरदायित्व लिया है और सदन में निर्णय लिया है, तो उन्हें उसे सभा पटल पर रखना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसको उपयुक्त नियम के अंतर्गत सभा पटल पर रखने से किसी को ऐतराज नहीं है। हमारी यह जानने में भी रुचि है कि उस रिपोर्ट में क्या है? अतएव, इस प्रकार शोर मचाने के बजाय बेहतर होगा कि वह प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सभा पटल पर रखें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। मैं नियम पढ़ना चाहता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उन्होंने पहले ही उसे सभा पटल पर रख दिया है। यह पहले ही किया जा चुका है।

सभापति महोदय : प्रो० कुरियन, मैं नियम पढ़ता हूं। निर्देश 118 (1) कहता है :

> "यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा-पटल पर कोई पत्र अथवा दस्तावेज रखना चाहे, तो वह पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा ताकि वह यह निश्चय कर सके कि क्या पत्र अथवा दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये। यदि अध्यक्ष सदस्य को पत्र अथवा दस्तावेज को पटल पर रखने की अनुमति दे दें, तो सदस्य उसे उचित समय पर सभा-पटल पर रख सकेगा।"

इसलिए, प्रो० सोज आप इसे लिखित में दें। उनको यह पढ़ने दें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने पहले ही उससे उद्धृत किया है। मैंने उसे प्रमाणीकृत कर दिया है। उसको सभा पटल पर रखा जा चुका है। मुझे बस यही कहना था····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि इसकी अनुमति दी जा सकती है, तो हम इसे कर सकते हैं किन्तु अभी नहीं। पहले इसकी जांच की जायेगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभापति महोदय, श्रीमन्, आप हमारी मांग पर ध्यान दें।

सभापति महोदय : मैंने आपकी मांग को नोट कर लिया है। हम उस पर विचार करेंगे और उसकी जांच करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि वहां पर किये गये अत्याचारों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : सभापति महोदय, श्रीमन्, पहले मैं मन्त्री महोदय को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई दे दूं क्योंकि इस प्रकार के विधेयकों के अधिनियम बनाने से ही लोक तंत्र व स्वतंत्रता, जो विगत कुछ वर्षों में बेड़ियों में जकड़े रहे की पुनंस्थापना हो सकती है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? वस्तुतः, यह हमें ऐसा कोई नवीन अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्रदान नहीं कर रहा है जो पहले नहीं था। यह मुझे वर्ष 1978 का याद दिलाता है जब 44वां संविधान (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम का क्या उद्देश्य था? 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम ने, जो 1976 में पारित हुआ, संसद व जनता के कुछ मूलभूत अधिकारों व विशेषाधिकारों का हरण कर लिया था। 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम ने केवल उन अधिकारों, उन विशेषाधिकारों को संसद व जनता को दे दिया। यह विधेयक जिस पर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, भी इसी प्रकृति का है।

श्रीमन् मूल जांच आयोग अधिनियम, 1952 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि सरकार के लिए गठित जांच आयोगों की रपट संसद अथवा विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी है। तब फिर ऐसे जांच आयोगों के गठन का तात्पर्य क्या था? आखिरकार, जांच आयोगों, जांच समितियों का गठन किसी बड़े गम्भीर जन-महत्व वाले मामले की छानबीन हेतु होता है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कदम उठाने होते हैं। किन्तु दोषी व्यक्ति कौन हैं? इससे अवगत कराया जाना परमावश्यक है। इसी कारण जांच आयोगों का गठन होता है। वर्ष 1971 में, संसद के सम्मुख एक विधेयक लाया गया था। तत्कालीन सरकार का यह पूरा प्रयास था कि जांच आयोगों के प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रकाशित करने को बाध्यकारी बना दिया जाये। यही मन्तव्य 1971 के विधेयक को लाने का था। किन्तु 1986 के संशोधन में, वह बाध्यकारिता हटा दी गयी। कारण क्या था? श्रीमती इन्दिरा गांधी की निर्मम हत्या हो गयी थी। यह कहा गया कि उनकी हत्या में विदेशी हाथ था। यह कहा गया कि सुरक्षा का जिम्मा सम्हाले शीर्ष अधिकारियों ने लापवाही बरती थी। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्याकांड को जन्म देने वाली परिस्थितियों का पता लगाना एक बड़ा जन-महत्व का मामला नहीं था। जी हां था और, इसी कारणवश ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। किन्तु 1986 में, हमने देखा कि तत्कालीन सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 को संशोधित कर दिया और ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया। ऐसा नहीं था कि सरकार किसी भी जांच आयोग के किसी भी प्रतिवेदन को प्रकाशित करना नहीं चाहती थी। ऐसी बात नहीं थी। श्री चिदम्बरम जी ने बतलाया कि प्रकाशन व गोपनीयता के बीच एक नाजुक संतुलन था किन्तु हमने पाया कि संतुलन सदैव सत्तारुढ़ दल के पक्ष में झुकता रहा। उन्हें जब भी लगा कि कुछ जाँच आयोगों के कुछ प्रतिवेदन, विपक्ष के विरोध में जा सकते हैं, तब वे रिपोर्ट को प्रकाशित कर देते, और जब भी उन्हें लगता कि कुछ आयोगों की रिपोर्टें सत्तारुढ़ दल व सरकार के लिये, सारी सरकार के लिये सरकार से संबंधित किसी गुट अन्यथा कुछ व्यक्तियों के जो भावनात्मक व राजनैतिक रूप से सरकार के नजदीक हों, के लिये नागवार गुजरेंगी, तब वे लोग आयोग के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं करते थे। उस संतुलन की यही नियति थी आप तो चित भी मेरी और पट भी मेरी मान कर चलते थे। क्या जांच आयोग कोई खिलौना है? यदि आप रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करना चाहते तो जांच आयोग बिठाते ही क्यों हैं? अच्छा हो यदि ऐसे आयोगों

का गठन ही न हो। हमें जनता की आंख में धूल नहीं झोंकनी चाहिये। वर्ष 1986 में किया गया संशोधन हमारे देश के एक मौलिक अधिकार का हनन था। हमारे संविधान के भाग III में, अनुच्छेद 19 (1) के अनुसार, एक अधिकार है जिसे 'भारत' के नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार' कहा गया है। मुझे विदित है कि ऐसे कई आधार हैं जिनके जरिये इस प्रकार की भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। किन्तु वे आधार क्या हैं? वे हैं; राष्ट्र की सार्वभौमता व अखण्डता, मित्र राज्यों व पड़ौसी राज्यों के साथ सम्बन्ध, सार्वजनिक नैतिकता, मर्यादा। यह आधार थे। किन्तु जन-हित वाला आधार नहीं है। 1986 के संशोधन में, उनका कहना था कि यदि संबंधित सरकार संतुष्ट है कि भारत की सार्वभौमता व अखण्डता के हित में, अथवा जन-हित में, कोई रिपोर्ट अथवा उसका कोई भाग लोक सभा अथवा विधान सभा के पटल पर रखा जाना हितकारी नहीं है, तो उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह 'जन-हित' अपरिभाष्य है। पिछले चालीस वर्षों में हमने देखा कि कितने ही जन-विरोधी कानून पास किये गये। आपातकाल की घोषणा, सीधे या प्रकारान्तर से, जन-हित के आधार पर की गई। यह हमने देखा है। अतः, जन-हित की व्याख्या सत्तारुढ़ दल को नहीं करने दी जा सकती। क्योंकि चिदम्बरम जी ने बताया कि पिछले संशोधन में एक प्रावधान यह था कि प्रत्येक अधिसूचना को लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा जो यह निर्णय करेंगे कि रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाये अथवा नहीं। किन्तु, अन्ततोगत्वा, सत्तारुढ़ दल किसी भी सदन के अधिकांश सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और यदि अधिकांश सदस्य मासोकवादी (Masochist) की तरह व्यवहार करने लगें, और जब सत्तारुढ़ दल, सरकार उनके कतिपय अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित कर रही हो उस समय सब मेजें थपथपाने लगें, तो क्या किया जा सकता है। लोकतन्त्र का अर्थ तानाशाही अथवा अज्ञानता अथवा अधिसंख्यक लोगों की मासूनियत नहीं है। उसका इस प्रकार अर्थ नहीं निकल सकता। उसकी इस ढंग से व्याख्या नहीं की जा सकती। अतएव, यह सरकार को अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम नहीं था जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा। बल्कि इससे सरकार को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट दबाने की सामर्थ्य मिली। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को नार्थ ब्लाक में सुरक्षित रख दिया गया और जनता अनभिज्ञ रही। क्या यही जनहित है? नहीं श्रीमन्। आखिरकार, लोगों को बातें जानने का अधिकार है। अन्यथा वे भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। अतः, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अभाव तथा सूचना पाने का अधिकार का अभाव एक ही बात है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने से सूचना पाने का अधिकार जरूरी हो जाता है।

ब्रिटिश राज में भी, जलियांवाला बाग की घटना के उपरान्त, हन्टर आयोग की स्थापना हुई थी। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी; उसमें मतभेद भी दर्शाया गया था। श्री सीतलवाड़ ने भिन्न मत दिया था। इस मतभेद से ब्रिटिश शासक प्रसन्न नहीं हो सके। यह उनके लिये परेशानी का बायस रहा होगा। किन्तु ब्रिटिश शासकों ने हन्टर आयोग की रिपोर्ट को दबाया नहीं।

किन्तु हमारे स्वतन्त्र भारत में, हमारी अपनी सरकार ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया, या कहें कि यदि आयोग की रिपोर्ट उनके हितों के विपरीत पड़ती है तो किसी भी जांच आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया जाता है। यह या उस

सरकार का चरित्र। अतः यह अत्यन्त स्वाभाविक था कि सरकार लोगों से अलग थलग रह गई; सरकार सत्य से भय खाती थी।

इसलिये मैं एक बार फिर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हो सकता है, जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, यह मुफ्ती जी की क्षणिक बुद्धिमत्ता का फल हो। परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं चिदम्बरम जी की लम्बे अर्से से चली आ रही मासूमियत या अज्ञानता के बजाय मुफ्ती जी की क्षणिक बुद्धिमत्ता को तरजीह देता हूं।

2.52 म. प.

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, आज एक अत्यधिक प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या जांच आयोगों के सभी प्रतिवेदनों को संसद अथवा विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए और आम जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए अथवा नहीं। मेरा विचार है कि जांच प्रतिवेदनों को ताक पर नहीं रखा जाना चाहिए। परन्तु कुछ ऐसी जांच-पड़तालें हैं कि यदि उन्हें प्रकाशित कर दिया जाये तो वे देश में गंभीर उथल-पुथल कर देगीं।

जब मैं छोटा था तब शबरीमलाई के श्री अयप्पा मन्दिर में एक अग्निकांड हुआ था। उस समय श्री सी० केशवन त्रावन्कोर के मुख्य मंत्री थे। वे एक प्रसिद्ध प्रशासक थे। इसकी जांच करायी गयी। परन्तु श्री केशवन ने कहा कि जांच रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जायेगा, चाहे जो हो। और उसी समय उन्होंने कहा कि यदि वे जांच रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं तो इससे केरल में साम्प्रदायिक सद्भाव हमेशा के लिए अस्त व्यस्त हो जायेगा। उनका ऐसा दृष्टिकोण था।

कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें यदि जांच आयोग नियुक्त भी किये जाते हैं और हमें जांच रिपोर्ट प्राप्त भी हो जाती है, तो क्या इन रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जा सकता है? इस संशोधन को ऐसे समय पर लाया गया है जबकि देश के विभिन्न भागों में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों और गडबडी से सम्पूर्ण देश को झटका लगा है। इस सन्दर्भ में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सशोधन पर पुर्नविचार करे। महोदय, यह सरकार कहती है कि वह एक खुली सरकार है और यह एक मूल्यों पर आधारित सरकार है। क्या यह ऐसा है? पहले गठित जांच आयोगों के प्रति सरकार का क्या रवैया है? हाल ही में, सरकार ने दिल्ली के 1984 के दंगों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? मैं इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। वे केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश हैं। वे पिछले संसदीय चुनाव में मेरे खिलाफ वामपंथी लोकतान्त्रिक मोर्चा के उम्मीदवार थे। परन्तु उन्हें जनता ने नहीं चुना वे राजनैतिक सूझ-बूझ के व्यक्ति है। परन्तु मैं उनकी सत्यनिष्ठा पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। ऐसे राजनैतिक सम्बन्धों वाले व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है महोदय, इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ समिति के निष्कर्षों के प्रति थोड़ी सी आशंका हो सकती है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या यहां एक खुली सरकार है?

महोदय, केरल में एक "लोकहित भ्रष्टाचार-विरोध विधेयक है जिसे सत्ता दल और विपक्ष के समर्थन से पारित किया गया था। यह विधेयक सरकार को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता

है। उस आयोग में दो सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इसके अतिरिक्त, उस विधेयक में इस बात का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। परन्तु विपक्ष के नेता से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। तब, विचार-विमर्श का क्या तात्पर्य है? दो सेवानिवृत न्यायाधीशों को सत्तारूढ़ राजनैतिक दल से सम्बद्ध माना जाता है। उन्होंने अपनी सेवानिवृनि के पश्चात यह विशेष पदभार संभाला है। यदि ऐसा है तो आम जनता उच्च न्यायालयों में उन न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णयों के बारे में क्या सोचेगी? इसके दो पहलू हैं। एक यह है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और ये व्यक्ति वे न्यायधीश है जिन्होंने ऐसे निर्णय दिये थे जिनका राजनैतिक प्रभाव हुआ था। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) हम उन न्यायाधीशों को जानते है जो सक्रिय कांग्रेसी हैं। हम उनकी सत्यनिष्ठ पर सन्देह नहीं करते हैं। आप श्री पोत्ती के कारण ही यह दोषारोपण कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : हमें एक नाम तो बताइये। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको ऐसे नाम बताऊंगा जो न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की तारीख तक सक्रिय कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी के पदादिकारी रहे हैं। वे बिना किसी विचार के बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० के० वी० थामस : हमने गलतियां की हैं जिन्हें ठीक किया जाना है। परन्तु यह एक प्रासंगिक प्रश्न है। इन जांच आयोगों के प्रति सरकार का रवैया क्या है?

एक अन्य उदाहरण है। श्री वेनु नायर एक अन्य सदस्य थे जो लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। एक ऐसा प्रावधान है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या यह सदस्य जांच आयोग में एक पद को स्वीकार करके सरकारी नौकरी नहीं ले रहे हैं? यहां सरकार का क्या दृष्टिकोण है? मैं इसे जानना चाहता हूं।

दूसरा मामला श्री हेगडे के बारे में कुलदीप सिंह आयोग के सम्बन्ध में है। आयोग ने श्री जी. राजानुजम को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया था। गृह मंत्रालय ने उन पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला जब श्री कुलदीप सिंह को इसका पता लगा तो उन्होंने जोरदार विरोध प्रकट करते हुए गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी क्या यही खुली सरकार है? क्या यही मूल्यों पर आधारित सरकार है मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आयोग द्वारा नियुक्त परामर्शदाता पर दबाव डालने के लिए उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है। **(व्यवधान)** हमारे मन में शंकाएं पैदा हो गयी हैं।

3.00 म० प.

हमारी आशंका है कि इसके पीछे कुछ न कुछ है। इसी कारण इस विधेयक के बारे में स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। जिस प्रकार से सरकार व्यवहार कर रही है उससे हमें आशकाएं हैं। सरकार ने अभी 100 दिन ही पूरे किये हैं। इस अति अल्पावधि में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं हैं।

इसी प्रकार, ठक्कर आयोग के मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? श्रीमति इंदिरा जी की हत्या के मामले में सरकार एक दृष्टिकोण अपनाती है। परन्तु क्या सरकार फेयरफेक्स के मामले में भी वही दृष्टि अपना रही है ? (व्यवधान) इसलिए, यह वह सरकार है जिसके पास कोई मूल्य नहीं, जो खुली सरकार नहीं है।

इस सदन में सरकारिया आयोग पर चर्चाएं हुई हैं। उस समय वर्तमान वित्तमंत्री, प्रो० मधु दण्डवते ने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पद पर राजनैतिक दवाब नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब राज्यपालों को नियुक्त किया जाए अथवा हटाया जाए, तब सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। क्या सरकार ने अब ऐसा किया है ? जब सरकार इस सदन में सत्ता में आयी थी तब उसने कहा था कि राज्यपाल तब तक राज्यों में नियुक्त रहेंगे जब तक केन्द्रीय सरकार का उनमें विश्वास रहेगा। यह एक खुली सरकार नहीं है। यह सरकार मूल्यों पर आधारित नहीं है। आप कहते हैं कि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है। परन्तु इस सदन से बाहर जनता यह कहती है कि यह मित्र विहीन सरकार है और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप स्वय अपने आप से ही लड़ने वाले शत्रु हैं। यदि इस प्रकार का सशोधन पारित हो जाता है तो हमें इस बात का भय है कि यह कौन सी दिशा अपनायेगा क्योंकि यह सरकार मूल्यों से रहित है। (व्यवधान) हमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से इस प्रकार के दृष्टिकोण की आशा नहीं थी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप विधेयक के सम्बन्ध में क्यों नहीं बोलते ? (व्यवधान)

प्रो. के. वी. थामस : यदि आप संशोधन को देखें तो पायेंगे कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं। परन्तु हमारी आशंकाएं उस दिशा के सम्बन्ध में हैं जिस ओर सरकार जा रही है। इस सन्दर्भ में, जब देश में साम्प्रदायिक गड़बड़ी है तो क्या हम ऐसी सभी जांच पड़तालों से सम्बन्धि प्रतिवेदनों को सार्वजनिक कर सकते है ? (व्यवधान) यही प्रश्न है। मैं इसे सदन पर परिपक्व विचार के लिए छोड़ता हूं। देश के विभिन्न भागों में गड़बड़ियां हुई हैं। क्या हम इन सभी साम्प्रदायिक दगों के सम्बन्ध में की गयी जांच पड़तालों के प्रतिवेदनों को सार्वजनिक कर सकते हैं ? यदि इन्हें सार्वजनिक कर दिया गया तो देश में प्रतिक्रियाए होंगी। इस सभा को इस मुद्दे पर पुन: विचार करना चाहिए।

मेरे विचार से माननीय गृह मंत्री महोदय मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान देंगे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग : सभापति महोदय, मुझे गृह मंत्री को यह विधेयक लाने पर बधाई देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में यदि मैं यह कहूं कि यह विधेयक उचित समय पर आया है, मेरे विचार से, 1986 में किये गये संशोधन से जांच आयोग अधिनियम की अवधारणा और भावना का उल्लंघन हुआ है। यह अवधारणा एक साधारण तथ्य पर आधारित थी अर्थात, अनेक बार इस सदन में ऐसे आरोप लगाये गए जिनकी सामान्य चरित्र हनन समझ कर उनकी निन्दा की गई। मुझे भी उस समय उठाया गया एक प्रश्न याद आ रहा है। हमें वह आरोप किस प्रकार स्वीकार किए जा सकते हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं थे। जांच आयोग अधिनियम

की अवधारणा इस सभा के समक्ष विश्वसनीय तथ्य उपलब्ध कराने और उन तथ्यों के आधार पर, न कि अफवाहों के आधार पर, निर्णय लेने की थी। अतः मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा विधेयक है, मैं मन्त्री महोदय को यहां विधेयक लाने पर पुन बधाई देना चाहता हूं।

इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के पश्चाव भारत में सबसे लज्जानजक बात हुई कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट छुपाई गई। मैं इसलिए इसे लज्जाजनक मानता हूं क्योंकि यह रिपोर्ट इस देश की प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित थी। जांच आयोग अधिनियम का उद्देश्य था कि देश को इस बात का पता चले कि प्रधान मंत्री की हत्या किस प्रकार हुई, इसके पीछे कौन सी शक्तियां थी और इसके लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार थे। फिर भी हमने एक ऐसी असाधारण स्थिति का सामना किया जो कि हम सबके लिए काफी लज्जाजनक थी। ऐसी स्थिति में देश को वह जानकारी नहीं दी गई जिस को प्राप्त करने का हमको पूरा अधिकार था। अतः मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा विधेयक है।

जो थोड़ा-सा समय आपने मुझे बोलने के लिए दिया इसमें मैं एक और छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। पहले वक्ता ने साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जांच आयोग अधिनियम के संबंध में एक प्रश्न उठाया था। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां स्वतत्र प्रेस है और हम आशा करते हैं कि समाचार पत्रों की यह आजादी भविष्य में भी रहेगी। समाचार पत्रों में विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। इन में विभिन्न परस्पर-विरोधी रिपोर्टें भी प्रकाशित होती हैं। मेरा विचार है कि देश को सच्चो, विश्वसनीय जारी प्राप्त करने का अधिकार है ता क निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं तेह-दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय सभापति जी, जांच आयोग में संशोधन लाने के लिये जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब भी कोई जांच आयोग गठित किया जाता है तो उसे कुछ लोकमहत्व के और गम्भीर मसले जांच के लिये दिये जाते हैं। सरकार का इस कार्य में लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है। उसमें तथ्यों की जानकारी और आंकड़ों के साथ-साथ कई तरह के सुझाव मांगे जाते हैं। जांच आयोग को मामला सौंपने के बाद, सरकार का उसमें किसी तरह का अधिकार नहीं रहता है और सारी जनता निगाहें लगाकर देखना चाहती हैं कि वह आयोग कौन-सी रिपोर्ट देता है। जनता स्वयं उसमें एक पार्टी रहती है और वह आयोग की रिपोर्ट की उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है और वह देखना चाहती है कि उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की। कभी ऐसा देखने में आता है कि जब उसकी रिपोर्ट तत्कालीन सरकार के खिलाफ जाती है तो सरकार उसे जनता के बीच में नहीं रखना चाहती। हमारे यहां आजमगढ़ में, जहां से मैं चुनकर आता हूं, एक घटना बड़ी गम्भीर घटी थी। वहां वकीलों और पुलिस कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसको लेकर वकीलों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल लम्बी चली। उस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए वहां के एस. एस. पी. साहब ने वकीलों पर फायरिंग करवा दी, उन पर लाठियां चलवायी गयीं और वकीलों के

गाउन, फाइल तथा वाहन आदि जलाये गये। उस समय के तत्कालीन जिला जज भी उसके शिकार हुए, उन्हें चोट आयीं और हम सब लोगों के निवेदन पर, जिला जज के निवेदन पर, एक आयोग बिठाया गया, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को जांच कार्य सौंपा गया। जांच आयोग के सामने सैंकड़ों वकीलों ने और हम लोगों ने गवाहियां दीं। वहां का सारा समाज उत्सुकता के साथ देखना चाहता था कि उन वकीलों और पुलिस कर्मचारियों के बीच के झगड़े में सरकार क्या रुख अपनाती है, क्या कार्यवाही करना चाहती है।

बड़े लम्बे अरसे तक इसकी जांच चली और यह हुआ कि उसमें श्री सी. पी. सतपथी जो वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, आयोग ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी कि उनका दोष है। उन्होंने संगठित तरीके से जान-बूझकर निरीह वकीलों पर और जिला जज पर लाठियां चलाई थीं और गोलियां बरसाई थीं। आज तक उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई और कार्यवाही होना तो दूर वह रिपोर्ट सदन तक में पेश नहीं की गई। आज वहां के सारे लोग, वकील, मुख्तयार, जज इस बात के इन्तजार में है कि जब कमीशन के माध्यम से सतपथी जी को दोषी ठहराया गया है, तो सरकार कार्यवाहीं क्यों नहीं करती ? सरकार कार्यवाही करे या न करे, लेकिन जनता जानना चाहती थी कि इसमें दोषी कौन है, लेकिन यह जो एक्ट बन गया था, उसकी आड़ लेकर सरकार ने उसको सदन में पेश नहीं किया जिससे जनता में सरकार के प्रति गुस्सा, दुर्भावना और अविश्वास पैदा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर प्रस्तुत किया जाये। अतः मैं, यहां पर जो अमेंडमेंट लाया गया है, वह बहुत अच्छा है और उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मुझे सरकार को इस बात पर बधाई देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वह यह संशोधन विधेयक लाये हैं जिससे 1986 से पहले की स्थिति फिर से बहाल हुई है और जिससे सरकार के लिए जांच आयोग के निष्कर्ष सभा पटल पर रखना अर्थात् इन्हें प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हमारे देश के लिए अभूतपूर्व घटना थी। और भी अन्य देश हैं, जिनमें कुछ पड़ोसी देश भी हैं जहां अनेक अवसरों पर प्रधान मंत्रियों, राष्ट्रपतियों आदि की कई बार हत्याए हुई हैं। अपने देश में हम ने अलग परम्परा का पालन किया है। कम से कम महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात् और श्रीमती गांधी की हत्या के समय तक हमने लोकतान्त्रिक पथ अपनाया था। यद्यपि हमें सरकार, सत्तारूढ़ दल अथवा किसी विशेष प्रधान मंत्री से कोई गम्भीर मतभेद रहा है और हम उसको सत्ता से हटाना चाहते हैं तो यह काम गोली से नहीं परन्तु मतदान से करना चाहिए। हम यही रास्ता अपनाना चाहते थे और इस दुःखद घटना से पूरे देश को वास्तव में भारी धक्का लगा। श्रीमती गांधी के साथ हमारा राजनीतिक मतभेद था; वह हमारे दल की नेता नहीं थीं, किन्तु वह देश की प्रधान-मंत्री, और सरकार की अध्यक्ष तो थीं। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको इस हत्या से और जिन परिस्थितियों में यह हत्या हुई उनसे चिन्ता नहीं हुई होगी तत्कालीन सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। सरकार की इच्छा के अनुसार एक माननीय न्यायाधीश को आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने श्री ठक्कर का चयन किया। उन्होंने पूरे मामले की जांच की और अपनी पूछताछ तथा निर्णय के आधार पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की। और फिर अकस्मात्,

सभा को और देश को सूचित किया गया कि सरकार ने निश्चय किया था कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न ही इसे सभा पटल पर रखा जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस सभा में एक भी कांग्रेसी सदस्य ने यह विरोध नहीं किया कि जांच आयोग कानून क्यों बनाया गया, प्रधानमंत्री की हत्या हुई और देश की जनता जानना चाहती थी कि इसके पीछे कौन-सी शक्तियाँ कौन से षड्यंत्र जिम्मेदार थे। यह कुछ ऐसा है जो देश में पहले कभी नहीं हुआ है। मैं इसके लिए किसी श्रेय का दावा नहीं करता हूं किन्तु जब मैं यहां था, मैं और विपक्ष के अन्य सदस्य उस समय अनेक अवसरों पर जोर-जोर से यह मांग कर रहे थे कि यह रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए; क्योंकि यह सरकार या किसी की निजी सम्पत्ति नहीं थी। इस देश की जनता का यह अधिकार है कि हत्या के पीछे कौन-सा षड्यंत्र था; इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसने इसकी तैयारी की है। किन्तु सरकार न कोई ब्यौरा देने से इन्कार किया और सदन के अन्दर ओर बाहर भरी दबाव के कारण था मैं यूं कहूं कि इस देश में प्रेस ने सरकार की आलोचना करने और इस पर यह आरोप लगाने में काफी कठिन भूमिका अदा की है कि सच्चाई छुपाई जा रही है; वह सच्चाई को छुपाने का समय था, यह वह समय था जब बोफोर्स सौदे के सम्बन्ध में सच्चाई को छुपाया गया, जब इस देश से विदेश में धन को तस्करी करके और विदेशी बैंकों के खातों में जमा करने वाले व्यक्तियों की पहचान को छुपाया गया तथा देश के प्रधान मंत्री की हत्या की बात भी छुपायी गई—तब सरकार जनमत की शक्ति से उस विशेष रिपोर्ट के संबंध में अपने पिछले निर्णय को रद्द करने और इसे सभा पटल पर रखने के लिए विवश हो गई। यह चोरी-छुपे प्रकट भी हुई। इसमें से बड़े-बड़े उद्धरण पत्रों में आने लगे तब सरकार के पास इसे सभा पटल पर रखने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं रहा। किन्तु फिर भी उन्होंने 1986 में पारित किए गए विधेयक में संशोधन करना अस्वीकार किया।

मैं ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के गुणों के बारे में नहीं कह रहा हू। इस पर सभा में पहले भ चर्चा हुई थी। मेरे विचार में यह इस विषय पर अन्तिम राय नहीं है। केवल इसलिए कि इसके अन्त में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष पर है, मुझे लगता है कि इस हत्या की सभी जटिलताएं आज तक भी व्यक्त नहीं हुई हैं या बताई नहीं गई हैं। यह आवश्यक है क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में यदि ऐसे जांच आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिन में सम्भवतः ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनके साथ वह विशेष आयोग निश्चित रूप से अन्त में कुछ नहीं कर सका, किन्तु जो बातें स्वयं आयोग ने उठाई हैं और जनता के सामने रखी हैं—तो इसके लिए कोई ऐसा तन्त्र या प्रणाली या ऐसी कोई प्रकिया होनी चाहिए जिसके द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा सकती है। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से केवल एक व्यक्ति पर संदेह करने से इस प्रश्न का हल नहीं निकला है। निश्चय ही, यह दुःख की बात है कि शक किसी व्यक्ति विशेष पर होने से भी, उस व्यक्ति को फिर से शीघ्र ही बहाल किया गया और प्रधान मन्त्री के सचिवालय में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात किया गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जांच आयोग की रिपोर्ट के प्रति किस प्रकार का आदरभाव व्यक्त किया जा रहा है। और भी अनेक प्रश्न ऐसे हैं, जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला है। उन मुद्दों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए एक और जांच आयोग अथवा विशेष दली द्वारा पूछताछ क्यों नहीं की गई? उदाहरण के तौर पर प्रमुख हत्यारे बेअन्त सिंह को गोली मार दी गई। जैसा आप जानते हैं कि हत्या के थोड़े समय पश्चात्, उसको हिरासत में ले लिया गया और ड्यूटी पर अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उस पर गोली चलाई। इस मुद्दे पर अनेक प्रकार की अटकलें

लगाई जा रही है। क्या ऐसा जान-बूझकर किया गया था ताकि पूछ-ताछ के दौरान बअन्त के सम्बन्ध में वह और तथ्यों पर प्रकाश न डाल पाए? हमें आज तक यह पता नहीं है कि बेअन्त सिंह को क्यों गोली मारी गई; हमें नहीं मालूम कि किसके आदेश से वह मारा गया।

हमें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि उस सुबह बेअन्त सिंह और सतवन्त सिंह की एक ही जगह पर ड्यूटी लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जहां कि उनकी सामान्यत: ड्यूटी नहीं लगती थी। यह सब बातें कल्पना की उड़ान और जासूसी कहानी जैसी प्रतीत होती हैं। एक आदमी अपनी सामान्य ड्यूटी की जगह से परिवर्तन करवा कर उस द्वार के पास ड्यूटी लगवा लेता है जहां से श्रीमती इन्दिरा गांधी को गुजरना था और दूसरा यह कहता है कि उसके पेट में कुछ तकलीफ है इसलिए अपनी ड्यूटी शौचालय के पास लगवाना चाहता है। क्या यह सब संयोग की बात थी? दुर्भाग्यवश रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन दो सन्तरियों को उनकी सामान्य ड्यूटी से किसने बदला और उन्हें एक ही जगह और एक ही समय पर तैनात किया ताकि वे अपना काम पूरा कर सकें। यह बहुत ही सुसंगत प्रश्न है। रिपोर्ट में प्रधान मन्त्री को परिहार्य देरी से अस्पताल ले जाने की भी बात कही गई है। अम्बूलैंस कार तुरन्त उपलब्ध क्यों नहीं थी? इसमें देरी क्यों हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि डाक्टरों ने कहा था कि जब वह अस्पताल में लाई गई तो वे ठीक थीं। चिकित्सा के लिए वह पहले ही मर चुकीं थीं। उसको पुनर्जीवित करने का या बयान का कोई प्रश्न ही नहीं था। अगर वह देरी न हुई होती तो शायद उनको बचाने की थोड़े-सी उम्मीद की जा सकती थी · उन प्रबन्धों के लिए कौन जिम्मेवार था? उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी उसके साथ चल रहे थे। लगभग उनके पीछे-पीछे चल रहे थे परन्तु उन्होंने आक्रमण के समय कोई गोली नहीं चलाई। हम इस मामले में अनाड़ी हैं, परन्तु हम जानते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा कमचारी बहुत ही विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित लोग होते हैं जिनका काम आक्रमण के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर व्यक्ति को बचाना होता है जिसकी सुरक्षा के लिए उन्हें तैनात किया जाता है। परन्तु इन सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस प्रकार ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। हम जानते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे भी एक कहानी है। यह घटना ब्लू स्टार आप्रेशन के 4 या 4½ माह बाद घटी। हम इसे भुला नहीं सकते। मैं इन सब बातों का वर्णन भी नहीं करना चाहता। यह आप्रेशन ब्लू स्टार उचित था या अनुचित था, यह तो इतिहास ही निर्णय करेगा। परन्तु उस समय सरकार ने आप्रेशन ब्लू स्टार करवाने का निर्णय लिया और इसमें कोई शक नहीं कि इससे सारे सिख समुदाय में विरोध की भावना उत्पन्न हुई यहां तक कि उनमें भी जो ब्लू स्टार आप्रेशन से पहले आतंकवादियों और खालिस्तानियों के समर्थक नहीं थे। परन्तु इसके पश्चात् जब सेनाएं उनके मुख्य धार्मिक स्थल में दाखिल हुई और गोली बारी के साथ लोग मारे गए तो उन्होंने इसे अपने धर्म स्थल की अवमानता माना जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। क्या इस घटना पर उन सब घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं था जो कि 4 या 4½ महीने पहले घटीं थी। परन्तु इन सब पहलुओं को उजागर करने के कोई विशिष्ट जाँच नहीं की गई जिसके करवाने से मेरे विचार में और बहुत से लोग और एजेन्सियां इस घटना के लिए उत्तरदायी साबित होतीं। फिर भी, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कोई और जांच इन सब पहलुओं को उजागर करवाने के लिए करवाना चाहती है? अगर हम अपने देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहते तो यह जांच करवाना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान सरकार

ने पुरानी स्थिति बहाल करके बहुत अच्छा काम किया है चाहे दूसरे पक्ष के लोग कुछ भी कहें। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखना, जो कि पिछली सरकार करना चाहती थी, सार्वजनिक नैतिकता और लोगों द्वारा तथ्यों को जानने के अधिकार का हनन था।

इसलिये यह बहुत अच्छी और प्रशंसनीय बात है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और मुझे आशा है कि विपक्ष सहित सारा सदन इसका समर्थन करेगा और इसके पक्ष में मत देगा। यह उस रास्ते का मील का पत्थर साबित होगा जिस पर कि वर्तमान सरकार चलने का प्रयत्न कर रही है और वह है लोकतान्त्रिक मूल्यों की बहाली और उन सब अलोकतान्त्रिक बातों को समाप्त करना जो कि पिछले समय में हुई हैं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : राष्ट्रीय मोर्चे ने जिन उच्च सिद्धांतों का लोगों को वचन दिया था, उन्हें बहाल करने के लिये लाए गए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। मुझे अफसोस है कि विपक्ष के मित्रों का व्यवहार कभी भी बन्धुआ मजदूरों जैसा है। पहले संशोधन में यह कहा गया था :

> "जब सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों और जनहित में......"

यह सर्वविदित है कि विपक्ष के मेरे मित्र देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा और दूसरे देशों से मित्रता पूर्ण सम्बन्धों की तुलना गांधी परिवार से करते हैं। मैं यह सब इसलिये बता रहा हूं क्योंकि मैं उस परिप्रेक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें यह विधेयक लाया गया है।

एक माननीय सदस्य : आप किस गांधी की बात कर रहे हैं ?

श्री ए० एन० सिंह देव : मैं उस गांधी की बात नहीं कर रहा, जिसकी चर्चा वित्त मन्त्री ने की है। मैं वर्तमान गांधी की बात कर रहा हूं न कि पहले वाले गांधी की। **(व्यवधान)**

इसलिये यह संशोधन 20 साल बाद लाया गया जबकि ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को गुप्त रखना उचित समझा गया। इसे गुप्त क्यों रखा गया। इससे देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को कोई खतर पैदा नहीं हो रहा था।

खतरा इस बात का था कि इससे इस मण्डली का भाण्डा फूट जाता। और उन लोगों का पर्दाफाश हो जाता जो कि इन्दिरा गांधी के हत्यारों के पीछे थे।

अब मेरे मित्र काश्मीर का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि काश्मीर की घटनाओं की जांच के लिए क्या कोई आयोग गठित किया जायेगा। वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है। जब हमें भी कुछ तथ्य छिपाने पड़ेंगे। तब वे आयोग के गठन की मांग क्यों कर रहे हैं ? क्यों मेरे माननीय मित्र विशेष रूप से उनके दल के अनुयायी नैशनल कांफ्रेंस भी जाच आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

फिर, वे कहते हैं कि जांच आयोग कुछ प्रकट कर सकता है, इसलिए, इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और इसके सहयोगियों ने लोगों को यह वचन दिया है कि वे सभी अलोकतांत्रिक कानूनों को समाप्त कर देंगे जो कि कांग्रेस द्वारा लागू किए गए हैं। अंग्रेजी में यह कहावत है कि तेंदुआ कभी अपने धब्बे नहीं मिटा सकता यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह सब जानने के बाद भी कि लोगों ने उन्हें उनकी गल्तियों के कारण सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका है, वे अपने धब्बों को धोने के लिए तैयार नहीं है। वे अभी भी यह प्रचार कर रहे हैं कि यह संविधान संशोधन अनुचित है। विशेषतौर पर वे मित्र जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने सरकार की इस वर्तमान कार्यवाही पर एक शब्द भी कहे बिना केरल और इधर-उधर की घटनाओं की चर्चा आरम्भ कर दी।

जांच आयोग का गठन तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है। इनका गठन 1952 से जवाहर लाल नेहरू के समय से किया जा रहा है। और 1971 में इस कानून में संशोधन किया गया ताकि इसमें सभी तथ्यों को लोगों के सामने लाने के प्रावधान को सम्मिलित किया जा सके। जब इन तथ्यों को सदन के समक्ष रखा जाता है तो लोग इनके अच्छे और बुरे पक्षों का जायजा लेने के लिए चर्चा करते हैं। इसलिए आप इससे अच्छे किसी और लोकतांत्रिक सिद्धांत की आशा नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश, वे इस सिद्धांत से हट गए। क्योंकि वे कुछ बातें छिपाना चाहते थे। वे इस तथ्य को छिपाना चाहते थे कि उनके वे कर्मचारी जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ-साथ और आगे-पीछे चल रहे थे, गोली चलते ही भाग गए। वह चार वर्ष तक सत्ता से दूर रहा और ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को दबाने के पश्चात् उसे फिर से सत्ता में लाया गया और आज वह राज्य सभा का सदस्य है।

इसलिए, इस कदम के पीछे देश के कल्याण उसकी स्वायत्तता और जनहित जैसा कोई मनोरथ नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल व्यक्तिगत हित तथा एक परिवार के हितों की जनहित से तुलना करना है इसीलिए यह कानून बनाया गया था। इसलिए यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसमें परिवर्तन करे इसलिए, मैं मंत्री जी को इस संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं इस संविधान संशोधन का प्रबल समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि मेरे दूसरे पक्ष के मित्र भी अपनी गल्तियां समझेंगे और इस संशोधन विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही समय पर लाया गया है, और मैं यह देख कर प्रसन्न हूं कि जांच आयोग अधिनियम है 1988 के किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप होने वाली गंभीर अलोकतांत्रिक सरकारी भूलों को दूर करने की दिशा में सरकार ने सही कदम उठाया है। उस समय भी मैंने इसी तरह चेतावनी दी थी।

जांच आयोग अधिनियम मेरे ख्याल से 1952 में बना था। उस समय, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके अनुसार सरकार को किसी भी जांच आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखना अनिवार्य हो। परिणामस्वरूप, ऐसी कई शिकायतें आयीं कि कई महत्वपूर्ण सरकारी जांच

आयोगों की रिपोर्ट प्रकट नहीं की गई। विधि आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने भी सुझाव दिया कि जब भी कोई आयोग नियुक्त किया जाए और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाये तो छः महीनों के अंदर उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। विधि आयोग के इस अनुरोध पर जांच आयोग अधिनियम 1971 में संशोधित किया गया; और यह उपबन्ध किया गया कि जांच आयोगों की रिपोर्टें सदन के सामने अवश्य लाई जाए। किन्तु दुर्भाग्य से 1986 में एक अध्यादेश के द्वारा, अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अध्यादेश जिन स्थितियों में लाया गया था। अध्यादेश जुलाई 1986 में सदन के स्थगन से सिर्फ 4,5 या कुछ दिन बाद ही लाया गया था। किन्तु जांच आयोग अधिनियम में संशोधन से सरकार को यह निर्णय लेने की मनमानी शक्तियां मिल गई कि वह रिपोर्ट को सभापटल पर रखे अथवा नहीं, उसमें कोई स्वनिर्मित सुरक्षा उपाय भी नहीं थे। उस समय मैंने सदन में विनती की थी कि अगर आप उन शक्तियों को लेने पर आमादा हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, तो भगवान के लिए कुछ स्वनिर्मित बचाव के उपाय तो रखिए।

उस समय मैंने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव भी किया था। फिर भी, उस समय संशोधन विधेयक पास कर दिया गया, जिसका कारण पूरा देश जानता है; इसके परिणामस्वरूप ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को दबाने का प्रयत्न किया गया। मैं इस इतिहास के विस्तार में नहीं जाना चाहता, किन्तु, बाद में जनता के दबाव के फलस्वरूप ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखा गया। अब मैं चाहता हूं कि सरकार सारी स्थिति के प्रत्येक पहलू का विवेचन करे। रिपोर्ट सभा पटल पर अवश्य रखी जानी चाहिए। किन्तु रिपोर्ट में क्या-क्या होता है, यह प्रश्न भी विवाद उत्पन्न करता है। अतः, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में, जिस पर हमने यहां इस सदन में इतनी चर्चा की, क्या-क्या शामिल है? और अध्यक्ष की उस पर यह व्यवस्था दी गई थी कि कौन से कागजात रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं और कौन से रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आते। उस समय, कई लोग जो विपक्ष में थे आप सत्ता-पक्ष में हैं। उन्होंने उस समय बहस भी की थी कि सभा पटल पर जो ठक्कर जांच आयोग रिपोर्ट रखी गई है वह पूर्ण रिपोर्ट नहीं है।

हांलाकि, अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी और हम सबने उसे माना था तथा यह है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कागजात रह गए हैं जो सभा पटल पर नहीं रखे गए, और जिनके बारे में कुछ लोग अभी भी कह सकते हैं कि ये भी ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा हैं। वे अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए। मैं इस बात से अति प्रसन्न हूं कि सरकार स्वयं को एक खुली सरकार कहती है। मैं इस बात से भी खुश हूं कि सरकार जानकारी के अधिकार को बनाए रखना चाहती है। कुछ ऐसी गम्भीर घटनाएं हो सकती है जो सरकार के इस दावे को झुठलाती हैं। हम उन घटनाओं के बारे में उचित समय पर उल्लेख करेंगे। किन्तु यहां इस विशेष विधेयक में, जब कि मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार की यह कहते हुए प्रशंसा करता हूं कि रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से सम्बन्धित कई दस्तावेज ऐसे है, जो, कई लोगों के अनुसार, जिसमें से कुछ लोग सत्ता पक्ष में भी हैं, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का अंग हैं।

इसलिए मैं कहता हूं कि उन्हें भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिनकी सदन मांग करता रहा है, ताकि जनता की जानकारी में आमवृद्धि करने के दावे को वास्तव में सच किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि यह कहना एक गम्भीर सार्वजनिक और जनतांत्रिक भूल है। कि एक बार जांच आयोग की नियुक्ति हो जाने पर इसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी भी जा सकती है और नहीं भी सभापति महोदय, जांच आयोग मध्य तथ्यों का पता लगाने का माध्यम नहीं है। मैं कई सदस्यों के कथन बड़े ध्यान से सुन रहा था। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जांच आयोग महज तथ्यों का पता लगाने वाली एजेंसी नहीं हैं। अगर आपका अभिप्राय सिर्फ तथ्य खोलने से है तो तथ्य खोलिए; अगर सिर्फ सरकार के लिए प्रमाण इकट्ठे करना ही इसका प्रयोजन है तो इसके लिए सरकार के पास कई जांच पड़ताल करने वाली संस्थाएं हैं इन संस्थाओं की सहायता से तथ्य खोले जा सकते हैं, प्रमाण एकत्र किए जा सकते हैं। तब जांच आयोग क्यों नियुक्त किये जाते हैं? सिर्फ तथ्य खोलने के लिए नहीं। इसका एक बड़ा उद्देश्य है और उसे समझना चाहिए। एक सार्वजनिक विषय जनता के मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकता है। विश्वास का संकट उत्पन्न हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप जांच आयोग की नियुक्ति किया जाता है। अत ऐसे नाजुक मसले पर जिसने जनता के मस्तिस्क को उत्तेजित किया हो, जिसके विश्वास का संकट उत्पन्न किया हो, ऐसे मामलों पर जांच आयोग बिठा कर बाद में उसकी रिपोर्ट को प्रकट न करना भी गंभीर शासकीय भूल होगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। ऐसी घटना, जिसने जनता के विश्वास को तोड़ दिया हो, से सबंधित परिस्थितियों के सत्य के बारे में, जनता को संतुष्ट करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की जाती है और जब जांच आयोग के प्रति हमारा दृष्टिकोण इतना स्वस्थ है, इसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष यही है कि जब भी कोई जांच आयोग नियुक्त किया जाए तो इसकी रिपोर्ट, सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के साथ, सभापटल पर नियत समय में रख दी जाए। अब मैं, पूरी समस्या के एक और पहलू पर आता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति महोदय, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूं ?

सभापति महोदय : इस विवाद के लिए एक घण्टे का समय रखा गया है। हम पहले ही दो घण्टे खर्च कर चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अतः सम्पूर्ण कोप मुझ पर ही उतरेगा क्या। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। सभापति महोदय, मैं जो मुद्दे उठाना चाहता हूं उन्हें जल्दी से कहने का प्रयास करूंगा।

ऐसे बहुत से विशेषकर साम्प्रदायिक दगों के बारे में जांच आयोग हैं और उन्होने सिफारिशें की हैं। लेकिन उन सिफारिशों को कभी भी लागू नहीं किया गया। अतः सभा पटल पर रखी जा रही जांच आयोग की रिपोर्ट के महत्व के अलावा जांच आयोगों विभिन्न सिफारिशों को, जहां तक संभव हो, लागू किये जाने की भी आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखें कि

बहुत से जांच आयोगों की सिफारिशों का उचित तरीके से अध्ययन किया जाए, उनकी बारीकी से जांच की जाए और जहां कहीं संभव हो कार्यवाही की जाए।

जांच आयोगों के अलावा, सरकार द्वारा कई बार समितियों की नियुक्ति की जाती है। उनकी कई महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में नियुक्ति की जाती है। अब, यहां एक ऐसी सरकार है जो जानकारी के अधिकार और ऐसी सभी बातों का दावा करती है। यहां समिति का एक प्रतिवेदन है जिसे "अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्चाधिकारी प्राप्त पैनल" का नाम दिया गया है जिनके अध्यक्ष डा० गोपाल सिंह थे और जिनकी नियुक्ति तत्कालीन सरकार ने की थी। कई वर्षों से यह प्रतिवेदन सरकार के पास है और हम मांग करते रहे हैं कि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाए। अल्पसंख्यकों को कम से कम यह सूचना देने से क्यों वंचित किया जाना चाहिए कि उस उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की सिफारिशें क्या थी जो कि उनके कल्याण के लिए नियुक्त किया गया था? यह निश्चित रूप से सरकार की गलती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि इस सरकार गलती को भी दूर किया जाए।

इस विषय के सम्बन्ध में भी मुझे केवल दो और वाक्य ही कहने हैं और तब मेरी बात पूरी हो जाएगी। यहां लोगों में उत्तेजना है, लोगों का दिमाग मूलभूत अधिकारों तथा कश्मीर में निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों के दबाए जाने के आरोपों के बारे में उत्तेजित हो उठता है। मेरा सरकार में यह भी अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित जांच आयोग की नियुक्ति की जाए। लोगों के मस्तिष्क में उत्तेजना का जारी रहना उचित नहीं है। आतकवाद को दबाए जाने के नाम पर कश्मीर तथा कश्मीरी लोगों के प्रति अत्याचारों और उनको दबाए जाने के लिए दिए गए निदेश के आरोपों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कश्मीर में 19 जनवरी, 1990 से हुई सभी घटनाओं की जांच करने के लिए एक उचित जांच आयोग का गठन कि जाए और उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना आवश्यक हो हमें वह प्रतिवेदन यथासंभव जल्दी प्राप्त हो जाना चाहिए और उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर भी रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) माननीय सभापति जी, मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं कि संशोधन लाया गया, परन्तु देरी के लिए खेद भी व्यक्त करता हूं। अगर सरकार प्रथम सत्र में ही इसको पास करा लेती और यहां जिसका जिक्र हो रहा है ठक्कर आयोग रिपोर्ट, अगर यह सदन की मेज पर रख दी गई होती तो आज इस सदन का काम दूसरा होता और 195 जो जीतकर आ गए हैं तो उनकी संख्या कम होती। केन्द्रीय सरकार जो देर से संशोधन बिल लायी है, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बिल तो प्राथमिकता के आधार पर प्रथम सत्र में ही लाये जाने चाहिए। जांच आयोग संशोधन बिल कोई ऐसा बिल नहीं है कि बोफोर्स वाले मामले में पोल खुल जायेगी। मैं समझता हूं कि यह बिल तो कांग्रेस के हित में भी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ करना था वह तो कर चुकी, अब हमारी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार इसको ला रही है यदि हम कोई गलती करेंगे तो हम भुगतेंगे, आपको क्यों दिक्कत हो रही है। जो भी जांच आयोग बनेगा, जो कुछ भी रिपोर्ट देगा उसे हम सदन में रखना चाहते हैं, आपकी पारी तो समाप्त हो गई। यदि आप ऐसे महत्वपूर्ण बिल का विरोध करेंगे तो फिर जांच आयोग की मांग का

औचित्य क्या रह जायेगा। कोई भी जांच आयोग बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि सदन की मेज पर उसकी रिपोर्ट नहीं आयेगी। 1952 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू थे वे डेमोक्रेटिक थे, लोकतंत्र में उनका विश्वास था। 1986 में संशोधन आया, पता नहीं किस कारण से आया, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। नेहरू जी की नीति ठीक थी। इन्दिरा गांधी जो देश की प्रधान मंत्री थी उनकी भी आत्मा के विरुद्ध था वह और नेहरू जी की आत्मा के विरुद्ध तो है ही। आज वह भी बैठे-बैठे स्वर्ग में कोस रहे होंगे कि यह संशोधन क्यों लाया गया है मेरे अनुयायियों के द्वारा यदि कांग्रेस पार्टी ने ठक्कर आयोग की रिपोटं पर यहां चर्चा की होती और उसे सदन के पटल पर रखा होता तो परिणाम दूसरा होता। आपने संशोधन कर लिया, खैर पांच साल आपके भाग्य में था राज करना वह तो कर लिया, फिर अब आपको क्यों दिक्कत हो हो रही है। हमारी सरकार है यदि कोई रिपोर्ट आयेगी तो परिणाम हम भुगतेंगे, अब तो आप हमारी बात का समर्थन करें।

[अनुवाद]

जांच आयोग सदैव लोक महत्व के किसी निश्चित मामले की जाँच करने के उद्देश्य से ही गठित किया जाता है।

[हिन्दी]

यानि जन-हितकर जो बातें होंगी उनके नाते कमिशन आफ इन्क्वायरी बनाई जायेगी। आखिरकार कमीशन आफ इन्क्वायरी बनती है तो खर्चा भी होता है, बड़े-बड़े लोगों का समय भी जाता है, जो गवाही आती है उसका भी समय जाता है। खर्चा हो जाये और हमारा समय भी खर्च हो जाये उसके बाद भी रिपोर्ट पेश न हो तो क्या फायदा।

[अनुवाद]

जांच आयोग के प्रतिवेदन को किसी स्थिति में संसद और राज्य विधान मण्डलों, जैसी भी स्थिति हो, में पेश करने से कभी मना नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

हम तो रिपोर्ट सदन की मेज पर लाकर देंगे और कांग्रेस के लोगों को हमारी बात का समर्थन करना चाहिए। वह इसलिए करना चाहिए कि जनता सबसे बड़ी अदालत है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट और हम जो यहां 545 लोग बैठते हैं, सर्वोच्च सत्ता में, उससे भी बड़ी शक्ति जनता की है। वह आपने भी देख लिया कि जनता कितनी बड़ी है। जो लोग बरसों से राज करते आये और यह कहते थे कि हमारे राज में सूर्य अस्त नहीं होता, आज उसी जनता की बदौलत आप वहां बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं। मैं कांग्रेस के पक्ष में भी विचार व्यक्त कर रहा हूं कि अभी तो आप खैर 195 आ गये, कहीं ऐसी दशा न हो जाये भविष्य में, कि दस-बीस या दो-चार ही रह जाओ। इसलिए मैं आपके हित में, जवाहर लाल नेहरू जी की आत्मा के हित में और श्रीमती इन्दिरा गांधी की आत्मा के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो इसका समर्थन करें। अब तो आपकी पोल खुल गई है। देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आपकी ही प्रधान मंत्री नहीं थी,

हमारी भी लोकप्रिय प्रधान मंत्री थीं। इसलिए आपको इसका समर्थन करना चाहिए और इन्दिरा गांधी जी का हत्यारा कौन था, यह जो ठक्कर आयोग को रिपोर्ट यहां पर नहीं आई।

आखिरकार अब इसको आप आने दीजिये, सदन में पेश होने दीजिये, क्योंकि आज लोग यह कहते हैं कि जिस समय इन्दिरा गांधी की हत्या हुई, धवन साहब इन्दिरा गांधी के सिर पर छतरी लगाकर चल रहे थे, उस समय धूप नहीं थी, इसलिये उस वक्त जो गोली चली तो सबसे पहले उस व्यक्ति को लगनी चाहिये थी, जिसे इन्दिरा गांधी से बेहद प्यार था, उन्हें पहले गोली का शिकार होना चाहिए था, परन्तु वे आगे नहीं आये। जो आदमी आन-द-स्पाट मौजूद था, उसके बारे में सारे देश में जो चर्चा चली आ रही है, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में जिन धवन साहब के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है, वह किसी मामूली आदमी के सम्बन्ध में नहीं है, सभापति जी, यदि मेरे और आपके सम्बन्ध में हो तो वह भले ही सदन में आये या न आये, और साधारण जनता का तो यहां कोई रखवाला है ही नहीं, कांग्रेस राज में और कोई चीज सस्ती हुई या नहीं, लेकिन मनुष्य सस्ता जरूर हो गया। यदि सड़क पर कोई मनुष्य पड़ा हुआ हो तो उसे सम्भालने के लिये 4-4 या 5-5 घण्टे तक कोई नहीं आयेगा। तभी मैंने कहा कि यदि कांग्रेस राज में कोई चीज सस्ती हुई या नहीं हुई, आदमी जरूर सस्ता हो गया, जिसे कोई देखने वाला नहीं। वस्त्र या दूसरी कोई चीज सस्ती नहीं हुई। यह सरकार तो सभी चीजों के दाम सस्ते करना चाहती है और भगवान का भेजा हुआ जो दूत है, मनुष्य है, उसे यदि कोई इस प्रकार मार दे तो उसकी जांच की व्यवस्था कराना चाहती है। मेरा निवेदन है कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की जो रिपोर्ट दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दगों के बारे में है, वह भी सदन में पूरी पेश नहीं हुई, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट भी सदन में पेश नहीं हुई, इसलिये देशहित के नाते, वैसे तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को उसे प्रथम सत्र में ही ले आना चाहिये था, जिस 1952 के विधेयक पर 1986 में संशोधन लाया गया, परन्तु अब ही सही, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो भी कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के अधीन जांच होगी, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी, उस पर विचार होगा और तभी उस पर कोई निर्णय लिया जायेगा, इसलिये राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सदन में जो संशोधन विधेयक लेकर आयी है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कांग्रेस के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू की आत्मा के आधार पर, श्रीमती इन्दिरा गांधी की आत्मा के आधार पर, कम से कम अब तो यह सरकार जो संशोधन लायी है, उसका समर्थन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : सभापति महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम में संशोधन किये जाने के लिए माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन दिये जाने के लिए उनका आभारी हूं। जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक था कि जब कभी वे एक जांच आयोग नियुक्त करें, वह उस आयोग का प्रतिवेदन छः महीनों के अन्दर सभा पटल पर रखें। वर्ष 1986 में ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने एक संशोधन किया जिसमें सरकार को ये अधिकार दिए गए थे कि वह प्रतिवेदन अथवा उसके किसी भाग को रोक सकती है, यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सुरक्षा अथवा

पड़ोसी अथवा अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए हानिकर है। महोदय, आप जानते हैं कि भारत के लोग उन परिस्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं जिनमें इन्दिरा जी की हत्या की गई थी। जिनकी अपने ही घर में अपने सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अतः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। जब केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट को रोकने के अधिकार मिल गए तो इसमें लोगों में सन्देह पैदा हो गए कि इसके लिए कौन उत्तरदायी था, वे कौन सी परिस्थितियां थी; उनको उचित संरक्षण क्यों नहीं दिया गया था। तब तत्कालीन विपक्ष ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया था। तब तत्कालीन विपक्ष ने सरकार को प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के लिए विवश कर दिया था लेकिन सरकार ने सम्पूर्ण प्रतिवेदन को नहीं बल्कि केवल उसके एक भाग को ही सभा पटल पर रखा था मैं उस समय की अधिसूचना को उद्धत कर सकता हूं जोकि तत्कालीन गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और उसमें आयोग को निम्नलिखित विषयों के बारे में जांच करने के लिए भी कहा गया था :

"(क) पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या का कारण बनने वाली घटनाओं का क्रम और इससे सम्बन्धित सभी तथ्य,

(ख) क्या इस अपराध को रोका जा सकता था और क्या अपराध होने के समय सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति और पूर्व प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों की ओर से इस बारे में उनके कर्तव्य में कोई त्रुटि या अवहेलना की गई;

(ग) सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था में, जैसाकि निहित है या व्यवहार में प्रचलित है, कोई कमियां, जिनसे इस अपराध को करना सरल हो गया हो।

(घ) अपराध किये जाने के पश्चात स्वर्गीय प्रधानमंत्री की परिचर्या करने, और चिकित्सीय परिचर्या की व्यवस्था करने के बारे में, प्रक्रिया और उपायों में, जैसे कि निहित है, या व्यवहार में प्रचलित है, कोई कमियां, और क्या इस तरह की चिकित्सीय परिचर्या की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की ओर से इस बावत कर्तव्य में कोई त्रुटि या अवहेलना की गई;

(ङ) क्या इस हत्या का विचार बनाने, इसके लिए तैयारी करने और इसकी योजना बनाने के लिए एक या अधिक व्यक्ति या अभिकरण उत्तरदायी थे और क्या इस सम्बन्ध में कोई षड्यंत्र था, और यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण स्वरूप।

3. आयोग ऐसे सुधारार्थ उपायों और कार्यवाइयों की सिफारिश भी कर सकेगा जिन्हें ऊपर खंड (ग) और (घ) से विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भविष्य में करना आवश्यक हो।

4. आयोग अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को यथा शीघ्र, किन्तु छः मास के अन्दर प्रस्तुत करेगा।"

अत: महोदय, जबकि वर्तमान सरकार संशोधन कर रही है, इसका स्वयं का ऐच्छिक अधिकार है, इसका विवेकाधिकार है। यदि सरकार जांच आयोग नियुक्त करती है, तब जांच आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

इसके अतिरिक्त यह सरकार की इच्छा पर है कि वह इसे सभा पटल पर रखे या नहीं। इसलिए हम यह अधिकार नहीं ले रहे। अन्यथा जांच आयोग नियुक्त करने का क्या उद्देश्य है? जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती है और आप जांच आयोग बैठाते हैं तो जनता उस बारे में तथ्यों को जानना चाहती है। श्री चिदम्बरम ने एक उदाहरण दिया है जहां वर्तमान सरकार शायद रिपोर्ट को रोक रही है। जहां तक वधवा समिति की रिपोर्ट का संबंध है, यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को 26-3-90 को सौंपी गई थी आपने कहा है कि हम इसे सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं हैं। हम इसे सभा पटल पर रखेंगे। अत: मेरा अनुरोध यह है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। सरकार चाहती है कि यदि कोई आयोग नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी रिपोर्ट देगा और वह सभा की संपत्ति होनी चाहिए तथा इस सदन के सदस्य और भारत की जनता को उस रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी होनी चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरा प्रश्न सेवा-निवृत न्यायाधीश श्री सुब्राह्मण्यम पोती की नियुक्ति के बारे में है। वह दिल्ली के दंगों की जांच कैसे करेंगे? क्या उन्होंने यह कहा है कि वह स्वतन्त्र है? उन्हें यह बात कहने दीजिए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : उनकी नियुक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी। उन्हें इसका अधिकार है।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या ऐसा है कि सेवा निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से परामर्श किए बिना तथा उसकी पूर्व अनुमति लिए बिना की थी?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने यह कहा था कि रिपोर्ट 26 मार्च, 1990 को प्रस्तुत की गई थी।

4.00 म.प.

श्री पी० चिदम्बरम : 26 मार्च को? आपके द्वारा बताई गई तिथियां गलत हैं। कृपया इनकी जांच कीजिए। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। **(व्यवधान)**

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने यह कहा है कि 26 मार्च को रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी गई थी।

श्री पी. चिदम्बरम : गृह मंत्रालय? महोदय, मैं एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूं, गृह मंत्री जी इसका जवाब दें। क्या उनका कहना यह है कि उपराज्यपाल द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री सुब्रह्मण्यम पोती को गृह मंत्रालय से परामर्श किए बिना और उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्त किया गया था? वह इसका जवाब 'हां' या 'नहीं' में दें, हम इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरा कहना यह है कि इस मामले में हम अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं, उपराज्यपाल को यह नियुक्ति करने का अधिकार है। वह ऐसा कर सकते हैं, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं केवल प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। क्या आपका विचार उन्हें सभा पटल पर रखने का है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हमारा विचार समूची रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या माननीय गृह मंत्री जी सभा को यह आश्वासन देंगे कि उन सब व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिन्हें ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है ? क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे ?

सभापति महोदय : यह जांच आयोग (संशोधन) विधेयक से संबद्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकारी अधिसूचना के उल्लेख में ठक्कर आयोग के निदेश पदों के बारे में बताते हुए माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सुरक्षा की दृष्टि से हुई गंभीर कमियों द्वारा कर्तव्य पालन न किए जाने के बारे में जाच करें। उस रिपोर्ट में इन प्रश्नों से संबधित कई बातों की जांच नहीं की गई है और कई रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठाया गया हैं। चूंकि ऐसा नहीं है कि यह मामला भविष्य से संबद्ध नहीं है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री, चाहे वह कोई भी हो, की सुरक्षा के प्रश्न के बारे में जानना चाहता हूं। अतः क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह किसी अन्य जांच तंत्र अथवा कोई विशेष जांच दल की नियुक्ति कर जो उन पहलुओं की जांच करे जिनका जिक्र निदेश पदों में तो किया गया है किन्तु ठक्कर आयोग द्वारा उन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है ? क्या उन पहलुओं पर बिना विचार किए ऐसे ही छोड़ देंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, सरकार श्री इन्द्रजीत जी द्वारा दिये गये सुझावों की सराहना करती है। हम यह देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा करना संभव है या नहीं। हमें इसके विस्तृत जांच करनी होगी। हमें इसकी जांच नए सिरे से करनी होगी क्योंकि पहले एक समिति नियुक्त की गई थी; एक जांच एजेंसी थी और इसने कुछ उपायों की सिफारिश की थी। हमें पुनः इसकी जांच करनी होगी और देखना होगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह ठक्कर आयोग की पूरी रिपोर्ट सदन में कब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरी रिपोर्ट चालू सत्र में ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

खंड 2 (1952 के अधिनियम 60 की धारा 3 में संशोधन)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"का लोप किया जाएगा" **के स्थान पर** "को सदैव से लुप्त किया गया माना जाएगा तथा भूतकाल में प्रस्तुत सभी रिपोर्टों को सभा के समक्ष रखना अनिवार्य होगा।" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

सभापति महोदय : श्री नत्थू सिंह का संशोधन भी श्री गिरधारी लाल भार्गव के संशोधन के समान है इसलिये उन्हें इसे अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं खंड 2 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1—(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

1989 **के स्थान पर** 1990 **प्रतिस्थापित किया जाये।** (2)

(श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"40वें" के स्थान पर "41 वां" प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

(श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.09 **म.प.**

दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 4 पर चर्चा करेंगे । श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

महोदय, देश के मानचित्रों का सही प्रकाशन राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि देश की सीमाओं के गलत चित्रण का भारत की सीमाओं और देश की क्षेत्रीय अखण्डता पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है । किसी व्यक्ति द्वारा क्षेत्रीय अखण्डता और देश की सीमाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने को रोकना होगा और अन्य व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिये कठोर

कार्यवाही करनी होगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के केवल सही मानचित्रों का ही प्रकाशन किया जाये।

4.10 म. प.

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

इस कार्य के लिए पहले भी कई तरीके अपनाए गए थे। सन् 1966 में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे ताकि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रकाशकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो प्रामाणिक मानचित्र प्रकाशित करता है, से जांच किए हुए मानचित्र अग्रिम रूप से मिल जाएं। बाद में यह निर्णय लिया गया कि मुफ्त क्रम आधार पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न स्केलों के मानचित्रों की रूपरेखा उपलब्ध कराएगा जिसे प्रकाशक आधार बना कर प्रयोग कर सकेंगे। ऐसी स्थितियों में, मानचित्रों के प्रकाशन से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उनकी सूक्ष्म जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहां उन 'स्केलों' पर मानचित्र बनाए जाते थे, इन 'स्केलों' से अलग थे, जिन पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मानचित्र रूपरेखा उपलब्ध कराई जाती थी, तब प्रकाशकों को उनके प्रकाशन से पहले उनकी जांच पड़ताल करानी पड़ती थी। इन तरीकों के बावजूद, निजी संस्थाओं और अखबारों द्वारा भारत की बाह्य सीमाओं के गलत चित्रण के कई उदाहरण लगातार सामने आ रहे थे। वर्तमान कानूनों के अधीन किसी प्रकार की कार्यवाही कर पाना संभव नहीं था जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कोई ऐसा गलत मानचित्र इस रूप में प्रकाशित किया गया है जिनसे भारत की सुरक्षा और हितों को नुक्सान होने की संभावना हो सकती है अथवा उनमें किसी प्रकार की असद्भावना प्रदर्शित होती है।

इस सभा में 21 अगस्त, 1987 को चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर संकेत किया था कि भारत के गलत मानचित्र का प्रकाशन प्राय: होता रहा है। माननीय सदस्यों ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि सरकार कुछ ऐसे पूरी तरह सुरक्षित उपाय अपनाए अथवा प्रबन्ध करे जिससे भविष्य में ऐसे प्रकाशनों को बन्द किया जा सके और ऐसे कानून बनाने के लिए विचार करे जो सरकार को यह अधिकार दे कि वह देश के गलत मानचित्रों के प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके। उस समय, सभा को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि कानूनी उपबन्ध देश के मानचित्रों को विकृत करने वालों के विरुद्ध कोई भयभीत करने वाली कार्यवाही करने हेतु समक्ष नहीं होंगे, तो सरकार इस समस्या पर पुन: विचार करने तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बारे में इस सभा को सूचित करने के तैयार है।

राज्य सभा में, यह विधेयक सभी वर्गों द्वारा अनुमोदित किया गया था और बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : सभापति महोदय, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्री को अपने आरम्भिक कथन में इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए था कि यह विधेयक पिछली सरकार द्वारा तैयार किया गया था और पिछली सरकार के शासन काल में ही अनुमोदित हो गया था। इसीलिए, इसे राज्य सभा में सर्वसम्मत समर्थन मिला था और मुझे उम्मीद है, कि इसे इस सभा में भी सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा। हमारे विचार में यह सम्पूर्ण उपाय है। यह उन पर सख्त दायित्व डालता है जो मानचित्र प्रकाशित करते हैं। वे तकनीकी बचाव के अधीन बच नहीं सकते। जो भी ऐसा मानचित्र प्रकाशित करता है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र के अनुरूप नहीं है, तो वह अब दण्ड का अधिकारी होगा। इसे पिछली सरकार द्वारा ही संकलित किया गया था और इसका मसौदा तैयार किया गया था तथा मुझे खुशी है कि नई सरकार ने इसे उसी रूप में प्रस्तुत करना उचित समझा जिस रूप में हमने इसे अनुमोदित किया था।

हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

चौ० जगदीप धनखड़ (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, यह एक अविवादास्पद विधेयक है। मुझे उम्मीद है कि इसका श्रेय पिछली सरकार को भी जाता है। यह विधेयक समयोचित है। हमारी सीमाओं के गलत ढंग से प्रकाशन किए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब, विधेयक में एक निश्चित प्रावधान है जिसके द्वारा उन लोगों को दण्ड दिया जा सकेगा जो ऐसे गलत कार्य करते हैं।

मानचित्र किसी देश की प्रभुसत्ता, एकता व अखण्डता का प्रतीक है और इसकी गलत प्रस्तुति एक गम्भीर विषय है। पहले, वर्तमान दाण्डिक कानूनों में ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा अधिकारी अपराधियों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से कार्यवाही कर सके।

मैं यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा। किन्तु बदलते हुए राजनैतिक परिवेश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां मानचित्रों के प्रकाशनों में व्यापक रूप से हमारी सीमाओं के कभी एक क्षेत्र तो कभी दूसरे क्षेत्र का गलत प्रकाशन हो रहा है। यह विदेशों में भी हो रहा है और मुझे विश्वास है कि सरकार बड़ी सतर्कता से कूटनैतिक उपायों व पहल द्वारा यह सुनिश्चित करेगी कि विदेशी प्रकाशनों में भी हमारी सीमाओं का गलत प्रस्तुतीकरण नहीं हो।

मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मुझे आपकी बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु आपकी आवाज अध्यक्षपीठ तक नहीं पहुंचनी चाहिए और इससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिये।

चौ० जगदीप धनखड़ : मैं अपने भाई श्री चिदम्बरम से पूरी तरह सहमत हूं और उन्हें पूरी-पूरी बधाई देता हूं कि उनकी सरकार ने इस पर विचार किया था, चाहे कई दशकों के बाद ही सही।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित करते समय;

इसका पूर्ण समर्थन करते हुए मैं अपने विपक्षी बंधुओं को याद दिलाना चाहूंगा कि केवल सैद्धांतिक रूप से भारत के मानचित्र के बारे में इस संशोधन को करने से अधिक लाभ होने वाला नहीं है। इसके अनुसार भारत के मानचित्र को तोड़-मरोड़ने कर प्रस्तुत करने को अपराध बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार धारा 2 में संशोधन कर रही है कि किसी भी प्रकार से भारत के मानत्रिच में कोई परिवर्तन करके उसको प्रस्तुत किया जाएगा तो ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी, परन्तु अपराध केवल मानचित्र को तोड़ने-मरोने से नहीं है चीन ने हमला कर के जब भारत की हजारों मील जमीन पर कब्जा कर लिया, यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसने इसी सदन में वादा किया था कि हम एक-एक इंच भूमि वापिस लेंगे। आज वह हमारी मानसरोवर झील, तिब्बत का हिस्सा, अक्षय चीन, जहां मेजर शैतान सिंह जैसे लोगों ने शहादत दी बलिदान दिया, हजारों लोगों ने अपनी जानें दीं, वह इलाका आज चीन के कब्जे में है। इसलिए मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि केवल कागज पर प्रावधान करने से काम नहीं चलेगा। जहां पर हमारे जवानों ने रक्त दिया है, बलिदान दिया है, अपने प्राणा दिये हैं, वह भूमि हमको वापिस मिले और पूरा भारत का मानचित्र बने जिसमें मानसरोवर हो, तिब्बत हो, पूरा पुराना उसका स्वरूप हो। जैसे कि हम कहते हैं—

मानसरोवर झील जहां है, चंदन का वन है न्यारा,
ऐसा प्यारा देश हमारा, सारी दुनिया से है न्यारा।

वह स्थिति फिर से बने, फिर से सर्वांगरूप से सार्वभौमिक भारत बने, इसके लिए दोनों सदनों के माननीय सदस्यों से, प्रत्येक दल के माननीय सदस्यों से मैं कहता हूं कि इसके लिए वे काम करें। यह संशोधन पारित करते समय इस तरह की पोलीटिकल विल, राजनीतिक इच्छा को व्यक्त करें जहां हमारे देश का खण्डन हुआ है, जिस भूमि पर कब्जा हुआ है, उस भूमि को हम वापिस लेंगे, भारत का पूरा मानचित्र फिर से बनाएंगे।

इस संशोधन की धारा दो में लिखा गया है—"कोई भी देश की अखण्डता, सार्वभौमिकता या देश की सीमाओं के बारे में किसी प्रकार की सुरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि इस संशोधन को लाते समय हमारे माननीय मंत्री महोदय ने और सरकार ने जहां 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था मूल धारा दो के अदर, वहां इसकी सब धारा दो में केवल 6 महीने की सजा रखी है, जो बहुत कम है। परन्तु मैं इस विवाद में न पड़कर इसको भावना के रूप से चाहता हूं कि जो भी देश की सार्वभौमिकता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करे, उसको सजा दी जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : यह विधेयक उस अधिनियम में संशोधन करता है जो 1961 में पारित किया गया था। सन् 1961 के अधिनियम में किसी अन्य देश के क्षेत्र या किसी देश की प्रभुसत्ता या क्षेत्रीय अखण्डता के बातों के संबंध में मानचित्रकारी सम्बन्धी कुछ प्रावधान है। उस विधेयक में, अन्य विषयों के साथ साथ भारत की सीमाओं की क्षेत्रीय अखण्डता के स्पष्टतः ऐसे

गलत प्रकाशन, जो भारत की सुरक्षा और हितों पर प्रतिकूल हों अथवा उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, दण्डनीय अपराध हैं तथा इसमें तीन साल तक की कैद हो सकती थी। यह हो रहा था। ऐसा होने के बावजूद भारत और विदेशों में विभिन्न मानचित्र प्रकाशित किए जा रहे थे और भारत में परिचालित हो रहे थे, जो मानचित्र विदेशों में प्रकाशित हुए थे उसमें भारत की सीमा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित भारत की सीमा के अनुसार प्रकाशित नहीं की गयी थी। क्या हो रहा था ? कानून में इस प्रावधान के होने हुए भी एक और अधिनियम लाना क्यों आवश्यक था ? यह ऐसा प्रश्न है जिस पर मेरे विचार से माननीय मंत्री को कुछ बोलना चाहिए था। हमारी जानकारी और अधिक नहीं बढ़ी है। दूसरी बात यह है : मानचित्र से सबंधित युद्ध के द्वारा भारत की अखण्डता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वालों को सजा देना इससे किस प्रकार संभव होगा ? जिस अपराध की सजा बहुत कम है उससे ऐसा करना क्या संभव होगा ? पहले यह तीन वर्ष थी और यह तो केवल छः महीने के लिए है। इस विधेयक को लाने का तत्काल कारण क्या है ? वास्तव में इसे 1 अगस्त 1989 को लाया गया। इसे इस तारीख को पहले राज्य सभा में विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया था।

अब मैं समाचार पत्रों की रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास करूंगा जो कि ग्रन्थालय में उपलब्ध एकमात्र स्रोत हैं। मैंने पाया कि 1987 में कई प्रकाशन आए जिनमें अनेक मानचित्र थे ऐसे मानचित्र न्यूजवीक पत्रिका में इसी वर्ष के दौरान दो या तीन बार प्रकाशित किए गए जिनमें एकबार तो भारत की सीमा के एक भाग को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया था; दूसरी बार यही सीमा पाकिस्तान के भाग के रूप में दिखाई गई। फिर, भारत मे एक प्रसिद्ध प्रकाशक द्वारा बांगलादेश के मानचित्र में भारत के भाग को बांगलादेश निर्यात संवर्धन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। वे एक मानचित्र के माध्यम से विज्ञापन दे रहे थे। इस मानचित्र में भारत की सीमा का एक भाग चीन या पाकिस्तान को दिया गया था। इस प्रकार यह हुआ। अन्त में, तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा जब आश्वासन दिया गया जब तमिलनाडु सरकार के एक प्रकाशन में भारत के भाग को चीन का भाग दर्शाया गया था। इसलिए तत्कालीन सदस्य श्री बी० एस० रामूवालिया जो कि अकाली दल पार्टी के थे, उन्होंने गृह मंत्री का ध्यान इस ओर खींचा और यह घटना अगस्त 1987 में हुई थी, तब गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि विद्यमान सजा पर्याप्त मात्रा में सख्त नहीं है और जुर्माने पर्याप्त नहीं हैं तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए वह शीघ्र ही एक विधेयक लाएंगे। मैं नहीं जानता कि क्या किसी ने वास्तव में इस बारे में विचार किया कि मौजूदा जुर्माने पर्याप्त थे या पर्याप्त सख्त थे या नहीं। लेकिन यह विधेयक लाया गया है। हम इसका समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है : यदि कुछ और करने की जरूरत थी तो इस विशेष खंड में कुछ और भी जोड़ा जा सकता था। यह खंड इतना व्यापक था कि यदि कोई मानचित्र के माध्यम से भारत की सीमा सबंधी अखंडता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है तो उसे सजा दे सके। मानचित्र दिखलाई देने वाला कार्य है। सम्भवतः इसका पता होता है। लेकिन यह ऐसी बात है जो कि कम सजा देने पर समय बीतने पर कुछ कठिनाईयां उत्पन्न कर सकती है।

निःसन्देह 'भारत की सीमा क्या है ?' इस प्रश्न से कुछ निश्चितता जुड़ जाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र से यह अन्तिम निष्कर्ष निकला है। यदि यह भाव इस

विशेष भाग को दिया जाता तो यह पर्याप्त होता भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र अन्तिम होता है। यदि कोई व्यक्ति भारत की सीमाओं की अखंडता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है तो वह ऐसा करके स्पष्ट रूप से मिथ्या निरुपण कर रहा है। वह भारत की अखंडता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं जब 1961 में दांडिक कानून संशोधन विधेयक पारित हुआ और इस प्रकार की मानचित्र से संबंधित लड़ाई को दंडनीय अपराध बना दिया गया तब से सरकार ने वास्तव में क्या कार्यवाही की है। तब से आज तक क्या सरकार ने वास्तव में किसी पर अभियोग चलाया है ? क्या इसका उपयोग किया गया है। संभवतः इसका उत्तर नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : वह सरकार की तरफ से उत्तर देने वाले कौन होते हैं ?

श्री अमल दत्त : किसी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे तब सरकार में थे। मौजूदा गृह मंत्री की बजाय आप में से कुछ इस बारे में अधिक जानते होंगे। कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। यह ठीक है। लेकिन सरकार को कुछ और कार्यवाही करके तथा अधिक सतर्क रह कर सभा को उत्तर देना है। जब कोई व्यक्ति सरकार को बताता है कि अमुक ने एक मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें सीमा का कुछ भाग पाकिस्तान को दिया गया दिखाया गया है अथवा कुछ भाग चीन की सीमा के अन्तर्गत दिखाया गया है, केवल तब सरकार सक्रिय होती है और सभा में वक्तव्य देती है और फिर एक विधेयक लाने में दो वर्ष लेती है। स्वयं भूतपूर्व सरकार की देशभक्ति या कर्त्तव्य की भावना इस प्रकार की है। इस प्रकार उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार सार्वभौमिकता की रक्षा की है। अब हमारी सरकार को यह करना है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : हमारी सरकार ?

श्री अमल दत्त : वह सरकार जिसका हम समर्थन करते हैं। मैंने अपने कथन को ठीक किया है।

इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन मानचित्रों में से अधिकतर विदेशों में 'न्यूजवीक' या किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं जो भारत में भी परिचालित होती है। अब कुछ मानचित्र मास्को में प्रकाशित हुए हैं और यहां आए हैं। एक संसदीय चर्चा के दौरान श्री अजित सिंह ने कहा था कि श्री गोर्बाचेव सोवियत संघ में प्रकाशित भारत के मानचित्र को ठीक करने के सहमत हैं। उन्होंने कहा; "जैसे ही वह वापस जाएंगे तो यह सुनिश्चित करेंगे कि यह नक्शा सही कर दिया जाए।" लेकिन तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने यह मामला सोवियत सरकार के सम्मुख उठाने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने इसकी आलोचना की और प्रेस ने भी भारत में प्रधान मन्त्री की निष्क्रियता को प्रकाशित किया था। अब इसी पूरी अवधि के दौरान न सिर्फ प्रधान मन्त्री बल्कि सारी सरकार की निष्क्रियता रही है। ऐसे कानून को बदलने का कोई लाभ नहीं है अगर सरकार स्वयं ही उस पर कार्यवाही न करे। किसी भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चला। किसी भी सरकार से इस बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया। क्या मंत्रालय हमें बता सकता है कि अमरीकी सरकार या जो भी अन्य सर-

कार अथवा देश जिसने इसे प्रकाशित किया उससे इस बारे में प्रश्न किया गया है। यह देखना उनका उत्तरदायित्व था कि हमारे देश में प्रकाशनों द्वारा भारत की सीमा संबंधी अखंडता पर प्रश्नचिन्ह न लगे। क्या आपने कोई शिकायत दर्ज की है? ऐसे विरोध का क्या उत्तर मिला? हम ये बातें जानना चाहते हैं। अन्यथा ऐसे विधेयक लाकर इस सभा का समय नष्ट करने का क्या लाभ है जबकि इन्हें कभी भी उपयोग में नहीं लाया जाएगा? मेरा प्रश्न तो एकदम सरल है। हम सभी देश की सीमा सम्बन्धी अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हालांकि पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया। सीमा सम्बन्धी अखंडता न सिर्फ नक्शे में बल्कि वास्तविकता में भी और जमीन पर भी रक्षित होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी देखना है कि सरकार कुछ कार्यवाही करे। हमें सरकार को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें भारत की सीमा संबंधी अखंडता को मानचित्र में भी बनाए रखने के लिए इस सभा में सरकार को उत्तरदायी ठहराना चाहिए। उन्हें इस बारे में सभा को सूचित करना चाहिए और आवश्यक हो तो सरकार इसके लिए एक अलग प्रभाग स्थापित करे। सभी मानचित्रों और रिपोर्ट देखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। सरकार इस बारे में की गई कार्यवाही की सूचना दे। अन्यथा, इस देश की कानून की किताबों में अनावश्यक ही वृद्धि करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह कार्यवाही करे, सतर्क रहे और जब भी ऐसी घटना घटे तो वे जो कार्यवाही करते हैं और सरकार का क्या जवाब मिलता है इस बारे में सभा को सूचित करें।

सभापति महोदय : अब पटसन की मूल्य संबंधी नीति के बारे में माननीय उप-प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

4.29 म० प०

वर्ष 1990-91 के मौसम के लिये कच्चे पटसन के मूल्य सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

उपप्रधान मन्त्री तथा कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 मौसम के लिए असम में टी० डी०—5 श्रेणी की पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह गतवर्ष के निर्धारित मूल्य की तुलना में 25 रुपए की बढ़ोतरी दर्शाता है। अन्य श्रेणी की कच्ची पटसन के सदृश मूल्य भारतीय पटसन आयुक्त, कपड़ा मन्त्रालय द्वारा सामान्य बाजार मूल्य अन्तरों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जायेंगे।

हमें विश्वास है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों से किसानों को कच्ची पटसन के उत्पादन की बढ़ोतरी को जारी रखने में प्रोत्साहन मिलेगा।

भारतीय पटसन निगम जब भी आवश्यक होगा मूल्य समर्थन कार्यों का भार संभाल लेगा। निगम व्यापारिक आधार पर पटसन सौदों के बारे में निर्णय ले लेगा और उन मूल्यों पर कृषकों से

अपनी खरीद कर लेगा जो प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर उचित होंगे, लेकिन ये किसी भी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होंगे।

4.30 म०प०

दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं पूरी तरह से विधेयक का समर्थन करता हूं। आज की परिस्थितियों में सभा में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से बहुत ही राहत मिली है। हमारी कुछ सीमाओं पर अलगाववादी गतिविधियां बढ़ रही है। इस स्थिति में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रकाशन से अलग अन्य किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर बहुत सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वास्तव में ऐसे मामलों में सिर्फ प्रकाशकों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि इसके पीछे जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिये। मुझे खेद है कि यद्यपि इस संशोधन द्वारा इस प्रकार के प्रकाशनों के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन इन प्रकाशन के पीछे वास्तव में जिन लोगों का हाथ है, उनके लिए यह पर्याप्त नहीं है। अनेक मामलों में हम पाते हैं कि वे लोग जो इस प्रकार के प्रकाशनों के जिम्मेदार हैं, वे इसके वास्तविक प्रकाशकों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

मैंने इस विधेयक पर एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है। मैं उस संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मुकदमा चलाने का अधिकार सरकार को दिया गया है। जब इस प्रकार की कोई बात किसी व्यक्ति की जानकारी में आती है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह सीधे न्यायालय में जाए और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर करे।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रस्तावित सजा बहुत ही कम है। मैं समझता हूं कि सजा ऐसी हो जिससे कि ऐसे व्यक्तियों के मन में डर उत्पन्न हो और उसकी न्यूनतम सीमा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

इस स्तर पर जब हम इस तरह के कानून को पारित करने जा रहे हैं, यहां मुझे केरल के हमारे वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे के एक नेता द्वारा दिये गये वक्तव्य की याद आती है। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। एक समय जब देश वास्तव में कठिनाईयो में था, जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हो रहा था, तब हमारे एक विख्यात नेता ने भूमि के उस भाग का उल्लेख करा था जिस पर चीन अपना हक जमाता है और जिसे हम अपना कहते है। नेताओं की तो बात दूर आम व्यक्ति को भी इस प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिये और ऐसा कानून पारित किया जाना चाहिए जिसमें भारत की सीमाओं को अच्छी तरह परिभाषित किया गया हो। किसी व्यक्ति की इच्छानुसार भारत की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण द्वारा अथवा भारत के किसी भी भाग से अलगाववादियों या आतंकवादियों द्वारा की जा रही गतिविधियों द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री शिव नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि देश की अखण्डता की रक्षा के लिए यह बिल लाना जरूरी था। कानून बनने से उस तरह के आदमियों में भय होता है जो कानून को नहीं मानते हैं, यह दूसरी बात है कि जो आदमी कानून को मानते हैं, चाहे कानून बने या नहीं बने, वह लोग देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश की सुरक्षा की बात को ताक पर रख देते हैं। उस नीयत से इस बिल को लाया गया है यह लाना बहुत जरूरी था। और देश का नक्शा वही रहना चाहिए, जो नक्शा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय था और चीन की लड़ाई के समय में जो भी हमारी भूमि चीन के द्वारा हथिया ली गई थी, वह भूमि भी अपने नक्शे में ही दिखाई जानी चाहिए। अगर उस जमीन को कोई चीन के नक्शे में दिखाता है, वह अपराधी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और अगर विदेश के लोग भारत की जमीन को चीन के नक्शे में दिखाएं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए और अगर कोई भारत का आदमी देश के मानचित्र को बदलकर दिखाता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। यह अगर कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिये यह विधेयक देश के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इसका स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, श्री अमल दत्त जी ने कहा है कि सरकार को बहुत ही गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए और उन्होंने यह पूछा है कि यह संशोधन लाने की क्या आवश्यकता थी।

महोदय, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अनुसार,

"जो कोई शब्दों द्वारा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में या चिह्न द्वारा, दृश्यमान निरूपण अथवा अन्यथा भारत की सीमाओं अथवा क्षेत्रीय अखंडता को इस प्रकार से विवादास्पद बनाता है जिससे भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों दण्डनीय होगा।"

"उपरोक्त कानून के प्रावधान के अन्तर्गत कोई अपराध निम्नलिखित बातों के पूरा होने पर मान्य होगा अर्थात् जब भारत की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता निम्नलिखित कारणों से विवादास्पद हो जाए :

(1) दृश्यमान निरुपण द्वारा अथवा चिह्न द्वारा या शब्दों द्वारा लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप से;

(2) ऐसा इस प्रकार से किया जाए जिससे भारत की सुरक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।"

अतः महोदय, यह साबित करना बहुत कठिन था कि कोई व्यक्ति अथवा कोई प्रकाशक जो भारत का गलत मानचित्र प्रकाशित करता है, उसने ऐसा असद्भावनापूर्वक किया है या भारत की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया है। इसलिए यह संशोधन करने की सलाह दी गयी थी जिससे कि कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत नहीं कर सके। इस अधिनियम की उपधारा 3 के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय सरकार द्वारा की गई शिकायत के अतिरिक्त उपधारा 2 के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों का संज्ञान नहीं कर सकता है।

श्री अमल दत्त जी द्वारा दिये गये इस परामर्श के बारे में कि जब कभी भी ऐसे गलत मानचित्र प्रकाशित हों तो इस मामले की जाँच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए कोई अभिकरण होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा-पारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 (धारा 2 में संशोधन)

सभापति महोदय : खण्ड 2 पर संशोधन दिए गए हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1;—

पंक्ति 9 से 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

(2) जो कोई भारत का ऐसा मानचित्र प्रकाशिन करता है या जिसने गत दो वर्षों में प्रकाशित किया है, जो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा यथा प्रकाशित मानचित्रों के अनुरूप नहीं है, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, दंडनीय होगा।" (3)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"छह मास" के स्थान पर

"एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 13 से 15 का लोप किया जाये। (5)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैंने इसमें संशोधन चाहा है कि :

[अनुवाद]

"जो कोई भारत का ऐसा मानचित्र प्रकाशित करता है या जिसने गत दो वर्षों में प्रकाशित किया है, जो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा यथा प्रकाशित मानचित्रों के अनुरूप नहीं है, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, दंडनीय होगा।"

[हिन्दी]

छः महीने की बजाय दो साल की सजा मांग रहा है। यहां कहा गया है कि "और विद फाइन" इसका मतलब है कि या तो छः महीने की सजा होगी या जुर्माना हो जायेगा यानी सजा नहीं होगी; जुर्माना हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि 6 महीने की बजाय दो वर्ष की सजा हो एण्ड विद फाइन यानी कि सजा के साथ-साथ जुर्माना हो। केवल जूर्माना हो। केवल जूर्माना करके उसको न छोड़ा जाये क्योंकि यह देश के नक्शे से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन है कि इसको कठोर बनाया जाये।

दूसरा निवेदन है कि सर्वे आफ इण्डिया के पास नक्शा सही है या नहीं यह ध्यान रखें। जो पाकिस्तान ने हमारी भूमि हथियाई है वह भी भारत के नक्शे में शामिल होनी चाहिये जिसको आज पाकिस्तान दबा कर बैठा है। पंजाब, जिस पर आज पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वह भी भारत के नक्शे में होना चाहिये। भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद से हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश का ऐसा कटा-पीटा हो गया है कि एक स्कूल का बच्चा एग्जामिनेशन में भारत का नक्शा नहीं बना पा रहा है, न ही उस नक्शे को कोई अध्यापक बना सकता है और न ही कोई अच्छा भारत का जानकार बना पाता है। सब भारत का नक्शा बनाना भूल गये है। हमारे बहुत से विद्वान साथी यहां बैठे हुए हैं; वे भी वह नक्शा नहीं बना सकते। माननीय मंत्री जी को भी मालूम नहीं है है कि भारत का कौन-सा हिस्सा है कौन-सा नहीं है? आप 'सर्वे आफ इण्डिया की हिदायत दें चीन ने जो हमारी भूमि हथिया ली है वह भी हमारी है, आजाद कश्मीर और पंजाब जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वह भी हमारा है। इस नक्शे को यदि कोई आदमी नहीं छापे तो उसको दो साल की सजा हो और साथ में जुर्माना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि 6 महीने की बजाय दो साल की सजा और जुर्माना लेकर उसे छोड़ा जाये। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को और मजबूत करने के नाते से अपना यह संशोधन रख रहा हूं। गलत नक्शा प्रकाशित करने के कारण पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है और कहता है कि मेरे नक्शे में यह भूमि मेरी बतायी गई है। चीन वाले कहते हैं कि यह भूमि हमारे नक्शे में बतायी गई है।

भारत सरकार जो बिल लायी है उसका मैं संशोधित बिल के रूप में समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें मेरी बात को जोड़ दिया जाये। इस बात को और वजन देने के नाते 'सर्वे आफ इण्डिया पर पाबंदी लगा दी जाये। अगर वह भी गड़बड़ी करे तो उसको भी सजा देने का प्रावधान होना चाहिये। आगे के लिये भारत का जो नक्शा प्रकाशित हो वह गलत प्रकाशित न हो यह आप ध्यान रखें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन अच्छा होता सरकार यह बिल बहुत पहले ले आती। कई बार हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि गुब्बारों के अन्दर भारत के नक्शे को तोड़ मरोड कर पेश किया गया। ऐसी चीज हमें उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे कई प्रदेशों में देखने को मिली। यह चीज कभी चाइनीज भाषा में मिलती है और कभी दूसरी भाषा में मिलती है। इस बिल में सरकार की तरफ से यह भी संशोधन आना चाहिये था कि जो भारत के नक्शे को तोड़ेगा-मरोड़ेगा, गलत ढग से बनायेगा या जिसके पास ऐसी सामग्री मिलेगी उसको कड़ी सजा होगी। जैसी प्रवृत्ति देश में चल रही है और पंजाब व कश्मीर में चल रही है उसको रोकने के लिये भी यह प्रावीजन करना आवश्यक है।

आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि देश के उत्तरी पूर्वी इलाकों जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड में मिलिटेंट ग्रुप बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने एक योजना बनायी है कि वह बगावत करेंगे और इस बगावत की मुहीम को तेज करेंगे। ऐसी परिस्थिति में वह लोग दूसरी भाषाओं में नक्शे बना कर कह सकते हैं कि बाहर से आये हैं और उनको यहां बांट सकते हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए यह प्रावधान होना चाहिए था कि जिसके पास भी इस तरह की सामग्री मिलेगी, उसको भी इसके परव्यू में लिया जायेगा और दण्डित किया जायेगा। इसमें दण्ड का प्रावधान केवल 6 महीने रखा है, अच्छा हो कि इसको बढ़ाया जाय और इसको 6 महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया जाय। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह आवश्यक है क्योंकि मिलिटैण्ट्स की एक्सीविटीज चली हुई है, उनके लिए दण्ड का 6 महीने का प्रावधान पर्याप्त नहीं है इसलिए इसको बढ़ाकर कम से कम एक साल किया जाना चाहिए ताकि लोगों में डर पैदा हो। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जहां पर भी ऐसी सामग्री पाई जायेगी जब कोई नागरिक सरकार के पास जाता है, जानकारी देता है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, तभी सरकार हरकत में आती है इसलिए इसमें जिले के कलैक्टर और एस० पी० की जिम्मेदारी लगाई जाय कि यदि उनके एरियाज के अन्दर और नीचे जो एस० एच० ओ० होते हैं, किसी के पास इस तरह की सामग्री पाई जायेगी और वह एक्शन नहीं ले सके तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

सरकार जो बिल लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पी० सी० थामस, क्या आपको इसमें कुछ और भी जोड़ना है।

श्री पी० सी० थामस : मुझे इसमें और कुछ नहीं जोड़ना। मेरा एक मात्र संशोधन यही है कि खण्ड 3 को निकाल दिया जाना चाहिए। इससे मुकदमा चलाने का अधिकार केवल सरकार तक ही सीमित नहीं रहे। निजी तौर पर भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार होना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आपको और कुछ कहना है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल, क्या आप अपने संशोधनों पर जोर दे रहे है ? मंत्री जी ने आपके संशोधनों का पहले ही विरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं कि मान ली जिए वरना सरकार कहेगी तो इसको मुझे वापस लेना पड़ेगा। मैं तो सरकार का अंग हूं, मैंने तो आपकी आज्ञा से बात कह ली सरकार को जिस बात से संतुष्टि हो वही बात मैं निवेदन कर सकता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 3, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : मैं आपका संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

सभापित महोदय : क्या श्री नाथू सिंह को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 4, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री पी० सी० थामस।

श्री पी० सी० थामस : मैं अपना संशोधन तभी वापस लूंगा जब मुझे गृह मंत्री जी कुछ कारण बताएंगे गृह मंत्री जी कोई कारण नहीं बता रहे है कि वह संशोधन का विरोध क्यों कह रहे हैं। अगर उनके द्वारा दिये गये कारण से मैं सहमत होता हूं तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं माननीय सदस्य से अपना संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी० सी० थामस : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदय : क्या पी० सी० थामस को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 5, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया

पृष्ठ—1, पंक्ति 4,—

"1989" के स्थान पर "1990" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"चालीसवें" के स्थान पर "इकतालीवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अधिनियमन सूत्र, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.32 म०प०

श्रीनगर में सेंन्ट्रल जेल से कैदियों के निकल भागने के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, कश्मीर में जेल तोड़ने की घटना के बारे में शून्य काल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता के उत्तर में सम्माननीय सदन को

मैं सूचित करना चाहता हूं कि जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 28.3.1990 को प्रातः 12 बंदी सेंट्रल जेल श्रीनगर से भाग गये थे।

इन सभी बंदियों को सुरक्षा की दृष्टि से अति खतरनाक बंदियों को रखे जाने के लिए बनाए एक विशेष बैरक में रखा गया था। ऐसा पता चला है कि उन्होंने लोहे की सलाखों की जाली को काट दिया और उसके पश्चात एक काम चलाऊ सीढ़ी की सहायता से जेल की दीवार से उत्तर कर भाग निकले। पांच संतरी चौकियों तथा जेल की निगरानी बुर्ज में तैनात सुरक्षा बल भी बंदियों के भागने का पता नहीं लगा सके। सीमा सुरक्षा बल के एक मुख्यालय सहित, सीमा सुरक्षा बल की दो प्लाटूनों को भी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था।

भागे हुए 12 बंदियों में अधिकांश जे० के० एल० एफ० उग्रवादी और पाकिस्तान/पाक-अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षित उग्रवादी जाने जाते हैं, जिनको राज्य लोक सुरक्षा अधिनियम (पी. एस. एल.) के अन्तर्गत पकड़ा गया था। उनमें से 9 बंदी कुपवाड़ा और बारामूला सीमावर्ती जिलों के थे। इनमें खुर्शीद अहमद चलकू और अब्दुल रशीद जलटा शामिल हैं, जो कश्मीरी युवकों को सशस्त्र प्रशिक्षण के लिये सीमापार लेजाने में उनका मार्गदर्शन करते थे। निसार अहमद पाल नामक अन्य बंदी जम्मू कश्मीर पुलिस से निकला हुआ कांस्टेबल है, जिसको कि विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किया गया था। भागे हुए बंदियों का विवरण इस प्रकार है :—

1. निसार अहमद पाल पुत्र अब्दुल रशीद
2. खुर्शीद अहमद चलकू पुत्र अली मुहोम्मद (उड़ी निवासी)
3. माजेज भट पुत्र कोजदार भट
4. बशीर अहमद पुत्र अहमद
5. आजाद खान पुत्र अल्फ खान
6. अब्दुल रशीद शेख पुत्र गुलाम अहमद शेख
7. गुलाम नवी लोनी पुत्र स्व० मोहम्मद सुभान
8. गुलाम रसूल शाह पुत्र गुलाम मोहम्मद
9. अब्दुल रशीद जलटा उर्फ मंजूर पुत्र कलीउद्दीन
10. मोहम्मद अमीन सौफी पुत्र सूथन सौफी
11. गुलाम नवी शेख पुत्र खालिद
12. अली मोहम्मद मलिक पुत्र गुलाम हसन

राज्य सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनिक कारंवाई की गई है। अधीक्षक, जिला जेल, जम्मू और कश्मीर की सेवाए समाप्त कर दी गई है : उप-अधीक्षक (जेल) तथा सहायक अधीक्षक (जेल) को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

सीमा सुरक्षा बल के एक कंपनी कमांडर तथा एक हैड का कांस्टेबल को भी इस सम्बन्ध में तत्काल निलंबित कर दिया गया है तथा आगे और जांच की जा रही है।

कुछ कैदियों को देश के अन्य भागों में स्थित जेलों में ले जाय गया है और शेष कैदियों में से अधिकांश को राज्य से बाहर के जेलों में ले जाये जाने की और व्यवस्था की जा रही है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नियमानुसार आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं। चूंकि चर्चा के दोनों प्रस्तुतकर्ता अनुपस्थित हैं—वे आशा कर रहे थे कि 6.00 बजे तक पहुंच जायेगें। अगर सदन सहमत होता है तो हम कल तक के लिए चर्चा स्थगित कर सकते है।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : महोदय, मैंने नियम 193 के अधीन इसी विषय पर एक नोटिस भी दिया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, हम समझते हैं कि नियमों के अधीन किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है।

सभापति मोहदय : जी नहीं, सूची में अगला व्यक्ति बोल सकता है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, अगर ऐसा है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

सभापति महोदय : चूंकि प्रस्तुतकर्ता उपस्थित नहीं है, मैं श्री नाथू सिंह को चर्चा के लिए बुलाता हूं।

4.58 म.प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

बंगलौर में इण्डियन एयरलाइंस की एयरबस ए-320 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

श्री नाथू सिंह (दौसा) : महोदय, 14 मार्च, 1990 को बंगलौर में इंडियन एयरलाइंस की एयरबस ए-320 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में नागर विमानन मंत्री द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य तथा इससे सम्बन्धित मामलों पर मैं चर्चा आरम्भ करता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति महोदय यह एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हमारे लिए रही है, इस एअर बस का एक्सीडेन्ट हुआ, इससे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और इस एयरबस को खरीदने में जो अनियमितताए हुई हैं, वे सारी उजागर हो गई हैं, उसकी कमजोरियां उजागर हो गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इस एयरबस को खरीदते समय, जिस समय इसका आर्डर दिया गया था, उस समय क्या यह एयर बस तैयार थी। मेरी जानकारी के अनुसार उस समय यह एयरबस तैयार नही थी, यह केवल ड्राइंग बोर्ड पर थी, लेकिन इस एयरबस को

खरीदने का आदेश उस समय दिया गया जिस समय यह तैयार नहीं थी। पूर्व में तय किया गया था बोइंग 575 के बारे में, आई थिंक मिनिस्टर विल करेक्ट मी, इसको खरीदा जाना था और इस एयर बस के कंपीटीशन में दूसरे बोइंग थे, उनमें कई अच्छाइयां थीं। मान्यवर, माडर्न तकनीक, लेटेस्ट टेक्नालाजी को देखते हुए इस बात को देखे बिना कि हिन्दुस्तान में इस एयरबस आपरेट करने लायक इंफास्ट्रक्चर एयरपोर्टस पर है या नहीं। इस बात का ध्यान किए बिना इस एयर बस को खरीदने का आदेश दे दिया गया।

5.00 म.प.

मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जिन-जिन देशों के अन्दर इस एयरबस का आपरेशन हो रहा है, जहां-जहां ये चल रही हैं, आप सदन को जानकारी देने का कष्ट करें कि किन-किन देशों ने इस बस को खरीदा। जिस समय फ्रांस के अन्दर यह एयरबस प्रशिक्षण उड़ान पर थी और इसका एक्सीडेन्ट हुआ उसके बाद किन-किन कंट्रीज ने इस एयरबस को खरीदने के आर्डर कैंसिल किए और कैंसिल करने के लिए लिखा।

सभापति महोदय, जैसे मुझे जानकारी है, जिस समय इस एयरबस को खरीदने का आदेश दिया गया था उस समय दूसरा इंजन था और बाद में उस इंजन को बदल कर वी-2500 का इंजन लगा दिया गया। इसको किस आधार पर एक्सेप्ट किया गया और किस औथोरिटी ने एक्सेप्ट किया ? मैं जानना चाहूंगा कि इस एयर-बस से पहले 757 बोइंग को खरीदने के आदेश दिए गए थे या नहीं ? उस समय सिविल एवीएशन की जो कमेटी थी, बोर्ड था, उसने यह फैसला किया था कि बोइंग 757 खरीदी जाए। लेकिन उसके बाद हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री की यात्रा हुई। वे गए और जब वे लौट कर वापिस आए, शायद नवम्बर में, उसके बाद फैसला लिया गया। सिविल एवीएशन बोर्ड की जो रिकमेंडिंग कमेटी थी, जिसने इस एयर बस को रिजैक्ट किया था, को ओवर-रूल करके किस स्तर पर यह निर्णय लिया कि एयर-बस ए 320 को खरीदा जाए। इसकी जानकारी सदन को दी जाए। जब फ्रांस में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान इसका क्रैश हुआ तो जिन-जिन देशों ने आदेश दे रखे थे इसको खरीदने के लिए, उन्होंने कैंसिल करने के लिये लिखा कि हम इसको खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस समय क्यों नहीं आर्डर निरस्त करने के आदेश दिए ? क्या यह सही है कि जब उस एयर उड़ान के दौरान क्रैश हुआ उसकी जांच रिपोर्ट आयी नहीं, उसके पहले ही इस एयरबस को खरीदने के लिए आदेश दे दिए गए ? मैं जानना चाहूंगा कि सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि जांच रिपोर्ट आने के पहले, चाहे यह क्रैश पायलट की गलती से हुआ या तकनीकी खराबी से हुआ, उसके जाने बिना ही सरकार ने जल्दी क्यों की, आदेश क्यों दिए ?

ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनसे शंका होती है कि इस एयरबस के खरीदने में कुछ लेन-देन हुआ है, कमीशन-बाजी इस मामले में हुई है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि एयर क्रैश की जांच रिपोर्ट आने से पहले किस आधार पर आदेश दिए गए, इसका इंजन क्यों बदला गया, सिविल एवीएशन की कमेटी बनी हुई है उसकी रिकमेंडेशनज को निरस्त करने के बाद किस ओथोरिटी ने किस आधार पर यह निर्णय लिया, आदेश दिया और इसमें कितना कमिशन लिया गया ? जब यह क्रैश हुआ, उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि पायलेट की गलती से हुआ,

मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी डिफरेंट रिपोर्ट है उसके आधार पर इस एयरबस के क्रैश का क्या कारण था ? मैं इसके अलावा यह भी जानना चाहूंगा कि जो इस सिविल एविएशन का ढांचा खराब हुआ है—जिसमें एयरपोर्टस की हालत खराब है, ए-320 एयरबस को आपने खरीद लिया है, लेकिन क्या यह सही है कि इस एयर क्राफ्ट की मेंटीनेंस के लिए एयर-कंडीशन की जरूरत है, जबकि हमारे यहां धूप के अन्दर क्राफ्ट खड़ा रहता है। एक कारण यह भी हो सकता है कि इसकी मशीनरी फेल हुई हो। जिसको किस क्याइमेट में रखना चाहिए, वह क्लाइमेट हमारे पास नहीं है। इस एयरबस को लैंडिंग के लिए एयरपोर्टस पर जो साधन उपलब्ध होने चाहिए वे हमारे पास नहीं हैं। उनको सरकार दे। इन सब चीजों का ध्यान न रखते हुए क्यों किया। एयरपोर्टस पर उतारने लायक नही हैं। भगवान भरोसे एयरबस लेंडिंग करते हैं। उनको सुधार करने के लिए आपने क्या-क्या निर्देश दिए और कौन-कौन से कदम उठाए। इस एयरबस को खरीदने से पहले हमारे देश में पायलट्स को ठीक तरह से प्रशिक्षण दिया गया और उन पायलट्स को लेटेस्ट टैक्नीक के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखा है। क्या यह सही नहीं है कि कुछ समय पहले बीच-बीच में उनको प्रशिक्षण देने का काम होता है। उनको बंद कर दिया गया तो इसको वापिस कब चालू किया गया, यह मैं जानना चाहूंगा। एयरबस को खरीदन के लिए कौन-कौन दोषी पाए गए और कितना किक बैंक हुआ, इसकी जानकारी के लिए क्या सरकार एफ.आई.आर दर्ज करायेगी और लोगों का पता लगायेगी कि कौन इसमें इन्डल्ज हैं सभी लोगों की सुई पूर्व प्रधान मंत्री की ओर जा रही है। क्या सरकार यह बतायेगी कि कोई कितना बड़ा आदमी क्यो न हो तो वह कार्यवाही करेगी। उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करके सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। जिसने इन एयरबसों को खरीदा है और जिनकी जानें गई हैं और इन हत्या के लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो जब एक व्यक्ति कोई हत्या करता है तो उसको 302 में जेल में बंद करते हैं। जो व्यक्ति इतनी हत्या करने के लिए जिम्मेदार है, क्या सरकार पता लगाकर सख्त कार्यवाही करेगी चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो क्या आपने कोई सदन की समिति बनाई है। उसमें टैक्नीकल मेम्बर को इन्क्लुड कर सकते हैं। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कार्यकलापों की घपलेबाजी, खरीदारी और मेन्टीनेंस में उनका आपरेशन होता है। ···(व्यवधान) यह हालत हो रही है कि जितनी एयरबस या एयर बोईग हैं, ये ठीक नहीं हैं। पायलट की मर्जी होती है कि कभी उड़ाते हैं और कभी डिले करते हैं। मौसम को देखे बिना ही उड़ाकर ले जाते हैं। एयरपोर्टस की हालत खराब है और भगवान भरोसे ही लैंडिंग और टेक-आफ प्लेन्स करते हैं। मैं मांग करता हूं कि सदन की समिति बनाई जाए जो इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के कामों की जांच करें और यह पता लगायेगी कि जितने एयरपोर्टस बने हुए हैं वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं या इन्स्ट्रमेंटस ठीक हैं या खरीद-फरोख्त के अंदर किक-बैंक है या नहीं और क्या इनकी मेंटीनेंस ठीक होती है। इन सारी चीजों का पता लगाकर पूरे रूप में ठीक किया जाए। आज दूसरी कंट्रीज में भी प्राईवेट सैक्टर से निकाला जाएं। आज दूसरी कट्रीज में भी प्राईवेट सैक्टर में होते हैं। आज हमारे देश में एयर इन्डिया, इंडियन एयरलाइन्स को और टेलीफोन की व्यवस्था को पब्लिक सैक्टर में दे रखा है, जनता को सुविधा देने की बजाय आज दुविधा बनी हुई है।

5.10 म.प.

[डा० लक्ष्मि दुरै पीठासीन हुए]

इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि जो लोग प्राइवेट टैक्सियां चलाना चाहते हैं तो आप इण्डियन एयर-लाइंस और एयर इण्डिया को बन्द करके उसका निजीकरण कर दें। प्राइवेट सेक्टर में देने से कम्पीटिशन पैदा होगा और अच्छे हवाई जहाज चलेंगे, लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और विमान समय से चलेंगे। आज समय पर कोई विमान नहीं चलता है। अधिकतर विमान विलम्ब से चलते हैं और आप कहते हैं कि विमानों की कमी है। आप विमान क्यों नहीं खरीदते हैं। अगर खरीदते भी हैं तो ए-320 एयर बस खरीदते हैं। मैंने आपका वक्तव्य पढ़ा था जिसमें आपने यह कहा था कि जब तक दुर्घटना के कारणों की पूरी जांच नहीं हो जाती और पाइलट्स को अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं किया जाता तब तक हम इनको चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसे यहां भी दोहरायेंगे कि जब तक इस एयरबस के सारे मामले सामने नहीं आते, हम इसको नहीं चलायेंगे। आप यह भी बतायें कि इसके अलावा इसमें और क्या-क्या कारण थे।

मैं फिर एक बात की मांग करता हूं कि आप सदन की एक पूरी समिति बनायें जो इसकी जांच करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, बीमार होने के बावजूद मैं इसलिए यहां आया जब मुझे मालूम हुआ कि इस चर्चा को जिन्होंने शुरू करना था; गीता मुखर्जी जी ने, वे यहां नहीं है। मैं जानता था कि मेरे मित्र जो उधर की तरफ बैठते हैं, कई प्रकार के भ्रमों के शिकार हैं और मैं उन्हें यह बहाना नहीं देना चाहता था कि हमें इसको इनीशिएट करने में कोई सकोच है। नाथू सिंह जी ने अपनी बात में दो बातें कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस को डिस्मेंटल करके इसे प्राइवेट इन्टरप्रोनर को दे देते। जो आज की सरकार है, जिस सरकार के आप वजीर हैं, मैं समझता हूं कि उनकी भी यही सोच हैं। इसमें सोम-नाथ जो क्या सोचते हैं यह मैं उन पर हीं छोड़ता हूं। मैं इस पाइन्ट को यह कर समाप्त करता हूं कि इस तरीके की किसी भी हरकत का, जब कांग्रेस के पक्ष के लोगों ने इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं को पार्ट टाइम बनाने का भी विरोध किया था। इसको प्राइवेट इन्टरप्रोनर को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि यह देश के लोगों के साथ और संसद ने जो समय-समय पर बातें कहीं हैं उनके प्रतिकूल होगा। दूसरा सुझाव माननीय नाथू सिंह जी ने जो दिया उसकाहम समर्थन करते हैं। आप इसकी जांच के लिए कमेटी ही नहीं बनायें, जो आज की विषय वस्तु है विवाद में, वह यह नहीं है कि खराब कैसे हुआ, विवाद की वस्तु यह है कि बंगलौर में जो दुर्घटना हुई है उससे मुतल्लिक बातें यहां पर कही जा रही हैं, उनके साथ जोड़कर कई बातें और भी कही जा रही हैं। उधर की तरफ से जो बीच-बीच में कमेंट्स आ रहे थे मैंने उनको भी सुना है। हम आपको दावतनामा देना चाहते हैं कि दुनियां की किसी भी कमेटी को आप नियुक्त करें कहीं से भी लोगों को लायें, चाहे गंगा में धोकर लाइये, काबा के दर्शन कराकर लाइये या उनको गुरू ग्रन्थ साहब के आगे माथा टिका-कर लाइये, उसकी पूरी जांच कराइये। हमें आज जो तकलीफ है वह इस बात की है कि जिम्मेदार लोग एक सन्देह का वातावरण खड़ा कर देते हैं और उसका असर पूरी इण्डस्ट्री के ऊपर और उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर और विशेषज्ञों के ऊपर क्या पड़ेगा इसके विषय में नहीं सोचते हैं।

मेरे सामने अखबार की एक कटिंग है जिसमें लिखा है :

यह लिखा है कि कैबिनट निर्णय करेगी कि ए-320 एयरबसें चलायी जायेंगी या नहीं ? माननीय मंत्री जी, बंगलौर के हादसे के बाद, यदि मैं भी आपकी जगह होता तो आपके जजबात को समझता कि इतने लोग मारे गये। आपने उस नेचूरल रिएक्शन के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि हम एअरबसों को भारत के अन्दर टाईमबिइंग रखे लेकिन आपके नेचूरल रिएक्शन के साथ और कई बातें भी जुड़ गयीं। आज इंडियन एयर लाईन्स के पैसेंजरों के मन में एक संदेह है कि अगर भारत सरकार के एक वजीर ने यह कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और हमको विश्वास नहीं हो जाता है कि ए-320 एअरवर्धी हैं, इसमें सारे आस्पेक्ट्स एग्जामिन कर लिए हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तब तक एयरबस को नहीं चलायेगी। आप पालिटिकल एक्सपर्ट हो सकते हैं परन्तु टैक्नीकल एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। कैबिनट भी कोई टैक्नीकल एक्सपर्ट नहीं है। आप एक राजनैतिक फैसला ले सकते हैं, आप एक सामूहिक फैसला सकते हैं, आप एक नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। यदि आपने यह निर्णय कर लिया है कि ए-320 एयर बस को हम बिलकुल नहीं चलायेंगे, तो हम यही कहेंगे कि एयरबस इंडस्ट्री को इसे बेच डालो तो यह निर्णय लेने का आपको पूरा हक है। इण्डियन एयरबस और एयर इंडिया के बीच में जो इसको आपरेट कर रहे हैं, उनको और सारे हिन्दुस्तान के पैसेंजरों को यह जानने का हक रहे कि क्या एक्सपर्ट कमेटी ने या टैक्नीकल कमेटी ने इन एयरबसों को क्लीयर कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं रह सकता। जब तक आप वह बात नहीं कहेंगे तो देश क्या कहेगा ? यदि आप कोई निर्णय करेंगे या कैबिनट करेगी तो उसका संदेह बना रहेगा कि एयरबस में कोई टैक्नीकल डिफैक्टस तो नहीं जिसके कारण यह हादसा हो गया।

मान्यवर अब सवाल आपके सामने है कि हर दिन करीब तीन साढ़े तीन करोड़ रुपये का घाटा इंडियन एयरलाईन्स को उठाना पड़ रहा है। उसका दबाव आपके ऊपर और बढ़ता जायेगा। मगर इन सारी चीजों पर होना तो यह चाहिये था कि यदि आप इसको चलाने का फैसका करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी पूरी हिस्ट्री पुरी बैक ग्राउण्ड आपको बतानी पड़ेगी। आखिर इस एयरक्राफ्ट की टैक्नीकल साऊंडनैस कितनी है, इसे देश के लोगों के सामने क्लीयर करना पड़ेगा। आज कई देश जिनमें कनाडा, यू० एस० ए०, ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस, जर्मनी, नैदरलैंड, जार्डन, इंडिया शामिल हैं, को एयरबस की एयरवर्धीनैस का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है और इस मामले में फैडरल एवीएशन अथारिटी जो कम्पीटेंट अथारिटी है, जो उस देश की सर्वोच्च संस्था है, इस विषय में जानकार है, एक्सपर्ट है, उस एयरबस इंडस्ट्री से कम्पीटीशन है। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का जानकार नहीं हूं, वह इंडस्ट्री यू०एस० इंडस्ट्री है और यह जो बाडी है, यह भी यू० एस० बाडी है, तो एक तरफ इनके कम्पटीशन के बावजूद भी फैडरल एविएशन अथारिटी ने इस क्राफ्ट को अपने वहां अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया है। यदि अनसेफ डिक्लेयर किया होता, तो युनाइटेड स्टेट्स की सरकार इसको एयर वरदीनैस का सर्टिफिकेट नहीं देती। उन्होंने भी इसकी एयरवरदीनैस के विषय में कोई सन्देह जाहिर नहीं किया है। रहा सवाल हमारे यहां का, जिस समय हमने इनको खरीदा था उस वक्त ये सारी प्रोसैस पूरी की गई या नहीं, यह बताने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पास क्या कोई ऐसी कम्पीटेण्ट बाडी है जिस तरह से कि फैडरल एवीएशन अथारिटी यू०एस० की है, जिसके पास सारे

टैक्नीकल साज-साधन मौजूद हों, जो इस तरह की परचेजेज की डिटेल में जा सके, उसके आस्पैक्ट्स को एग्जामिन कर सके और उसके बाद अपने देश के अंदर ये चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसके फैसले पर सरकार को राय दे सके ? जहां तक मेरी जानकारी है आपके पास डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के यहां एक छोटी-सी सैल है और वह सैल भी कुछ नहीं करती है। वह सैल पहले जो जानकारियां जो एयर वर्दीनैस के विषय में, टैक्नीकल आस्पैक्ट्स के विषय में इंडस्ट्रीज आपको जानकारी देती हैं, उनको कम्पायल करके उसको इवैल्यूएट करके, उस जानकारी को और सरकार के सामने, परचेज कमेटीज के सामने रखने का काम करती है। यह केवल ए-320 के विषय में ही नहीं हुआ है, बल्कि जब हमने बोइंग खरीदे थे उसमें भी हुआ है। मेरे मित्र उधर से उठ-उठ कर यही कहते हैं कि यह क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, टैक्नीकल जांच होगी, तो राजीव गांधी निकलेगा। मैं कहता हूं यह सवाल राजीव गांधी का नहीं है। हमारे देश के बड़े-बड़े नौकरशाह जो उसमें हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय से लेकर सारी मिनिस्ट्रीज के रिप्रजेंटेटिव्स हैं, यह उन सारे लोगों का सामूहिक फैसला है। उस सामूहिक फैसले के बाद किस से खरीदना है, किस से नहीं खरीदना है, यह फैसला निश्चित तौर पर राजनीतिक फैसला होता है और यह फैसला करने का हक सरकार को हक है और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जब अपनी इंडियन एयरलाइंस स्टार्ट पब्लिक सैक्टर में की थी, तो दो जहाजों से शुरू की थी और उनको हम धीरे-धीरे खरीदते रहे हैं। इसी बाडी ने ए-320 के विषय में राय दी है और उस बाडी की राय पर खरीदे गए हैं। अगर हमारे टाइम में खरीदी हुई चीजों पर सन्देह है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जनता राज था, उस समय भी बोईंग खरीदे गए और यही सारी प्रोसेस, यह सारी प्रक्रिया अपनाई गई हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन प्रक्रियाओं में जो 1977 और 1980 की खरीद में अपनाई गई, उनमें क्या आपको कहीं पर कोई फर्क नजर नहीं आता है ? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मान्यवर कि कुछ चीजें अखबार में, कई लोग ऐसे होते हैं, कई पार्टीज ऐसी होती हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं, वे लीक करती रहती हैं और छपवाती रहती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ने बहुत-सी कुछ ऐसी चीजें लीक करनी शुरू कीं—एफ०डी०आर०, सी०डी०आर०, कोटिंग और डीकोटिंग, मैं उसकी टैक्नीकल चीजें नहीं जानता हूं, जो एक गांव का गवाड़ी आदमी होता है, वह जितना समझ सकता है, मैं उसके अनुसार ही कह रहा हूं, मैं तो गांव का सीधासादा आदमी हूं, आप तो जानते हैं कि मैं उस प्योर गांव के गंवाड़ी आदमी की तरह से इन चीजों का नाम ले रहा हूं, तो मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्ट्री ने भी, क्योंकि आपके पायलट गिल्ड के लोग, इंडस्ट्रीज के ऊपर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे—साहब तैयारी तो नहीं, न एयर स्ट्रेप तैयार थी, न नेविगेशन सिस्टम तैयार था, न आपके पास उसके लिये टैक्नीकल सारी एक्सपर्टीज थी, न उसके लिये हैंगर थे, कोई भी चीज तैयार नहीं थी और आप ले आए, इस तरह की बात पायलटों के द्वारा कही गई और आप उसका जवाब देना चाहते थे, तो आपको मैं क्योंकि आप उप आर्गेनाइजेशन को प्रजाइड कर रहे हैं, उस आर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने, टाइम पर कुछ चीजें लीक कीं, उन्होंने कहा इसमें ऐसा है, पायलट की गलती से हुआ है, इतनी नीचे तक आ गया है, यह है, वह है, फलां चीज है, आदि। मेरा मतलब तो यह है कि यह इम्प्रेशन है। मैं नहीं कहता कि पायलट की गलती है, या बताई गई है, उन्होंने जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की है, वह यह देने की कोशिश की है कि नहीं, उस का सिस्टम पूरी तरह से ठीक काम कर रहा था। वह कुछ पहले ही एक आधारित

सीमा से ज्यादा नीचे हो गया। उसका मैनुवल हैंडलिंग का जो सिस्टम था वह जिस ऊंचाई मे उठ सकता था वह किसी कारणवश नहीं उठ पाया, ऐसा इम्प्रैशन दिया गया। इसका पूरा लबो-लबाब मेरे जैसा मोटे दिमाग का आदमी नहीं समझ सका है। यह पायलट साहब से गलती नहीं हुई, राजेश पायलट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए-320 की बात कर रहा हूं। इसी विषय में आपका एक जरनल था जो कि शायद आपको छोड़ गया है। ऐसे लेख बुद्धिजीवी लोग भी लिखते रहते हैं। उन्होंने लिखा था कि एक व्यक्ति थे मिस्टर जंग और वह कमेटी से संबद्ध रहे हैं, उन्होंने चाहा था कि बोईंग एयरक्राफ्ट खरीदे जायें। इसकी उन्होंने सिफारिश भी की थी लेकिन किसी कारणवश ए-320 के विषय में फैसला हो गया। इस पर उन्होंने कमेटी छोड़ दी। उन्होंने लेख लिख कर अलग कार्नर उसको देने की कोशिश की। आपने इस संबंध में जो राम दास कमेटी नियुक्त की मैं उसके विषय में आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि क्या उसमें आपके पास कोई इतने जानकार आदमी थे, टेक्नीकली कम्पीटेन्ट व्यक्ति थे जो ए-32 एयरक्राफ्ट का इवे ल्यूएशन कर सके और टैक्नीकल फ्लट्स को देख सकें, जो यह भी देख सकें कि इसको किस तरह की नेवीगेशन फैसिलिटी की जरूरत है ? यदि हां, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस कमेटी के जो मिनट्स हैं इसके डेलिवरेशन्स हैं, उसको आप बताये। जब तक उन डेलिवरेशन्स को नहीं बतायेंगे, उसके डिटेल्स नहीं बतायेंगे यह शंकायें शांत होने वाली नहीं हैं।

मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि उनके एयर क्राफ्ट तैयार पड़े। हम उनका कॉन्टैक्ट समाप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके विषय में क्या लीगल पोजिशन है, यह आप हमें बतायें। इतने बड़े मसले में जो चीजें सम्बद्ध हैं उसके विषय में प्रारम्भिक कमेटी बनायी गई है, मैं न्यायिक जांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि राम दास कमेटी के डेलिबरेशन्स के बारे हमें आप बताने की कृपा करें।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। लोक सभा में 30 नवम्बर 1988 को एक बहस हुई थी। उस बहस के उत्तर में तत्कालीन नागरिक विमानन मन्त्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि एक हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनेगी जो मैंनटेंस एस्पैक्ट को जो एयर वर्दीनैस को डिटरमाइन करने वाली एथॉरिटी है उसकी काम्पीटेंस को, मतलब हवाई जहाज उड़ाने लायक है, क्या है, क्या नहीं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके विषय में जांच करने वाली इसकी एथारिटी है. मैं 30 नवम्बर, 1988 की बात कर रहा हूं। कहा था कि हम एक हाई लेविल कमेटी नियुक्त करेंगे और इस कमेटी की जो भी फाइण्डिंग्स होंगी, उनको इन टोटो लागू करेंगे क्योंकि उस दिन भी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य इतने ही एजीटेटिड थे, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको देखकर लोग कटु नहीं हो पाते हैं लेकिन उनको काफी कटुता का सामना करना पड़ा था और उन्होंने उस समय बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, बल्कि सोमनाथ दादा जैसे आज सिर हिला रहे हैं, शिवराज जी से उस दिन सोमनाथ दादा ने सिर हिलाकर कहा था कि इसको आप इन टोटो लागू करेंगे तो उन्होंने कहा था कि हां, इन टोटो लागू करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह कमेटी बैठी, इस कमेटी की कुछ फाइण्डिंग्स हैं या नहीं और अगर हैं तो क्या फाइण्डिग्स हैं और क्या इनको लागू किया गया है। या तो आप कहते कि यह कमेटी बेकार की कमेटी थी, इसका कोई काम नहीं था या आप कहते कि नहीं, उसने कुछ काम की रिकमेण्डेशंस की हैं तो उनकी क्या-क्या रिकमेण्डेशंस हैं, क्योंकि उनकी जानकारी होनी

चाहिए, हम सब लोगों का आक्रोश, सारे देश का आक्रोश एयर इण्डिया के साथ भी है और इण्डियन एयर लाइन्स के साथ भी है बल्कि हम वायुदूत की जो सराहना करते हैं वह इसलिये कि उन्होंने अपने सीमित साधनों के साथ बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है लेकिन एयर इण्डिया की कोई टाइमिंग्स हैं, इण्डियन एयर लाइंस की स्थिति दिन प्रति दिन इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि पिछले दिनों तो हालत कुछ सुधरी थी, 4-6 महीने पहले लेलिन आज फिर वही हालत हो गयी है। खद्दर का कुर्ता पहन कर · (**व्यवधान**)····एक डेढ़ साल पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस पार्टी में हरीश रावत भी था, उस समय भी यह हालत थी कि खद्दर का कुर्ता पहन कर एयरपोर्ट पर जाना, टर्मिनस पर जाना बहुत मुश्किल काम हो गया था, लोग हमारी तरफ बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे, आज भी वही हालत पैदा हो गई है, आज भी कोई नहीं कह सकता····(**व्यवधान**)····हरि किशोर बाबू पटना के रहने वाले हैं, आप कभी टाइम पर गये हो तो मैं आपके सौभाग्य की तारीफ करना चाहूंगा····

एक माननीय सदस्य : अपनी सदस्यता के बारे में आपने जो कहा है कि मैं जिसका सदस्य था, मैं उसका स्वागत करता हूं। आप इधर कब आ रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (**बोलपुर**) : क्या करोगे, एण्टी डिफैक्शन लॉ बना दिया है।

श्री हरीश रावत : असल में आपको हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हम ऐसा लॉ बनाकर गये कि उधर की सरकार गिरने से बच गई, नहीं तो इतिहास में पहली कैजुअल्टी यदि हमने ऐसा लॉ नहीं बनाया होता तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की होने जा रही थी तो आपको तो हम लोगों को इसके लिये धन्यवाद देना चाहिए।

मैं आग्रह करना चाह रहा था कि जो एक्सपर्ट कमेटी आपने बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के विषय में आप क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं, जो सेफ्टी स्टैण्डर्ड के विषय में कहा गया, उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद की जो दुर्भाग्यशाली हवाई दुर्घटना हुई थी, उसके बाद भी हम से यह कहा गया था कि सेफ्टी स्टैण्डर्ड के विषय में हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है और उसकी जो रिपोर्ट आयेगी, उसको भी हम पूरी तरह से लागू करेंगे और सदन को और देश के लोगों को उसकी जानकारी देंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक उस रिपोर्ट का इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन भी आपके मन्त्रालय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेहरबानी करके उसमें जो कुछ कहा गया है, उसकी जानकारी देने की कृपा करें।

मैं मैनपावर प्लानिंग के विषय में भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 1986 में जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में जो कमेटी थी।

प्लानिंग कमीशन ने शायद वह कमेटी बनवाई थी "सिविल एविएशन बाई दि टर्न ऑफ दिस सैन्चुरी" और इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के विषय में कम से कम इस सदन में चर्चा करवा दीजिये क्योंकि आपकी मैनपावर प्लानिंग, सेफ्टी आस्पैक्ट्स, हवाई पट्टियां, उनकी लैंथ इत्यादि के विषय में इससे और ज्यादा जानकारी और किसी चीज से नहीं मिल सकती है, कम से कम उसको

हाउस के सामने लाकर एक डिस्कशन इनीशिएट करवा दीजिए क्योंकि देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, हिन्दुस्तान की अमूल्य जानें जा रही हैं, कई माँ बहनों की मांगों का सिन्दूर पुंछ रहा है ·· (व्यवधान)···यह कब से का सवाल नहीं है, यह जब भी हो रहा है दुर्भाग्यशाली है और इससे भी बड़ा दुर्भाग्यशाली बात यह है कि आप उसको राजनैतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि भगवान न करे लेकिन कोई गारण्टी नहीं है कि किस सरकार के साथ दुर्घटनाएं होगीं और किस सरकार के साथ दुर्घटनाए नहीं होगी, उस पहलू को ध्यान में रखकर किसी बात को कहिये, राजनैतिक टोका-टाकी चलती रहती है, फुलझड़ियां भी चलती रहती हैं, बातें भी चलती रहती हैं, आप अपने एंगल से बात करेंगे, हम अपने ऐंगल से बात कहेंगे लेकिन जो हकीकत है, उस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हमेशा इस बात को टालने की फिक्र में रही है और हमेशा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अन्दर टंक्नीकल विंग, चाहे वह एयर इण्डिया का हो, इण्डियन एयर लाइंस का हो, उनके बीच में और मन्त्रालय के लोगों के बीच में झगड़ा रहा है। आपकी सरकार तो बहुत ही जल्दी निर्णय लेने वाली खुली सरकार है। इतनी खुली साबित हुई है कि इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों का मोरेल धीरे-धीरे गिरता जा रहा है, उनका मनोबल गिरता जा रहा है। इसके अलावा टक्नीकल स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच का झगड़ा अपनी जगह पर बकरार है।

अधिष्ठाता महोदय, जिस समय पायलटस को ट्रेन्ड किया गया था, तो इन्जीनियर्स को भी ट्रेन्ड करने की बात थी, ताकि ए-320 को आपरेट करवाया जा सके। उसमे इन्जीनियर्स कुछ और ज्यादा फैसिलिटी चाहते थे मैनेजमेंट और उनका झगड़ा चलता रहा। आप लोगों ने चुनाव के समय में भी और चुनाव के बाद भी तत्काल आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, लेकिन न तो उनकी समस्याओं का निराकरण किया और उनकी समस्यायें अपनी जगह पर बनी हुई है। आपकी स्थिति आज इस हालत में पहुंच गई है कि आप पार्ट-टाइम एम डी से इण्डियन एयर लाइन्स का काम चला रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उस इण्डस्ट्री के मनोबल को बढ़ाने के लिए दो काम जल्दी कर दीजिए। एक काम तो आप यह करवा दीजिए कि इस जहाज के विषय में जितनी भी जानकारियां है, आप वास्तव में खुली सरकार साबित हों, इसकी पहल करवा दीजिए। इसके विषय में कौन-कौन सी चीजें देश से छिपाई गई हैं, कहां-कहां पर गलतियां की गई हैं, उनकी सारी जानकारी देने का कष्ट करें। इसके साथ ही एक बात और जोड़ कर कहिएगा कि इसमें राजनीति न करिएगा। यदि आपने जहाज के मामले में भी राजनीति की तो जिन्दगी के मामले में भी राजनीति हो जाएगी। आप मेहरबानी करके इन सारी बातों को राजनीतिक चश्मे से न देखकर एक परिवार के मुखिया के तौर पर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के इण्डियन एयर लाइन्स के परिवार के मुखिया के तौर पर, बताने का कष्ट करें। सवाल इस बात का नहीं है कि किस सरकार के समय में परचेज किया गया, सवाल इस बात का जुड़ा हुआ है कि कौन-कौन से लोग और कौन-कौन से हमारी टंक्नीकल हस्तियां, कौन-कौन से ऐसे दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने इवेल्युएशन प्रोसैस से लेकर खरीद प्रोसैस तक हाथ बंटाया है। उन सारे लोगों के ऊपर आक्षेप लगाने का कोई हक नहीं बनता है।

दूसरी बात जिसका मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप में साहस है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, तो मेहरबानी करके यदि आपको जांच ही करवानी है तो दुनिया की

एक सर्वोच्च संस्था है, जिसके विषय में मैंने जिक्र किया, उस संस्था से इसकी जांच करवा दीजिए। मैं फैड्रल एविएशन अथारिटी की बात कह रहा हूं। क्योंकि उस देश के साथ वैसे भी आपके ताल्लुकात अच्छे हैं आपके नहीं आपकी सरकार से मेरा मतलब है। उस संस्था से वैसे भी आप नॉन-आफिशवल जांच करवा लेते हैं कई बातों में, तो हम तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप आफिशियल इसकी जांच करवा लीजिए। उस सर्वोच्च संस्था से जांच करवाने के बाद इस जहाज के विषय में कि क्या पोजीशन है, उसको स्पष्ट करने की कृपा करें। क्योंकि जब आप स्थिति को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक लोगों के मनोबल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। उससे ज्यादा दुष्प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो इस जहाज से यात्रा करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ उस इन्डस्ट्री के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचेगा अनावश्यक भ्रमों के कारण। जो करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, इसके विषय में भी कृपया स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, दुर्भाग्य से एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई थी और हमें युवा मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने दुर्घटना के बाद तुरन्त कार्यवाही की। उन्होंने न केवल यह सुनिश्चित किया कि जख्मी हुए लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो और मृतकों के रिश्तेदारों के लिए कुछ किया जाए बल्कि दुर्घटना वाले दिन ही कई जांच कार्य भी आरम्भ कराए। एक इस्पेक्टर की नियुक्ति अर्थात् डी०जी०सी०ए० के एक अधिकारी की दुर्घटना वाले दिन अर्थात् 14 तारीख को ही नियुक्ति की गई। फोकपिट वांयस रिकार्डर और डी० एफ० डी० और भी प्राप्त कर लिया गया और डी० एफ० डी० आर० को डिकोडिंग के लिए विदेश में भेजा गया तथा लिप्यन्तरण (ट्रांसक्राइबिंग) करने के लिए सी० वी० आर० भी लिया गया। उसी दिन कर्नाटक के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की घोषणा की थी। यद्यपि इसे थोड़ा बाद में किया गया था। एयर मार्शल एस०एस० रामदास की अध्यक्षता में ए-320 हवाई जहाज की सुरक्षित उड़ान के लिए इन्डियन एअरलाइन्स की तैयारी का आकलन करने के लिए तकनीकी समिति गठित की गई थी। निःसंदेह यह कदम देर से उठाया गया था। इस कदम को पिछली सरकार द्वारा इन हवाई जहाजों की भारत में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ान शुरू करने से पहले उठाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सरकारी उपक्रम, इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा इन हवाई जहाजों को यात्रियों के लिए इस्तेमाल करके पिछली सरकार लोगों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। ऐसा क्यों हुआ ? यह सरकार जल्दी में क्यों थी ? इससे हम सभी को लगता है कि सरकार ने इन हवाई जहाजों को खरीदने में और उड़ाने में जल्दी की थी। ऐसा लगता है कि सरकार ने इन्हें खरीदने अथवा करार करने में जल्दबाजी थी। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि 1981-82 में इन्डियन एअरलाइन्स आयोजना ग्रुप ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन्डियन एअरलाइन्स को और बहुत से हवाई जहाजों की आवश्यकता थी क्योंकि प्रत्येक पांच वर्षों में यातायात दुगना हो जाता था। अतः उन्होंने प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए हवाई जहाज खरीदने की सिफारिश की थी। यह स्थिति 1981-82 में थी। उस समय उपलब्ध विमानों का मूल्यांकन करने के लिए एयरमार्शल दिलबाग सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने

चार हवाई जहाज का मूल्यांकन करने के बाद 1982 या 1983 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ये चार हवाई जहाज थे—फोकर 100, ब्रिटिश एरोस्पेस एयरक्राफ्ट—124, बोइंग 757 और एअरबस-310 थी जो जिन्हें उस समय एयर इन्डिया द्वारा इस्तेमाल की जी रही थी। इन हवाई जहाजों की क्षमता जानने और यातायात के स्वरूप और अन्य सभी तकनीकी आवश्यकताओं की जांच करने के बाद इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने एक हवाई जहाज बोइंग—757 को चुना। 1984 में यह सिफारिश की गई थी और 1984 में ही बोइंग को एक आशय पत्र जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद बोइंग खरीदने के सम्बन्ध में विलम्ब होता रहा। लोग हैरान थे कि आगे बात क्यों नहीं बढ़ रही। 1985 में एअरबस उद्योग से एक पेशकश आयी जो हवाई जहाज ए—320 के सम्बन्ध में थी। उस समय तक इस किस्म का एक भी विमान बनकर बाहर नहीं आया था केवल डिजाइन तैयार हुआ था। जैसे ही पेशकश आई उसे सीधे ही प्रधान मन्त्री जी को भेज दिया गया। यदि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बता दिया जाये। और यह सरकार के या प्रधानमंत्री के अनुदेश के अनुसार था, मैं नहीं जानता। प्रधानमन्त्री के कार्यालय से यह पेशकश इंडियन एअरलाइन्स को भेजी गयी। इन्डियन एअर-लाइन्स ने इस हवाई जहाज की पेशकश का मूल्यांकन करने के लिए शीघ्रता से एक "तकनीकी सेल" का गठन किया जबकि इस हवाई जहाज का केवल डिजाइन तैयार हुआ था। इस तकनीकी सेल के प्रमुख इन्डियन एअरलाइन्स के एक अधिकारी कैप्टन बी० के० भसीन थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। इसी तरह भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के ऐसे दो भूतपूर्व फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर इन्डियन एअरलाइन्स में उच्च अधिकारी के पद पर थे। एक चेयरमैन थे और दूसरे प्रबन्ध निदेशक थे और तीसरे कैप्टन बी० के० भसीन इस सेल के अध्यक्ष थे। इस सेल ने शीघ्र ही निष्कर्ष निकाला कि यह हवाई जहाज भारत में उड़ान के लिए उचित था। इस मामले की जांच करने के लिए दिलबाग सिंह समिति को नहीं भेजा गया। इन्डियन एअरलाइन्स के पास इस मामले की जांच कराने के लिए दिलबाग सिंह समिति को भेजने का विकल्प था लेकिन उसको नहीं भेजा गया। अतः स्वाभाविक ही इसमें शंकाएं उत्पन्न हो गई। 1985 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसकी समाप्ति समझौते पर हुई। तत्पश्चात् बोइंग के सम्बन्ध में आशय पत्र जारी किया गया। बोइंग कम्पनी ने अन्य विमानों के सम्बन्ध में एक नई पेशकश दी थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। मार्च 1986 को एक समझौता हुआ क्योंकि इसी महीने बोफार्स से भी एक समझौता हुआ था। भारत सरकार के दो मंत्रालय मार्च 1986 में समझौते सम्पन्न करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

श्री ए० चार्ल्स (**त्रिवेन्द्रम**) : तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने स्वीकृति दी थी? (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : कुछ बातें बाद में सामने आएंगी। (**व्यवधान**) मेरे विचार से समझौते को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिससे कि हम पता लगा सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे यह बताया गया है कि समझौते में यह शर्त थी कि भारत को अप्रैल 1989 और जून 1990 के बीच हवाई जहाज भेज दिये जायेंगे। उन्नीस विमानों के लिए समझौता हुआ था और समझौते में 12 और विमान खरीदने के बारे में विकल्प खण्ड अन्तर्विष्ठ था। अप्रैल 1989 में भारत में पहले 19 विमान लाये जाने थे लेकिन समिति ने 1981-82 में यह कहा था कि इन्डियन एअरलाइन्स बेड़ा

प्रत्येक पांच वर्षों में दुगना हो जायेगा। मैं इस प्रकार के निवेदन का समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन समिति ने ऐसा कहा था और इन्डियन एअरलाइन्स ने इसमें जल्दबाजी की थी और भारत सरकार ने इतने अधिक विमान खरीदने की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन 1985 और 1989 के बीच क्या हुआ ? उन्होंने बोइंग कम्पनी विमान भेजने के लिए तैयार थी; 1984 में इसका आशय पत्र भेजा गया। 1985 में समझौता हो जाता, 1986 में बोइंग द्वारा विमान सप्लाई कर दिए गए होते। लेकिन 1986 से 1987 तक यातायात बढ़ जायेगा और उसका क्या प्रबन्ध होगा ? अत समझौते में यह शर्त रखी गयी कि एअरबस इंडस्ट्री 12 और विमान सप्लाई करेगी और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हुए तो उन्हें मुआवजा देना होगा। वास्तव में, उन्होंने केवल चार विमान जिसमें दो एअरबस—300 और दो बोइंग—757 थे। इनमें से दो विमान उड़ान के लायक नहीं थे तथा एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बोइंग 757 के भारत में आने के तुरन्त बाद मद्रास हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

अन्य वायुयानों की सप्लाई नहीं की गयी। दूसरा विकल्प मुआवजा, देना था, जिसका उन्होंने भुगतान किया। परन्तु मुआवजे की धनराशि विमान के चार्टर मूल्यों में हुई वृद्धि के मुकाबले काफी कम थी। एअरबस के प्रयोग में भी ऐसा ही किया गया जिसके परिणाम स्वरूप इन्डियन एअरलाइन्स के यात्रियों को परेशानी होती थी। 1986 और 1989, जब तक इन वायुयानों को इन्डियन एअर-लाइन्स में सम्मिलित नहीं किया, के बीच विमान सेवाएं अस्तव्यस्त होती थीं, या उनमें विलंब होता था। जिन व्यक्तियों ने इन्डियन एअरलाइन्स के बेड़े की वृद्धि में विलंब करने में कम से कम तीन वर्ष का निर्णय किया वे यह भलीभांति जानते थे कि इन्डियन एअरलाइन्स के यात्रियों को कितनी परेशानी होगी। उनके कारण यात्रियों को परेशानी हुई। शायद, किसी को यह संदेह हो सकता है कि उन्हें दूसरी कम्पनी के साथ समझौता करने के बजाए उसी कम्पनी से समझौता करने में लाभ था यह शंका इस तथ्य के कारण पुन: प्रकाश में आयी कि 1988 में विश्व में पहली बार एअरबस, ए-320 को सेवा में लाया गया तो हवाई प्रदर्शन में दुर्घटना हुई और चालक, जो उस समय वायुयान उड़ा रहा था एअरबस इंडस्ट्री का चीफ टेस्ट पायलट था की मृत्यु हो गयी। ऐसी ही स्थिति में बंगलौर में दुर्घटना हुई। वह 100 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर वायुयान को उड़ा रहा था वह उसे ऊपर नहीं उठा सका। कल की घटना इसी प्रकार की थी। कांकपित वॉयस रिकार्डर से स्पष्ट है कि उन्होंने वायुयान को ऊपर उठाने का प्रयास किया, जांय-स्टिक को अपने आप भी काफी खींचा। कम्प्यूटर ने वायुयान को ऊपर उठने का संदेश भेजा परन्तु ऐसा नहीं हुआ। वायुयान में खराबी हो सकती है। अन्यथा फ्रांस में वायुयान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ ? फ्रांस के वायुयान का इंजन इससे भिन्न था।

इंजन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमने सोच-समझकर ऐसे वायुयान, को खरीदने का निर्णय किया जिसका पहली उड़ान भारत में उसके आने से एक वर्ष पहले ही हुई, तथा उसके इंजन का भी व्यावहारिक रूप से प्रयोग पहली बार किया गया, यह वी—2500 नया इंजन था। उन्होंने इसका प्रयोग हम पर किया, हमारा नुकसान हुआ और हमारे लोग मारे गए।

विश्व में ऐसे 19 वायुयान हैं जिनमें से 15 भारत में भेजे गए हैं। शेष 4 में से 2 यूगोस्लाविया और 2 साइप्रस को दिए गए हैं। वे उड़ाये नहीं जा रहे हैं। वायुयानों का निर्माण करके उन देशों को भेजे जाते हैं परन्तु उन्हें उड़ाया नहीं जा रहा है।

इस इंजन का पहली बार विकास किया जा रहा था। इसका वायुयान में प्रयोग नहीं किया गया एक दिन इसे प्रमाणित करके वायुयान में लगा दिया गया। इसलिए परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया। निस्संदेह, इंजन की जांच स्थिर स्थिति में की गयी परन्तु जब इसे वायुयान में लगाया जाता है तो हो सकता है यह अलग तरीके से कार्य करे

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने देश में वायुयान उद्योग को समाप्त कर दिया है।

श्री अमल दत्त : 1988 के पश्चात फ्रांस की दुर्घटना के बाद वायुयान खरीदने का विचार करते समय क्या हमें इनके बारे में सचेत नहीं होना चाहिए? क्या हमें उस वायुयान जिसे मुख्य परीक्षण चालक चला रहा था, की खराबी की जांच नहीं करनी चाहिए? हमारे चालक को चिंता नहीं थी। हमारा चालक सतर्क नहीं था क्योंकि मार्च 1966 में समझौता हुआ था।

तत्पश्चात एक अजीब बात हुई, फ्रांस में विमान दुर्घटना के दो दिन पश्चात यह निर्णय करने के लिए मंत्री महोदय की अध्यक्षता में भारत में एक बैठक हुई कि 12 विमानों की खरीद की जाए अथवा नहीं? यद्यपि एक कनिष्ठ अधिकारी ने अध्यक्ष अर्थात् मंत्री महोदय को यह बताने का साहस किया कि फ्रांस में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तथ्यों का पता नहीं है जांच की जा चुकी है। क्या हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? जबाब दिया गया "नहीं। हमें उन्हें खरीदना है क्योंकि ऊपर से निर्देश दिए गये हैं इसलिए हमें खरीदने हैं।" इसलिए उन्होंने खरीदने का विकल्प का प्रयोग करने का निश्चय किया, इस विकल्प का उपयोग सितम्बर-अक्तूबर 1989 अर्थात् चुनाव से ठीक एक महीना पहले किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दूसरा बोफोर्स का मामला है।

श्री अमल दत्त : आश्चर्य की बात है। आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने विलब किया था। वास्तव में उन्हें निर्धारित समय के भीतर ही इसे खरीदना था। उन्होंने इसमें विलंब किया उन्होंने सोचा कि वे चुनाव हार सकते हैं। मेरा वर्तमान सरकार और वर्तमान मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आदेश को रद्द करने का प्रयास किया जाए। उस विकल्प को रद्द करना पहला कार्य है।

उर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : विकल्प बहुत पहले आया था।

श्री अमल दत्त : आप उनसे परामर्श कीजिए। इसे खरीदना क्या न्यायसंगत है जैसे कि बोइंग 757 का विरोध किया गया था। इसकी ईंधन बचत क्षमता पहली न्यायसंगत बात है।

दूसरी न्यायसंगत बात यह है कि इसे छोटी सी हवाई पट्टी पर उतारा जा सकता है क्योंकि इसे छोटी हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है।

ये दो न्यायसंगत बातें हैं। जहां तक ईंधन की बचत का संबंध है, यह पूर्णत: वी-2500 इंजन पर निर्भर होती है। यह बिना जांच किया हुआ इंजन है। यह अनुमान केवल सैद्धान्तिक रूप से लगाया था। हमें यह किस प्रकार मालूम हुआ कि इसमें ईंधन की बचत होगी क्योंकि इसके लिए नक्शा तैयार किया जा रहा था?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमे धनराशि की बचत थी।

श्री अमल दत्त : सरकार ने मार्च 1986 में समझौता किया था। इस इंजन को जून 1988 अथवा 19 8 में किसी समय प्रमाण-पत्र दिया गया। परन्तु क्या मार्च 1986 अथवा उससे पहले भी हमें यह मालूम था ? समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले निर्णय किया जाना चाहिए था। उस समय हमें किस प्रकार पता चलता कि इंजन की ईंधन की बचत क्षमता लगभग 7 प्रतिशत होगी ? हवाई पट्टी के बारे में क्या हुआ ?

दूसरी न्यायसंगत बात यह है कि यह वायुयान छोटी सी हवाई पट्टी पर उतर सकता है। परन्तु इसके लिए अतिरिक्त पहिये लगाए जाते है। इसका निचला ढांचा मजबूत होना चाहिए। यह अतिरिक्त घर्षण के लिए अतिरिक्त पहिये लगाने का परिणाम था। घर्षण में वृद्धि के लिए अतिरिक्त पुर्जे लगाने से वायुयान भारी हो जाता है। अधिक पहियों का तात्पर्य अधिक घर्षण है। इससे वह छोटी सी हवाई पट्टी पर रूक जायेगा ?

6.00 म०प०

अन्यथा ऐसा नहीं होगा। जहां तक हवाई पट्टी का सम्बन्ध है, एअरबस का विशिष्टीकरण, जो समझौते के आधार पर दिया गया गलत था। हमें इन वायुयान के लिए उतनी बड़ी हवाई पट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने यह क्या किया ? हमने इन वायुयान के परिचालन के लिए क्या किया ? क्या हमने कुछ नहीं किया ? अब जांच की जा रही है। परन्तु क्या उस समय हम कुछ नहीं जानते थे ? क्या हमें यह पता नहीं था कि इस वायुयान की आवश्यकतायें क्या हैं ? क्या हम यह नहीं जानते थे कि इस आधुनिक यंत्र की जरूरतें क्या हैं ? मुझे बताया गया है कि इस वायुयान की उड़ान प्रणाली मिराज-2 00, जो हमने कुछ वर्ष पहले खरीदा था, के समान है। मुझे बताया गया है कि वायु सेना मे मिराज की वातानुकूलित विमानशाला में रखा जाता है। मैं इसके बारे मे नहीं जानता हूं। परन्तु यह निश्चित है कि हमारे यहां वातानुकूलित विमानशाला नहीं है। हम पहले यह सुनिश्चित किया करते थें और आज भी यह सुनिश्चित करते हैं कि ए—320 वायुयान दिल्ली और अन्य हवाई अड्डों पर खड़े हैं। वे खुले में खड़े हुए हैं। उन्हें विमानशाला में भी नहीं रखा गया है। एक विशेष प्रकार का इंजन इसमें लगाया गया था। वायुयान को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलन की एक अलग यूनिट है। इसमें कम्प्यूर होने के कारण वातानुकूल आवश्यक है। कम्प्यूटरों को ठंडा रखा जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि ए०पी०यू० क्वायलों में हमेशा गड़बडी रही है। इसके फलस्वरूप वातानुकूलन ने काम नहीं किया जिससे कम्प्यूटर भी ठीक से कार्य नहीं कर सके। इसलिए इस घटना से पहले उन्होंने गलत सिगनल दिए। वायुयान अभियंताओं ने वायुयान की खराबी के बारे में अनेक चेतावनियां दी थीं। उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरों की उपेक्षा के कारण कुछ व्यक्तियों का लालच पूरा करने के लिए इन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तकनीकी पहलुओं की जांच के बारे में एक समिति बनाई गयी थी। परन्तु जांच में इनकी खरीद का भी विचार सम्मिलित किया जाना चाहिए, इस षडयन्त्र में कौन लोग शामिल थे तथा इस वायुयान के विशिष्टीकरण में किसने वृद्धि की····(**व्यवधान**) इसलिए सक्षम व्यक्तियों द्वारा यथा सम्भव इन वायुयानों की प्राप्ति की जांच की जानी चाहिए। यह शंकरानन्द की अध्यक्षता में गठित जांच समिति, जिसने एक वर्ष का समय लिया था, की तरह नहीं किया जाना चाहिए। यह उस प्रकार नहीं किया

जाना चाहिए। यह उस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। हम सक्षम व्यक्तियों द्वारा इसकी तुरन्त जांच कराना चाहते हैं यह तीन-चार महीने में पूरी हो जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस रिपोर्ट में कतरब्योंत नहीं की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : चेयरमैन आपको बना दिया जाये।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : रावत साहब से भी काम चल सकता है।

श्री हरीश रावत : हम सब चेयरमैन बन सकते हैं और इन्क्वायरी पर कार्यवाई हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह स्वीकार्य होगा तो हम श्री हरीश रावत को अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। उन्होंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : हमें यह स्वीकार्य है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : बात यह है कि सरकार, जिसने इस वायुयान को प्राथमिकता दी थी, ने यंत्र चालित सामान और कण्टेनर सामान पर कम निवेश न करके इसे देश में किफायती ढंग से नहीं चलने दिया। उन्होंने यंत्रचालित और मोटर चालित सीढ़ियों पर धन नहीं लगाया। इसके परिणाम स्वरूप यह वायुयान अन्य वायुयानों के मुकाबले जो अधिक यात्री ले जाते हैं, अधिक देर खड़ा रहता है। मेरे विचार से इसकी क्षमता 255 यात्रियों की है। यह 166 या इससे अधिक यात्रियों को ले जाता है। इसलिए यह किफायती ढग से नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कार्यशाला, इसे ठंडा करने और उसके खड़े होने के स्थान के बारे में कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी कमी यह हुई कि उन्होंने छोटे-छोटे मतभेदों, झगड़ों के कारण वर्षों लगने से विमान कर्मी, चालक और अभियन्ताओं के प्रशिक्षण में विलंब कर दिया। बीच में चार वर्ष का अन्तर था। हमने 1985-86 में समझौता किया था। मार्च या अप्रैल 1989 में विमान भेजे गए।

तीन वर्षों के स्पष्ट अन्तराल में हमने चालक दल को फ्रांस में प्रशिक्षित करने के लिए केवल एक वर्ष या उससे कम समय का उपयोग किया। इस प्रशिक्षण का कुछ भाग अत्यन्त रचनात्मक था। सभी नहीं परन्तु कुछ बातों का पता चला है, जिनसे यह पता चलता है कि प्रशिक्षण वास्तव में पर्याप्त नहीं था। मैं उस पहलू पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि इससे अधिक समय व्यतीत होगा और मेरे पास उस पर अधिक सामग्री भी नहीं है।

समाचार पत्रों के अनुसार समय की कमी के कारण पर्याप्त प्रशिक्षण के बारे में सन्देह है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मेरा विचार है कि यह सबको इस विषय में जांच की मांग करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि श्री हरीश रावत भी इस विषय पर न केवल तकनीकी पहलुओं बल्कि इस विमान की पूरी खरीद की जांच की मांग पर मेरे साथ सहमत हैं। पूर्ण क्रय प्रक्रिया और हर पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि यदि हम सब इस बात पर एकमत होंगे तो मन्त्री महोदय उत्तर देते समय इस प्रकार की जांच की घोषणा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, इस सदन में चर्चा होती रही है, चाहे कहीं आकाश की दुर्घटना हो जाये, चाहे कोई जल में दुर्घटना हो जाये, चाहे थल पर कोई दुर्घटना हो जाये, लेकिन उस दुर्घटना के विषय में हम यहां चर्चा करते आये हैं और चर्चा के क्रम में यह भी कहते हैं कि जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, लेकिन हर जांच के बाद जो उसका निष्कर्ष निकलता है, जो सबसे कमजोर होता है, जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है, ऐसे कमजोर लोगों को, उस जांच में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अपराधी घोषित कर दिया जाता है। हवाई जहाज आकाश में उड़ा, अब ड्राइवर की गलती थी या किस की गलती थी; वह तो मर गया, वह तो बताने आयेगा नहीं कि उसकी गलती थी, या नहीं थी, या मशीन में कहीं गड़बड़ थी या कुछ दूसरा कारण दुर्घटना का था, क्योंकि वह बेचारा तो मर गया, और जो आदमी मर गया, वह आपको बताने आ नहीं सकता, अब हम चाहे उसे अपराधी घोषित कर दें कि उसकी गलती से दुर्घटना हुई, तो बात यहीं खत्म हो जाये और सारा मामला ठप्प हो जाये क्योंकि जांच में न तो कोई उसके पास पूछने जायेगा, यदि उसके पास पहुंचने का कोई तरीका हो तो जरूर किसी आदमी को भेजिये जो उससे पूछकर आये। लेकिन वह हो नहीं सकता है। फिर आखिर कहीं न कहीं तो गड़बड़ी जरूर है इसलिये इस सदन में जितने प्रश्न उठाये गये हैं, उन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इससे सरकार चलाने वाले, प्रशासन चलाने वाले या हम लोगों का जो सार्वजनिक जीवन हैं, उस सार्वजनिक जीवन में, इसकी खरीद और बिक्री, लेन-देन और दुर्घटना को लेकर कितना काला धब्बा हमारे ऊपर लग रहा है। दुर्घटना में जितने लोग मरे, वे तो मर गये, जो चला गया, वह चला गया, लेकिन उसके कारण जो काला धब्बा हम पर लगा है, सरकार चलाने पर, प्रशासन चलाने वालो पर, सरकार को सहयोग करने वालों पर, प्रशासन को चलाने वालों पर जो काले धब्बे लगते जा रहे हैं, उनका कहीं न कहीं, कोई न कोई अन्त तो भारत को निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक समय ऐसा आयेगा कि न तो इस सदन पर जनता का विश्वास रहेगा और न किसी आयोग के फैसले पर विश्वास रहेगा, न किसी जांच समिति के ऊपर विश्वास रहेगा। मान लीजिये हमारे चलते कहीं कुछ हो जाये तो लोगों के मानस में एक धारणा बैठती जायेगी कि जरूर इसमें कुछ न कुछ घपला हुआ है। घपले का स्वरूप इतना व्यापक बनता जा रहा है कि चाहे कुछ भी करिये, कुछ भी लेन-देन करिये, कोई भी विदेशी कम्पनी से सौदा कीजिये, जनता यह सोचने लगेगी कि कहीं न कहीं उसमें घपला है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा और लोगों की जिन्दगी के साथ कब तक ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। केवल इतना नहीं कि यहां विमान दुर्घटना का प्रश्न ही हो, प्रश्न यह है कि इस दुर्घटना के कारण भारत के आम लोगों के मानस पर, प्रशासन के प्रति, सत्ता के प्रति, राजनीति के प्रति, जो जो प्रभाव के कारण जो अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। उसके जो दुष्परिणाम निकलेंगे, वे कहां तक ले जाएंगे लोगों को, इस पर जरा गौर से सोचना चाहिए। यहां हमारे कितने सदस्य हैं. कितने विद्वान हैं, सभी ने बताया कि उस पर कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी का क्या हुआ? वह प्लेन क्यों नहीं लिया, वह प्लेन क्यों नहीं लिया। आखिर इन सब बातों की जांच करेंगे और बहस करेंगे, तो इसका निष्कर्ष कहां पर जा कर निकलेगा? माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे कि इसके लिए एक कमेटी बना देंगे। फिर वह कमेटी कहां से बनेगी, फिर इसी भारत में से, कहीं से कोई

आदमी लेकर कमेटी बना देंगे, फिर उसमें कहेंगे कि तकनीकी लोगों को रखा जाए, तो फिर तकनीकी लोग कहां से आएंगे, फिर वहां इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया का कोई न कोई अफसर उस की तकनीकी के नाम पर उसमें आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे गांव में एक कहावत है— "बाप बेटा दलाल, तो बैल का दाम बारह आना।" कोई बैल बेचने हाट में आया, बाप खरीददार बन गया और बेटा दलाल बन गया और बैल का दाम बारह आना। बैल बेचने वाले को तो बैल बेचना ही है। तो फिर वही कहावत हो गई —"बाप खरीददार बेटा दलाल, बैल का दाम बारह आना" तो उसी तरह से जो राजनीति करने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग हैं, या प्रशासन चलाने वाले लोग रहे हैं, वे ही हैं इसमें खरीददार, वे ही इसमें तकनीकी भी हैं, वहीं उसमें लेने वाले भी हैं वहीं उसमें देने वाले भी हैं, वहीं उसमें देने वाले भी हैं. वही उसमें खाने वाले भी है, वही उसको बेचने वाले भी हैं, वही उसमें भाषण देने वाले भी हैं। अब इसका अन्त कहां जाकर निकलेगा ? यह तो द्रौपदी का चीर हो गई कि....

"नारी है कि साड़ी, साड़ी है कि नारी है,
नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है।'

वही खरीद रहा है, वही खरीदवा रहा है, वही कमेटी बना रहा है वही फैसला करवा रहा है, वही उसमें माल मार रहा है, वही दुर्घटना करवा रहा है और दुर्घटना होने के बाद वही उस पर लिखवाकर जवाब मंत्री जी से पढ़वा रहा है।

सभापति महोदय, हम तो कभी जहाज पर नहीं जाते। जब हमने सुना कि एयरबस, तो एक बार मैं बस में चढ़ने के लिए गया, तो जैसे गांव के हिसाब से बस में चढ़ते हैं कि अगर अन्दर जगह नहीं मिलती है, तो छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो हमने सोचा कि कहीं हवाई जहाज में भी अगर भीतर जगह नहीं मिली, तो छत पर चढ़ लेंगे और चले जाएंगे, तो हरिकिशोर बाबू जैसे जानकारी और विद्वान आदमी हमें बीच में मिल गए, उन्होंने कहा नाम है उसका एयरबस, लेकिन बस वाला काम नहीं है, काम उसका दूसरा है, तो दूसरा काम तो हुआ कि जहाज खरीदा गया, छोटा खरीदा गया तो थोड़ा कमीशन आया, बड़ा जहाज खरीदा गया तो बड़ा कमीशन आया। वायुदूत खरीदा जाता है, तो कीमत कम रहती है, उसमें मुनाफा होता है कम, तो एयरबस ली, एयरबस आया तो पूरा बस, कमीशन लेकर आया। जितना ला सकता था उतना लाया। अब इस वक्त बस खड़ी है। कहते हैं कि कम्पनी वापस नहीं लेगी, कहते हैं बेच दीजिए। बात समझ में नहीं आती है यह एयरबस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आपके यहां उस पर सदन में बहस की गई, क्या खरीदने वाला आपके देश में की गई बहस से अवगत होगा कि नहीं, या कि वह मूर्ख है ? क्या वह टेलीविजन नहीं देखता होगा, या वह रेडियो नहीं सुनता होगा, क्या उसे पता नहीं लगेगा कि भारत में इसके ऊपर इतनी बहस संसद में हो गई, इसकी तकनीकी खराबी पर, इसकी गड़बड़ी पर इतनी लम्बी बहस हुई, तो वह ऐसा कौन-सा मूर्ख होगा, इतना दाता होगा कि भारत को कहेगा कि चलो, हम इस बस को खरीद ले जा रहे हैं, अगर हमारे काम नहीं आएगी तो गोदाम बना लेंगे। भारत के कर्ज को अपने माथे पर लेगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा ? यह कोई मकान की तरह से तो है नहीं कि हरि किशोर बाबू ले जाते और बागमती के किनारे रख देते कि इसमें गाय-भैंस बांध लेंगे, लेकिन यह तो उस काम के लिए भी नहीं है।

इसको खरीदेगा कौन ? यह नकली बात है। मैं फिर कहता हूं कि अगर ये बिक जाए, तो इसे बेच दीजिए यदि नहीं बिके तो जिस कम्पनी से खरीदा है, उसे वापस कीजिए। हरीश रावत जी ने गांव-गंवई की बात की है। वह चलता है, भैंस के जैसे, सिर को टक्कर मारो या तो सिर टूटेगा या दुश्मन मरेगा। जिससे एयर बस खरीदी गई...., जिनकी सिफारिश से बस खरीदी गई और अगर उसमें तकनीकी गड़बड़ी थी तो खरीदने का आदेश देने वाली कमेटी में जो लोग थे उन सब को आप इसके लिये जिम्मेदार ठहराओ। दोषी पाये जाने के बाद खरीदने वाले का घर, द्वार, जमीन, जायदाद, नौकरी, चाकरी सब जब्त करके रुपया वसूल किया जाये जो लोग इस दुर्घटना में मारे गये उनको आपने मुआवजा दिया। एयर-बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें करोड़ों रुपया आपका चला गया और मुआवजा देने पर भी लाखों करोड़ों रुपया आपका चला गया। हमारे गांव में एक कहावत है कि "दूसरे के माथे पर सब अपना घर बनाते है, अपने माथे पर पड़ता है तब पता लगता है" इसमें सारा सरकार का पैसा बरबाद हुआ और एयर क्राफ्ट को जो नुकसान पहुंचा उसमें भी उसका करोड़ों रुपया गया। मेरा कहना यह है कि इस देश में एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इस तरह की दुर्घटनाओं में मुआवजा देकर सरकारी खजाने पर बोझ डाला जाता है। जिसके कारण से यह गलती हो उससे यह सारा पैसा वसूल किया जाना चाहिये।

नाथू साहब का मैं यहां भाषण सुन रहा था। हम लोग समाजवादी है। इसलिये वैसी बात आ जाती है यो मन व्याकुल हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह निजी क्षेत्र को दे दिया जाये। बिरला, टाटा और दूसरे बड़े-बड़े लोग यही चाहते हैं। जिन लोगों का समाजवादी दर्शन के प्रति कमिटमेंट नहीं है, भावना नहीं है जो मन से नहीं चाहते कि देश में समाजवाद आये, मन से यही चाहते हैं कि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं रहना चाहिये, ऐसे लोग प्रशासन में घुसे हुए हैं और जान-बूझकर सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करते हैं जिससे कि लोगों के मन में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अनास्था पैदा हो। लड़ने का सवाल यह नहीं है कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र से उठा कर निजि क्षेत्र में दे दिया जाये, बल्कि लड़ने का प्रश्न यह है कि ऐसे तत्वों को खोजा जाय जिनका समाजवाद के प्रति, परिवर्तन के प्रति, नये युग के प्रति समर्पण-भाव नहीं हो। और जो इसके विपरीत जावें उनको प्रशासन से बाहर किया जाये।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने बहुत गलतियां की थी। उन्होंने निजी आदमी को सार्वजनिक क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया। दो चीजों पर इस देश को सोचना है— वह है दिमाग और दिल। बुद्धि से कोई आदमी बहुत बड़ा समाजवादी हो सकता है, लेकिन अगर दिल से समाजवादी नहीं होगा तो देश को समाजवाद के रास्ते पर नहीं ले जा सकेगा।

इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हू।

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा (नागालैण्ड) : महोदय, मैं केवल कुछ क्षण लूंगा क्योंकि अन्य सदस्यों को भी इस विषय पर बोलना है।

यह अत्यन्त खेद जनक है कि बंगलौर में ऐसी दुर्घटना हुई और अनेक जानें गई। मैं इससे सम्बन्धित मसलों पर चर्चा करना चाहूंगा। सरकार द्वारा ए-320 एअरबस की उड़ान स्थगित करने

के निर्णय से विशेषत: हमारे देश का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नागालैंड में दीमापुर के लिए सप्ताह में सात उड़ाने हुआ करती थी। परन्तु ए-320 उड़ानों के स्थगन के पश्चात् ये सात उड़ाने कम होकर चार रह गई हैं। और यह उड़ानें भी पायलटों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। हमारे क्षेत्र अर्थात् नागालैंड में पर्याप्त विमान सेवाए उपलब्ध नहीं हैं। नागालैंड देश का सुदूरवर्ती क्षेत्र है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में आ जा नहीं सकता। मुझे नागालैण्ड जाने में और आने में दो-दो दिन लगते हैं। विमान सेवा उपलब्ध न होने पर मैं वहां जाने के लिए चार दिन नहीं लगा सकता। इस समस्या के कारण मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं कर सका। जनता दल के महासचिव और संसद के माननीय सदस्य श्री सुबोधकांत उड़ानों में अनियमितताओं के कारण अपना कार्य नहीं कर पाए, जिन्हें नागालैंड में कांग्रेस (आई) सरकार का तख्ता पलटने का कार्य सौंपा गया था। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उत्तर देते समय वे यह बताए कि क्या वे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से नागालैंड के दीमापुर के लिए विमान सेवाओं में सुधार करेंगे और इनकी संख्या बढ़ाकर यदि सात नहीं तो कम से कम पांच से छ: करेंगे। आपने सायंकाल की दिल्ली गोहाटी उड़ान को स्थगित कर दिया है। यह सब एअरबस 320 की उड़ानों पर रोक के कारण हुआ है। यदि सरकार एअरबस-320 की उड़ानों को जारी नहीं रखना चाहती तो इसका विकल्प क्या होगा? इस अव्यवस्था के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है। अनिच्छा से मुझे यह कहना पड रहा है कि एअरबस-320 की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कैबिनट मन्त्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे देश में विमान सेवाओं का मनोबल इनके आरम्भ होने से ही काफी कम रहा है। इस सम्माननीय सदन को यह बताया जाये कि इसका विकल्प क्या है ताकि लोगों को एअरलाइन्स की सेवाओं पर कोई सन्देह न रहे।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, आज हम नागरिक उड्डयन के इतिहास में 14 मार्च 1990 को हुई सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटना पर चर्चा कर रहे हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान जो इसके प्रभारी मन्त्री है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है। मैं कार्यवाही मे शीघ्रता के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं जैसे कर्नाटक सरकार के सहयोग से शवों को पहचानना इत्यादि। और आज हमारे सदस्य उस समझौते की आलोचना कर रहे है जिसके द्वारा यह एअरबस खरीदी गई। कुछ लोगों ने वर्तमान सरकार की इस सौदे में विश्वसनीयता पर सन्देह किया है। मैं नहीं जानता कि यह निर्णय ठीक था या गलत। मैंने माननीय मन्त्री महोदय के नाम से समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों में पढ़ा है कि इस विशेष विमान की खरीद पर जांच आरम्भ कर दी गई। तत्पश्चात् मैंने राज्य सभा के वाद-विवाद में यह देखा कि इन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि इन्हों ऐसा कुछ कहा था। आज, मैंने अपने कुछ मित्रों से सुना कि सरकार ने इस सौदे के सम्बन्ध में कुछ लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी है। मैं यह नहीं जानता कि यह कहाँ तक सही है। मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे इस पहलू पर कुछ प्रकाश डालेंगे। यह किसी व्यक्ति विशेष या सरकार विशेष का प्रश्न नहीं है यह एअरलाइन्स का प्रश्न है। श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा है कि बस सड़क पर चलती है। और मैं यह कहता हूं कि जब हम विमान द्वारा जाते हैं तो हम इंजन और विमान को नियन्त्रित करने वाले विमान चालकों की कार्यकुशलता और नियन्त्रण कक्ष में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करते हैं। जब विमान उड़ाने भरता है या नीचे उतरता

है तो हम पूर्णतः इन लोगों पर निर्भर करते हैं। यह विशेष विमान जो तार से उड़ने वाला (फलाई बाई वायर) जाना जाता है, 1990 में खरीदा गया श्रेष्ठ विमान माना जाता है। हमने श्री अमल दत्ता, श्री नाथू सिंह व अन्यों को सुना है। हमने कई प्रेस रिपोर्टें और सम्पादकीय देखे हैं। मेरे पास कुछ सम्पादकीय हैं जो "दुर्घटना क्षेत्र", "दुर्घटना के बाद" शार्षकों से है। तीसरा माननीय मन्त्री के विरुद्ध है जिसमें विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के बिना इतनी शीघ्रता से इन विमानों की उड़ानों पर रोक के निर्णय को तेजी में लिया गया और अतर्क संगत निर्णय कहा गया है। सम्पादकीय के अनुसार, यह उचित नहीं था।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : किस समाचार पत्र के अनुसार ?

श्री सन्तोष मोहन देव : एम० पी० क्रोनिकल (व्यवधान)···मुझे बताना है कि समाचार पत्रों में क्या छपा है। मैं इस प्रेस-सम्पादकीय को सही या गलत नहीं बता रहा। यह विमान कुछ करोड़ रुपये का खरीदा गया था और अब हमें प्रतिदिन इस पर 2.5 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और इसके लिए कम्पनी के पास कुछ लम्बित आदेश पड़े हैं। यह विमान पुनः उपयोग में लाए जाएंगे या नहीं माननीय मन्त्री महोदय को इस बारे में आज कल या परसों निर्णय लेना पड़ेगा। यदि हां, तो किन आधार पर। यह रिश्वत पर नहीं बल्कि कुछ विशेषज्ञों की राय पर निर्भर होगा। न्यायिक जांच हो रही है, रामदास समिति गठित की गई है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि विमान चालक संगठन के प्रतिनिधि आपसे मिले हैं और उन्होंने यह मांग की है कि यदि आप उनसे यह विमान चलवाना चाहते हैं तो आपको ब्लैक बाक्स, ध्वनि रिकार्डर और अन्य उपकरणो जिन्हें डी० एफ० डी० आर० नाम से जाना जाता है, से प्राप्त जानकारी उन्हें बतानी होगी···(व्यवधान)

वे चाहते थे कि सूचना उन्हें भी मिले। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप उन्हें भी सूचित करेंगे।

राज्य सभा में दिए गए भाषण में आपने कहा है कि वह सूचना संसत्सदस्यों को नहीं दी जा सकती। ठीक है, किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप 'ब्लैक-बाक्स' से उपलब्ध उस विशिष्ट सूचना को उन विमान चालकों को भी देंगे जिन्हें भविष्य में इन्हीं विमानों को उड़ाना है।

आज के समाचार-पत्र के अनुसार उन विमान चालकों, जिन्हें इन विमानों को चलाना है, को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इनमें से कितने विमान चालकों को प्रारम्भ में प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजा गया, कितनों को देश के अन्दर प्रशिक्षण मिला और कितनों को अन्य देशों में। श्री अमल दत्त द्वारा दिये गये आंकड़े के अनुसार केवल साइप्रस ही दो वायुमान काम में ला रहा है, और कोई देश नहीं। किन्तु इस समाचार-पत्र की कतरन के अनुसार, जो संसदीय ग्रन्थागार ने दी है, ऐसी खबर है कि इसी एअरबस कम्पनी, जो ब्रिटेन, फ्रांस, और पश्चिमी जर्मनी की एक संकाय कम्पनी द्वारा नियन्त्रित सहयोगी कम्पनी है, ने 520 विमानों का एक आर्डर प्राप्त किया है।

श्री अमल दत्त : इंजनों का।

श्री सन्तोष मोहन देव हो सकता है मेरी बात गलत हो, किन्तु मैंने यही पढ़ा है। अखबार की कतरनें मेरे पास हैं और इनमें 520 लिखा है। श्री अमल दत्त ने एक और प्रश्न भी उठाया है। भारत सरकार ने जो इंजन स्वीकृत किया है वह ट्रायल पर था और इसी बीच उसे खरीदा गया और वह हमारे देश में विमानों में प्रयुक्त हो रहा है। परीक्षण-काल के दौरान कोई दुर्घटना नहीं घटी। पेरिस में हवाई प्रदर्शन के दौरान यह विमान-दुर्घटना घटी मेरी बात गलत हो सकती है। किन्तु दलाली खाने और श्री राजीव गांधी को दण्डित करने की यह दुर्भावना समाप्त हो जाएगी। पिछली जनता सरकार ने यही किया था और आप भी वही कर रहे हैं।—यदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप ऐसा ही करते रहें किन्तु 1979-80 में आपने जो भोगा, वही भविष्य में आप भोगेंगे। सदस्य के रूप में, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जांच-रिपोर्ट आ जाने के पश्चात् क्या वह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे? आज, आपने जांच-आयोग (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। अतः मुझे विश्वास है कि रिपोर्ट सदन में आएगी। आज तक हमें अहमदाबाद में घटित दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं मिली। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह रिपोर्ट भी आप सदन में प्रस्तुत करेंगे?

श्रीमन् एक दिन मुझे एयरबस ए-320 से जाने का मौका मिला। वह दिल्ली से कलकत्ता के लिए एक अपराह्न उड़ान थी। लगभग आधा घंटे बाद विमान-चालक ने घोषणा की कि कलकत्ता में खराब मौसम के कारण हम वापिस जा रहे हैं। बाद में जब मैं किसी अन्य उड़ान से रात्रि में कलकत्ता उतरा तब मैंने विमान-पत्तन के लोगों से पूछा कि क्या कलकत्ता में मौसम खराब था। उन्होंने बताया कि मौसम खराब नहीं था किन्तु एयरबस में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण विमान वापिस ले जाया गया। हमें बताया कि इस वायुयान में मशीन आदमी से ज्यादा कुशल है। वह 90 के दशक का वायुयान समझा जाता है। श्रीमन्, क्या भारत जैसा विकासशील देश ऐसा विमान रखने की क्षमता रखता है जिसे 'फ्लाई-बाई वायर' के रूप में जाना जाता है। श्री अमल दत्त ने ठीक ही कहा कि कुछ देश वातानुकूलित विमानशालाएं काम में ला रहे हैं। राज्य सभा में उत्तर देते समय, आपने कहा कि वह 'क्रू (विमान-चालक दल) तथा अभियन्ताओं के सुविधार्थ है। किन्तु यदि मैं वायुयान से यात्रा करता हूं, तो कम से कम सुरक्षित उतरने का आराम चाहूंगा। सदन में जो कहा जा रहा है वह यह है कि यह खरीद अनुचित था। अब प्रश्न यह है कि, क्या भारत सरकार—तत्कालीन सरकार जिसमें मैं मंत्री था—द्वारा विमान की खरीद न्याय-संगत थी; यदि नहीं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह प्रचार क्यों हो रहा है। यदि वह एक गलती थी तो आप क्या कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह समझा जाता है कि मूल्यांकन तकनीशियनों और अधिकारियों के एक समूह ने किया था। मैं जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों-वश उन्हें इसे खरीदने को विवश होना पड़ा। सदस्य के रूप में, मैं आपसे स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। आप जितना चाहें समय ले लें, किन्तु हमें तथ्य जान कर प्रसन्नता होगी। मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारी और गम्भीरता पूर्वक उस पृष्ठभूमि की जानकारी हमें दें जिसके अंतर्गत खरीद की गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ वायुयानों में से एक है क्योंकि यह कम्प्यूटर चालित और अन्य विकसित उपकरणों से युक्त है। मुझे बताया गया है कि यह वायुयान जब उड़ान भरता है और आरोहण स्थल अर्थात टरमैक से एक निश्चित ऊंचाई पर आ जाता है, तब भी यदि आप उसे हवा में ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते।—इसमें कम्प्यूटर

हर बात का निर्देश देगा। हमारे देश में अनेक विमान-पत्तनों में दीवारें टूटी हुई हैं; जहां कभी गायें घुस जाती हैं और कभी जीपें खड़ी कर दी जाती है। हमने अपने विमान-पत्तनों में ऐसा देखा है। मकैनिक और कुछ अन्य लोग जो विशेषज्ञ नहीं होते, वहां पर यदा-कदा उपस्थित होते हैं। मुझे एक, घटना याद आती है। जब मैं एक बोइंग विमान से यात्रा कर रहा था, तो सारे सिल्चर हवाई अड्डे इलाके में पानी भरा हुआ था। विमान चालक को पता नहीं था। शायद वहां पर संचार व्यवस्था ही नहीं थी। विमान ने वहां पर उतरने का प्रयास किया किन्तु सफल नहीं हुआ और उसने इस प्रकार उड़ान भरी कि हमारा जीवन बच पाया। वस्तुत हमें बचाने का श्रेय विमान-चालक को जाता है। तत्पश्चात्, विमान को इम्फाल की ओर मोड़ दिया गया। साधारणतः, ऐसे मामलों में, विमान-चालकों को खराब मौसम की सूचना दी जानी चाहिये। किन्तु किसी कारण से सम्भवतः वह नागरिक उड्डयन कर्मचारियों की बात से सहमत नहीं हुए होंगे—उन्होंने वहां विमान नहीं उतारा और हमें इम्फाल ले जाया गया। किन्तु यह वायुयान मुझे बताया गया है उतरते समय कोई संकेत ग्रहण नहीं करता, बस सीधे उतर जाता है। वह या तो दस गज आगे अथवा दस गज पीछे उतरता है। मुझे बताया गया है कि एक निश्चित ऊंचाई अथवा निश्चित तापमान पर पहुंच कर उसकी कार्यक्षमता सर्वोत्तम होती है। किसी खास तापमान में, वह एक हठी महिला की भांति व्यवहार करता है यानि अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस कारण से, मुझे बताया गया है कि विमान चालक आपत्ति उठा रहे हैं। यह मुख्य कारण है। अतः हमें बतायें कि इन वायुयानों के चालकों और भूतल पर इन वायुयानों की देखभाल करने वाले अभियान्त्रिकों के प्रशिक्षणार्थ आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

मेरे मित्र श्री पाल यह जानने को बहुत उत्सुक हैं कि प्राथमिकी लिखवाई गई है अथवा नहीं। यदि उसमें मेरा भी नाम हो तो मुझे ऐतराज नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो यह विश्वास करते हैं कि यदि किसी ने कोई अनुचित कार्य किया है—चाहे वह आदमी किसी भी स्तर का हो—उसे दंड मिलना चाहिये। मैं अकारण कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं रखता।

श्री अमल दत्त ने कुछ व्यक्तियों के नाम लिये हैं मंत्री जी का यह कर्तव्य है कि वह, आज अथवा कल अथवा छह महीने पश्चात्, सदन को सूचित करें, गोया वह व्यक्ति विशेष इसमें शामिल है या नहीं। हमें सूचित करना उनका काम है। यह इस कारण से क्योंकि श्री अमल दत्त ने श्री राजीव गांधी का नाम लिया है। हम जानना चाहेंगे कि यह निर्णय लेने के लिये क्या श्री राजीव गांधी जिम्मेदार हैं। मुझे आज ही कोई उत्तर नहीं चाहिये क्योंकि वह पहले ही पूछ-ताछ कर रहे हैं। वह यह कर लें। ऐसा इसलिये क्योंकि उन्होंने काफी समय तक श्री राजीव गांधी के अधीन कार्य किया है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है।

न्यायमूर्ति मैथ्यू आयोग के प्रतिवेदन के विषय में क्या हुआ ? आज, आपने एक विधेयक पारित किया है। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। इस प्रकार की रिपोर्टों के प्रकाशन से यात्रियों को बड़ी जानकारी मिलेगी। साधारणतया यात्री की धारणा यह होती है कि, जब वह यात्रा करता है, वह हमेशा यही महसूस करता है कि यदि कोई आकस्मिक दुर्घटना न हो तो वह सुरक्षित रहेगा। उसके समीप बैठा यात्री मर सकता है। किन्तु ऐसे भी यात्री होते हैं जो इस लाइन में विशेषज्ञ हैं क्योंकि वे उस वायुयान में वर्षों से यात्रा कर रहे हो सकते हैं। मैंने उनके तजुर्बे भी सुने हैं। मामला सिर्फ ए-320 विमानों का ही नही है। यह तथ्य है कि हमारी जलवायु, मौसम संबंधी

स्थितियों और ववंडर संबंधी खतरों को देखते हुये, महानगरों में स्थित विमान-पत्तन भी सभी आवश्यक उपकरणों से लैस नहीं हैं।

मैं अमरीका के एक पत्र में प्रकाशित एक समाचार का जिक्र करूंगा। उस पत्र में, यह उल्लिखित है और मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"इंडियन एयरलाइन्स संसार की सबसे सस्ती एयरलाइनों में से एक है। उतनी ही सस्ती है उनके द्वारा दी गई सर्विस।" यदि यह सच है, तो मैं समझता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स जीवन को भी सबसे सस्ता समझती है। कितनी ही दुर्घटनाए हुई हैं ? लोग भारी कीमत अदा करके आपके वायुयान में यात्रा करते हैं। यदि आप श्री राजीव गांधी और सन्तोष मोहन देव को उत्तरदायी ठहराते हैं, तो मेरे विचार में, आप न्याय नहीं कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी उन पर डालना उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है। कि आपके मंत्री बनने के प्रथम दिन से ही आपने इंजीनियरों से बातचीत करना आरम्भ कर दिया था। आपने उनसे हड़ताल समाप्त करने के लिए भी निवेदन किया था जिसे उन्होंने मान लिया। उन्होंने अपनी हड़ताल वापिस ले ली और कार्य आरम्भ कर दिया। कलकत्ता हवाई अड्डे में भी ऐसा था। इसके पश्चात जब मैं इंजीनियरों से मिला, उन्होंने कहा "हमारे मंत्री महोदय इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि हमने सोचा था।" मैंने पूछा 'ऐसा क्यों ?' तो उन्होंने कहा "हमने सोचा था कि वे एक मंत्री हैं और अपने विवेक से कार्य करेंगे। परन्तु जब अधिकारियों ने उन्हें समझाया, तो दुर्भाग्यवश जिसकी हमने इच्छा की थी उसे पूरा नहीं किया गया। वे पुन: अधिकारियों के चंगुल में आ गये हैं क्योंकि अधिकारीगण श्री राजीव गांधी के साथ हैं अथवा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हैं। उन्होंने मंत्रियों को सलाह देने का अपना ही तरीका अपना रखा है। मैं मंत्री होने के नाते इसे जानता हूं। वे कभी यह कहेंगे : 'महोदय, आप इसे कर सकते हैं, परन्तु आपको टिकट की दर में वृद्धि करनी होगी।' **(व्यवधान)**

परन्तु इंजीनियरों को अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि विमान चालकों और इंजीनियरों के बीच मन मुटाव है। इसके परिणामस्वरूप अनेक बार यात्री इसके शिकार हुए हैं। वे छोटे-छोटे कारणों पर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। जब कभी वे लड़ते हैं तो यह लड़ाई प्राय उनके वेतनों में कुछ विवाद के कारण, उनकी परिलब्धियों और दूसरी चीजों के कारण होती है।

सरकार ने एयरबस-320 का प्रयोग रोक दिया है। हम सरकार से उसके उत्तर में यह बताये जाने की आशा करते है कि जांच आयोग की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी अथवा रामदास समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी। इस दौरान सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? यदि सरकार इन एयरबस-320 विमानों को पुन: प्रयोग में नहीं लाती और यदि सरकार वर्तमान हवाई बेड़े से अपनी हवाई सेवाए जारी रखती है, तो इससे यात्रियों को परेशानी होगी। यात्रियों की प्रतीक्षा सूची लम्बी होती है। एयरबस के किराये, हवाई जहाज के किराये और रेलगाड़ी के किराये लगभग एक समान हो गये हैं। इसलिए, लोग इस तथ्य के बावजूद भी, कि सरकार का प्रत्येक दिन का प्रतीक्षा और रद्द करने का औसत समय 5 या 6 घंटे होता है, विमान द्वारा यात्रा करना पसन्द करेंगे। मैं सरकार को दोष नहीं देता हूं। यह कभी-कभी मौसम के कारण होता है। यदि एक विमान

कार्य नहीं करता तो 10 या 15 विमानों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए, कृपया सरकार हमें इस बात की जानकारी दे कि क्या वह इन एयरबसों को और कितने समय के लिए खड़ा रखने का निर्णय लेती है क्योंकि सरकार ने राज्य सभा में कहा है कि सरकार को इस जांच आयोग के अंतिम परिणाम जून तक मिल जायेंगे। और यदि उस समय तक ये विमान चालक इन विमानों को उड़ाने को तैयार नहीं हैं तो सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? पहले मैंने देखा है कि कुछ देशों द्वारा भारत को कुछ विमान, जैसे बोइंग; पट्टे पर दिये गये थे। क्या सरकार ऐसा करने जा रही है? अथवा, सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? हम यह जानना चाहते हैं क्योंकि हमें इस कारण काफी परेशानी हो रही है।

अन्त में, किसी अन्य दुर्घटना के घटने से पूर्व मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार डोरनियर विमानों के सम्बन्ध में क्या कर रही है? कुछ दिन पूर्व मैं गुवाहाटी से लीलाबाड़ी यात्रा कर रहा था। मैं ईश्वर से अधिक नहीं डरता हूं परन्तु मैंने उस उड़ान में पूरे समय ईश्वर और अल्लाह को याद किया, गुवाहाटी से लीलाबाड़ी तक जिस प्रकार यह डोरनियर हिल रहा था और नाच रहा था, जब वह आगे बढ़ता था तब इससे संगीत निकलता था, इसकी शैली नाचने वाली थी और इसके यात्रियों की क्षुधा जाग गयी और वह घुटन पैदा कर रहा था। क्योंकि सरकार इसकी जाँच कर रही है, अतः यह प्रतीक्षा न कीजिए कि पहले दुर्घटना हो तभी निर्णय लिया जाये। सरकार ने विमानों की क्षमता के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिया है। सरकार एयरबस ए-320 के बारे में कुछ निर्णय ले रही है। डोरनियर विमान के बारे में भी या तो इसे बदला जाना चाहिए अथवा इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या मैं इसकी उड़ानें बन्द कर दूं?

श्री संतोष मोहन देव : आप इसकी उड़ाने बन्द कर सकते हैं परन्तु मुझे न बिठा देना। मेरा केवल यही निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : आपको पहले ही बिठा दिया गया है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं अभी बैठा नहीं हूं। आप वहां बैठा दिये गये है। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। जब हम यहां होते हैं तब सरकार को घुटन क्यों होती है? आप उस ओर जाना चाहते थे। हम पांच वर्ष तक यहीं रहना चाहते हैं। हमें अपनी भूमिका अदा करने कीजिए। आप अपना काम कीजिए और हमें अपना कार्य करने दीजिए। आप इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त जी, कृपया हमें बोलने दीजिए। **(व्यवधान)** आपको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आप हमारे बारे में अधिक चिन्तित हैं। **(व्यवधान)** हम चिंतित नहीं हैं। हम विपक्ष में रहकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में हम कल प्रस्तुत होने वाले संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने जा रहे हैं। हम इस सरकार के प्रत्येक अच्छे कार्य का समर्थन करते रहेंगे। इसलिए, आप क्यों चिंतित हैं? क्या आप हमारे साथ कोई समझौता करना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो हमारे नेता से बात कीजिए, मेरे से नहीं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : हम आपके साथ कोई समझौता नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : तब ठीक है।

अतः अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय से हमें यह बताने के लिए निवेदन करता हूं कि जांच समिति की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश के द्वारा की गयी है जिसका कि मैं नाम नहीं जानता, कब तक पटल पर रखी जायेगी ? एयरबस ए-320 को चालू करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सरकार कितना समय लगायेगी ? यदि इसे पुनः चालू नहीं किया जाना है तो यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए या तो विदेशों से पट्टे पर विमान लेकर या नये विमान खरीद कर जोकि पूर्व परीक्षित न कि भ्रान्ति पैदा करने वाले, हैं, चलाने के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इसके अतिरिक्त, उस बाक्स से सम्बन्धित सूचना के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ? विमान चालकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक उन्हें दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग जाता, तब तक वे इसे नहीं चलायेंगे। मैं उस समाचार के बारे भी जानना चाहूंगा जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है, विशेषकर **'इन्डियन एक्सप्रेस'** में जोकि आप में से अधिकांश के लिए पवित्र बाईबल है, जिसमें कहा गया है कि इंजिन की खराबी दुर्घटना का मुख्य कारण था। दूसरे समाचारपत्र ने कहा है कि यह इंजिन की खराबी नहीं थी, इसमें विमान चालक की गलती थी। अतः सरकार हमें यह बताए कि वास्तविक कारण क्या है अथवा सरकार यह बताए कि अब अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। तब हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। लोगों को इस सम्बन्ध में इतना अधिक घबराना नहीं चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर, वास्तव में एयरबस की जो दुर्घटना थी पूरे राष्ट्र को हिला देने वाली थी। उसके ऊपर चर्चा करके सही तथ्यों की जानकारी के साथ कार्यवाही आवश्यक थी। मुझे ऐसा लग रहा है यहां की चर्चा के बाद यदि भगवानराम के काल में भी ऐसा होता तो निश्चित रूप से न उन्हें 14 साल का बनास भुगतना पड़ता और न ही सीता जी को उनके साथ वहां भटकना पड़ता। क्योंकि परिणाम आने में ही कारणों के 14 साल लग जाते। पिछले 20 वर्षों से जब से हमारे डा० होमी भाभा जी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी उसके बाद से कुछ दुर्घटनायें हुई है। उसके बाद भी हम यह कहें कि हम अपने मकान में ताला लगाकर नहीं गये इसलिये हमारे मकान में चोरी हो गई और चोरी के कारणों को ढूंढे लेकिन इसका पता नहीं लगायें कि हम क्यों नहीं अपने मकान में ताला लगाकर गये। इसमें बहुत सी तकनीकी बातें हैं उनकी जानकारी मुझे नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है उसके माध्यम से मैं चन्द सवाल आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अगर पूरी घटना की जांच की जांच की जायेगी तो निश्चित रूप से इसमें बोफोर्स से भी बड़ा जाल नजर आयेगा। जिस प्रकार से इसका सौदा हुआ है, निश्चितरूप से उसके अन्दर तथ्य सामने आयेंगे 2500 करोड़ रुपये का सौदा कोई छोटा-मोटा सौदा नहीं होता, इसमें कितना कमिशन लिया होगा इसका अन्दाजा हम लगा सकते हैं। मान्यवर, जब इन विमानों को खरीदने की बात हुई थी तो उस समय हमें न इन विमानों की जानकारी थी और न ही कोई इसके बारे में तकनीकी जानकारी थी। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं तो मत्री जी मुझे ठीक करेंगे। इसके लिए कहा गया कि वातानुकूलित हैंगर होना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। लेकिन इसकी जानकारी हमें

मिलनी चाहिए कि यह सही हैं या गलत है। टाटा कमेटी ने बताया था कि यह खरीदे नहीं जायें, परन्तु यह खरीदे गये। कुल सौदा 15 विमानों का हुआ था। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यह सौदा किया गया, क्योंकि इससे पहले 757 बोइंग का सौदा हुआ था और इसे रद्द करके ये विमान खरीदने का सौदा किया गया। इसलिए शक होना स्वाभाविक है। ये पूरे तथ्य सामने आना चाहिए। कई बड़ी-बड़ी कम्पनीज जिनका माल जो खराब होता है वह जब नहीं बिकता है तो वह उसके बदले में यह कहती है कि आप हमारी अच्छी चीज ले लें और उसके बदले में खराब माल भी खरीदना पड़ेगा। इन विमानों की खरीद के साथ-साथ फ्रांस ने वायदा किया था कि वह भारत को हैवी वाटर देगा। क्या यह बात सही है और क्या यह तथ्य प्रकरण में था कि हैवी वाटर दिया जायेगा। यदि था तो इसके सम्बन्ध में क्या जांच हुई और क्या प्रगति हुई, इसकी जानकारी मंत्री जी सदन में अवश्य दें। अखबारों में तो थोड़ी बहुत जानकारी है मगर गत बार श्री शिवराज पाटिल ने बताया था कि यहां पर विमान तो 46 हैं पर उड़ान उनसे 50 होती है तो निश्चित रूप से रख-रखाव में दिक्कतें आतीं थीं जिससे उनकी व्यवस्था सही ढग से नहीं हो पाती होगी। तो कुछ बातें में आपके सामने रखना चाहता हूं। यह निश्चित रूप से आवश्यक तथ्य है कि दुर्घटनाये हो जायें, उसको जांच करें और अपनी रिपोर्ट दें। अगर मैं किसी को गोली मार देता हू तो एफ आई आर कायम हो जाये गी और मुझपर मुकद्दमा चलेगा और मुझे फांसी हो जाने की सजा भी हो सकती। पर ऐसी दुर्घटनाये जिनमें 10-20-50 100 या 200 आदमी मारे गये, उनके ऊपर जांच होकर मामला समाप्त हो जायेगा तो निश्चित रूप से यह देश के लिए चिन्ता की बात है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जान सुरक्षित रहे और देश का सम्मान सुरक्षित रहे। यह सारी बात तीन महीने या 100 दिन में नहीं हुई हैं। हम कहें कि मंत्री जी इसको सही कर देंगे तो इसमें समय लगेगा। हमें सब बातों को सोचना होगा। दूसरे पक्ष, जिसने 40 साल तक राज्य किया, उसकी कमियों को निश्चित रूप से सामने आना चाहिये, उसके लिए कौन दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिये न कि किसी गरीब की गर्दन पकड़कर उसे सजा दें। मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से यह विचार रखना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्ट जानकारी सदन को मिलनी चाहिये और जिस तरह से पिछले सालों में रिपोर्ट आती रही हैं, उसी प्रकार की रिपोर्ट न रखकर उस पर शीघ्र कार्यवाई करनी चाहिये।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, यह घटना बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण घटना है और यह घटना एयरबस ए-320 के द्वारा हुई है। जहां तक तमाम बातों से जानकारी मिलती है, उसके अनुसार यह एयरबस पहले ही से बदनाम है क्योंकि ऐसी ही एक दुर्घटना फ्रांस में हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार के द्वारा इसी विमान को सबसे अच्छा विमान समझा गया और इसे ही खरीदा गया। यहां कहा जा रहा है कि इसमें किसी तरह की गलती नहीं हुई है लेकिन अखबारों के द्वारा जो बातें पढ़ने को मिली, उसके द्वारा यह जाहिर होता है कि जहाज खरीदने में किसी न किसी तरह की अनियमितता बरती गयी और इसलिए बरती गयी कि इसमें खरीदने वालों की नीयत साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ होती तो जो पहले हवाई जहाज हां उड़ान भरते थे, उनको खरीदा गया होता। उन जहाजों को न खरीदकर इन नये जहाजो को खरीदना, इसका मतलब कि इसके पीछे कुछ राज था। जैसाकि अखबारों में बातें आयी हैं, तमाम लोगों के ब्यान आये हैं, उससे

यह साबित होता है कि जिन लोगों का इन जहाजों खरीदने में हाथ था, उन लोगों ने कमीशन लिया है। सभी कहते हैं कि अगर कमीशन लिया गया हो तो कार्यवाही होनी चाहिये। अभी दो-चार दिन पहले सी.आर.पी.सी. में अमेंडमेंट करने का एक बिल आया था और वह पास भी हो गया जिसके तहत विदेश से कोई रिश्वत लेता हो और अगर कोई एवीडेन्स हो तो उसे कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी अनियमिततायें पिछली सरकार के द्वारा हुई हो, उन की जांच कराने का अधिकार मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनकी जांच-पड़ताल करवायेगी और जो दोषी होगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस घटना में चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे वह मंत्री ही क्यों न हो जिसके द्वारा यह एग्रीमेंट किया गया हो, उनके खिलाफ एवीडेन्स आती हो, उनके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिये और आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत कार्यवाई अवश्य की जानी चाहिये। अब इस युग में जहाजों का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। अगर ये न रहें तो आदमी का एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से पहुंचना मुश्किल हो जायेगा।

इसे रेगुलर चलाने के लिये, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यहां दिये गए सारे सुझावों पर विचार करें। इसी बहस के दौरान, हमारे एक साथी ने यहां सुझाव दिया कि हम इण्डियन एयर-लाइंस को प्राइवेट सैक्टर में क्यों न बदल दें, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज सरकार के अनेक कार्यक्रम फेल हो रहे हैं, इस माने में फेल हो रहे हैं कि हमने उनकी परिभाषा ही इस तरह की बनायी है। यदि हमारी रेलगाडियां आधा घण्टा या एक घण्टा देरी से चलती हैं यह निश्चित बात है कि कहीं चेन पुलिंग हुआ होगा कहीं दूसरा कोई कारण रहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम तमाम रेलगाड़ियों को टाटा और बिड़ला के हवाले कर दें। उनके हवाले करने पर भी क्या स्थिति सुधर जायेगी, इसकी क्या गारन्टी है। इस तरह से सरकार के जितने कार्यक्रम है, उनमें से एक भी नहीं चल सकेगा। एक तरफ तो हम समाजवाद लाने के लिये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यदि ऐसे सुझाव आते रहे कि जितनी सरकारी मशीनरी है, सरकारी तंत्र है, यदि वह फेल हो रहा है, तो उसे टाटा या बिड़ला के हवाले कर दिया जाये तो उससे देश में समाजवाद को धक्का लगेगा और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। आज की जो स्थिति है, हमारे देश में लगभग 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपनी जीवन-यापन कर रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे का मतलब यह है कि उन्हें दोनों टाइम की रोटी नहीं मिलती है। हमारे देश में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह-शाम का खाना नहीं मिलता। इसे देते हुए सरकार की जितनी योजनाए चल रही हैं, यदि उन्हें टाटा और बिड़ला को सुपुर्द कर दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि फिर 75 प्रतिशत लोग ऐसे हो जायेंगे जो खाने के बिना भूखों मरने लगेंगे। इसलिये आज की परिस्थितियों में, आज के युग में वह सुझाव उचित प्रतीत नहीं होता बल्कि मैं तो मांग करना चाहूंगा कि इन विमानों की खरीद में जिन पदाधिकारियों का हाथ रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। यहां श्री हुक्मदेव नारायण जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आखिर अब जांच किस तरह से हो सकती है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है : "चाम का बेर, कुकु रखवार" जिसका मतलब है कि यदि इन्क्वायरी करने वाला ही ऐसा है, रक्षक है वही भक्षक है तो कैसे काम चलेगा। मेरा विश्वास है कि आज भी कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जिन्हें इसी जांच का काम सौंपा जा सकता है।

दुनिया अभी ऐसे निष्पक्ष लोगों से शून्य नहीं हुई है। यहां काफी हाहाकार मचाया गया कि हम लोग भी कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला करते थे और एक समय वह आया जब कांग्रेस के लोग ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले और बाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी बना ली। आज स्थिति यह है कि उसी रास्ते पर चलते हुए, उन्हीं लोगों के कंधे पर इस देश को चलाने का भार आ गया है। मुझे एक बात की खुशी है. जैसा यहां हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आज इस सरकार में जो लोग मंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं, वे अपने ही आदमी हैं और मेरे जैसा आदमी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम चाहे उनका कितना भी समर्थन करें, उसका कहीं कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। फिर भी मेरे जैसा आदमी उम्मीद करता है कि एक समय वह आयेगा कि आप जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, उनमें से मात्र 60 या 70 लोग ही उन बैंचों पर जाकर बैठेंगे जिन पर आज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी या अन्य मंत्री लोग बैठे हैं। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, जिनके चलते ये विमान खरीदे गये, जिन विमानों के कारण दुर्घटना हुए और अनेकों लोग मारे गये। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब शाम के 7 बजने जा रहे हैं। मैं सदन की भावना जानना चाहता हूं कि क्या बैंठक जारी रखी जाए और इस विषय को पूरा किया जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : सभापति महोदय, अभी कितने वक्ता शेष हैं ?

सभापति महोदय : सात या आठ वक्ता है।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : महोदय, हम देर तक बैठ सकते हैं और इसे आज ही पूरा कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : सभापति महोदय, मंत्री महोदय आज ही 7.30 म.प. उत्तर दे दें।

7.00 म. प.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : इसे कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात ले सकते हैं।

श्री समरेन्द्र कुण्डू । कल शुक्रवार है। सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों को वापिस चले जायेंगे। हम इसे 30 से 40 मिनट में पूरा कर लेंगे।

सभापति महोदय : अब हम चर्चा आरम्भ करते हैं। इसे हम बाद में देखेंगे।

7.01 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1990 को, जिस लोकसभा द्वारा अपनी 28 मार्च, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 1990 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 28 मार्च, 1990 को बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

7.03 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

बंगलौर में इंडियन एयरलाइंस की एयरबस ए-320 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझसे पूर्व के वक्ताओं द्वारा पहले ही इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है। मुख्य बात इन वायुयानों की प्राप्ति की बुरी कहानी है। मेरे सम्माननीय मित्र श्री अमल दत्त ए-320 वायुयान के चयन के लिए जिम्मेदार बातों और अन्य कई तथ्यों को पहले ही काफी विस्तार में कह चुके हैं।

यदि सदन में वायुयान की खरीद के बारे में कही गई बातों का हम संक्षेप में मूल्यांकन करें तो इससे संबंधित चार बातें सामने आती हैं। पहले, पिछली सरकार ने इस सौदे में अनुचित जल्दबाजी की। दूसरे, पिछली सरकार ने ग्राउन्ड सपोर्ट प्रणाली की अपर्याप्तता के बारे में दी गई चेतावनियों के साथ-साथ अन्य विकल्पों को भी अनदेखा कर दिया था। तीसरे, पिछली सरकार ने मूल्यांकन के लिए और अधिक समय देने की सलाह को भी एक तरफ रख दिया। इस मामले में, योजना आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचार तथा अक्तूबर 1988 में "इंडियन कार्मशियल पायलट्स एसोसियेशन" द्वारा व्यक्त विचारों से सम्बन्धित कुछ तत्सम्बन्धी कागजातों से मैं उद्धृत करना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ वायुयानों की प्राप्ति के बारे में इंडियन कार्मशियल पायलट्स एसोसियेशन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के एक भाग को पढ़ देता हूं।

"हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह विमान न तो परखा हुआ है और न ही इण्डियन एयरलाइंस के पास इनके रख-रखाव के लिए आधारभूत सुविधायें हैं। यहां तक कि धूल, गर्मी अथवा आर्द्रता के कारण कम्प्यूटर के खराब होने पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि पायलट का उस पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होगा।"

मैं समझता हूं कि इसे विस्तार में बताने का मेरे पास समय नहीं है परन्तु यह वही सब है जो घटित हुआ है। यद्यपि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि इन वायुयानों को खरीदते समय भूतपूर्व सरकार द्वारा इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया था। योजना आयोग तथा एक अन्य अधिकारी ने भी रिपोर्ट में यही विचार व्यक्त किया था कि वर्ष 1988 में फ्लाई-बाई-वायर पद्धति वाले वायुयान को चलाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स और देश के हवाई अड्डे भी उपयुक्त नहीं होंगे। अतः मैं समझता हूं कि इस मामले की पूरी तरह से जांच किये जाने की आवश्यकता है और मेरा सुझाव होगा कि जांच अधिनियम के आयोगों के अधीन जांच की जानी चाहिये जिससे कि इन वायुयानों की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया की जांच हो सके।

मैं केवल कुछ ही बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला, कब तक ये वायुयान बेकार पड़े रहेंगे अथवा क्या आप नहीं चाहते कि ये वायुयान दुबारा उड़ान भरें? जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि चालक पहले ही यह निर्णय कर चुके हैं कि जांच-रिपोर्ट जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, वे इन वायुयानों को नहीं चलायेंगे। मैं चालकों द्वारा किये गये निर्णय के इस पक्ष के प्रति मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

यह मांग की जाती रही है और मैं भी यह मांग करता हूं कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। आज के समाचार-पत्रों में कहा गया है कि इस समझौते की शर्तें निर्माता इंडस्ट्री के पक्ष में अधिक हैं। उनमें से एक शर्त यह है कि क्रयादेश केवल इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि ये वायुयान उड़ान भरने योग्य नहीं हैं और उनकी उड़ान करने सम्बन्धी क्षमता अथवा अक्षमता का निर्णय भी फ्रेंच न्यायालय द्वारा किया जायेगा न कि किसी अन्य देश के न्यायालय द्वारा कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार का निर्णय न कर सके जिससे समझौता अथवा सौदा रद्द होता हो। इस स्थिति में, मैं चाहता हूं कि पूरे समझौते को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे हम वास्तविक स्थिति समझ सकें कि यह समझौता क्या वास्तव में एयरबस इंडस्ट्री के पक्ष में अधिक जाता है। मैं समझता हूं कि हमें काफी साहस जुटाना चाहिये और मेरे विचार में वह हममें है तथा यह रिपोर्ट मिली है कि एयरबस इंडस्ट्री को पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली इत्यादि जैसे देशों द्वारा काफी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। जो इस इंडस्ट्री का वित्त पोषण करते हैं इस निर्माता इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता कौन देता है। अतः मैं सोचता हूं कि हमें पर्याप्त साहस जुटाना चाहिये जिससे हम ऐसा निर्णय ले सकें तथा कम्पनी के बहुत अधिक पक्ष में जाने वाले समझौते को रद्द कर सकें।

प्रो. के. वी थामस (एरणाकुलम) : महोदय, बंगलौर में हुई एयरबस 320 की दुर्घटना से निम्नलिखित बातें हमारे सामने आती हैं।

पहली यह है कि क्या यह मानवीय गलती के कारण घटी थी। दूसरे, क्या यह कोई तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। वाइस रिकार्डर और ब्लैक-बाक्स की जांच करने से यह निश्चित पता चल जायेगा कि क्या यह दुर्घटना मानवीय गलती के कारण घटी थी। इस समय सरकार के पास वाइस रिकार्डर और ब्लैक-बाक्स की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट पहले ही मौजूद ही अतः यह सरकार पर निर्भर है कि क्या इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जायेगा और उचित कार्यवाई की जायेगी।

जब हम माननीय गलती पर ध्यान देते हैं तब दुर्घटना होने से पूर्व ही समाचार-पत्रों में यह रिपोर्ट थी कि जो चालक और अभियंता एयरबस ए-320 चला रहे थे, वे पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। यहां तक कि चालकों और अभियंताओं के एक दल को जिसे विदेश में भेजा गया था, उन्होंने इसके लिये आवश्यक प्रशिक्षण नहीं लिया था। महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर सरकार को ध्यान देना है।

दूसरी बात यह है कि पिछले छः से सात महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स प्रबन्धन में कुछ प्रबन्ध सम्बन्धी समस्यायें थीं। चालक संतुष्ट नहीं थे, ग्राउन्ड कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे, यूनियनें भी संतुष्ट नहीं थीं। (व्यवधान) अभी भी वहां समस्यायें हैं। अभी केवल दो दिन पहले मैं इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे पर था। एक वायुयान बम्बई से दिल्ली आया और यह एयरबस थी। कम से कम दो दर्जन से भी अधिक यात्रियों को उनका सामान नहीं मिल सका था। जब इस बारे में पूछताछ की गई तब मैं भी इन्हीं व्यक्तियों के साथ गया था तब यह बताया गया कि जब यात्रियों से पूछताछ की गई तो वे अपना सामान पहचान नहीं सके थे। परन्तु काफी अधिक यात्री मेरे साथ थे। उन्होंने बताया कि बम्बई में सामान की जांच की कोई प्रणाली नहीं है। जांच करने वाले स्थान पर ही सामान की पहचान की जाती है। उन्होंने यही कहा था। खैर, दो दर्जन से भी अधिक यात्रियों को उनका सामान नहीं मिल सका था। अवश्य कहीं पर कुछ दोष है। इस पूरी प्रणाली में कहीं कुछ दोष है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, वहां सुधार हुआ है परन्तु अभी भी पूरी व्यवस्था में कहीं कुछ संदेहपूर्ण बात है। अतः चाहे यह ग्राउन्ड अभियंता अथवा चालकों की समस्या है, मानवीय गलती एक यह भी कारण था। इस पर भी विचार किया जाना है।

महोदय, तकनीकी खराबी वाले पहलू पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि जब हमने एयरबस 320 खरीदी थी तब विशेषकर इसी वायुयान के बारे में कहा गया था कि यह 19 वीं शताब्दी का नागर विमानन का आश्चर्य था। यह कहा जाता है कि नागर विमानन क्षेत्र में इस्तेमान किये जाने वाले वायुयानों में यह सर्वोत्तम वायुयान हो सकता है। इसमें पांच कम्प्यूटर हैं। यह वायुयन फ्लाई-बाई-वायर पद्धति से चलाया जा रहा है। साथ ही, पूरे तंत्र में कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया था। उनमें से एक कमी थी कि जब पायलट कम्प्यूटर को निर्देश देता है तो कम्प्यूटर तुरंत निर्देश ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब कम्प्यूटर वायुयान को निर्देश देता है तो वायुयान को निर्देश ग्रहण करने और इन्हें लागू करने में छह से सात सेकंड तक लग जाते हैं। यह बहुत ही गंभीर त्रुटि है, कोई त्रुटि है या नही, यह भी पता लगाना होता है। अक्सर सदन में और सदन के बाहर बोइंग वायुयान और एयरबस वायुयान की तुलना की गई है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें बोइंग कम्पनी और एयरबस कंपनी की शर्तों को भी देखना होगा। उस समय का राजनैतिक माहौल, जब यह वायुयान खरीदे गये को भी देखना होगा। उस समय अपने आणविक रिएक्टरों के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका से गुरुजल (हैवी वाटर) मांग रहे थे। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिक ने कुछ शर्तें रखी थी कि वह हमारे संयंत्रों का निरीक्षण करेंगे, जिसके लिए हम तैयार नहीं हुए। फ्रांस ने बिना किसी शर्त के गुरुजल की आपूर्ति की थी। अतएव, सारी परिस्थित पर गौर करना होगा। यदि कुछ गलती हुई है, यदि कुछ बातें छिपायी गयी है, तो उन्हें भी देखना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी का बचाव किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बातों को राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

इस सदन में हमें विपक्ष के रूप में मान्यता मिली हुई है और हम रचनात्मक विपक्ष को भूमिका निभा रहे हैं। जो भी वास्तविक समस्याओं को आप लेते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, हम यहां केवल आपका विरोध करने के लिए नहीं हैं। इस मामले में भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि कृपया इसे राजनैतिक रंग मत दीजिए। यदि कुछ गलत हुआ है तो उसका पता लगाइये; यदि किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो तो उसे सजा दीजिए। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस सब को राजनैतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति महोदय, इण्डियन एयर लाइन्स की एयरबस-320 की जो दुर्घटना हुई है, वह बहुत ही दुखद है। इस दुर्घटना में 93 लोग मारे गये और 60-70 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। आए दिन ये दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस एयरबस की बहुत प्रशंसा थी कि यह बहुत अच्छा है, अच्छी तरह चलता है, उड़ता है, लेकिन जो दुर्घटना घटी है उससे ऐसा लगता है कि इसका इंजन डिफैक्टिव था। जब यह इंजन 150 फिट की दूरी पर उतर रहा था, तो उस समय इंजन ने संकेत दिया कि इंजन को तुम ऊपर की ओर चलाओं, लेकिन वह विमान ऊपर की ओर उठ नहीं सका और इस तरह से इंजन नीचे उतरता गया, सात सैकेंड के भीतर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तथा जमीन से टकरा कर उसका एक इंजन अलग हो गया और सी. वी. आर. व डी. एफ. आर. दोनों ने काम करना बन्द कर दिया।

इस विमान में काफी कम्प्यूटर लगे हैं, ऐसा लगता था कि इसका सब कार्य कम्प्यूटर ही कर रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इण्डियन एयरबस 320 में उड़ान की क्षमता थी ? आपको क्या यह पता था, 1988 में जब पैरिस में इसी एयरबस की दुर्घटना हुई थी और उस सिलसिले में डी. एफ. डी. आर. की विश्लेषण रिपोर्ट आई तो उसमें यह कहा गया कि फ्रांसिस कम्पनी, जिसमें कि यह एयरबस बना था, उसमें गड़बड़ी थी ? जब इस बात की जानकारी हम लोगों को थी या सरकार को थी तो इस तरह का एयरबस खरीदकर इतने लोगों की जानें क्यों ली गई ? इस तरह के खतरनाक विमान उड़ाने से तो यात्रियों की जान की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच हुई है या नहीं। डॉ० एफ० डी० आर० के अध्ययन के लिये फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि हम लोगों से कोई सहयोग नहीं लिया गया और कनाडा भेजकर इसका अध्ययन करवाया गया।

इन शब्दों के साथ मुझे काफी कष्ट है कि दुर्घटना में इतने लोग मारे गये और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो, इस पर हमको निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाओं में निर्दोष लोग मारे जाते हैं और आए दिन जो घटनाएं घटती हैं, इनसे देश की और सरकार की बदनामी होती है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस अवसर पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा—न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि पिछली सरकार के नुमाइंदों ने, कांग्रेस शासन के अन्दर जिन लोगों ने इन

विमानों की खरीद की थी, उसमें कहीं न कहीं दाल में कुछ काला था और इसके परिणामस्वरूप इसके दुष्परिणाम निकले। इन विमानों को शायद कमीशन के लालच में खरीदा गया और इसके दुष्परिणाम आने वाले शासन को और हम लोगों को भोगने पड़ रहे हैं। इस समय मुझे मनुस्मृति का एक श्लोक याद आ रहा है—

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां तु व्यतिक्रमः।
त्रीणि तत्र वर्तन्ते, दुर्भिक्ष, मरणं, भयं॥

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अर्थात् जिस शासन के अन्दर पूजा या सम्मान के लायक लोग नहीं होते, उनकी जब पूजा और सम्मान किया जाता है, पूज्यानां तु व्यतिक्रमः, और जो वास्तव में सम्मान के लायक होते हैं, उनका तिरस्कार या उपेक्षा की जाती है. त्रीणि तत्र वर्तन्ते, वहां पर तीन चीजें अवश्य विद्यमान रहती हैं. दुर्भिक्ष, मरणं, भयं अर्थात् या तो घोर अकाल पड़ता है, या दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं और या भय का वातावरण चारों ओर व्याप्त रहता है।

पिछले राजीव शासन के अन्दर ये सारी चीजें इतने भयानक रूप से व्याप्त हो गई थीं कि उनके पापों का फल हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। राजा पाप करता है और राजा के पाप का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। पिछली सरकार ने जो पाप किये उसका फल इस नई सरकार जो अभी-अभी आई है, उसको भोगना पड़ रहा है। यह जो गलत सौदे पिछली सरकार द्वारा किये गये और उनका उपयोग करते हुए उसका खामियाजा अब इस सरकार को भोगना पड़ रहा है जिसके लिए दोषी पूर्ण रूप से पिछली सरकार है।

सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो ये दोष पूर्ण सौदे किये हैं, इन सौदों की जांच की जाये और इसके अन्दर जिन लोगों को दोषी पाया जाए, उनको जरा भी न बख्शा जाए, चाहे वे कितने ही बड़े लोग क्यों न हों। जैसे पहले कहा गया कि बोफोर्स के मामले में भ्रष्टाचार किया गया, थल के मामले में भ्रष्टाचार किया गया, जल के मामले में भ्रष्टाचार किया गया और इन एयरबसों की खरीद करके वायु में भी भ्रष्टाचार किया गया। इस तरह से भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जो कमेटी आफ टेक्नीशियस बैठाई गई है, उसके सदस्यों को यह हिदायत दी जाए कि वे इस बात का भी पता लगाएं कि भविष्य में कौन-कौन सी सावधानियां बरती जाएं, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यदि एयर बस 320 दोषपूर्ण है तो उनको तुरन्त हटाया जाए, उनके स्थान पर पूर्ण सक्षम विमान खरीदे जाएं, चाहे इस पर कितना भी व्यय हो। देश की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप और जनता को राहत पहुंचाने के लिए, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दोषपूर्ण विमानों का चलना सर्वथा निषिद्ध कर भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए, चाहे इसमें हमारा कितना ही पैसा खर्च क्यों न हो।

पिछले शासन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई नीति नहीं थी—उतावला सो बावला, हेस्ट मेकन वेस्ट, जल्दी के अन्दर सारे निर्णय लिये जाते थे एक ही व्यक्ति निर्णय लेता था। निकलते हैं कहां जाने के लिये, पहुंचना है कहां मालूम नहीं, इन राह में

भटकने वालों को मंजिल का निशां मालूम नहीं, इस प्रकार उन्होंने इस तरह के गलत सौदे किये, जिनका दुष्परिणाम हम सब को भोगना पड़ रहा है।

मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने दुर्घटना के पश्चात तुरन्त जांच के आदेश दिये और दुर्घटना में मारे गये लोगों के लिये और घायलों के लिये उचित मुआवजे की व्यवस्था की।

मुझे बोलने का असर दिया, इसके लिये बहुत आभारी हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा): मान्यवर, एयर बस दुर्घटना के सम्बन्ध में हम चिन्ता कर रहे हैं। हम जब एयरबस या जहाज पर चढ़ने के लिए जाते हैं एैरोड्रोम पर तो कहते हैं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, लौट कर आऊंगा या नहीं। सभापति महोदय, ऊपर वाले पर भी विश्वास हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब पं० जवाहर लाल नेहरू हवाई मार्ग से जा रहे थे हवाई जहाज की मशीन में खराबी आ गई। मशीनरी खराब होने पर भी निश्चित होकर बैठे रहे। ऐसे लगा जैसे कोई दुर्घटना होने वाली ही नहीं है। पायलट ने उसे सम्भाल लिया। 1977 में हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, काफी दूरी से प्लेन जमीन पर आकर गिरा, लेकिन हमारे प्रधान मन्त्री जी उछल कर निकल गये। कुछ नहीं हुआ। इसलिए भगवान पर इन्सान का भरोसा जिस दिन टूटेगा, निश्चित रूप से यह होता रहेगा।

सभापति महोदय, एयरबस 320 के सम्बन्ध में, मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं और न ही मैं इंजीनियर हूं और न ही इतनी मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जो मुझे देखने को मिला है उससे यह लगता है कि निश्चित रूप से इस एयरबस में कहीं न कहीं गम्भीर रूप से अनियमितता हुई है। चूंकि यह भी सुना है कि जो चक्का लगना चाहिए था और जो शाकर लगना चाहिएं था, उसकी जगह पर छोटा चक्का और छोटे शाकर लगाए गए। इस तरह की बातों में सच्चाई है या नहीं ? मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस दुर्घटना की सारी जवाबदेही चलाने वाले के ऊपर है। चाहे जिसने भी इसको चलाया हो, उसके ऊपर इसकी सारी जवाबदेही होनी चाहिए।

दूसरा, सभापति महोदय, इन्जन में क्या गड़बड़ है या नहीं है, जैसे हुक्म देव जी ने बताया, वे चले गये, आज तक जितनी जांच समितियां बैठी हैं, मैंने देखा है, क्योंकि बिहार विधान सभा का सदस्य 15 साल तक मैं था और अब यहां आ गया हूं, जितनी जांच बिठायी गयी, जांच प्रतिवेदन आज तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। हमारे भारत की जनता को गुमराह करने की यह साजिश है। इसलिये मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने इसके लिये जांच बैठायी है तो निश्चित रूप से अच्छे विशेषज्ञों से, जो इसके अच्छे जानकार हैं, उनसे सारी बातों की जानकारी प्राप्त करें और जानकारी प्राप्त करने के बाद उस पर सारी कार्यवाही आप करें।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि मैं 10 वर्ष की उम्र तक हवाई-जहाज पर नहीं चढ़ा, लेकिन गाड़ी चलाने का काम अवश्य किया है, मैं जानता हूं जो ट्रक या जीप और कार, हम सब भी चलाते हैं, मैं थोड़ी-सी गड़बड़ हो और तुनक मिजाज आदमी हो, ब्लड-प्रेशर का मरीज हो, ऐसा आदमी अगर ड्राईव करता है तो निश्चित रूप से वह मारेगा।

टैक्नीकल डिफैक्ट अलग चीज है, लेकिन मनुष्य अगर तुनक मिजाज है, ब्लड प्रैशर की उसे बीमारी है ऐसे आदमी को निश्चित रूप से आप ड्राईवर के रूप में न रखने का कार्य करें। एयरबस या एयर इण्डिया के पायलट की कडीशन है या नहीं तो निश्चित रूप से पायलट की सीमा अवधि बांधनी चाहिए उस सीमा अवधि में ही कोई बीमारी हो तो उसे निश्चित रूप से परमानेंट रिटायर कर देना चाहिए या आपको भुगतान कार्य करना हो तो करें। मुझे कुछ और नहीं कहना है, इस पर आप गम्भीरता से ध्यान देंगे। इस तरह की घटना जहां हुई है वहां ऐसी बीमारियों में पाया गया है। मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं क्योंकि बिना विशेषज्ञ रहते हुए भी मुझे बोलने का मौका मिला।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इस शाम की समाप्ति पर भाषण देते हुए मैं अपने मित्रों, आपको, कर्मचारियों और प्रेस के सदस्यों को तकलीफ में डाल रहा हूं। अब शाम के लगभग साढ़े सात बज गये हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सकें, अपना भाषण पूरा करूं।

महोदय, इस मामले में दो मुद्दे हैं। पहली बात है कमीशन के बारे में संदेह, और दूसरी बात जो बहुत भयंकर दुर्घटना हुई है, उसके बारे में है। जहां तक दुर्घटना का संबंध है, मंत्री महोदय यह कहेंगे ही कि जांच में सब बात सामने आ जायेंगी और जब उच्च न्यायलय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो सभी बातें पता चल जायेंगी। जहां तक भ्रष्टाचार और कमीशन का प्रश्न है यह खरीदी गई एयरबस की कार्यकुशलता से जुड़ा हुआ है। अन्ततः यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना का एक कारण तकनीकी त्रुटि रहा और दूसरा कारण एयरबस की खरीद से जुड़े कमीशन से संबद्ध है। यह कारण हो सकता है जिसके करण सरकार को एक घटिया विमान खरीदना पड़ा। मैं इस बारे में पूर्ण विवरण जानना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिया गया भाषण पढ़ रहा था। उन्होंने वहां बड़े स्पष्ट और अतीत रूप से उत्तर दिया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि अक्तूबर 1984, 85 और मार्च, 1986 तक वास्तव में क्या हुआ था। मैं समझता हूं उस दौरान एक आशय पत्र दिया गया था और बाद में इसे बदल दिया गया और एक ओर आदेश जारी किया गया। इसे एक उच्च अधिकार प्राप्त तकनीकी समिति ने जारी नहीं किया था, अपितु कुछ निजी संपर्कों द्वारा किया गया था जिसमें श्री भसीन, श्री कपूर और श्री चड्डा जैसे लोग शामिल थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या श्री सतीश शर्मा और श्री ललित सूरी में भी इस सौदे में कोई भूमिका अदा की थी ? मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। विस्तुत तथ्यों को यहां पहले ही बताया जा चुका है। विशेषकर मेरे माननीय मित्र श्री अमल दत्त ने विवरण देकर मेरा भार कुछ कम कर दिया है। उन्होंने विदेश में एक हवाई प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्घटना का जिक्र किया था। उस दुर्घटना के बाद सभी खरीददारों ने सौदे को छोड़ दिया था। इंजन खराब था। फिर जब खरीद का आदेश दिया जाना था, उस समय इंजन नहीं लगाया गया था जिससे यह शक हुआ कि इसका सही तरीके से परीक्षण नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि वायुयान का वास्तविक तकनीकी

विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है : यहां सभी तथ्य मौजूद है। लेकिन सौदे को बहुत जल्दबाजी में किया गया। इस जल्दबाजी से हमारे मन में कुछ शंका पैदा होती है। चाहे हम इस सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, यदि हम यह चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे तो सच का पता लगना ही चाहिए। राजनीतिज्ञ भूतपूर्व महाराजाओं की तरह नहीं हैं, जो कोई गलती कर ही नहीं सकते। राजनीतिज्ञों को सभी प्रकार के संदेहों और आरोपों से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। राज्य सभा में दिये गये भाषण के अभिप्राय से मैं पाता हूं।....

सभापति महोदय : इसे उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : महोदय, सारा दोष अधिकारियों पर मढ़ देने की आदत सी बन गयी है। मैं समझता हूं कि जांच अवश्य की जानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि राजनीतिज्ञों, उनके समर्थकों या राजनीतिज्ञों के मित्र या संसद सदस्यों या मंत्री, या उस समय के प्रधानमंत्री या अधिकारियों का 2,500 करोड़ रुपये की रकम में कोई हाथ हैं। लोग कहेंगे कि 125 करोड़ रुपये की रकम कमीशन के रूप में दी गई है। यह अनेक घपलों में से एक था जिसने उस समय सरकार को हिला रखा था। मैं समझता हूं कि यह बोफोर्स के घोटाले से कम नहीं है क्योंकि एक दुर्घटना हुई है जिसमें लोगों की जानें गयी। उन 90 लोगों को जीवित नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि वह मेरे भाईयों, पिता, पत्नी, बहनों के समान थे जो वायुयान में बैठे थे कृपया सोचिये उन लोगों के साथ क्या गुजरी होगी जो उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में यात्रा कर रहे थे जिसे लालच और गलत इरादों के कारण खराब मशीन होते हुए भी खरीदा गया था। मैं नहीं जानता कि जो लोग उस वायुयान में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कौन-सा अपराध किया था? खरीद करने वालों को क्या दंड दिया जायेगा? हमें केप्टन सतीश शर्मा के बारे में बहुत-सी बातें बतायी गई हैं। हमें बताया गया है कि उनके भाई ने लास एंजिल्स में एक पचतारा होटल बनवाया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया आरोप मत लगाइये।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

सभापति महोदय : आपको अनावश्यक रूप से उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह राज्य सभा के सदस्य हैं।

(**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपने भाषण में दूसरे सदन के सदस्य का हवाला दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : परन्तु उसके बावजूद वे कह रहे हैं।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बता दिया है कि यदि कोई दोषारोपण होता है तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि आमतौर पर हम दूसरे सदन के सदस्य का नाम नहीं लेते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : परन्तु यदि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जो दूसरे सदन से सम्बन्धित होता है। यही परम्परा है। **(व्यवधान)**

श्री समरेन्द्र कुन्डू : क्या मैं यह नहीं कह सकता कि श्री सतीश शर्मा के भाई ने लॉस एन्जिल्स में एक मन्दिर का निर्माण किया है ? इसीलिए, मैं मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि वे इस बात का पता लगायें कि क्या कैप्टन सतीश शर्मा के भाई ने लॉस एन्जिल्स में एक पांच सितारा होटल बनाया है जिसकी लागत 50 मिलियन डालर है ?

सभापति महोदय : यह मामला इस दुर्घटना से किस प्रकार सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : यह एक आरोप है। यदि आपने आरोप लगाना है तो उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार न कीजिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। **(व्यवधान)** श्री पुजारी मंत्री थे। जिस प्रकार से श्री पुजारी व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए उड़िया में एक कहावत है कि यदि बेटे को सांप काट लेता है तो माता सड़क पर रस्सी को देखकर भी भयभीत हो जाती है। यह ठीक इसी प्रकार है। वे इसकी परछाईं से भयभीत हैं। जब मैं कुछ कहता हूं... **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : यदि कोई आरोप लगाना है तो इसके लिए प्रस्ताव पेश कीजिए। आपको कोई रोक नहीं रहा है। आप प्रक्रिया का पालन कीजिए। **(व्यवधान)**

श्री समरेन्द्र कुन्डू : जैसा कि मैंने कहा; मैं चाहता हूं कि यह सन्देह, इस अपमानजनक बात की, जिसमें एक बड़ी जालसाजी की गयी है। एक संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने राज्य सभा में काफी कुछ कहा था। उन्होंने अनेक मूल बातें स्वीकार की थी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमारा निवेदन इस पूरे मामले की संसदीय जांच कराने का स्वीकार करें।

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इन माननीय सदस्यों, सर्वश्री नाथू सिंह, हरीश रावत, अमल दत्त, हुक्मदेव नारायण यादव, शिकिहो सेमा; संतोष मोहनदेव; सन्तोष कुमार गंगवार, तेज नारायण सिंह, चित्त बसु, प्रो० के० वी० थामस, प्रो० रासा सिंह, रावत, युवराज, सूर्य नारायण यादव और समरेन्द्र कुन्डू जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, का धन्यवाद करना चाहता हूं।

महोदय, कहीं न कहीं विचारों में कुछ मतभेद हो सकते हैं परन्तु आमतौर पर मैंने देखा है कि इन्डियन एयरलाइन्स में सुरक्षा नियमों को कड़ाई से लागू करने के बारे में सभी एकमत हैं। माननीय सदस्यों ने बिगड़ती स्थिति और कुछ दूसरी बाधा उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों, जिन्हें देखा गया है, के विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। 14 फरवरी की विमान दुर्घटना से पूरे देश में

चिन्ता हुई है। इससे भी अधिक इस माननीय सदन के सदस्यों को चिन्ता हुई है। यह स्वभाविक है कि हमें चिन्तित होना चाहिए। परन्तु सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स में सुरक्षा नियमों के लागू किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं।

पहले मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो लगभग सभी माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और इसके पश्चात उन पर जो माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उठाये हैं। इस सौदे में अनियमितताएं बरती गयी, इस सम्बन्ध में अनेक नई कहानियां भी प्रकाश में आयी हैं। सदस्यों ने यह बात भी कही है। श्री संतोष मोहन देव ने विशेष रूप से मेरे राज्य सभा के वक्तव्य का हवाला दिया है। मैंने जो बात कही थी और जिसे मैं यहां पुनः दोहराना चाहता हूं वह यह है कि 14 फरवरी, की दुर्घटना के पश्चात मैंने इस बात को कई बार स्पष्ट किया है कि मेरी प्राथमिकता विमान सेवाओं को सुधारने के लिए सुरक्षा सम्बन्धी मानदण्ड को सुनिश्चित करने की है। जब कभी मेरे सामने सौदा तय करने में की गयी अनियमितताओं का प्रश्न आया, मेरा एक जबाब था कि इस समय मेरी प्राथमिकता विमान सेवाओं को सुधारने और सुरक्षा मानदण्डों को एयरलाइन्स में कड़ाई से लागू करने की है। जहां तक अनियमितताओं के पहलू का सम्बन्ध है, उसकी जांच की जा सकती है, उसकी बाद में खोज-बीन की जा सकती है। परन्तु मैं इस समय उस प्रश्न पर नहीं बोलने जा रहा हूं और यही बात मैंने राज्य सभा में कही थी दोनों सदनों में कुछ प्रश्नों का जवाब देते हुए मैंने पहले कहा था कि सरकार ने लगाये गये आरोपों की कहानियों पर विशेष ध्यान दिया है। इस सौदे की समीक्षा का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पिछले दो या तीन सप्ताहों के दौरान यह प्रश्न तारांकित प्रश्नों के रूप में ही नहीं बल्कि अतारांकित प्रश्नों के रूप में भी इस सदन में दो या तीन बार उठाया गया है। समाचार पत्रों ने इसे व्यापक प्रचार दिया और यही है जो मैंने कहा था। चूंकि मैं पुन यही बात दोहराना चाहता हूं कि जहां तक नागर विमानन मंत्रालय का सम्बन्ध है सरकार की मूल जिम्मेदारी कुशल विमान सेवा प्रदान करना और एयरलाइन्स में सुरक्षा सम्बन्धी मानदण्डों को लागू करने की है। हां, हमें शिकायतें मिली है। सरकार ने समाचार-पत्रों द्वारा लगाये गये आक्षेपों पर ध्यान दिया। हमने सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर भी ध्यान दिया तत्पश्चात् नागर विमानन मंत्रालय ने इस मामले को जांच एजेन्सियों को सौंपने का निश्चय किया था। इसी कारण मैं प्रत्येक बार जवाब दे रहा था कि इस सौदे की समीक्षा का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चूंकि यह मुद्दा कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया है अतः मैं उस पर बोलने से पूर्व कुछ ब्यौरा देना चाहता हू। इण्डियन एयरलाइन्स ने 1990-91 की अवधि के लिए अपने जहाजी बेडे में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1983-84 में अध्ययन किया था। इस अध्ययन में उस समय मौजूद अनेक प्रकार के विमानों का मूल्यांकन किया गया था। इन्डियन एयरलाइन्स बोर्ड ने 22 अगस्त, 1983 को एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। वे भी बोर्ड के एक सदस्य थे। नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री बोर्ड के एक सदस्य थे। बोर्ड ने इन व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति नियुक्त की था। इस समिति ने 22 मई, 1984 को इण्डियन एयरलाइन्स के बेडे में बोइंग-757 को शामिल करने की शिफारिश की थी। बोर्ड की यह एक उप-समिति थी जिसमें वे अति विशिष्ट व्यक्ति शामिल थे जो इस विषय का ज्ञान रखते थे।

इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल ने 13 जून, 1984 को इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया। इस बोर्ड ने इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों को सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 12 बोइंग-757 प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया। इन्डियन एयरलाइन्स ने सरकार को स्वीकृति से 12 बोइंग-757 विमान खरीदने के लिए 24 जुलाई, 1984 को बोइंग कंपनी को एक आशय पत्र भेजा।

बोर्ड की इस उप-समिति के पश्चात् उन्होंने मूल्यांकन किया। बोर्ड ने उनकी सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया। तब सरकार की स्वीकृति के बाद बोर्ड ने 24 जुलाई, 1984 को 12 बोइंग-757 विमान भेजने के लिए बोइंग कम्पनी को एक आशय पत्र भेजा। अभी जबकि इण्डियन एयरलाइन्स का 12 बोइंग-757 विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन था कि तभी सरकार को अक्तूबर, 1984 में फ्रांस की एयरबस इन्डस्ट्री से एयरबस ए-320 विमान का एक अप्रत्याशित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जैसा कि माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया है यह सत्य है कि जिस समय यह प्रस्ताव आया था उस समय इंजिन का डिजाइन ही तैयार हुआ था। यहां तक का इंजन का अदयरूप भी प्राप्त नहीं था। तब सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स से प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए कहा था। पहले मामले के विपरीत जिसमें विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की एक उप-समिति बनायी जाती थी, इस मामले में इण्डियन एयरलाइन्स ने इस अयाचित पेशकश का मूल्यांकन करने के लिए एक कक्ष सेल बना दिया। पूरे मामले का षड्यन्त्रकारी भाग यह है कि यह कक्ष भी, जिसने इस अयाचित प्रस्ताव का मूल्यांकन किया, एक औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। यह एक अनौपचारिक व्यवस्था थी। इस कक्ष में केवल एक व्यक्ति था। उसमें कोई दूसरा सदस्य नहीं था। उसमें कोई सहायक नहीं था। वह एक व्यक्ति का कक्ष अनौपचारिक आधार पर बनाया गया था और उस कक्ष ने अयाचित प्रस्ताव का मूल्यांकन और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस विमान को, जिसका कि इंजिन अभी ड्राविंग बोर्ड पर था, खरीदा जाना चाहिए और इण्डियन एयरलाइन्स को यह पेशकश स्वीकार करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वह कौन है ? उस व्यक्ति का नाम बताइये :

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने यह बात कही है परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हू कि कि मैंने यह बात पहले ही स्वीकार कर ली है कि हमने जांच एजेन्सियों को मामला सौंप दिया है क्योंकि हमने सरकार को की गयी शिकायतों पर ध्यान दिया है। हमने मामले को जांच एजेन्सियों को सौंप दिया है और जांच एजेन्सियों ने आज सुबह ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। परन्तु महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विमान की उड़ान क्षमता और सौदे को पूरा करने में की गयी अनियमितताएं ऐसे मामले हैं जो एक दूसरे में स्वतन्त्र हैं। यह विकल्प अब नहीं है। 12 विमानों को खरीदने की प्रक्रिया का यह दूसरा भाग है। वह विकल्प प्रथम चरण में था। यह लगभग एक वर्ष में निश्चित क्रयादेश बन गया। उड़ान क्षमता और अनियमितताओं के प्रश्न को एक दूसरे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं विमान की उड़ान क्षमता के बारे में अपना निर्णय अथवा राय देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं जो कह रहा हूं वह यह

है कि सरकार ने सौदे के कुछ पहलुओं को देखा और उनके कारण ही सरकार अर्थात् नागर विमानन मंत्रालय ने मामला जांच एजेन्सियों के हवाले सौंपा था। और जांच एजेन्सियों ने उन्हें ध्यान में रख लिया है।

जैसा मैंने पहिले कहा है, उन्होंने आज सवेरे ही एक प्रथम सूचना रपट दर्ज करायी है।

एक माननीय सदस्य : किसके विरुद्ध ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : विवरण आप जान जाएंगे। आप मुझसे हर बात पुनः क्यों कहलवाना चाहते हैं ? इससे पूर्व मैं यह बात कह रहा था कि यह मूल्यांकन इंडियन एयरलाइन्स के एक प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था जिसमें केवल एक व्यक्ति था और जिसका गठन शुद्ध रूप से अनौपचारिक आधार पर किया गया था। उस मूल्यांकन द्वारा जो कारण दिये गये, वह यह थे कि इससे ईंधन की बचत होगी, इसके द्वारा आय बढ़ेगी, दूसरी डिजाइन भविष्यत्कालिक है, हाई क्षेत्र की आधारभूत संरचना में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं करना पड़ेगा तथा यात्री-सुविधा अधिक होगी ··· (**व्यवधान**)····वह इंडियन एयरलाइन्स का एक कर्मचारी होना चाहिये।

श्री समरेन्द्र कुन्डू कुछ समय पश्चात्, हम मंत्री जी से प्राथमिकी की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखने को कहेंगे····(**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं नहीं समझता कि प्राथमिकी कोई गुप्त दस्तावेज है। उसे तो कोई भी बोर्ड से प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि आप मेरे से उसको, सभा पटल पर रखने को कहेंगे तो मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से बाद में यह कर सकता हूं। अतः, उस एक सदस्यीय मूल्यांकन सतिमि की रिपोर्ट के आधार पर, इण्डियन एयरलाइन्स का कथन है कि उसने वी-2500 इंजनों से युक्त आठ ए-320 एयरबसों का चयन इसलिये किया है क्योंकि उसकी अधिकतम अनुमत्य रेंज अधिक होने के अतिरिक्त उसमें दूसरे इंजन की तुलना में विकसित तकनीक है और छह से सात प्रतिशत ईंधन की बचत होती है। इसी तरह के कई तर्क दिये गये थे। मैं यह बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्यों ने शिकायत की है और मैदानी सुविधाओं के अभाव के बारे में ठीक ही कहा है। वस्तुतः, मैंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा है और उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है। हमने नये वायुयान प्राप्त करने के लिये 2500 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश करन का निर्णय लिया था मुझे वास्तव में आश्चर्य इस बात पर है कि नये वायुयान खरीदन के वास्ते 2500 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय तो हमने लिया, किन्तु हम विमान पत्तनों के उन्नयन व आधुनिकीकरण के लिये कोई पैसा खर्च नही कर रहे थे। जब मैं इन रिपोर्टों को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इन वायुयानों के क्रय के लिये दिये गये कारणों, बल्कि यों कहें कि न्यायोचित ठहरान के तर्कों, में से एक यह था कि हमें हवाई-अड्डों पर कोई पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे आश्चर्य है कि भविष्यत्कालिक डिजाइन का यह वायुयान, यह इक्कीसवीं सदी का वायुयान, अठारवीं सदी के हवाई अड्डों पर चल सकेगा। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, कि यह असंगत है और हमारा यह प्रयास होगा कि इस विसंगति और इस विकृति को हटा दिया जाए।

वस्तुत:, मैं यह जिक्र करना चाहूंगा, यह मुझे सही स्मरण है, कि नौकायन संबंधी उपकरणों पर आयात शुल्क 170 प्रतिशत से अधिक या इसके आस-पास था, और इस वर्ष के बजट में, बंगलौर निकट हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के उपरान्त उसे !90 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके पूर्व भी, विशेषकर इस दुर्घटना के पश्चात्, मैं बार-बार अपने सहयोगियों के पास गया और मैंने कहा कि हवाई अड्डों पर वर्तमान व्यवस्था के होते हुए, वायुयानों को चलाना वास्तव में निरापद नहीं हैं, हमें हवाई अड्डो का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना होगा। और वित्त मंत्री ने इस शुल्क को 170 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने की कृपा की। सम्भवतया, नागरिक उड्डयन अभिकरणों के लिये हवाई अड्डो का विस्तृत रूप से उन्नयन करने का कार्य करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यह शुल्क घटाने से, अन्यथा अधिक पड़ सकने वाला भार बड़ी हद तक कम कर दिया गया है।

मूलत: मैं केवल उन मुद्दों के बारे में कह रहा हूं जिन्हें लगभग सभी सदस्यों ने उठाया है। दूसरा मुद्दा, जिसे अनेक सदस्यों ने उठाया था, विमान चालकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में था। किन्तु उस पर आने के पूर्व, एक और मुद्दा है जिसका उल्लेख लगभग सभी ने किया है और वह है वातानुकूलित विमानशालाओं हैंगरों की आवश्यकता यद्यपि अखबारों में इस बात का उल्लेख किया गया था, किन्तु यह बात सही नहीं है। वस्तुत:, वायुयानों के लिये वातानुकूलित विमानशालाओं की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताया गया है कि भारत से बाहर जहां कहीं भी वातानुकूलित विमानशालाएं बनाई गई हैं, वे विमानों के लिये नहीं, बल्कि वहां कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा के वास्ते हैं।

जहां तक इस वायुयान का ताल्लुक है यह वायुयान शून्य से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कम से शून्य से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तक के भूतलाय तापमान पर उड़ने में समर्थ है। भारत के उच्च तापमान के लिहाज से, कम्प्यूटरों के लिये अतिरिक्त फ्रीओन द्वारा ठंडा रखने की व्यवस्था की गई है। हवाई क्षेत्र की धूल से भी कम्प्यूटरों के बचाव की व्यवस्था इसमें है।

श्री अमल दत्त : जब विमान भूमि पर होता है, तब कम्प्यूटरों के लिए वातानुकूलन व्यवस्था को चालू रखने के लिये एक सहायक-ऊर्जा-इकाई है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह सूचना उनके पास भेज दूंगा।

किन्तु मेरा अभिप्राय यही है कि वायुयानों के लिये वातानुकूलित विमानशालाओं की आवश्यकता नहीं है।

एक मुद्दा, जिसे सभी सदस्यों ने उठाया है, विमान चालकों व अभियान्त्रिकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विमान-चालक बड़ निपुण हैं, और व्यवसायिक कौशल वाले लोग हैं और उनका कार्य-स्तर व प्रवीणता संसार के सर्व श्रेष्ठ चालकों के तुल्य है।

8.00 म. प.

वास्तव में, बहुत-सी विदेशी विमान कम्पनियां हमारे विमान चालकों को अपनी कम्पनियों में लेने को आतुर रहती हैं। अतएव, प्रशिक्षण आदि में कमी के संबंध मे जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं मैं उन्हें मैं अधिक विश्वसनीय नहीं समझता। वास्तव में टाउलाउसे में 105 विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया गया था और अभी तक, भारत में विमान चालकों को प्रशिक्षित नहीं किया गया क्योंकि हमारे पास 'सिमुलेटर' की व्यवस्था नहीं है। यह 'सिमुलेटर' बाहर के मंगाया गया है। इसे हैदराबाद में स्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् यह सुविधा भारत में उपलब्ध हो सकेगी। उसके बाद ही हम भारत में ही अपने विमान चालकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर पायेंगे।

इसके अतिरिक्त, मैं प्रशिक्षण के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे विमान-चालकों ने ए-320 विमान उड़ाने के लिये निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सामान्य श्रम में भी ए-320 विमान सुरक्षित रूप से उड़ाने की उनकी सामर्थ्य के विषय में तनिक भी सन्देह की गुंजायश नहीं है। हमारे ए-320 के विमान चालक हर छमाही पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो कि दूसरे विमानों के लिये सामान्तया एक वर्ष है। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम पर इन्डियन एअरलाइन्स के साथ-साथ नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा भी निगरानी रखी जाती है। उनके प्रशिक्षण को विमान-उड़ाने से प्राप्त हुए अनुभवों के प्रकाश में अद्यतन और सशक्त बनाया जाएगा।

राम दास समिति के बारे में भी कहा गया है। राम दास समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था। उन्होंने इस बात की छानबीन की थी कि इन्डियन एअरलाइन्स के पास इस 'फ्लाई-बाई-वायर-मशीन' का इस भविष्यत्कालिक उपकरण को उड़ाने की तैयारी कितनी है। एअरलाइन्स की नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय है। राम दास समिति ने उड़ान-क्षमता और सुरक्षा-स्तर के प्रश्न की जांच नहीं की थी। उन्होंने एक सीमित प्रश्न अर्थात् इण्डियन एअरलाइन्स की तैयारी की जांच की थी। मूलरूप से, यह कार्य नागर विमानन महानिदेशालय से संबंधित है, राम दास समिति की रिपोर्ट नागर विमानन निदेशालय को दे दी गई है। सामान्य क्रम में, वे ही प्रशिक्षण-स्तरों और अन्य संबंधित मामलों को निर्धारित करते हैं। वे राम दास समिति की संस्तुतियों पर विचार करेंगे। किन्तु राम दास समिति रिपोर्ट का संबंध इन विमान को उड़ाने में इण्डियन एअरलाइन्स की तैयारी से ही है, अन्य सुरक्षा संबंधी मानदण्डों व अन्य पहलुओं से उसे कोई लेना-देना नहीं है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही थी, वह यह थी कि क्या डी०एफ०डी०आर० तथा सी०वी०आर०, जिन दोनों को मिला कर 'ब्लैक बाक्स' कहा जाता है, को पढ़ कर सुनाया गया था और क्या इन दोनों यंत्रों को 'कमर्शियल पायलट एसोसिएशन' को उपलब्ध कराया गया था। बंगलौर की विमान दुर्घटना के बाद, हमें ज्ञात हुआ कि डी०एफ०डी०आर० में रिकार्ड किये गये संकेतों का अध्ययन करने की सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है; और वहीं पर हमने यह निर्णय लिया हम इन यंत्रो को उस देश में नहीं भेजेंगे जहां उनका निर्माण हुआ है; हम उन्हें किसी और देश में भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की ईमानदारी के बारे में शक था, अपितु हम केवल अधिक सावधान होना

चाहते थे। किसी पर सन्देह करने का कोई प्रश्न नहीं था। हम अत्यधिक सावधानी बरतना चाहते थे और वह हमने बरती।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि रिकार्ड किए गए संकेतों का अध्ययन करने के कार्य में सम्बद्ध नहीं किये जाने पर एअरबस कम्पनी को बहुत नाराजगी थी। मुझे नहीं मालूम कि वे नाराज थे अथवा नहीं। किन्तु मूल रूप से चूंकि इस दुर्घटना में एक एअरबस नष्ट हो गई थी और 90 बहुमूल्य जानें गयी थीं – हम अत्यन्त सावधान रहना चाहते थे। उसी दिन, मैंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच-अदालत की नियुक्ति करने की घोषणा बंगलौर में की, जिसका विधिवत गठन हमने दो दिन बाद कर दिया।

हम इस बारे में चिन्तित थे और बहुत उत्सुक थे कि यह जांच आयोग दुर्घटना के कारणों का पता लगाये। विमान के 'डी० एफ० डी० आर०' और 'सी० बी० आर० बहुत महत्वपूर्ण यंत्र हैं जो दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में सहायक हो सकते हैं हमने जो भी निर्णय किए हैं, वे इसलिए लिए हैं ताकि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। अगर भविष्य में हमें कुछ सुधारवादी कदम उठाने की आवश्यकता पड़े तो हम वे सुधार कर सकें जो इण्डियन एयरलाइन्स और भारत की अन्य एयर-लाइनों में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को लागू करने में सहायक हो सकें। इसके बाद, हमें 'डी० एफ० डी० आर० ' और 'सी० वी० आर०' से जानकारी प्राप्त हुई। इस एयरबस कम्पनी व फ्रांस के अधिकारियों ने हमसे सम्पर्क किया; वे चाहते थे कि 'डी. एफ. डी. आर.' और 'सी० वी० आर०' की जानकारी 'ब्लैक बाक्स' से प्राप्त के जानकारी के साथ उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। उनका तर्क तक यह था कि चूंकि वे इसके विनिर्माता है, और उन्होंने इस एयरबस को कुछ दूसरी एयर-लाइनों को भी बेचा है, अतः वे यह जानकारी अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि वे इसका अध्ययन कर सके, और उन एयरलाइनो को, जो इन एयरबसों को चला रही हैं सुरक्षा की दृष्टि से परामर्श दे सकें। संभव है कि वे 'डी. एफ. डी. आर.' और 'सी. वी. आर.' से प्राप्त जानकारी से कुछ निष्कर्ष निकाल सके, जो कुछ सुरक्षा उपायों का निर्णय लेने में उनकी मदद कर सके। हमने उनके अनुरोध पर विचार दिया और हमने सोचा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारा सहमत होना उचित था क्योंकि हमने 'डी. एफ. डी. आर.' में दर्ज जानकारी का फ्रांस में अध्ययन नहीं करवाया था अपितु किसी तीसरे देश में इसकी 'डिकोडिंग' करवाई थी। किन्तु सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम यह जानकारी उन्हें देने के लिये सहमत हो गए, साधारणतया या, जांच आयोग की नियुक्ति के पश्चात्। 'डी. एफ. डी. आर.' और सी. वी. आर. से प्राप्त जानकारी जांच-न्यायालय की सम्पत्ति हो जाती है। जांचकर्त्ता न्यायालय की अनुमति से हमने इस जानकारी में एयरबस कम्पनी और फ्रांस के नागर विमानन से अधिकारियों को सहभागी बनाया, चूंकि यह जानकारी उनके पास है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि यह जानकारी उन सभी एयरलाइनों को, जो ए-320 विमानों का प्रयोग कर रही है, उपलब्ध हो जाएगी। अतः यह जानकारी कई व्यक्तियों के पास पहुंच गई, किन्तु हमने सिर्फ सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की दृष्टि से ऐसा किया था। हमने किसी अन्य कारण से यह जानकारी दूसरों को उपलब्ध नहीं कराई थी। वास्तव में, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह जानकारी सुरक्षा के अलावा किसी अन्य कारण के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। जहां तक हमारे पाइलटों का

सवाल है, हमें पता चला है कि उनका कहना यह था कि जब तक उन्हें दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल जाता, वे दुबारा उड़ान शुरू करने की स्थिति में नहीं है।

किसी ने अखबार में भी यह मामला उठाया था। इसके बाद मेरी उन लोगों के साथ एक बैठक हुई थी। विमान चालकों के साथ हमारी कई बैठकें हुई थीं। कमर्शियल पायलट एसोसियेशन के सदस्यों ने मुझे बताया कि उनका चिंतित होना स्वाभाविक ही है, और उन्हें दुर्घटना के कारणों का पता होना चाहिये। अगर मुझे सही तरह से याद है तो मैंने उनसे यह कहा था कि हम जांच न्यायालय द्वारा अपनी रिपोर्ट देने तक अर्थात् मई के अन्त तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे।

तब विमान चालकों ने कहा : "अगर वह जानकारी जो एयरबस कम्पनी तथा फ्रांस के नागर विमानन अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई हैं। 'कमर्शियल पायलट एसोसियेशन' को भी उपलब्ध करा दी जाये तो वे इसका अध्ययन करेंगे और शायद वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। हमें उनके कथन में सार नजर आया क्योंकि अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम यह जानकारी एयरबस कम्पनी को दे रहे हैं, जिसके द्वारा यह जानकारी दूसरी एयरलाइनों के उन विमान चालकों को उपलब्ध है, जो ए-320 विमानों को उड़ा रहे हैं, तो हमारे विमान चालक ही इस जानकारी से वंचित क्यों रहें? अत: हमने तुरन्तु निर्णय लिया, और यह जानकारी उन्हे भी उपलब्ध कराई। वे इस जानकारी का अध्ययन कर रहे है और वे हमें बताएंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : क्या मन्त्री जी मुझे कुछ और सूचना देंगे। इन तीन दिनों के दौरान मैं पूना जाना चाहता हूं। किन्तु मैं हवाई जहाज से बम्बई या पूना नहीं जा सकता। क्या आप कुछ और विमान पट्टे पर देने जा रहे हैं? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : बिल्कुल यही तो मेरी समस्या है' एयरबस के बेड़े को न उड़ाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का कारण 14 फरवरी से बंगलौर में हुई दुर्घटना ही नहीं था। यह दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और करूण थी। मैं दुर्घटना होने के 3½ घण्टों के अन्दर ही वहां पहुंच गया था, इसलिये, मैंने स्वयं वहां जो देखा वह बहुत आघात पहुंचाने वाला था। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ यह हादसा ही एयरबस के विमानों को न उड़ाये जाने सम्बन्धी निर्णय लेने के लिये उत्तरदायी नहीं है। तत्पश्चात्, तीन दिनों तक उसमें एक बहुत बड़ी खराबी उत्पन्न होने की खबर थी। तब उड़ान रोक कर यात्रियों को उसमें से उतारा गया और जब उस खराबी को दूर कर दिया गया, तो यात्रियों ने विमान में वापस जाने से इन्कार कर दिया।

हमने अनुभव किया कि यात्रियों के दिमाग में कहीं एक शक बैठ गया है। पहले हमें इस अविश्वास को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे।

अगर हम उनका अविश्वास तथा भय दूर नहीं करते, इन विमानों को उड़ाना जारी रखते हैं तो यह निरर्थक होगा। वास्तव में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विमानों की उड़ानों को रद्द करने का निर्णय हमने सिर्फ 14 फरवरी के हादसे के कारण ही जल्दबाजी में नहीं लिया था; यह निर्णय हमने चार दिन बाद लिया था।

हममें से प्रत्येक ने समाचार पत्रों में छपी उन खबरों को अवश्य पढ़ा होगा, और किसी प्रकार, यह शक यात्रियों के दिमाग में पैदा हो गया था। मैं जानता हूं, कि एयरबस के बेड़े की उड़ाने रद्द करने के निर्णय से यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। आखिरकार, यह उन सभी एयरबसों को प्रभावित करता है जिनकी उड़ान क्षमता 14 वर्षों की है। किन्तु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था और अब भी यदि हम उस व्यवस्था का संबंध करें जिनका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है तो उसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए, आइए हम उन विकल्पों का अध्ययन करें जो हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा मैंने कहा है, हमने कमर्शियल पायलट एसोसियशन को भी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई है. और जैसे मैंने *पहले प्रार्थना की है, मैं माननीय सदस्यों से दुबारा प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें दोनों में भेद करना होगा।

जहां तक इस सौदे का सवाल है, यदि इसमें कोई अनियमितता की गई हैं तो यह प्रश्न एयरलाइन या के सुरक्षा पहलू संबंधी उडान योग्यता से निरपेक्ष है।

श्री अमल दत्त : विमानों की उड़ान संबंधी गुणवत्ता की परख अब कौन करेगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जहां तक विमानों की उड़ान संबंधी गुणवत्ता का सवाल है। यह आज नियुक्त की गई समिति द्वारा निर्मित नहीं किया जाएगा। हमारे पास एक पूरा संगठन है।

श्री हरीश रावत मुझसे जानना चाहते थे कि क्या संघीय उड्डयन प्राधिकरण जैसा कोई संगठन हमारे यहां है। भारत का नागर विमानन महानिदेशालय वही सब कार्य करता है जो संघीय उड्डयन प्राधिकरण द्वारा अमरीका में किए जाते हैं।

श्री हरीश रावत : मेरी जानकारी के अनुसार, यह सिर्फ एक प्रकोष्ठ है, यह संगठन नहीं है यह नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय में एक छोटा-सा प्रकोष्ठ है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यह एक पूर्ण संगठन है।

श्री हरीश रावत : उनका विमानों की उड़ान संबंधी गुणवत्ता प्रमाणपत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। तो, क्या आप इस संगठन को नागर विमानन मंत्रालय से अलग करने के लिए तैयार हैं क्योंकि व्यावसायिक पक्ष इस सगठन को भी प्रभावित कर सकता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं कहना चाहूंगा कि नागर विमानन मंत्रालय का अंग होने के बावजूद नागर विमानन महानिदेशालय एक नियामक प्राधिकरण है। निश्चित तौर पर नागर विमानन महानिदेशालय का दायित्व उसके अन्तर्गत आने वाली एयरलाइनों में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों को लागू करना है, उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करना नहीं।

और वास्तव में, मैं कहूंगा कि जहां तक आवश्यक सेवाओं का संबंध है न केवल नागर विमानन महानिदेशालय अपितु नागर विमानन मंत्रालय भी जिम्मेदार है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी पहली प्राथमिकता सुरक्षा दूसरी यात्रियों की सुविधा और तीसरी मितव्ययता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

हमने हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाये हैं। और अब नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं जिनको स्वयं विमान उड़ान का भी अनुभव है। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि नागर विमानन महानिदेशालय महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम संगठन को और मजबूत करेंगे। जहां तक सुरक्षा सम्बन्धी मानदण्डों को लागू करने का संबंध है हम कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और जहां तक एयरलाइन्स में सुरक्षा मानदण्डों को लागू करने का प्रश्न है, हम इस पर किसी समझौते को तैयार नहीं है।

श्री अमल दत्त : बाद में क्या होगा ? यही बात दुबारा भी हो सकती है। आप यही बात फिर कह सकते हैं। एक स्वायत्तशाली संस्था होनी चाहिए जिसे समुचित शक्तियां प्राप्त हों।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं इसे ध्यान में रखूंगा।

श्री चित्त बसु : प्रेस रिपोर्टों में कहा गया है कि एयरबस ए-320 की उड़ान क्षमता का पता एक फ्रांसिसी कंपनी लगायेगी। समझौते में ऐसी व्यवस्था है। मैं जानता चाहता हूं कि क्या यह सही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा कि नागर विमानन महानिदेशक के पास उड़ान का अनुभव है क्या यह उड़ान का अनुभव सफदरजंग हवाई अड्डे तक ही सीमित है ? किस प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उड़ान का अनुभव होना ही पर्याप्त नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जिसे मैंने अभी कहा है, मात्र यही अर्हता नही है **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : आपने कहा कि प्रारम्भिक जांच एक सदस्यीय सेल द्वारा बड़े अनौपचारिक तरीके से की गई थी। यह सब रहस्यमय प्रतीत होता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं।

श्री अमल दत्त : यदि नागर विमानन महानिदेशालय तनिक भी प्रभावी होता तो अनौपचारिक सेल द्वारा जांच की आवश्यकता ही नहीं होती। यह इंडियन एयरलाइन्स का एक व्यक्ति का सेल या अनौपचारिक सेल, जैसा कि आपने बताया हो सकता है। नागर विमानन निदेशालय को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन वह इस विचार को स्वीकार नहीं करेंगे। वह यह नहीं चाहते कि उनसे अधिकार छीन लिये जायें।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : कृपया मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य यह समझें कि यह अनौपचारिक व्यवस्था है क्या इसका क्या अर्थ। एक व्यक्ति द्वारा अनौपचारिक तरीके से निर्णय लिया गया लेकिन अन्ततः यह निर्णय इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल का निर्णय बनता है। यही मैं कह रहा हूं।

श्री अमल दत्त : आप नाम क्यों नहीं लेते ? **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आपको कल सुबह नामों का पता चल जायेगा। जब मैं कहता हूं अनौपचारिक व्यवस्था ....

श्री हरि किशोर सिंह : यह अनौपचारिक व्यवस्था किसने की किसको यह सम्मान दिया गया।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : इंडियन एयरलाइन्स ने अन्ततः संगठन का प्रमुख ही यह निर्णय लेता है। यदि ऐसी बातें होती है तो जो भी उस जगह होगा वही निर्णय लेगा। अन्ततः संगठन के प्रमुख को सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करना होता है।

श्री हरि किशोर सिंह : सरकार ऐसे नही चलती है।

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि सदस्यों को कल नाम बताये जावें ? यह क्या है ?

श्री हरि किशोर सिंह : यह अनौपचारिक व्यवस्था किसने की ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं समझता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स के उप प्रबन्ध निदेशक श्री मसीन ने यह जांच की या सेल जैसा कि इसे कहा जाता है के वे अकेले सदस्य थे। उन्होंने यह जांच की...(व्यवधान).. मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे समझेंगे। यदि कोई औपचारिक व्यवस्था होती तो कोई यह कह सकता था कि किसी ने यह नहीं किया। इसीलिए मैं बार-बार यह रहा हूं कि यह अनौपचारिक व्यवस्था थी। यदि यह औपचारिक व्यवस्था होती तो किसी पर दोष लगाना ज्यादा आसान होता है। (व्यवधान) इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कुछ समय दीजिए। आखिरकार हमने यह मामला एक जांच एजेंसी को दे दिया है। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वह इसकी जांच कर रहे है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आज ही नहीं मिल सकता है।

सभापति महोदय : क्या आपने अपना उत्तर दे दिया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जी हां।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : समाचार पत्रों से यह पता चलता है कि समझौता तोड़ा नहीं जा सकता। यदि अब सरकार यह निर्णय लेती है कि शेष विमानों को न खरीदा जाये तो सरकार यह नहीं कर सकती। यह आज के समाचार पत्र से पता चलता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, सभी प्रकार की रिपोर्ट छप रही हैं और इस स्थिति में मेरे लिए इन सब पर टिप्पणी करना संभव नहीं है। जबकि सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

8.20 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 30 मार्च, 1990/ 9, चैत्र 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक: सम्राट प्रेस, बी-84, अ खला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110020